1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 6] विधान सभा के छठे सत्र का पंचम दिवस [संख्या 4

शुक्रवार,

16 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 11-2 बजे से विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, राजस्व, पशुपालन, नगर आयोजना, खनिज, आबकारी, स्वायत्त शासन, कृषि, खनिज, नागरिक रसद, पंचायत, जन स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या 63

श्री झाबरमल सूण्डा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसका जवाब आ जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : पहले जो मौजूद हैं उनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। जब टाइम मिलेगा और मेम्बर मौजूद होंगे तो उस समय ले लेंगे।

श्री चतरभुज !

ग्राम नासिरदा की भूमि

64. **श्री चतरभुज** (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम नासिरदा, तहसील देवली जिला टोंक में सन् 1969 में 700 बीघा चारागाह भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भूमि भूमिहीनों को अलॉट कर दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ? यह भूमि अब कब तक भूमिहीनो को अलॉट कर दी जावेगी ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : 635।)3 चरागाह, कृषि भूमि में परिवर्तित की गई थी। अतिक्रमण के कारण अभी आवंटन नहीं हो पाया है। अतिक्रमण हटाया जाने व आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री चतरभुज : अध्यक्ष महोदय, यह अतिक्रमण कब से हुआ ?

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, सन् 1967 में यह जमीन परिवर्तित की गई

(श्री मूलचन्द)
थी। उसके पश्चात् इस जमीन पर सन 1973 तक नाजायज कब्जा लगा रहा 3-5-74 को उन पर पैनल्टी कायम करके एस. डी. श्रो. ने वेदखल किया उसके पश्चात् अब आवंटन की कार्यवाही जारी है और उसके लिए निश्चित तारीख 20-8-74 की दी गई है जिस पर आवंटन किया जावेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेंट कमेटी की मिटिंग ही नहीं हुई, चरागाह से इस भूमि को कृषि के लिए निकाला गया। इस जमीन के निकलते ही लोगों ने इस पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया जब तक आप अतिक्रमण को हटायेंगे नहीं तो अलॉटमेंट कैसे करेंगे ?

श्री दीपंकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कृषि भूमि का सवाल गोचर भूमि से जुड़ा हुआ है, हर जगह गोचर भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया जाता है और अतिक्रमण करने के पश्चात् उसको रेगुलेराइज कर दिया है। क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि गांवों में पशुओं के जीवन की रक्षा के जिये क्या वे गोचर भूमि की आवश्यकता को मानते हैं और उसके लिए कोई व्यवस्था है ? गोचर भूमि पर हुए नाजायज कब्जों को हटाने की कोई योजना है ताकि पशुओं के जीवन की रक्षा कारगर ढंग से हो सके ? क्या कोई कदम उठायेंगे ?

श्री चतरभुज : तीन तीन साल से मामला पड़ा हुआ है और कोई अलॉटमेंट नहीं किया है। लोग लाखों रुपये की जमीन को नाजायज तौर से खा रहे हैं। यह चरागाह की जमीन थी जिसको कृषि में परिवर्तित किया गया। यदि यह जमीन आप अलॉट नहीं करते हैं तो उनको दूसरी जमीन अलॉट हो।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि जब इस जमीन को कृषि भूमि में परिवर्तित किया तो सन् 73 तक इस पर नाजायज अतिक्रमण, कब्जा लोगों का रहा उसके पश्चात् उनको बेदखल किया गया। अब उस सम्बन्ध में कार्यवाही करके निश्चित तारीख नियत कर दी गयी है। 20-8-74 को यह जमीन अब अलॉट की जा सकेगी।

अब रहा प्रश्न दूसरा कि ऐसा क्यों होता है ? समय पर अलॉट क्यों नहीं की जाती हैं ? जब नाजायज कब्जे की कोई अड़चन आ जाती है तो उसको दूर करने के बाद ही तो अलाट कर सकते हैं।

श्री रामगोपाल : कौनसी तारीख है जो घोषित की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री दीपंकर : गोचर भूमि पर कब्जा है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह । श्री राजेन्द्रसिंह।

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

Page No 3

3.

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह ! श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह !

श्री दीपंकर : मैंने ...

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह । श्री राजेन्द्रसिंह !

Very unfortunate. I have spoken ten times, but the Hon'ble member did not pay any attention and did not take note of it. I repeated 10 time and even then the Hon'ble Member did not take his seat. This is unfortunate and very unsatisfactory state of affairs.

श्री राजेन्द्रसिंह : सन् 1969 को यह जमीन अलॉटमेन्ट के लिए निकाली गयी। उसके बाद कोई मिटिंग नहीं हुई और न ही कोई अलॉटमेन्ट ही हुआ।

श्री राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

आवंटन कमेटी से होने का प्रश्न नही है। 1969 के 30 दिसम्बर को यह जमीन परिवर्तित की गयी थी चारागाह से कृषि में। 1-1-69 से 31-12-69। लोग इस पर ईयर आफ्टर ईयर ट्रेसपास करते चले गये। जब तक उनको वहां से हटाया नहीं जाता तब तक आवंटन कमेटी की मीटिंग का सवाल ही नहीं उठता। जैसा दूसरे माननीय सदस्य पूछ रहे थे अलॉटमेन्ट की तारीख 20-8-74 मुकर्रर की गई है।

जहां तक प्रश्न है, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा गोचर भूमि के सिलसिले में। इसका एक हिस्टोरिकल बेकग्राउन्ड है। यह एक समस्या है। 1966 से पहले गोचर भूमि पर ट्रेसपास कर लिया तो उसको रेगुलेराइज कर दिया। कई शिकायतें आने लगीं गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर देते हैं, और कई जगह पर उसको कृषि में परिवर्तित भी कर दिया जाता है। सारी जनता को इस पर काफी ऐतराज होता है तो राज्य सरकार ने यह आदेश दिया था कि जब तक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा गोचर भूमि घोषित नहीं करने का प्रस्ताव नहीं कर देती तब तक उस जमीन को किसी को अलॉट नहीं करना है। ग्राम पंचायत को युनानिमस प्रस्ताव करना चाहिये। उसके बाद भी शिकायतें आयीं। कई लोग मिलकर, गुट बनाकर, अपनी मेजोरिटी के लोगों को बुला लेते हैं, दूसरों को नोटिस ही नहीं देते हैं, और इस प्रकार प्रस्ताव पास करवा लेते हैं। इससे गांव वालों में असंतोष रहता है। इसको रिपब्लिश कर दिया है। पहला पब्लिकेशन भी आज या एक दो दिन में होने वाला है।

जिसमें गोचर भूमि के परिवर्तन के पावर राज्य सरकार ने अपने पास ले लिये हैं। कलेक्टर के पास नहीं रक्खे हैं।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, जो आपने इस तरह के नये निर्देश देने चाहे हैं उसके लिए तो आभारी हूं परन्तु जो व्यक्ति इस तरह से अनधिकृत कब्जे कर चुके हैं हर साल पेनल्टी भी भुगतते हैं फिर अनधिकृत कब्जे से बाज नहीं आते। सारा गांव पंच, सरपंच जिसके खिलाफ हैं। फिर भी ऐसी जगह काश्त होती है। तो इसके लिए आप

Page No 4

4

(श्री दीपंकर)
कोई कारगर कदम सख्ती से उठावें तो ही यह सब ठीक होगा।

श्री परसराम मदेरणा : कारगर कदम उठाने का प्रश्न केवल गोचर भूमि में ही नहीं पैदा होता बंजड़ और सिवाय चक की भूमि में भी पैदा होता है। वहां भी कानून की निगाहों में वे इतने ही दोषी हैं। यह समस्या तब और गम्भीर और मैग्नीच्यूड हो जाती है जब वर्षा का समय हो जाता है। इस समय भी आ रही है। काफी किसान परेशान हैं इस तरह की शिकायतें निरन्तर हमारे पास आ रही हैं तो इसके लिये कानून में इफेक्टिव तौर पर डील करने के लिये परिवर्तन हमारे विचाराधीन हैं। एक दो माह के भीतर ही कानून में संशोधन करके अमल में ले आवेंगे।

ग्राम असनावर के मवेशी शफाखाने के किराये की बकाया

65. **श्री रामप्रसाद बोहरा** : (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर (जिला झालावाड़) के मवेशी शफाखाने के किराये (धर्मशाला) का 620) रुपये गत वर्षों का बकाया है ? यदि हां, तो अब तक किराया नहीं देने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके लिए विभाग को काफी लिखा पढ़ी की जा चुकी है ? यदि हां, तो अब किराया कब दे दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री (श्री मुन्शीलाल महावर) : (1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग से किराया निर्धारण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण बकाया है।

(2) जी हां, उक्त बकाया किराये के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है व उम्मीद है कि शीघ्र ही भुगतान किया जा सकेगा।

श्री रामप्रसाद : कितने साल का किराया बाकी है ?

श्री मुन्शीलाल : 1965 से 1968 तक का बकाया है। किराया निर्धारण प्रपत्र 2-3-68 को दिया गया पर उक्त प्रमाण-पत्र में अवधि अंकित नहीं होने से ट्रेजरी से लौट गया अब महा लेखाधिकारी के मार्फत बिल पास कराकर दिया जावेगा।

श्री रामप्रसाद : एक प्रमाण-पत्र लाने में 6 साल लग गये ?

श्री शिवचरण माथुर : यह सही है कि काफी समय लगा। पिछली बार भी यह प्रश्न पूछा गया था। अब चीफ इन्जनियीर को लिखा और प्रमाण-पत्र लिया पर वह भी टाइम बार हो गया। ट्रेजरी आफिसर पास नहीं करता। अब ए. जी. के मार्फत जा रहे हैं। पेमेन्ट हो जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सीरियस बात नहीं है, कि एक तो पांच-छः वर्ष हो जावें और फिर भी सर्टीफिकेट टाइम बार हो जावे और तब भी पेमेन्ट नहीं मिले ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो अब टाइम लिमिट बता दें कि कब तक हो जावेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ।

श्री रामप्रसाद : यह तो फिर वही गोलमाल जवाब है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा अवार्ड होल्डर सैनिकों एवं अफसरों को भूमि का आवंटन

66. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) व **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) (श्री श्रीराम गोटेवाला ने प्रश्न प्रस्तुत किया) क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) अब तक जयपुर नगर विकास न्यास ने कितने अवार्ड होल्डर सैनिकों व अफसरों को जयपुर में आवास हेतु प्लाटों का आवंटन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कितने ही अवार्ड होल्डर सैनिकों एवं अफसरों की अर्जियां आज भी न्यास के कार्यालय में विचाराधीन पड़ी हुई हैं और उन्हें भू-खण्ड आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस किस को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

नगर आयोजना राज्य मंत्री (श्री मुंशीलाल महावर) : (1) जयपुर नगर विकास न्यास ने 9 अवार्ड होल्डर सैनिकों को भू-खण्ड आवंटित किये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, अवार्ड सैनिकों एवं सैनिक अधिकारियों के 22 आवेदन-पत्र न्यास में विचाराधीन हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। भू-खण्ड आवंटन के लिये इनके मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। न्यास के पास वर्तमान में आवासीय योजनाओं में आवंटन हेतु भू-खण्ड उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका अलॉटमेन्ट का इनका क्राइटेरिया क्या है ?

(श्री रामनारायण चौधरी के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर)

खड़े पहलवान आ जावें।

श्री रामनारायण चौधरी : जितनी जमीन प्लाटों के लिये उपलब्ध हुई उतने कर दिये बाकी के लिये उपलब्ध नहीं है जमीन। जब उपलब्ध होगी तब करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाल : ये 22 कब से पेण्डिंग पड़े हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : सन् 71 की इण्डो-पाक वार के ये अवार्ड होल्डर हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर में बहुत से प्लाट इसके बाद नीलामी से दिये गये हैं। जब युद्धकाल होता है तब तो वाहवाही लेने के लिये बढ़चढ़ कर घोषणाओं पर घोषणाएं करते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे और बाद में शान्तिकाल में वही लाल फीताशाही और टालमटोल के चक्कर में डाल देते हैं। जब अवार्ड होल्डर सैनिक हैं और उनकी दर्खास्तें आ गई तो किसी तरह से जमीन इन 22 को भी उपलब्ध करानी चाहिये थी। जमीन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
उपलब्ध नहीं का बहाना लेकर बैठ जावें यह कहां तक उचित है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अलॉटमेन्ट इसलिए नहीं हो सके इन 22 को कि यू. आई. टी. के पास अलॉटमेन्ट के लिये प्लाट नहीं हैं। जमीन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा। अब जो ऑक्शन हो रहे हैं वे आक्शन के कोटे के प्लाट हैं। अलॉटमेंट का कोटा पहले ही लैप्स हो चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय इनको पहले क्यों नहीं दिये गये ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यू. आई. टी. के पास जमीन नहीं है तो आसपास की बहुत सी जमीन है, वन विभाग की है और दूसरी राजस्व विभाग की है। वैसे भी प्रेशर बहुत पड़ रहा है आबादी का, तो इनसे जमीन लेने की कार्यवाही तेजी से सरकार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : यह अलॉट करना कौन तै करता है ?

श्री रामनारायण चौधरी : यू.आई.टी. स्वयं तै करती है कि इतनी जमीन अलॉटमेन्ट के लिए है और इतनी ऑक्शन के लिए।

श्री राजेन्द्र भारतीया: एम. एल. एज. को भी अलॉट किये हैं क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : एम. एल. एज. का कोई अलग से कोटा निर्धारित नहीं है।

श्री राजेन्द्र भारतीया : जहां तक मेरी जानकारी है अलॉट जरूर किये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या यह सही है कि जिनकी पहुंच थी ऊपर तक उन अवार्ड होल्डर्स को ही अलॉटमेन्ट हो सका। बाकी को नहीं ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी, यह सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर कौनसी बात सही है यह बताइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 22 के प्रार्थना-पत्र आपके पास तीन साल से पेंडिंग पड़े हैं। मैं कहता हूं कि चान्दमारी की जमीन 901 एकड़ के करीब आपके पास पड़ी है जो आपको मिलने वाली है। और भी दूसरी जमीन है जो आप एक्वायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप सदन को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि इन भूमि में से प्लाट काटकर सबसे पहले इन 22 बचे हुए सैनिकों को अलॉट किये जावेंगे ? उनको प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : जब भी प्लाट उपलब्ध होंगे उनको प्राथमिकता ही नहीं टॉप प्रायोरिटी दी जावेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब तक का तो यह मतलब हुआ कि मेरे ही प्रश्न के उत्तर में मुझे लिखित में सूचना दी थी कि पिछले पांच वर्षों में 165 भू-खण्ड जयपुर में आवंटित किये हैं, जबकि पांच वर्षों में 60 लाख रुपया चुकाया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरकार गम्भीरता से सोच रही है और इसके लिये जल्दी से जल्दी भूमि यू. आई. टी. को उपलब्ध हो, यह प्रयास कर रही है।

देसली और माहिला में जिप्सम खनन की योजना

67. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कम्पनी के जामसर खान से जिप्सम खनन बहुत कम हो गया है ? अगर हां, तो बीकानेर जिप्सम कम्पनी सीमेन्ट उद्योग को सप्लाई करने एवं वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों को बराबर रोजगार मिलता रहे इस उद्देश्य से अन्य लीजेज यथा देसली व माहिला पर तत्काल जिप्सम खनन चालू करने का इरादा रखती है ?

खनिज मन्त्री (श्री जुझारसिंह) : बीकानेर जिले में जामसर की जिप्सम खानों के उत्पादन गत तीन वर्षों में कम नहीं हुआ है व उत्पादन स्तर एक सा बना हुआ है लेकिन खनिज भण्डार की मात्रा कम हो गई है। बीकानेर जिप्सम लि. अन्य स्थानों पर खनन कार्य करने का भी इरादा रखती है। जामसर खान के बन्द होने पर मजदूरों को अन्य खानों पर लगाने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय अभी जो मजदूर बेकार बैठे हुये हैं क्या उन्हें आप उदयपुर में नई भर्ती कर रहे हैं वहां लगाने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय जैसा जवाब दिया, हमारा प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। जितना प्रोडक्शन पिछले तीन वर्षों में चल रहा है उतना ही चल रहा है और इसको अभी दो वर्षों तक और मेन्टेन कर सकेंगे इसलिये मजदूरों को कम करने का प्रश्न नहीं है।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : वहां पर मजदूर बेकार बैठे हैं, स्किल्ड लेबर बैठी है, उनको कोई जोब नहीं मिल रहा है। दूसरे देसली और माहिला के आस पास जो खानों की लीज दे रखी हैं उनको चालू क्यों नहीं कर रहे हैं। उसको चालू करें तो और ज्यादा मजदूर लगेंगे, स्किल्ड लेबर बेकार बैठी है, वह लगेगी। तीसरी बात लूनकरणसर में जिप्सम मिलता है वह हन्ड्रेड पर्सेन्ट बढ़िया क्वालिटी का मिलता है उसके अनुसार वहां उद्योग धन्धे लगाये जा सकते हैं जिससे मजदूरों को काम मिल सके। चौथी बात वहां जो जिप्सम मिलता है लूनकरणसर में उसको ढोने के लिये जो ठेका दिया गया वह प्राइवेट लोगों को दे रखा है। जो को-ऑपरेटिव है उनको क्यों नहीं दिया जाता है। वे कोशिश कर रहे हैं। मजदूर जो काम करते हैं उन्होंने ही सहकारी समिति बना रखी है। क्या आप इसका प्रबन्ध करेंगे ?

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय जैसा माननीय प्रश्नकर्त्ता ने कहा वहां पर मजदूर बेकार बैठे हैं। क्या यह मंत्री महोदय की जानकारी में है और है तो कितने मजदूर बेकार बैठे हैं और कितने समय से बैठे हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय जो जानकारी है उसके अनुसार 145 रेगूलर

Page No 8

8

(श्री जुझारसिंह)

मजदूर हैं, 150 आदमी वर्क रेट पर है जितना काम करें उतनी मजदूरी मिलती है और तीसरा लोडिंग के लिये कॉन्ट्रैक्टर के मजदूर हैं वे 120 हैं और वे चालू हैं, जो स्किल्ड मज्दूरों की बात कही वह जानकारी में नहीं है। दूसरी बात आपने यह कही—देसली और माहिला में काम कब शुरू करेंगे? देसली में रेलवे साइडिंग के लिये मामला पड़ा है। रेलवे ऑथोरिटीज से साइडिंग नहीं मिल जाती है तब तक माल भेजने में दिक्कत आती है। एक महिने के लिये रेलवे वालों ने कहा है और उसके बाद ही काम शुरू हो सकेगा। जहां तक माहिला का प्रश्न है वहां लिन्क रोड बनाने का प्रश्न है। पांच मील लम्बी रोड़ बननी है उसके बिना माल ढोने में दिक्कत आती है। यदि कोई ऐजेन्सी सड़क बनाती है तो उसको बाद में पैसा उपलब्ध करा दिया जायगा। जितने मजदूर लग रहे हैं सब काम कर रहे हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : स्किल्ड लेबर खाली है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं और दूसरी बात को-ऑपरेटिव जो बनी हुई है उसको ढोने का ठेका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देसली और माहिला में कितना अर्सा हो गया है और रेलवे साइडिंग बनाने में क्या कार्यवाही की गई है और अब तक क्यों नहीं कर ली गई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं बीकानेर जिले में जो काश्तकार हैं उनको खड़ी यूज करने पर क्यों राज्य सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न पूछा नहीं गया है। मेरी समझ में ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय को-ऑपरेटिव द्वारा माल ढोने के मामले में प्रश्न किया था। उसका उत्तर नहीं आया। देसली और माहिला में लीज दी हुई है, उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : को-ऑपरेटिव सोसायटीज को प्राथमिकता न देने का क्या कारण है?

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना है? कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है? किस प्रकार की योजना है?

श्री जुझारसिंह : जिप्सम की जितनी डिमाण्ड है उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या सरकार इस प्रकार के और कारखाने लगाने का विचार रखती है?

एक माननीय सदस्य : स्किल्ड लेबर काफी संख्या में बेकार बैठी है, उसको कोई काम नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रावतराम!

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जवाब तो आने दीजिये।

श्री जुझारसिंह : फेक्ट्स की सूचना दें तो कोई उत्तर दिया जा सकता है ...

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी : दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं दे रहे हैं, आइ नो इट।

एक माननीय सदस्य : पार्टी से निकाल दिये जाओगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रावत राम !

अनुसूचित जाति के विकास के लिये योजना

68. श्री रावतराम (छापर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जातियां अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण उनके समुचित विकास के लिये पांचवी योजना में अलग से सब प्लान बनाया जारहा ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि सब प्लान बनाने के लिये सरकार से समय-समय पर अनुरोध किया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री रावतराम : यह तो अध्यक्ष महोदय मालूम ही है कि जी नहीं के अलावा मन्त्री महोदय कुछ नहीं बता सकते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने जानकारी की होगी, मैं आसाम का उदाहरण देता हूं। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स की क्या स्थिति हो रही है। इसके लिए अलग से सब प्लान बनाने की क्यों नहीं योजना रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं, आपने पूछा क्या किसी ने अप्रोच किया है वह भी मैंने कहा अप्रोच नहीं किया और दूसरी बात मैं जानकारी देना चाहता हूं भारत सरकार की सिड्यूल्ड कास्ट्स की सब प्लान बनाने की कोई योजना नहीं है इसलिए हमारे यहां भी कोई योजना नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए अलग से काम कर रहे हैं एक तो सारी जनता को जो लाभ मिलता है वह तो उनको मिलता ही है उसके अलावा भी उनको अधिक फायदा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में 95 लाख अलग से खर्च करने का प्रावधान है। जो शिक्षा पर सारी जनता के लिए खर्च करता है वह तो है ही और वह उनको भी मिलता है। इसी प्रकार 1 लाख 60 हजार उनके आर्थिक विकास हेतु अलग से खर्च करने का प्रावधान है और स्वास्थ्य व गृह निर्माण हेतु दो लाख का प्रावधान रखा है। अलग से कुछ खर्च जो शिड्यूल्ड कास्ट्स पर खर्च करेंगे। जो आमतौर पर योजनायें हैं उसमें जनता के साथ शिड्यूल्ड कास्ट को भी लाभ होता है। उसके अलावा जल प्रदाय योजनायें हैं उनमें भी प्रावधान अलग से रखते हैं। कोई भी जल प्रदाय योजना शुरू की जाय तो वह सबसे पहले शिड्यूल्ड कास्ट के मोहल्ले में लगाई जाती है। इसी प्रकार बिजली के लिये भी अलग से प्रबन्ध करते हैं। जहां शिड्यूल्ड कास्ट के मोहल्ले हैं वहां बिजली पहले लगाते हैं। इसलिये अलग अलग प्रावधान रखकर उनको सुविधा पहुंचाने के लिये करते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट

Page No 10

10

(श्री चन्दनमल बैद)
के लिये सारे राजस्थान में हैं, सारे हिन्दुस्तान में है अलग से एक सब प्लान उनके लिये बनाया जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय महिने दो महिने पहीले जिक्र आया था शिड्यूल्ड कास्ट की हालत इतनी बुरी है जो प्लान राज्य सरकार के चलते हैं। उससे उनका उत्थान नहीं हो पाया है। इसका सबमिशन प्लानिंग कमीशन को भी किया गया था। बावजूद रेगूलर वर्क से हालत ठीक नहीं है इसलिये आपसे प्रश्न पूछा है क्या इस प्रकार की कोई योजना राज्य सरकार बनाना चाहती हैं ? राजस्थान में 72 लाख शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं और इनके अनुपात को देखते हुये क्या राज्य सरकार कोई योजना रख सकती है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : प्राइवेट प्लान बनाये जिससे ओवर आल विकास हो सके, राजस्थान के लिये ···(अश्रव्य)····

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दीपंकर : प्रश्न कर्ता का उत्तर यही है गांवों में पहले ये लोग 30-40 प्रतिशत कपड़ा बुनते थे, घरेलू उद्योग करते थे। न इनको बैंक लोन देती है न कोई जरिया है। इस लिये इनके उत्थान के लिये कोई न कोई योजना स्पेशल सोचनी चाहिये, वह सोची है क्या ? तो वह आपने सोचा है क्या ? बड़े-बड़े लोग भी इस तरह से बड़े शहरों के अन्दर बहुत बड़े-बड़े करघे लगा लेते हैं तो गांवों में बिजली को प्राथमिकता दे दें तो उसके साथ-साथ करघे लगाने की आज्ञा दे दें ताकि उद्योग धन्धे बढ़ें।

श्री रावतराम : आपने कहा था कि कोई सब-प्लान नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : एक सप्लीमेन्टरी होता है और एक सप्लीमेन्टरा होता है।

श्री मोठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो यह है कि सब-प्लान बनाने का न तो आपका इरादा है और न केन्द्रीय सरकार का है। तो क्या सरकार इसको सैद्धान्तिक रूप से उचित मानती है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने अभी कुछ करोड़ रुपयों की अलग-अलग मदें शिडयूल्ड कास्ट्स को सुधारने के लिए राशि बताई क्या वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए अलग हैं या फिर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दोनों के लिए है ? अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए है तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से है या नहीं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो आपने योजना बताई है उसके मुताबिक क्या आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कितने दिनों तक इस गति से चलने पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को अन्य लोगों के समान लाकर रख देंगे और उनको उसके बाद अलग से कोई फैसेलिटीज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी ? यह तो एक निश्चित रूप से टाइम बता दें।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दूसरा प्रश्न यह है कि समाज कल्याण विभाग की जो गतिविधियां हैं और अन्य विभागों की गतिविधियां हैं उनसे अगर आर्थिक स्तर शिड्यूल्ड कास्ट्स का ऊंचा नहीं हो सकेगा तो मैं यह समझता हूं कि आप पानी पहले देते हैं, बिजली पहले देते हैं—ठीक है सिद्धान्त रूप से ऐसा है लेकिन अभी प्रश्न पूछ रहा हूं और ज्यादा लम्बा प्रश्न करने में डर लग रहा है, ऐसा होता नहीं है जैसा कि कई उदाहरण पेश किये हैं। तो क्या आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने की योजना है? ताकि वह समाज के वर्ग के स्तर पर आ सकें।

श्री केदारनाथ : मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जितना पैसा आपने खर्च किया उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं? इसके लिए सैल क्रिया किया है क्या? जैसा पंजाब की सरकार ने मास-कन्जम्प्शन की चीजों को शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सब्सीडाइज्ड रेट पर देने का इन्तजाम किया है—क्या राजस्थान सरकार भी ऐसा करने का विचार रखती है?

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के अपलिफ्ट का प्रोग्राम बताया उसमें शिक्षा का, मकान का और बिजली वगैरह का प्रावधान है परन्तु उनके इकॉनामिक अप-लिफ्ट का कोई स्पेशल प्रावधान है या नहीं?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने 21 करोड़ रुपये मकान बनाने का, बिजली का पैसा बताया है क्या यह सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट्स को मिलेगा या राजस्थान के जो स्पेशल शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया का प्लान बनाया है उनको भी शामिल किया है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, काफी ऐसे प्रश्न पूछे गये हैं कि आप माफ करेंगे कि मैं पांच-सात मिनट का समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जब मंगलवार को जवाब दिया तो भ्रम फैल गया कि राजस्थान में 200 करोड़ रुपया शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए खर्च करेंगे। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि 200 करोड़ रुपया सारे हिन्दुस्तान के फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में ड्राफ्ट प्लान में रखा गया है खर्च करने के लिए और उसमें से हमारा हिस्सा जैसा कि हमने अभी रफली इन्डीकेट किया है वह 7 पर्सेन्ट होगा याने 14 करोड़ रुपया होगा। तो यह भ्रम कि 200 करोड़ रुपया ट्राइबल एरिया में खर्च किया जायेगा यह सही नहीं है। वह केवल 200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने रखा है और उसमें हमारा शेयर 14 करोड़ होगा याने कुल राशि का 7 पर्सेन्ट और वह सारा जो कि हम अपने प्लान में से खर्च कर सकेंगे वह मोटे तौर पर अनुमान लगाया है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिससे भ्रम दूर हो जाये कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बहुत रकम खर्च करना चाहते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए नहीं। उसके बाद इस प्रश्न पर भी आऊंगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्लान क्यों बना रहे हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए क्यों नहीं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में ट्राइबल एरिया में 35 करोड़ रुपया, माईनर इर्रीगेशन में 1 करोड़ 72 लाख रुपया साइल कन्जर्वेशन पर 1 करोड़ 86 लाख

(श्री चन्दनमल बैद)

रुपया, एनीमल हस्बेन्डरी पर 16 लाख रुपया, एफोर्सटेशन के ऊपर 1 करोड़ 39 लाख रुपया, इरीगेशन और पावर पर जिसमें कि माही पर खर्च करेंगे वह 9 करोड़ 83 लाख रुपया। माही को भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के प्लान में भी इन्क्लूड किया है। उसी तरह से जाखम पर 9 करोड़ 95 लाख रुपया खर्च करेंगे। उसी तरह से माही की पावर पर 10 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर जो कि मीडियम प्रोग्राम में आता है वह शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्लान में जोड़ दिया है उस पर 3 करोड़ 5 लाख रूरल रोड्स जो कि मिनिमम नीड्स का प्रोग्राम है उसके अन्दर 9 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च करेंगे। इसी तरह से एलीमेन्टरी एजुकेशन में 4 करोड़ 80 लाख रुपया, मार्डन मेडिसन्स में 1 करोड़ 95 लाख रुपया, रूरल वाटर सप्लाई पर 4 करोड़ 83 लाख रुपया और ट्राइबल डवलपमेन्ट पर 1 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च करेंगे।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, देखेंगे तो आपको मालुम पड़ेगा कि अलग से जो राज्य सरकार खर्च कर रही है वह केवल 1 करोड़ 50 लाख रुपया है और वह भी फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में और भारत सरकार का जो 200 करोड़ का प्लान है उसमें 7 पर्सेन्ट का हिस्सा हमको मिलेगा वह जरूर हमको मिलेगा और वह सारे हिन्दुस्तान के ट्राइबल एरिया के लोगों को मिलेगा। थोड़ा भ्रम यह भी रह गया और मैं थोड़ा कन्फ्यूज भी कर गया ट्राइबल एरिया में और डी. पी. ए. पी. का अलग से बताने पर।

ट्राइबल एरिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो कि ट्राइबल एरिया घोषित है वह है और इसमें एक अकेले प्रतापगढ़ तहसील है और उसके अलावा उदयपुर जिले की 7 तहसीलें हैं जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से कन्टीनुइटी में है और जिसकी टोटल पापुलेशन के अन्दर से ट्राइबल पापुलेशन 64 पर्सेन्ट है।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमने शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्लान क्यों बनाया। इसलिए बनाया कि पापुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तहसील और उदयपुर की 7 अन्य तहसीलों में है और इसमें 64 पर्सेन्ट पापुलेशन शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की है। इसलिए ट्राइब्स की कन्सन्ट्रेटेड पापुलेशन है उनकी हालत सचमुच में खराब है। उनमें कई तरह की बुराइयां हैं और दूसरी तरहों की बुराइयां घुसी हुई हैं और ढोंग घुसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने जरूरी समझा, कि इस पापुलेशन के लिए अलग से स्पेशल प्लान बनाया जाये और उसी में अपने आपको फिट करने के लिए हमने भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के लिए एक प्लान बनाया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 36 पर्सेन्ट पापुलेशन सवाई माधोपुर और जयपुर जिले में भी रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ! नेक्स्ट क्वेश्चन।

(श्री मूलचन्द सामरिया, मीठालाल व अनेक सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य) नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सवाल को 15 मिनिट दे दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं।

(श्री मूलचन्द सामरिया और श्री मीठालाल एक साथ बोलते रहे अश्रव्य)

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय....

(निरन्तर शोरगुल जारी-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड।

(श्री मूलचन्द सामरिया की ओर मुखापेक्ष) अब आप तशरीफ रखेंगे या नहीं ?

(फिर भी बोलते रहने पर)

अब आप विराजेंगे या नहीं।

आबकारी मन्त्री जी !

प्रश्न संख्या 9

राज्य में शराब की खपत

69. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान में सन् 1950 में कुल कितने गैलन सभी प्रकार के शराब की खपत होती थी और अब 1973-74 में कुल कितनी सभी प्रकार की शराब की खपत हुई है ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री जुझारसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब प्राप्त करने में समय लगेगा इसलिए इसको पोस्टपोण्ड करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड किया।

श्री रामकिशन : क्या हो गया साहब ?

श्री अध्यक्ष : समय चाहते हैं।

श्री रामकिशन : तो पोस्टपोन्ड किया है।

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री रामकिशन : इसमें करना क्या था, कम्पायलेशन ही तो था कि 1950 में कितने गैलन शराब की खपत होती थी और अब कितनी खपत होती है।

श्री जुझारसिंह : 24 वर्ष पहले की रिपोर्ट मांग रहे हैं तो समय तो लगेगा ही।

श्री दीपंकर : आप तो गंगा जल का हिसाब पूछिए, शराब के हिसाब का क्या करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, इस युग का गंगा जल तो सोमरस ही है।

श्री अध्यक्ष : पड़ौस में ही हैं दोनों चीजें।

श्री केदारनाथ : यह रिपोर्ट तो आपके पास है कि 51 की सेंसस के हिसाब से कितने परसेंट लोग पीते थे और 71 की सेन्सस के हिसाब से कितने परसेंट लोग पीते हैं। ये तो आपके पास आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल !

श्री रामकिशन : जब स्थगित ही कर रहे हैं तो एक जानकारी और दिला दें। किस जिले में कितने लोग पीते हैं और किस जिले में कितने ? यानि किस जिले का परसेंटेज ज्यादा है और किस जिले का कम।

Page No 14

14

श्री दलपतसिंह : इसमें वे जिले भी शामिल होने चाहिए जहां पर शराबबन्दी है।

श्री अध्यक्ष : जब इसका जवाब नहीं आया तब तो इतना जिक्र है, जवाब आएगा तो क्या होगा ?

श्री उम्मेदीलाल !

ग्राम रेनवाल मांजी में भूमि पर कब्जा

70. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील फागी ग्राम रेनवाल मांगी के चारागाह व गैर मुमकिन रास्तों पर पंचायत के मेम्बरों ने व ग्राम के कुछ अन्य व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किस, किस ने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : जी नहीं।

श्री उम्मेदीलाल : मेरा प्रश्न यह हैं कि क्या यह सही है कि तहसील फागी, ग्राम रेनवाल मांजी के चरागाह व गैर मुमकिन रास्तों पर पंचायत के मेम्बरों ने व ग्राम के ......

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पढ़ रहे हैं।

श्री उम्मेदीलाल : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया। आपने कहा है उत्तर में "जी नहीं"

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है जी नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि पंचायत के मेम्बरों ने और कुछ अन्य लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है और आप कहते हैं जी नहीं। आप इसका जवाब दीजिए कि कब्जा है या नहीं।

श्री मूलचन्द मीणा : ऐसा है कि पहले कुछ चन्द व्यक्तियों ने इस पर कब्जा किया था लेकिन आज की तारीख में कोई कब्जा उस जमीन पर नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप यह बतायें कि कौनसी तारीख को किस-किस व्यक्ति ने कब्जा किया और कौनसी तारीख को हटाया गया ?

श्री मूलचन्द मीणा : सम्वत् 2030 में कब्जा किया था, अब उनका कब्जा हटा दिया है। फसल को नष्ट करवा कर बेदखल कर दिया गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : किसका कब्जा था यह स्पष्ट करें।

श्री उम्मेदीलाल : किस तारीख को कब्जा हटाया और किस-किस का कब्जा था और किस तारीख को हटाया ?

श्री मूलचन्द मीणा : मैंने जैसा निवेदन किया सम्वत 2030 में लगभग 38 आदमियों ने कब्जा किया था जिनको हटा दिया गया है। आज की तारीख में किसी का कोई कब्जा नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : 38 आदमियों ने कब्जा किया था उनमें क्या ग्राम पंचायत के पदाधिकारी भी थे।

श्री मूलचन्द मीणा : जी हां, सरपंच और मेम्बर थे।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या यह सही है कि यह कब्जा प्रश्न की सूचना जाने के बाद पिछले दस दिनों में हटाया गया है ?

श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या यह सही है कि प्रश्न की सूचना जाने के बाद कब्जा हटाया गया है और इसकी क्या गारण्टी है कि बाद में कब्जा नहीं करेंगे ?

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने नाजायज कब्जा अभी तक नहीं हटाया था और प्रश्न की सूचना जाने के बाद हटाया ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रश्न पूछने से पहले क्या वहां पर जो पटवारी था उस पटवारी की ड्यूटी नहीं थी, तहसीलदार और एस. डी. ओ. की ड्यूटी नहीं थी कि नाजायज कब्जे को हटायें ? उन्होंने अब तक यह नाजायज कब्जा क्यों नहीं हटाया और कोई कार्यवाही नहीं की तो क्या आप इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मूलचन्द मीणा : जब कार्यवाही की गई तभी तो कब्जे हटाये गए हैं।

श्री उम्मेदीलाल : क्या यह सही है कि अभी भी फसल खड़ी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 71

नगर पालिका, माउण्ट आबू की ऑडिट रिपोर्ट

71. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर पालिका, आबू पर्वत का कब और किस वर्ष का आॅडिट हुआ ? कृपया आॅडिट रिपोर्ट सन् 1970 से 74 तक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) आॅडिट रिपोर्ट में जो अनियमिततायें बताई गई हैं क्या इसकी जांच राज्य सरकार ने करा ली है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्री मुंशी लाल महावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वांछित सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः कृपया अगली तिथि के लिए स्थगित करवें।

श्री अध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप, मैंने सुना नहीं।

श्री मुंशीलाल महावर : टाइम चाहते हैं। एडजोर्नमेंट के लिए कहा है साहब।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

भीनमाल में नल कूप का निर्माण कार्य

72. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर की भीनमाल पंचायत समिति में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कृषि सिंचाई के नलकूप बनाने के लिए 90 प्रतिशत सरकारी अनुदान की सुविधा प्रदान कर काश्तकारों के नये नलकूप बनाने की योजना हाथ में ली गई है ? अगर हां, तो इस योजना के तहत कितने नलकूप अब तक तैयार किये जा चुके हैं ? उनकी कामयाबी किस प्रकार रही है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में कृषि सिंचाई नलकूप निर्माण के लिए कई ग्रामों में बड़ा भारी स्कोप है ? अगर हां तो क्या इसका सर्वेक्षण करवाया गया है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो अब सर्वेक्षण कब तक करवा कर उपरोक्त योजना मंजूर करवा दी जावेगी ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री मुंशीलाल महावर) : (1) जी नहीं।

(2) सर्वेक्षण के अभाव में इस विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है.

श्री रघुनाथ विश्नोई : जी नहीं का क्या मतलब है ?

श्री जयकिशनलाल तोसांवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। सदन के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो कही नहीं जा सके। कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि जो गोपनीय रखी जाय। ऐसी स्थिति में सम्भव कैसे नहीं है। हर चीज सम्भव होती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भीनमाल में 90 पर्सेंट सब्सीडी का कार्यक्रम हाथ में लिया या नहीं। आपने जी नहीं उत्तर कैसे दे दिया ? अभी वहा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है उसके लिए आप कह सकते हैं कि अभी नहीं किया। तो क्या सरकार सर्वेक्षण कराना चाहेगी ?

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : ऐसी कोई योजना नहीं है कि नलकूप का निर्माण 90 पर्सेंट सब्सीडी के आधार पर कराया जाय, मेरी जानकारी में ऐसी कोई योजना नहीं है और जो योजना है उसमें 10 पर्सेंट राज्य सरकार को देना पड़ता है। हण्ड्रेड पर्सेंट लोन की व्यवस्था है। आपने कहा कि 90 प्रतिशत सब्सीडी की योजना बनाई गई क्या, उसके लिए कहा गया है कि जी नहीं, न तो राज्य सरकार में ऐसी कोई योजना है और न कोई प्रावधान है। आपने पूछा कि भीनमाल पंचायत समिति में नलकूप निर्माण की 90 प्रतिशत अनुदान के आधार पर कोई योजना बनाई गई या नहीं, इसके उत्तर में जवाब दिया कि जी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यहां पर स्कीम लागू है, ट्यूबवैल खुदे हैं, वे कौनसी योजना से खुदे हैं यह आप अपनी जानकारी करें। सांचौर पंचायत समिति में सर्वेक्षण की योजना के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब इस काम को करना चाहती है ?

श्री शिवचरण माथुर . पहले प्रश्न के उत्तर में 10 पर्सेंट सब्सीडी के बेसिस पर योजना बना कर भीनमाल पंचायत.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौनसी योजना चल रही है वही बता दो।

श्री शिवचरण माथुर : सांचौर पंचायत समिति और दूसरी पंचायत समितियों में अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा सर्वे कराने

(श्री शिवचरण माथुर)

की योजना है जिनमें सांचौर पंचायत समिति भी है और जब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई स्कीम बनाना सम्भव नहीं है। और इस काम को जल्दी से जल्दी कराने के लिए मैं हमारे माननीय पी. एच. ई. डी. मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी सर्वेक्षण करा दें तो योजना बनाई जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में चार-पांच वर्ष पहले हरिशचन्द्र माथुर एम. पी. रिपोर्ट के आधार पर जिले का सर्वेक्षण किया गया था और पंचायत समिति सांचौर का भी। जहां तक अण्डर ग्राउण्ड वाटर का सवाल है सर्वेक्षण करा कर 200 ट्यूब वैल की गारण्टी की थी। उसी आधार पर इस पंचायत समिति का सर्वेक्षण किया गया था।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी जानकारी मे सांचौर पंचायत समिति का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है और इसके लिए जल्दी सर्वे कराने के लिए मैं पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी सर्वे करायें। डी. पी. ए. पी. के तहत सर्वे कराने का प्रोग्राम इस पंचायत सम्बन्धी भारत सरकार को भेजा है जो विचाराधीन है। उसके आने के बाद विचार हो सकेगा।.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति भीनमाल में ट्यूब वैल्स खुद चुके हैं। यह मेरे को स्पष्ट जानकारी है और आपके पास जानकारी नहीं है। यह ताज्जुब की बात है कि आपके पास जानकारी नहीं है तो यह योजना किस के तहत चल रही है आप नहीं बता सकते ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने 90 पर्सेंट सब्सीडी की कोई योजना के बारे में पूछा है। ऐसी कोई योजना राजस्थान में नही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! प्रश्न संख्या 73

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी से रिजेक्टेड स्टोन की रायल्टी की वसूली

73. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी ने लाइम स्टोन की स्क्रीनिंग हेतु बोबलर रिजेक्ट मशीन लगाई हुई है ? यदि हां तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1965 में रिजेक्टेड स्टोन पर रॉयल्टी लेने का निर्णय लिया था ?

(3) क्या उक्त फैक्टरी रिजेक्टेड स्टोन पर कोई रॉयल्टी अदा कर रही है, यदि हां तो कितनी और कब से ? तथा अब तक कितनी राशि बकाया है ?

श्री बिरदाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! कृपया बैठिये।

(शोरगुल)

कृपया शांत रहिये।

मन्त्री महोदय !

श्री जुझारसिंह : (राज्य मन्त्री, खनिज : (1) जी हां, दिनांक 26-1-1964 से लगाई हुई है।

(2) राज्य सरकार ने सन् 1969 में निर्णय लिया था कि रिजेक्टेड स्टोन जो कि डस्ट है उस पर रॉयल्टी नहीं ली जावे क्योंकि वह खान से बाहर नहीं जाता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस तारीख को यह निर्णय लिया था ?

श्री जुझारसिंह : 1969 से लिया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने 1965 के लिये पूछा है ?

श्री जुझारसिंह : उस पर रायल्टी नहीं लगती है तो प्रश्न ही क्या है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि 1965 में यह रायल्टी न लेने का क्या राज्य सरकार ने निर्णय लिया था ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग ने फलोदी की माइन्स पर एक मशीन और प्लान्ट इसलिये लगाया था लाइम स्टोन के अलावा जो मिट्टी है वह अलग कर दे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या 1965 में राज्य सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया था कि उसके ऊपर रायल्टी न ली जाये।

श्री जुझारसिंह : जी नहीं।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि रिजेक्टेड माल जो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर की जमीन पर होता है, वह फैक्टरी ले लें ...

श्री मीठालाल : क्या इन लोगों को फैक्टरी ने मुआवजा नहीं दिया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो मीठालाल जी को दे दिया है।

श्री जुझारसिंह : रायल्टी उस पत्थर पर लगती है जो माइन्स साइट से बाहर जाता है या माइन्स साइट पर ही कन्जूम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। योगेन्द्र नाथ हांडा। प्रश्न संख्या 74

शराब के ठेकेदार के खाते में एडजस्ट की गई राशि

74. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के एकजाई ऑफ के यासीन खां के टैण्डर के धरोहर राशि के 1 लाख 74 हजार रुपये को ठेकेदार रहमतखां के खाते में एडजस्ट कर दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि चांदपोल के शराब के ठेके को हटाने का कोई सरकारी आदेश था ?

(3) क्या यह सही है कि बेनामी टेण्डरों की जांच की गई थी ? यदि हां तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(4) क्या शराब के ठेकेदार रहमतखां पर आठ लाख रुपये की वसूली का कोई केस चल रहा है ?

श्री जुझारसिंह (राज्य मन्त्री, आबकारी) : (1) जी नहीं।

(2) चांदपोल स्थित शराब की दुकान को हटाने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं थे। आबकारी आयुक्त के ऐसे आदेश जरूर हैं। परन्तु ठेकेदार की उज्रदारी पर विशिष्ट जांच होने तक ये आदेश स्थगित कर दिए गए हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मै यह कांक्रीटली पूछना चाहता हूं कि आपके आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के क्रमांक प. 22 (ए) 28 से 74/1183, दिनांक 31-3-74 का यह आदेश है। यह स्पष्ट आदेश है कि यदि यासीन खां चांदपोल के ठेके की शेष रकम एडजस्ट करा दे तो यह रकम एडजेस्ट कर दी जावे। यह खबर ब्लिट्ज में 20 तारीख को छपी है और उसके बाद यह प्रश्न सदन में उठाया गया है और यह 23 तारीख का प्रश्न है और फिर 8 तारीख का डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर जयपुर सिटी का आदेश है। उसमें यह लिखा है। यह लेटर नम्बर है एफ 4 (5)एफ.डी./इ.एक्स/74/1237 डेटेड 11-6-74 इसके द्वारा एडजेस्टमेंन्ट के लिये लिखा है। और आगे यह भी लिखा है "इट इज देअरफोर रिक्वेस्टेड दैट ए सम ऑफ रुपीज 1,74,000 में नाउ प्लीज बी रिकवर्ड फ्रोम रहमत खां।" यह लाख चवहत्तर की राशि के एडजस्टमेन्ट का ऑर्डर है तो यह रिकवरी किससे करने जा रहे हैं। हनुमानजी के मन्दिर के पास यह शराब की दूकान है। सादूलसिंह की नाल के पास शराब की दूकान हैं। चाहे वह चांदपोल का ठेका हो। चाहे वह स्टेशन का ठेका हो। ये शराब की दुकानें, रामचन्द्रजी के पास है, हनुमान जी के पास है, इनके मन्दिरों के पास है। चाहे फिर वह सीतारामजी का मन्दिर है, चाहे मस्जिद हो। आपके जो ठेके हैं वे स्पष्ट हैं इन आदेशों में। यह आबकारी आयुक्त का आदेश है जिसमें कि चांदपोल के ठेके को बन्द करने का आदेश है. यह स्पष्ट आदेश है। इसके बाद आपका यह 15-5-74 का आदेश संख्या प. 22 (ए) (1) सेटल/72/1655, दिनांक 15-5-74 है जिसमें यह लिखा है कि दूकान को वर्तमान स्थान से हटाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जावे। आखिर यह सब क्या है ? यह सब कागज मैं आपके सामने पेश करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह मूल प्रश्न में स्वीकार कर लिया गया है। आबकारी आयुक्त ने इसको हटाने का आदेश दिया है और ठेकेदार द्वारा उजरदारी करने पर स्थगन के आदेश दे दिये गये कि जब तक विस्तृत जांच न करली जाये यह मूल स्थान पर बनी रहे यह मूल प्रश्न में मान लिया गया है। इसलिए सप्लीमेंटरी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपकी एक लाख 74 हजार रुपयों की है। यह राशि जिस ठेकेदार ने जमा कराई है उस ठेकेदार ने यह कहा कि वह अपना ऑफर वापिस लेता है और यह रकम रहमत खां के अकाउन्ट में जमा करा दी जावे। आब-

Page No 20

20

(श्री चन्दनमल बैद)
कारी आयुक्त ने हमसे पूछा है। हमने यह कहा है कि जिस ठेकेदार ने ऑफर दी उसको ऑफर वापिस लेने का अधिकार नहीं है इसलिये यह 1 लाख 74 हजार की रकम जब्त कर ली जावे। यह मेरी सूचना के अनुसार बता रहा हूं। राशि जब्त है और जब्त करली गयी है। तीसरा सवाल आपका यह है कि मन्दिर, मस्जिद के पास शराब की दूकानें हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में इसके लिये एक हाई लेविल पर कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी इस सारे प्रश्न को देख रही है। इस कमेटी के जो भी सुझाव होंगे, जो भी राय होगी, उसको हम स्वीकार करेंगे।

(शोरगुल)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पहले भी इस सदन में आबकारी मंत्री ने····

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने डिनाई कर दिया केटेगोरीकली क्वेश्चन नं. 1 में और जब ऑर्डर बताये तो एग्री कर लिया। अब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि यासीन खां को जिनमें आपकी चांदपोल ठेके की रकम बकाया थी आपने ब्लेक लिस्ट क्यों नहीं किया ? यह रकम यासीन खां ने जमा कराई है 1,74,000 रुपये तो इसी रकम में से चांदपोल के ठेके की बकाया रकम क्यों नहीं काटी ? यह यासीन खां पर कृपा करने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल बैद : 1,74,000 रुपये जब्त कर लिया तो कृपा क्या हुई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब्त आपने 8-8-74 को की है जब कि शराब का ठेका 31 मार्च को हुआ है और एडजेस्टमेंट बाद में हुआ है। मेरे क्वेश्चन के बाद और ब्लिट्ज अखबार में निकला उसके बाद।

श्री अध्यक्ष : आपके कहने का असर तो हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्य सरकार के आदेश हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आबकारी मंत्रीजी ने यही जवाब····

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने काफी काम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, मुन्नालालजी आर्य के बारे में कार्यवाही का क्या हुआ····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन अनरिप्लाइड है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नं. 76 बड़ा इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न को स्थगित कर दें····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है वह अनरिप्लाईड जा रहा है तो आप आधा घन्टे की चर्चा का समय निर्धारित कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : समय यहां पर निर्धारित नहीं होता है। आप मूव कर दें रूल के मुताबिक।

श्री दीपंकर : प्रश्न संख्या 76 बहुत इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिये आप लेटर लिखें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मुद्रा-स्फिति को रोकने के लिये उठाये गये कदम

63. श्री झाबरमल सुण्डा (फतहपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मुद्रास्फिति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं ? तथा मन्त्री मण्डलीय व प्रशासन में मितव्ययता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या इन पर अमल शुरू हो गया है ? योजना मद व गैरयोजना मद दोनों में ही स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें।

उत्तर

मुद्रास्फिति को रोकने के लिए व उत्पादक स्रोतों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने प्रशासन में कमी किये जाने के आदेश किये हैं। राज्य सरकार, बजट में कोई घाटा नहीं रखेगी व न केन्द्र से बजट के घाटे को पूरा करने के लिये सहायता मांगेगी। मितव्ययता के प्रस्तावों में नई पोस्टों की स्वीकृति न होना, जो स्थान तीन माह से रिक्त हैं उनको भरा न जाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम बन्द करना, अनावर्तक खर्च की खरीददारी न होना मोटर गैराज के अलावा अन्य विभाग में गाड़ियां न खरीदना, यात्रा व्यय में कमी किया जाना, नई बिल्डिंग्स न बनाना या अत्यन्त आवश्यक होने पर साधारण बिल्डिंग्स बनाना आदि मुख्य हैं। जो आदेश प्रसारित किये हैं उन पर अमल शुरू हो गया है। यह आदेश आयोजना भिन्न खर्चों के लिये है। आयोजना मदों में कोई कमी नहीं की गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मेला चन्द्रभागा में बिजली लगाने का ठेका

18. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि मेला चन्द्रभागा, झालरापाटन में तारीख 11-11-73 से 15-11-73 तक बिजली लगाने का ठेका भारत इलेक्ट्रिकल्स झालावाड़ को दिया गया था ? यदि हां तो क्या इस ठेके के अलावा भी ज्यादा कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि चार सौ ग्यारह रुपये का कार्य ज्यादा कराया गया जो पशुपालन अधिकारी, झालावाड़ के आदेश द्वारा किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि 15-11-73 को कार्य ज्यादा होने के प्रमाण-पत्र भी पशुपालन अधिकारी इन्चार्ज द्वारा दिया गया था ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(4) क्या यह सही है कि उक्त रकम का आज तक पेमेन्ट नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां।

जी, हां। क्योंकि फर्म से पूरक बिल मांगा गया है। जो अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है।

शीत लहर से फसल को क्षति

19. श्री मोठालाल (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में गत फरवरी माह, 1974 में शीत लहर से रबी की फसल को जो गंभीर क्षति पहुँची थी उस क्षति पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने विधान सभा के गत सत्र में जो आश्वासन दिया था, वह सरकार ने कहां तक पूर्ण किया ?

(2) उक्त क्षेत्रों में सरकार ने क्षति पूर्ति हेतु जो जो कार्य किये, उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट व चाकसू तहसीलें भी उक्त शीत लहर से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई थी ? यदि हां, तो उक्त तहसीलों में क्षति पूर्ति कार्य तथा राहत कार्य न खोले जाने के क्या कारण थे ?

(4) क्या अब भी राज्य सरकार उक्त तहसीलों में इस प्रकार के कार्य करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

फूडग्रेन कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत जिला झालावाड़ में रजिस्टर किये गये मामले

20. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला झालावाड़ में 1 जनवरी, 1973 से 31 जुलाई, सन् 74 तक फूड ग्रेन कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत कितने केस किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ कब-कब रजिस्टर किये गये और कितना-कितना माल जब्त किया गया? तथा किन-किन व्यक्तियों को कब-कब छोड़ा गया? और किन-किन व्यक्तियों को कब-कब सजा दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में दिये गये खनन पट्टे

21. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत राज्य भर में जितने खनन पट्टे दे रखे हैं की अप-टू-डेट नियमों के साथ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) मेजर मिनरल्स रूल्स के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जो खनन पट्टे दिये गये हैं की अप-टू-डेट नियमों के साथ सूची-सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अप्रधान खनिज रियायत नियम 1959, के अन्तर्गत सन् 1973-74 में राज्य भर में जितने खनन पट्टे दे रखे, हैं उनकी सूची मय नियमों के सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियम 1960 के अन्तर्गत सन् 1973-74 में प्रदेश में जितने खनन पट्टे दे रखे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 भारत सरकार द्वारा बनाये गये हैं पूर्ण संशोधन की अतिरिक्त प्रतियां अभी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। बाद में प्रस्तुत करदी जायेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर विकास न्यास श्री गंगानगर

22. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गंगानगर शहर में नगर विकास न्यास का निर्माण कब हुआ तथा इसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

(2) क्या उक्त न्यास ने जितनी जमीन को अधिग्रहण की उसे बिना घर के लोगों को अलॉट की ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर शहर में नगर विकास न्यास की स्थापना दिनांक 15-1-1973 को हुई थी। इसके निम्नांकित सदस्य हैं:—

1. जिलाधीश, गंगानगर — अध्यक्ष
2. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर — सदस्य
3. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं पथ, गंगानगर — सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग गंगानगर — सदस्य
5. अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत मण्डल, गंगानगर — सदस्य
6. प्रशासक, नगर परिषद, गंगानगर — सदस्य

(2) भूमि का आवंटन अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

अधिशासी अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ते आदि के रूप में प्राप्त राशि

23. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गुरुप्रकाश कपूर, अधिशासी अधिकारी (भूतपूर्व), नगरपालिका, झालरा-

Page No 24

24

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
पाटन लाखेरी से झालरापाटन में कब आये ?

(2) उक्त अधिकारी ने कितना रुपया यात्रा भत्ता किस-किस का और ट्रक किराया (सामान का) कितना कब प्राप्त किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व ई. ओ. (सेक्रेटरी) श्री गुरुप्रकाश सिंह कपूर, लाखेरी से झालरापाटन दिनांक 6-10-72 को चार्ज लिया है।

(2) वाउचर नं. 41 दिनांक 20-10-72 को श्री गुरुप्रकाश सिंह कपूर के द्वारा ट्रेन का II श्रेणी का किराया 22.70 एवं इन्सीडेन्टल चार्जेज 29.07 तथा लगेज चार्जेज के 150। रु. इस तरह कुल 201)77 पैसे यात्रा बिल के अनुसार किया गया है। महावीर गुड्स ट्रान्सपोर्ट, झालरापाटन के ट्रक नं. आर. एस. आर. 1121 को दिनांक 13-10-72 को श्री गुरुप्रकाश सिंह कपूर के द्वारा 201) रु. का भुगतान किया गया।

नगर परिषद् जयपुर द्वारा लीज पर दी गई भूमि

24. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर परिषद् द्वारा जनवरी, 1972 से अब तक जयपुर नगर में कुल कितने भू-खण्ड थड़ी लगाने अथवा अन्य कार्यों के लिए किराये पर दिये गये हैं ? निम्न विवरण के साथ सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:—

(1) चौकड़ी (2) रास्ता गली, मोहल्ला या बाजार (3) भू-खण्ड की माप (4) किस काम के लिए दिया गया, (5) किराया (निर्धारित), (6) किसको दिया गया, नाम व पिता का नाम व पूरा पता।

(2) क्या नगर परिषद् द्वारा 1 जनवरी, 1970 के बाद जुलाई, 1973 तक कोई भू-खण्ड लीज पर भी दिया गया है ? यदि हां, तो यह लीज किस नियम के अधीन दी गई है ? लीज पर दी गई भूमि का निम्न प्रकार विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:—

(1) चौकड़ी, (2) रास्ता, गली, मोहल्ला या बाजार, (3) भू-खण्ड की माप, (4) किस काम के लिए दिया गया (5) लीज की राशि (6) किसको दिया गया नाम व पिता का नाम व पूरा पता।

(3) नगर परिषद् जयपुर द्वारा किराये अथवा लीज पर दिए गए भू-खण्डों का किराया जमा करना अथवा लीज की राशि जमा करना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब से किसके आदेश से ? आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(पंचायत शासन मन्त्री)

(3) दिनांक 21 जून, 68 के तहत भूमि किराये व लीज पर नहीं देने के आदेश हैं।

प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायतों एवं सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

25 श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र के कुछ सरपंच एवं कुछ पंचायतों के विरुद्ध जिलाधीश एवं राज्य सरकार के पास शिकायतें पेन्डिग हैं? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कब से तथा क्या-क्या शिकायतें हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन शिकायत-पत्रों की जांच की गई है? यदि हां, तो किस किस की, और कब कब तथा उसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। सदन की मेज पर रखी गई सूचना के कॉलम नं. 5 में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये

डीडवाना सब-डिवीजन के गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने की योजना

26. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना सब डिविजन जिला नागौर के अधिकांश गांवों को आबादी खारे पानी की पट्टी में स्थित है? अगर हां, तो क्या ऐसे गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने की सरकार ने योजना बना रखी है? अगर हां, तो कौन-कौन से गांवों की कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं?

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बरड़वा तथा सांवराद घिरड़ोदा एवं सारड़ी की बनायी जा चुकी है परन्तु उन पर राज्य सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? इन योजनाओं को सरकार प्रारम्भ करने का अगर इरादा रखती है तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, डीडवाना सब-डिविजन के सभी जल समस्याग्रस्त ग्रामों को जल उपलब्ध करवाने के लिये एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसकी कुल अनुमानित लागत 177.11 लाख रु. है। इस समय डीडवाना सब-डिविजन में जो जल प्रदाय योजनाएं विस्तृत रूप से तैयार की जा चुकी हैं व विचाराधीन हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बरड़वा व सांवराद क्रमशः 8.80 लाख एवं 13.2 लाख रु. की लागत की बनाई जा चुकी है। घिरड़ोदा एवं सारड़ी की योज-

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)
नायें अभी तैयार नहीं हुई हैं। इन योजनाओं को स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

करौली में अतिरिक्त ट्रेजरी ऑफीसर की नियुक्ति

27. श्री ब्रजेन्द्रपाल (करौली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिये सवाई-माधोपुर ट्रेजरी होने के कारण भारी असुविधा उठानी पड़ती है तथा सरकार को टी. ए. एवं डी. ए. का भारी व्यय उठाना पड़ता है ?

(2) क्या सरकार इस भारी व्यय को कम करने की दृष्टि से करौली में एक अतिरिक्त ट्रेजरी ऑफिसर की नियुक्ति करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ?

उत्तर

(1) कोष संहिता नियम 4 (1) में दिये प्रावधानानुसार प्रत्येक जिले के कोषालयों का कार्यालय जिला मुख्यालय पर ही होगा। राज्य सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार मुख्यालय में स्थित विभागों के अतिरिक्त समस्त विभागों द्वारा विपत्र डाक से भिजवाये जाते हैं और कोष कार्यालय से नियमानुसार तीन दिवस में विपत्र उन्हें डाक से वापस भिजवा दिये जाते हैं। अब तक कोई विभाग किसी करण या विशेष परिस्थिति वश विपत्र को व्यक्तिगत रूप से कोषालय में नहीं भिजवाये तब तक अतिरिक्त टी. ए. एवं डी. ए. का विशेष खर्च होने का प्रश्न नहीं उठता है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश सवाई माधोपुर ने भी यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रणाली से अतिरिक्त टी. ए. एवं डी. ए. के खर्च होने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार को वसूली योग्य बकाया राशि

28. श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार की कुल बकाया की राशि 31-3-74 तक कितनी थी ? विभागानुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उनमें से कितनी बट्टे खाते में डाली गई (Written off) की गई ?

(स्थगित किया गया)

तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण

29. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में तेंदू पत्ता राष्ट्रीयकरण में किन-किन सेंटरों से कितना-कितना बोरा पत्ता कलेक्ट किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त सेंटरों पर किन-किन एजेंटों द्वारा पत्ता दिया गया और उनसे अलग 2 कितनी-कितनी रॉयल्टी राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह सही है कि यह पत्ता जिला झालावाड़ से निकाला जा चुका है ? यदि हां, तो कितने-कितने बोरे किस-किस तारीखों में ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सलंग्न सूची के कॉलम 3 व 6 पर अंकित है।

(2) उपरोक्त सूची में कॉलम 4 व 5 पर अंकित है।

(3) उपरोक्त सूची के कॉलम 7, 8 व 9 पर अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चक 26 पी. बी. एन. की भूमि पर नाजायज कब्जा

30. श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि लीलू पुत्र श्री मामराज धानक (हरिजन) मंडी पदमपुर ने ता. 28-7-61 को चक 25 पी. बी. एन. (भाखड़ा क्षेत्र तहसील, सूरतगढ़) में मुरब्बा नं. 361337,25 बीघे नहरी बोली द्वारा खरीद किया था ? और उस भूमि की कीमत नीलाम का चौथाई हिस्सा नौ सौ उन्नत्तर रुपये रसीद नं. 88, पुस्तिका नं. 24493 द्वारा उसी समय दाखिल कर दिए थे और उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि पर श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री सरवनसिंह जट सिख ने एक वर्ष बाद जबरदस्ती कब्जा कर लिया और लीलू राम उस समय से आज तक राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है मगर क्योंकि प्रतापसिंह पुलिस का एक उच्च अधिकारी है इस कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और लीलूराम हरिजन को उस भूमि से वंचित कर रखा है ?

(ग) श्री लीलूराम हरिजन को उपरोक्त भूमि न दिलाए जाने के क्या कारण हैं ? तथा इस भूमि संबंधी जो आदेश अब तक राज्य सरकार ने दिए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

राजस्थान नहर क्षेत्र की भूमि के इन्तकाल के मामले

31. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के इन्तकाल न करने का क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि लखासिंह, बीकासिंह पुत्र मुकन्दसिंह साकिन तारकोट ने रजिस्ट्री द्वारा ता. 7-7-64 को खाता नं. 202, 205, 213 व 209 में से खसरा नं. 467,14 बीघे 19 बिस्वे 460,12 बीघे 14 बिस्वे कुल 27 बीघे 13 बिस्वे घमन्डीया की भूमि श्री शामदास व पारी बाई से खरीद की थी ?

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि के इन्तकाल के लिए तहसील सूरतगढ़

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
(उपनिवेशन तहसील रायसिंहनगर) में दरख्वास्त पेश की थी जो खारिज कर दी गई ?

(घ) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से भूमि के इन्तकाल राजस्थान नहर क्षेत्र में बाकी हैं ? यदि हां तो क्यों ? उनकी संख्या तहसीलवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपरोक्त उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि के इन्तकाल कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) राजस्थान नहर क्षेत्र में कानून सम्मत सभी मामलों में इन्तकाल किए जाते हैं। कानून के उल्लंघन में, हस्तान्तरण के मामलों में इन्तकालात तस्दीक नहीं हो सकते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। बिक्रीनामा बकाया इन्तकालात के मामलों की संख्या तहसीलवार सूची 'क' में सलग्न है। यदि विक्रय एवम् खरीद नियम विरुद्ध नहीं हों तो इनका निपटारा सक्षम अधिकारीगण द्वारा क्रय-कर्त्ताओं की ओर से पर्याप्त सन्तोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर यथासंभव शीघ्र कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

उप-तहसीलदार को रजिस्ट्रार के अधिकार

32. श्री ब्रजेन्द्रपाल (करौली) : क्या वित्त एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप-तहसील मासलपुर के उप-तहसीलदार को रजिस्ट्रार के अधिकार नहीं होने से उस क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा है ?

(2) क्या सरकार उप-तहसीलदार उप-तहसील, मासलपुर को रजिस्ट्रार के अधिकार देने पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि मासलपुर उप-तहसील के नायब तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन के अधिकार नहीं हैं।

(2) इस सम्बन्ध में तहसीलदार (उप-पंजीयक) करौली से जिसके अधीन उप-तहसील, मासलपुर के रजिस्ट्री करने के अधिकार हैं, रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी आंकड़े व उससे होने वाली आय से सम्बन्धित सूचना मांगी गई है। वांछित सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विषयान्तर्गत निर्णय लिया जावेगा।

डेयरी लगाने हेतु भूमि देने का आधार

33. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में डेयरी लगाने हेतु किसी भी व्यक्ति को

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

राज्य सरकार द्वारा प्रति मवेशी 1 बीघा जमीन के हिसाब से जमीन देने का लीज पर प्रावधान (नियम) है ?

(2) यदि हां, तो लीज पर राजस्व या वन विभाग की जमीन कितने साल के लिए दी जाती है ? क्या आगे जमीन की मियाद भी बढ़ाई जा सकेगी ?

(3) क्या जमीन व्यक्तिगत तौर पर सहकारी के माध्यम से अथवा प्राइवेट लिमिटेड को दी जाने का नियम है ?

उत्तर

(4) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी एवं कुक्कुट शाला हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1958 के नियम 6 के अनुसार प्रति मवेशी 1 बीघा तथा कुल अधिकतम 500 बीघा भूमि दी जा सकती है।

(2) उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत भूमि 10 वर्ष या जब तक आवंटिति फार्म चलावे, में से जो अवधि कम हो, के लिये लीज पर दी जाती है, और 10 वर्ष के उपरान्त लीज बढ़ाई जा सकती है।

(3) पैरा 1 में उल्लेखित नियमों के अनुसार भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटित की जा सकती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आवश्यक उपकरणों आदि के अभाव में रेजीडेन्ट डॉक्टर्स एसोसियेशन, जयपुर, के डाक्टरों द्वारा कल दिनांक 17-8-74 को टोकन हड़ताल के विषय में,

2. गुमानमल लोढा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र-संघ की ओर से दी जाने वाली मांगों को लेकर दिये जाने वाले धरणे के विषय में,

3. श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर, के मैनेजमेंट द्वारा श्रमिक विरोधी कार्यवाहियां करने के विषय में,

4. श्री जोधिंग, सदस्य, विधान सभा की ओर से गणगौरी बाजार स्थित सादुल सिंहजी की नाल में नियमों के विरुद्ध सरकारी शराब की दूकान-के ठेके की दूकान होने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

5. श्री मीठालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की लालसोट तहसील में सीमेंट उपलब्ध न होने के विषय में सदन में कल आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के वितरण के विषय में चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य उस वक्त उठा सकते हैं।

6. श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर क्षेत्र में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 1968 में दी गई जमीन का अब तक कब्जा न देने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारी आन्दोलन के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये नौकरों के विरुद्ध मुकद्दमें वापस न लेने के विषय में,

ये दोनों स्थगन प्रस्ताव हाल की किसी घटना से सबन्धित नहीं हैं।

8. श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव के समय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों द्वारा सरकार के आदेश के विपरीत मत का प्रयोग करने के विषय में। यह एक प्रश्न का विषय है,

9. श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा वेतन जाम करने व कमाया वेतन न देने के विषय में। इस प्रस्ताव में एक से अधिक विषय सम्मिलित हैं और मुख्यतया केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है,

10. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रत्तीराम पुत्र भीमाराम साकिन झाकड़ावाली की हाल में गोली मार देने से मृत्यु हो जाने के विषय में। इस प्रस्ताव में घटना की तिथि नहीं दी गई है, जिससे यह पता नहीं चलता कि वाकया कब का है,

11. श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जिला भरतपुर के कस्बा डीग में बजरंग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को बन्द किये जाने के विषय में। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अन्त में मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचना देनी है कि कार्य सलाहकार समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जो माननीय सदस्य कल दिनांक 17 अगस्त के लिए स्थगन प्रस्ताव देना चाहें वे इन स्थगन प्रस्तावों की सूचना अधिक से अधिक आज सायं तक दे दें। कल जो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर कल विचार नहीं किया जा सकेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के छात्रों की मांगों को लेकर मैंने स्थगन प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है जिस पर राज्य सरकार से आपने जानकारी जानने के लिए आज्ञा प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने गत सत्र में इस सदन में यह घोषणा की थी और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ की जितनी मागें थी उनको स्वीकार करने की घोषणा की थी····

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव काफी हैं इसलिए 3-3 मिनिट आते है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं तीन मिनिट से अधिक नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा करके उनको स्वीकार किया था लेकिन आज तक उसको क्रियान्वित नहीं किया। राजस्थान विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट में एक्स ऑफिशियो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के अध्यक्ष को स्थान दिया जाय। इस बारे में विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर ने भी सिफारिश की थी और वहां पर भी घोषणा हो गई लेकिन आज तक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष को एक्स-आफिशिओ मेम्बर सिन्डीकेट का नहीं बनाया गया। एकेडेमिक कौन्सिल में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष को अभी तक नहीं लिया गया। इस प्रकार, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों में इससे असन्तोष बढ़ रहा है, और छात्र असन्तोष और छात्र आक्रोश आज हिन्दुस्तान में और इस देश के विभिन्न प्रदेशों में क्या रूप बन रहा है, यह आप जानते हैं। यहां पर यह घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अन्दर जितने भी ला के स्टुडेन्ट्स हैं वे पास होकर जायेंगे उनको एडवोकेट बनते समय 9 हजार रुपया लोन के रूप में दिया जायगा, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति को वह लोन नहीं दिया गया। और माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा कागज पर ही बनी रही। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की यह घोषणाएं पवित्र सदन में की जाय उसके बाद उनको क्रियान्वित नहीं किया जाय तो निश्चित रूप से असन्तोष बढ़ेगा। इस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा इस मामले में आन्दोलन की शुरूआत हो रही है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में माननीय शिक्षा मंत्री जी का शीघ्रातिशीघ्र उत्तर देने के लिए कहें।

इस सम्बन्ध में आपको मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन छात्रों के अभिभावकों को 500 रुपये तक मिलता है उन छात्रों की फीस माफ की जानी चाहिये और पोस्ट ग्रेजुएशन के अन्दर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन छात्रों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को रियायतें देने की जो घोषणा की गई थीं उसको लागू की जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बसों में कन्सेशन के बारे में, एस. एम. एस. हॉस्पिटल में विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा के लिए अलग वार्ड करने के बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की थीं, लेकिन दुःख की बात है कि आज तक उसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन घोषणाओं को क्रियान्वित किया जाय अन्यथा छात्र संघ में असन्तोष बढ़ेगा और आन्दोलन का रूप लेगा, विश्वविद्यालय में हड़ताल होगी, और हड़ताल से नगर में ही नहीं प्रदेश के अन्दर असन्तोष का वातावरण बनेगा जो कि हम नहीं चाहते हैं और माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी नहीं चाहेंगे। इसलिए छात्रों के प्रश्न के ऊपर माननीय मंत्री महोदय से उन्हें क्रियान्वित कराने के लिए आप आज्ञा प्रदान करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय.... ....

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, अखबार में एक न्यूज निकली है। 68 की जंग में जो लोग मारे गये हैं। उनको 68 में जमीन अलॉट करने के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : 68 का मामला है। लेकिन रीसेंट अकरेंस का नहीं है।

श्री केदारनाथ : इम्पोरटेंट मामला है।

Page No 32

32

श्री अध्यक्ष : इम्पोर्टेण्ट तो है। लेकिन रीसेंट अकरेंस का नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जो जंग में शहीद हुये हैं, उनकी विधवाओं को जो जमीन अलॉट की गई है। वह इन्फ्लुएन्शल लोग खा गये।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप फरमायें। लेकिन रीसेण्ट अकरेंस में यह नहीं है।

श्री केदारनाथ : मेरा निवेदन यह है, ऐसे केसेज में क्या सरकार डी. आई. आर. लागू नहीं कर सकती है समरी ट्रायल करके। जो अफसर उनसे मिले हुये हैं। जो भागीरथ 10 साल से काबिज है। उसके लिए आप फरमा दें।

श्री अध्यक्ष : आप फरमा दीजिये।

श्री रामकिशन : कॉल अटेन्शन मोशन इसलिए होता है कि सारे हाउस का ध्यान आकर्षित करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पहले फरमा देते तो अच्छा होता। पहले का विषय है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रेजीडेंशियल डॉक्टर्स एसोसियेशन है, उन्होंने कल टोकन स्ट्राइक करने का निर्णय किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इस बात के लिए निर्णय किया है। क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को, मिनिस्टरों को, मन्त्रियों को मेमोरेण्डम देकर उनका ध्यान आकर्षित किया है। एक साधारण सी बात है, वहां डॉक्टर बैठे हैं और बैण्डेज नहीं। बैण्डेज का पता नहीं। पट्टी का पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में कहें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यहां तक कि कोई बीमार है तो उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, राजस्थान का सबसे बड़ा होस्पीटल है। इस प्रकार की छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर हैल्डअप होकर बैठे रहें। जहां करोड़ों रुपया राज्य सरकार का व्यय हो। छोटी-छोटी चीजें, बायोकैमिक दवाइयां नहीं। टिंचर नहीं। इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको स्ट्राइक पर जाना पड़े इससे बड़ी इस राज्य के लिये और कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार एस. एम. एस. अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था करे और इसी प्रकार से राज्य सरकार एक रोगी वाहन की व्यवस्था करे। बहुत सी कार बेकार पड़ी हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

ताकि घायलों और रोगियों को इससे सुविधा हो। और स्ट्राइक नहीं हो। अगर स्ट्राइक होगी तो इससे रोगियों को असुविधा होगी। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में समय रहते कुछ कदम उठाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने पेश किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़ा हुआ पैसा है, वह खजाने में जमा कर लिया जाये। आपने फैसला किया है कि यह मामला केन्द्रीय सरकार के अधीन है।

(श्री केसरीमल)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार से कानून बनाया गया है। लेकिन यह मामला देश के कर्मचारियों से सम्बन्धित है। इस नियम, इस कायदे के अनुसार जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के जो लाखों कर्मचारी हैं मजदूर हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सरकार ने इस लिए की है कि इस पैसे को जमा कर लेने से, आज जो अर्थ संकट बढ़ रहा है, उस पर कुछ असर पड़ेगा। वह कुछ कम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का सोचना बहुत गलत है। सरकार बड़े-बड़े बिजनेस मैनों पर, बड़े-बड़े घरानों पर कभी काबू नहीं पा सकती है। जिनकी लूट की रफ्तार बढ़ गई है जिनकी प्रॉफिट की मात्रा बढ़ती जा रही है उनकी वजह से देश में पैसे का प्रचलन है। इन लोगों के कारण यह हुआ है। मजदूरों के कारण यह नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा कमी के साथ कहिये।

श्री केसरीमल : मैंने कल भरतपुर में जाकर देखा। तो पता लगा कि क्या बात थी। किस प्रकार का यह बनाया गया है। मालिकों ने मजदूरों की वाजिब बात को मानने से इन्कार कर दिया। जिस ऑर्डिनेंस के मातहत वह पैसा काट रहे हैं, वह बताने से उन्होंने मना किया। 3 आदमी मारे गये। कई आदमी घायल हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गोलियां कैसी थी, यह तो इन्क्वारी होगी तब पता चलेगा कि यह गोलियां कैसे लगी? कहां कहां लगी? कैसे चलाई गई। फोटो लिये जायें तो पता लगेगा। यह बिल्कुल गलत बात थी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं निवेदन कर रहा था, यह सरकार जो करने जा रही है हमारे प्रान्त में राज्य सरकार मजदूर वर्ग को और कर्मचारियों को पीड़ा पहुंचाना चाहती है। इससे यह होगा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और मजदूरों के बच्चे भूखे मरें। ये सारा बोझा मजदूरों और कर्मचारियों के कन्धों पर डालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केसरीमल : बहुत अहम मसला है, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अहम तो है लेकिन उसे थोड़े में कह सकते हैं।

श्री केसरीमल : अगर सरकार ने इसको वापिस नहीं लिया तो जगह जगह जो झगड़े हो रहे हैं, वह और बढ़ेंगे। अगर यह वेतन बढ़ाने की बात होती और बढ़े हुए पैसे जमा करने की बात होती तो दूसरी बात होती। पैसा राज्य सरकार खजाने में जमा कर लेगी। इस बढ़ती हुई महंगाई में वह पैसा मिलना चाहिए लेकिन वह पैसा खाते में डाल दिया जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार ने वेतन निर्धारित करने के लिए कमेटी निर्माण की। महंगाई भत्ता तय करने के लिये कमेटियों का निर्माण किया और दूसरी तरफ इन कमेटियों को काम करने से

Page No 34

34

(श्री केसरीमल)

मना कर दिया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता का निर्धारण करने के लिए कमेटियां बनाई।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इन कमेटियों को काम करने से मना कर कर दिया। उन मजदूरों की तनख्वाह बढ़ायेंगे नहीं। राज्य सरकार ने कमेटियों को काम बन्द करने को कहा है। इस प्रकार की सरकार की नीति है।

(समय समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री अध्यक्ष : कुछ कहूं, उसको आप वजन दीजिये।

श्री केसरीमल : मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने रोका नहीं है। लेकिन अब काफी हो गया है।

श्री केसरीमल : सरकार ने जिन कमेटियों को बन्द किया है। जिनका निर्माण किया था, वह वापिस शुरू हों, उनके काम वापिस शुरू हों मजदूरों का पैसा बढ़ाने की बात है। उनके काम को कम से कम राजस्थान सरकार के लेविल का जो काम है, उनको शुरू कर दें। केन्द्रीय कर्मचारियों के मामले में वह लड़ लेंगे। मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है वह इसलिए कि गत वर्ष यानी आज से पूरे एक साल एक महीने और एक दिन हो गये है, राज्य कर्मचारियों का जयपुर में आन्दोलन हुआ था। उस आन्दोलन के तहत यहां पर राज्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। जयपुर की भोली भाली जनता और वह भोली भाली जनता, जो दुकानों में बैठे हुए काम कर रही थी, उन दुकानों में घुस कर कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको पुलिस ने घुस कर पकड़ा कोई हजामत बना रहा था, उसकी आधी हजामत बनी थी कि उसको भी पकड़ कर पुलिस ले गई ..

श्री अध्यक्ष: आप भी समय का ध्यान रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिल्कुल ध्यान रखूंगा।

उनको गिरफ्तार किया। जिन राज्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, यह प्रसन्नता की बात है कि उनके खिलाफ जो मुकदमें चलाये थे वह वापिस ले लिये हैं। उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन और जो निर्दोष लोग हैं जयपुर के, 14 लोगों के, जिनके केसेज पर सरकार बनाम दशरथ वगैरह लिखा है, उन पर 147, 149,353, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 432 आई पी सी यह सब धारा लगाई गई हैं। 18 लोगों के ऊपर 147, 149, 353 352, 440, 307 यह धारा लगाई गई हैं। 14 लोगों पर यह धारा, 18 पर यह धारा। मेरा निवेदन है कि आज की तारीख को राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के मुकदमें वापिस हो जाने के बाद 290 निर्दोष लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमें चल रहे हैं, वह परेशान हैं, उनको अदालत के चक्कर खाने पड़ते हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिये राज्य सरकार को निवेदन हैं कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों पर से मुकदमें वापिस उठा लिये, मैं उसके लिए तो पुन: धन्यवाद देता हूं, लेकिन जयपुर के लोगों पर राज्य सरकार ने जो मुकदमें चला रखे हैं, उन मुकदमों को भी तुरन्त वापिस उठा लेना चाहिए ताकि जो निर्दोष लोग हैं, उनको कोर्ट के चक्कर न खाने पड़ें और परेशानी उनकी मिट जाय। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने और जगह मुकदमों को वापिस उठाया है लेकिन जयपुर में पत्रकार बन्धुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए राज्य सरकार ने क्षमायाचना नहीं की। यहां से एक पत्र अधिकार निकलता है। उसके सह सम्पादक को डी. आई. आर. के तहत गिरफ्तार किया गया। मुझे खेद है कि डी. आई. आर. के तहत जिन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं, और उनको राज्य सरकार परेशान कर रही है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे लोगों पर 307, अटेम्प्ट टू मर्डर, और आगजनी 436 के केसों को विथड्रा किया जाय और निर्दोष सताया नहीं जाय। मेरा निवेदन है कि 290 निर्दोष लोग हैं, जिनके ऊपर से राज्य सरकार मुकदमें वापिस ले और जिन पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनसे क्षमा याचना करते हुए, अधिकार के सम्पादक पर जो डी.आई.आर. के तहत मुकदमा चल रहा है, उसको वापिस लेना चाहिए। इसकी घोषणा आज ही इस सदन के अन्दर माननीय गृह मन्त्री जी करें और कहें कि निर्दोष लोगों के ऊपर से केस विथड्रा किये जायें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक नोटिफिकेशन का हवाला देना चाहता हूं। 18-10-72 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और जिसको दुबारा 12-4-74 को दोहराया और उसके द्वारा यह आदेश दिया गया कि कोई भी गवर्नमेंट नॉमीनी किसी भी मण्डी समिति के चुनाव के सम्बन्ध में, जबकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हो रहा होगा, अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। यह गवर्नमेंट का आदेश है और आज वह सरकार.......

श्री अध्यक्ष : वोट का प्रासीजर भी क्या एडजोर्नमेंट मोशन में आता है ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं अर्ज करता हूं.....

श्री अध्यक्ष : आप फर्मा दीजिये वैसे स्थिति स्पष्ट है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : आज सरकार कहती है कि विरोधी पक्ष के लोग जमूहरियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं सरकार पर एलीगेशन लगाना चाहता हूं कि जबकि नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा गया है कि गवर्नमेंट नॉमीनी अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकेगा और अगर करेगा तो उसके विरुद्ध डिसीप्लीनरी एक्शन लिया जायगा, लेकिन मण्डी समिति पदमपुर के 22 जून को चुनाव हुए थे और जिसमें इस आदेश की जानकारी देने पर भी विकास अधिकारी और प्रशासन अधिकारी ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कि करना नहीं चाहिए था। लेकिन आज तक सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है। सरकार को चाहिए था कि वह उनके विरुद्ध कार्यवाही करके यह साबित कर देती कि सरकार जमूहरियत पर विश्वास रखती है। इस

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

तरह अपने पक्ष के लोगों से, और खास कर उनके द्वारा अपने मत का प्रयोग करा कर, अपने सरकारी आदमियों से मत डलवा कर सरकार जमूहरियत की धज्जियां उड़ा रही है। मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही न करना, मैं समझता हूं, इससे बढ़ कर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने वाला दूसरा कोई हो नहीं सकता है। यह मेरा प्रस्ताव है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय।

श्री जोगिंग : अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव शराब की दुकान मन्दिर और मस्जिद के पास ही होने के सम्बन्ध में है। जयपुर में गणगौरी बजार में ऐसे मन्दिर और मस्जिद के पास शराब की दुकानें हैं, जहां कि गरीब लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, और भी लोग, गरीब लोग रहते हैं। वहां शराब पीकर साम्प्रदायिकता वाली भावना भी पैदा होती है और झगड़े भी होते हैं और कई तरह के दंगे फिसाद वगैरह होते हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार का कानून बना हुआ है, मन्दिर मस्जिद के पास शराब की दुकान न रखी जाय, फिर भी कानून का उल्लघंन करते हुए मन्दिर मस्जिद के पास शराब की दुकान क्यों रखते जा रहे हैं। उनको अविलम्ब हटाया जाय, यह ही मेरा निवेदन है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा कुछ कर्मचारियों को हटाने के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कह रहा हूं कि यह जो मामला है, बैंकों में कर्मचारियों को हटाना और लगाना और बैंकों में अनियमित खर्च होता है—इन सब पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण नहीं होने की वजह से स्थिति यह बन जाती है, जो जरूरी खर्च बैंकों को करना चाहिए वह नहीं कर पाती है और गैर जरूरी चीजों पर खर्च करती रहती है। जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का हिसाब आप देखें, एक साल में पेट्रोल का एक जीप का 1 लाख खर्च आया है। यह राज्य सरकार कहां सोती रहती है, यह विभाग कहां सोता रहता है ? सरकार इसको रोक नहीं पाती है। 1 लाख का यह खर्च है, दूसरे एडवर्टाइजमेंट बेमतलब दे रखे हैं, एन्टरटेनमेंट पर खर्च करते हैं कि बैंक घाटे में है, इसलिए कर्मचारियों को हटा दिया जाय। मेरा यह कहना है कि इन कर्मचारियों को हटाया गया है, इनका यह मामला सहकारी आन्दोलन से जुड़ जायगा, सहकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर चले जायेंगे, एक झगड़ा खड़ा हो जायगा। मेरा कहना है, जिन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, उनको बैंकों से नहीं हटाया जाय और अनियमित खर्च कर रही है बैंक, उसको रोका जाय। दूसरे जो डेपुटेशन पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको वापिस भेजा जाय और जिनको नौकरी पर लगा दिया गया है, उनको आज के जमाने में बेरोजगार करना अनुचित होगा। यह बैंक अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाती है और को-ऑपरेटिव आन्दोलन राजनीति से इतना जुड़ गया है कि सरकार का दखल नहीं हो पाता है। इसलिए यह गड़बड़ी हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों को हटाया गया

(श्री रामकिशन)

हैं, इनके कारण राजस्थान के सहकारी आन्दोलन के कर्मचारी सहानुभूति में हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसलिए सरकार का दखल बहुत आवश्यक है। और सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जिस पर मैं तारीख नहीं दे सका इसलिये आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित नहीं था उस पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय यह सही है कि उस पर तारीख नहीं दी हुई थी। क्योंकि वह घटनाक्रम अभी भी चालू है चूंकि घटना क्रम चालू है इसलिये तारीख नहीं दे सका। वैसे अध्यक्ष महोदय इसके बारे में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री केदारनाथ जी ने भी उसका उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय यह घटना एक दल विशेष से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय इस घटना के संबंध में मैंने पहले भी इस विधान सभा के अन्दर प्रश्न उठाये थे। पर अध्यक्ष महोदय अब तो स्थिति और भी आगे बढ़ गयी हैं। यह स्थिति अब कत्लों पर आ गयी है। एक आदमी को मारा डाला गया है। एक ऐसे आदमी को मारा डाला गया है। अध्यक्ष महोदय जिसने एक हरिजन महिला श्रीमती विद्यादेवी जिसके बारे में समाचार पत्रों में खबर आयी थी, से बलात्कार किया था। यह लड़की विद्यादेवी मंगूराम की बेटी है जिसके साथ बलात्कार किया था। अध्यक्ष महोदय, वहां के थानेदार श्री जयभगवान ने पुलिस थाने में केस रजिस्टर नहीं किया। अगर किया तो केस को गलत तरीके से दर्ज किया। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति का खून हुआ है उसका नाम रतिराम है। उसने इस हरिजन महिला की मदद की। उस पर हमला किया था और वह मार डाला गया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस केस के बारे में व्यक्तिगत तरीके से पुलिस के आई. जी. पी. साहब से निवेदन किया कि ग्राम झाकंलावाली में दिन रात हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय एक स्त्री नहीं बल्कि 150-150 महिलाओं के साथ मिस-बिहेवियर किया गया। उनके कपड़े फाड़ डाले गये। इसमें अध्यक्ष महोदय जिस व्यक्ति को मारा गया था उसके बारे में दफा 307 का केस दर्ज हुआ। उस वक्त तो वह मरने से बच गया। लेकिन उस व्यक्ति की 22 तारीख को जनरल होस्पिटल में मृत्यु हो गयी अध्यक्ष महोदय उन्होंने मरते वक्त अपना बयान दिया और उस बयान में कहा कि कल्लू, भूसाराम और मिनराम ने मुझे मारा है। अध्यक्ष महोदय हालांकि उस व्यक्ति ने कत्ल करने वाले व्यक्तियों का नाम बता दिया फिर भी पुलिस थानेदार ने इन अत्याचारियों को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वे लोग हमारे राजस्थान के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री मनफूलसिंह भादू और बीरबल सिंह भादू की गेंग के आदमी है। अध्यक्ष महोदय यह लोग वहां पर बेचारी महिलाओं की इज्जत लूटते हैं और यहां तक कि फौजियों की विधवाओं के साथ मिसबिहेवियर करते हैं। उनकी विधवाओं की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। और उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय 22 तारीख को रतिराम ने मरते वक्त डाईंग डिक्लेरेशन दिया। जो डाईंग डिक्ले-

Page No 38

38

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रेशन मरते वक्त रतिराम ने रिकार्ड करवाया उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि मुझे कल्लू, भूताराम, मनिराम ने मुझे गोली से मारा है। अध्यक्ष महोदय मरते वक्त जो कि मौके पर मौजूद था उसका नाम चूंकि उसकी हालत खराब थी आदाचन्द बता दिया। आदाचन्द नामका कोई व्यक्ति ही नहीं है वह व्यक्ति है लालचन्द। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस ने उसी लालचन्द को गिरफ्तार कर लिया। जेल में बन्द कर दिया है और उसकी थाने में बुरी तरह से कुटाई हो रही है, इसके साथ साथ पुलिस ने सैकड़ों लोगों को लेजा कर थाने में पिटाई इसलिये कर रहें हैं ताकि वह लोग इस मनफूलसिंह भादू और बीरबल सिंह भादू की गैंग के लोगों को नहीं पकड़ा जा सके। अध्यक्ष महोदय, पुलिस वाले उन गरीब लोगों को लेजाकर पिटाई करके उन लोगों को टोरचर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय रावतसर का थानेदार जयभगवान वहां पर तरह तरह से अत्याचार कर रहा है। मैंने अध्यक्ष महोदय गृह राज्य मन्त्री को भी निवेदन किया, गृह मन्त्री को भी अर्ज किया और सदन के अन्दर करीब आधे दर्जन सबूत इस थानेदार के खिलाफ में प्रस्तुत किये। लेकिन उसके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय एक व्यक्ति मरते वक्त डाईंग डिक्लेरेशन दें और नाम तक बतावें कि फलां फलां व्यक्ति की गोली का शिकार वह व्यक्ति हुआ है। लेकिन पुलिस की ज्यादती यह है कि जो लोग चश्मदीद गवाह है उन्हें पिटाई करके इस प्रकार मजबूर करदो कि वह गवाही नहीं दे सके ताकि डाईंग डिक्लेरेशन से उन लोगों का गवाह कोलोबरेट नहीं हो सके और वह लोग जो दोषी हैं कत्ल के, वह छूट जाय। अध्यक्ष महोदय ऐसी स्थिति को मैं बहुत ही खराब समझता हूं कि आप उन तीन व्यक्तियों को तो गिरफ्तार नहीं करो। जिन लोगों ने कत्ल किया गोली चलायी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और उस व्यक्ति को अरेस्ट करके पिटाई की जा रही है जो कि चश्मदीद गवाह है। जिसकी मृत्यु हुई उसने उसको गवाह बताया है। अध्यक्ष महोदय पुलिस का इससे ज्यादा अत्याचार क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय उस एरिया में मनफूलसिंह भादू और बीरबलसिंह भादू ने अपनी गुन्डागर्दी फैला रखी है। और इस प्रकार मनमानी कर रहे हैं कि उनके आगे गवर्नमेन्ट की नहीं चलती। आखिर यह क्या बात है। अध्यक्ष महोदय इन दोषी व्यक्तियों को आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिर्फ तारीख नहीं दे सका इसलिये अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया।

श्री अध्यक्ष : वैसे अब और थोड़ा कहना चाहें तो कह दें। वैसे आपने कह तो सभी दिया है। आप और क्या चाहते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो यही चाहता हूं कि गृह मन्त्री की तरफ से एक स्टेटमेंट सदन में आ जाये तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो रिफ्यूज हो चुका है तब उस पर सदन में स्टेटमैन्ट कैसे हो सकता है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर मैं इसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में रखूंगा ताकि सदन में उस पर चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष : वह आप कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय मैं इसके बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही लाऊंगा। राज्य गृह मन्त्री का ध्यान जो अभी सदन में बैठे हुए हैं आकर्षित करूंगा। मेरा उनसे निवेदन है कि राज्य मन्त्री जी यह तो इन्तहा हो गयी कि एक व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे और मुलजिमों के नाम बतावें और आप गिरफ्तार नहीं करें। वैसे माननीय सदस्य केदारनाथ जी ने इसी प्रकार प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वहां पर फौजियों की विधवाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। लोगों के खिलाफ में प्राइमाफेसी केस बनने पर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अब सिवाय ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखने के चारा नहीं है। वह लाऊंगा।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव सीमेन्ट की सप्लाई के सम्बन्ध में दिया है। लालसोट और दौसा तहसील के गांवों में जहां पर किसानों द्वारा सरकार से कर्जा लेकर कुए बनाये जा रहे हैं सिमेन्ट मिलनी बन्द हो गया है। अध्यक्ष महोदय क्या कारण है कि जो कुए बन रहे हैं उन्हें सीमेन्ट नहीं दिया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी खाद्य एवं सप्लाई मन्त्री जो तो नहीं है लेकिन उद्योग विभाग के मन्त्री जी बैठे हैं। मेरा उनसे निवेदन है लालसोट और दौसा तहसील में जहां पर कुए बन रहे हैं कई अधूरे हैं और कई कुए पूरे होने को हैं आज तीन तीन महीने से लोगों ने कर्जा ले रखा है वह सीमेन्ट नहीं मिलने से अधिकांश कुए कच्चे रह जायेंगे। इसके अलावा जो अधूरे बन गये हैं वह बरसात के कारण ढह जायेंगे। और अध्यक्ष महोदय वह कुए सिर्फ झेरा बन कर रह जायेंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी सीमेन्ट दिलाने की कृपा करें। मैं सप्लाई विभाग के मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इसे नोट कर लें। इसमें काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा है ऐसा भी सुना जा रहा है कि सरकार ने सीमेन्ट इसलिये देना बन्द कर रखा है कि सीमेन्ट आगे बढे भाव से दिया जायगा और बढ़े हुए भावों से ही सीमेन्ट सप्लाई की जावेगी अगर इस तरह सीमेन्ट की कीमतें बढ़ाने के बाद ही अगर आप सीमेन्ट दिलायेंगे तो काश्तकारों को बहुत अधिक नुकसान होगा। और अगर इसी प्रकार की बात है तो वह भी आप बता दें। मेरा नम्र निवेदन है कि सीमेन्ट को देना नहीं रोका जावे और शीघ्रातिशीघ्र दिलाई जावे ताकि कुए बन कर तैयार हो जावें। अध्यक्ष महोदय वैसे तो दौसा के एस. डी. ओ. साहब ने मौखिक कहा है कि लालसोट और दौसा तहसील में जहां पर भी कुए बन रहे हैं उन्हें पुरानी रेट पर सीमेन्ट दी जायेगी। मेरा अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार से आपके मार्फत यही निवेदन है कि लालसोट और दौसा तहसीलों में सीमेन्ट शीघ्रातिशीघ्र दिलवाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष (श्री रामकिशन जी की तरफ देख कर) : आपका विशेषाधिकार का प्रश्न है आप कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री रामकिशन : जी हां । अध्यक्ष महोदय मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न सदन को रेफर किया है इस सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है कि उस पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : किसी विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार हो या नहीं वह तो स्पीकर की जब तक कन्सेन्ट नहीं हो जाय तब तक सदन में उस पर विचार नहीं हो सकता ।

श्री रामकिशन : कन्सेन्ट वैसे तो हो जायेगी क्योंकि वह सभी कन्डीशन्स फुलफिल करती है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो देखना स्पीकर का काम है । यह स्पीकर के डिस्क्रिशन पर है कि उसे माना जाय या नहीं ।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय यह सदन में....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । मुझे कुछ कहने दें । माननीय सदस्यों की जानकारी में होना चाहिये कि विशेषाधिकार के मामले को सदन में लाया जाय या नहीं यह स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर है । जब तक स्पीकर की सम्मति उसको सदन में लाने की नहीं हो तब तक वह सदन में नहीं आ सकता । यह तो स्पीकर के डिस्क्रिशन पर है । इसलिये उसी वक्त लिया जा सकता है जब अध्यक्ष की सम्मत्ति न रहे । क्या आप अब ऐसा लॉ बता सकते हैं कि बगैर स्पीकर की कन्सेन्ट के भी इस प्रश्न को यहां पर रेज किया जा सकता है ? मेरिट के प्रश्न पर नहीं । मेरिट पर यह बनता है या नहीं यह तो सैकिन्ड प्रश्न है । किन्तु पहला प्रश्न तो यह है कि बगैर स्पीकर की कन्सेन्ट के इसको रेज कर सकते हैं । इस पर आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं । मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि यदि इसकी मेरिट पर कुछ कहना चाहते हैं तो वह सेकिन्ड प्रश्न है । इस सम्बन्ध में कह सकते हैं कि इसको स्पीकर की बगैर कन्सेन्ट के भी उठाया जा सकता है और मैं इस विषय को नहीं रोकूंगा ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न सदन के अन्दर विचारणीय है नियमों के तहत अध्यक्ष महोदय की कन्सेन्ट उस पर जरूरी है । लेकिन कन्सेन्ट का मतलब अध्यक्ष के लिये आरबिट्रेरी अधिकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैं सिर्फ यह कह रहा था कि कन्सेन्ट देना चाहिये या नहीं देना चाहिये, किन रीजन्स पर देना चाहिये और किन रीजन्स पर नहीं देना चाहिये यह विषय डिस्कशन का इस समय नहीं है । मेरा पॉइन्ट तो सिर्फ यही है कि जिस पर मैं आपकी मदद चाहता हूं, मेरा अपना खुला दिमाग है, कि स्पीकर कन्सेन्ट देने से पहले भी क्या क्वेश्चन क्या यहां हाउस में रेज किया जा सकता है या नहीं इस पर आप कोई रोशनी फरमायें ।

प्रो. केदारनाथ : मेरे पास है—

The Law of Parliamentary Privileges in India by Ramchandaran.

"The Speaker of the Lok Sabha had as early as 10th March, 1950, ruled.—

"If hon'ble members want to raise any point they should first contact me, .."

श्री अध्यक्ष : This is what I say.

श्री केदारनाथ : कन्सेन्ट देने से पहले जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है वह अपनी बात कह दें।

श्री अध्यक्ष : यह रूलिंग बता दीजिये कि कन्सेन्ट देने से पहले इस को यहां पर रेज किया जा सकता है क्या ?

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : यह कहां है कि आप इसको हाउस में रेज कर सकते हैं ? You can contact the Speaker in Chamber.

केदारनाथ : All that the Speaker decides is whether the matter is fit for enquiry and it is for the House to decide."

श्री अध्यक्ष : आप फरमा दें, मैं फिर कह दूंगा।

श्री केदारनाथ : It is for the House to decide.

कन्सेन्ट इन्एक्स्केपेबल। आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कन्सेन्ट अनिवार्य है तो फिर देने की क्या बात हुई है।

श्री केदारनाथ : केवल प्रोसिजरल फॉर्मेलीटीज है। हमारा मोशन इन ऑर्डर है या नहीं केवल अध्यक्ष को यह देखना है। यह हाउस का अधिकार है, हमें अधिकार है कि इसको एडोप्ट करें या रिजेक्ट करें यदि आप हाउस के सारे पावर्स को अपने हाथ में ले लेंगे कि विशेषाधिकार का केस बनता है या नहीं, ये सब जो पावर्स हाउस में एम्बोडीड हैं उनको आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो मान्यवर आप अपने अधिकारों से बाहर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस मुद्दे पर आप प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : जो प्रश्न अभी सामने रखा है, अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज के मोशन पर हमारे यहां पर चैप्टर 19 जो बना हुआ है उसके नियम 157 और 159 हैं अध्यक्ष महोदय, 159 जो नियम है वह यह है :

"The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions, namely—

(i) not more than one question shall be raised at the same sitting,

(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence:

(iii) the matter requires the intervention of the House."

अध्यक्ष महोदय, इन तीनों में से आप के लिये यह निर्णय करने का प्रश्न पैदा होता है कि तीनों कन्डीशन्स, विशिष्ट प्रस्ताव के रूप में या विशेषाधिकार के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रस्ताव के रूप में जो यहां लाया जा रहा है, पूरी होती हैं। यदि ये तीनों कन्डीशन्स पूरी नहीं होती हैं तो आप 159 के अनुसार अपनी कन्सेन्ट रोक कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह कन्सेन्ट डिस्क्रेशनरी है। इसमें डिस्क्रेशनरी का अर्थ केवल इतनासा है कि ओरिजनली नियम 159 के अनुसार जो प्रिसिडेन्स पार्लियामेन्ट के प्रिविलेजेज और प्रैक्टिस के हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दे दे कि यह प्रश्न तीनों कन्डीशन्स को फुलफिल नहीं करता है। तो उसका अर्थ इतना ही होगा कि यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव अन्य बिजनिस के अन्तर्गत प्राथमिकता देकर प्रिफरेन्स देकर पहले लाया जा सकता है।

जहां तक मोशन का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कन्सेन्ट का महत्व केवल प्रायोरिटी प्राथमिकता के बारे में ही है। इस सम्बन्ध में "The Law of Parliamentary Privilege in India" by Ramchandaran के पृष्ठ संख्या 420 और 421 पर कुछ विशिष्ट केसेज का रेफरेन्स देकर जो निर्धारित किया है उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्राइमाफेसी केस हाउस ऑफ कॉमन्स और अपने यहां एक सा ही है।

"On the first aspect the Speaker's attitude has been that he cannot decide the issue of privilege. He can only say if a prima facie case is made out as to breach of privilege. When the Speaker decides so, he may allow a motion for reference to the Committee of Privileges. When the report is submitted the House may discuss it or may not. It may or may not take any further action simply because the report is not discussed. It does not mean that the ruling of the Speaker as to the prima facie aspect had proved to have no substance investigation."

इसके पश्चात् श्रीमान् उन्होंने यह कहा है :

"Nor does the Speaker's ruling as to a prima facie case mean that it prejudges it. It is always subject to enquiry, finding and disposal by the Committee and the House. It is not the Speaker's duty to say whether or not a breech of privilege has been committeed, which is entirely the responsibility of the House. When a matter of liable on the House or conduct of a member of the House is brought to his notice the Speaker can only confine his order as to the prima facie aspect and as to

Page No 43

43

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

whether the matter was raised at the earliest opportunity. He has to see whether in the circumstances there is a prima facie case which will justify a motion being proposed that the case in question is a matter to be further consider."

"Where the Speaker has no evidence for a prima facie case, he will rule it out. But this adverse ruling is not precluded from putting down a motion for the considera-tion of the House"

अब इसके पश्चात् दूसरे जजमेंट का रेफरेन्स दिया है वह महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख किस प्रस्ताव पर विचार करना विशेषाधिकार के इसमें केवल प्रायोरिटी के प्रश्न पर सदन की कन्सेन्ट का प्रश्न है। सदन की कन्सेन्ट न होने पर भी जो प्रश्न आपने रेज किया है कि क्या अध्यक्ष की अनुमति के बिना विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। मोटे तौर पर बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी आज्ञा से सारे कार्य होते हैं। उसमें यह नहीं है कि आपकी कन्सेन्ट हो तब ही हो। आपकी आज्ञा से कार्य होते हैं। हमने जो प्रस्ताव रखा है वह भी वैसा ही है। प्रायोरिटी का जहां तक प्रश्न है आपका निर्णय ओब्जेक्टिवली है। विचार करके होते हैं बेसिक प्रिन्सिपल ओफ जस्टिस के नाते, जिन व्यक्तियों ने इस प्रश्न को आपके सम्मुख रखा है, सदन में अपने विचार रखने चाहते हैं, वे आम महत्व के हैं और आप इसमें महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। आपने अनेक मामलों में निर्णय किये हैं सदन के स्तर को ऊपर उठाते हुए आपने सारे देश के लिये ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिये हैं जैसा कि परसों आपका एक निर्णय ओर्डिनेन्सेज के विषय में था। लोक सभा के स्पीकर साहब ने भी निर्णय दिये हैं। इनसे आसन और सदन की गरिमा बढ़ी है। इस पर भी आप उसी अनुरूप में अपना निर्णय देंगे इसमें हमें सन्देह नहीं है। इसमें यह क्लैरिफाई कर दिया गया गया।

"Such a motion will come in the usual, regular routine. If a prima facie case is made out, then there is a swifter method, as the member will be permitted to make his motion in precedence over the rest of the business in the order of the day It is all a mere question of priority and it means the Speaker is willing to accept a motion straight-away."

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं। यहां केवल प्रायोरिटी का प्रश्न है जहां तक प्रिविलेज का सम्बन्ध है।

यहां कॉन्स्टीट्यूशन लॉ के अनुसार यह रामचन्द्रन का व्यू है। अब जहां तक

Page No 44

'44

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
प्रिविलेज का प्रश्न है यह सदन में भी उठाया जा सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार प्रायोरिटी दे सकते हैं यदि इसकी तीन कण्डीशन्स फुलफिल हों। अगर तीनों या एक भी नहीं होती है तो फिर साधारण रुटीन कोर्स में आवेगा।

इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने है वह ऐतिहासिक है। जो मैं रैफर करना चाहूंगा। ब्राउन के नाम से यह केस है जो पार्लिमेन्टरी प्रेक्टिस में प्रिविलेज ऑफ मैम्बर्स अप्रेल, 1969 के पेज संख्या 65 पर दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है :

"It is a breach of privilege to take or threaten action which is not merely calculated to affect the members' course of action in Parliament, but is of a kind against which it is absolutely necessary that members should be protected if they are to discharge their duty as such independently and without fear of punishment or hope of reward."

इसमें अध्यक्ष महोदय, श्री ब्राउन को एसोसियेशन ने सदन के बाहर इस कारण से नौकरी से हटा दिया कि उन्होंने हाउस आफ कामन्स में ऐसी स्पीच दी थी जो एसोसियेशन की भावना के प्रतिकूल थी और इस पर स्पीकर ने रेफरेन्स किया प्रिविलेज कमेटी को कि क्या इससे ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही चालू की जावे। सदन का कीमती समय इसमें यों जाया किया जा रहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह संवैधानिक प्रश्न है। माननीय सदस्य अगर नहीं समझते हैं तो उसे समझने का प्रयास करें, नहीं तो थोड़ी तसल्ली ही रक्खें।

तो अध्यक्ष महोदय, मि. ब्राउन की स्थिति और हमारे यहां माननीय सदस्य भारतीयजी जिनके बारे में प्रश्न यहां उठाया जा रहा है मिलते जुलते हैं। वहां भी आउटवर्ड एजेन्सी ने एक्शन लिया और यहां पर भी इनके खिलाफ यहां बोलने के कारण आउटवर्ड एजेन्सी ने एक्शन लिया। पैदा किया गया है कि आपने यहां सदन में जो कहा उस पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। इस तरह से निश्चित रूप से उनकी यहां सदन में बोलने की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात किया गया है। और सदन में जो प्रिविलेज माननीय सदस्य को हैं उसकी भावना पर कुठाराघात किया गया है आज यह किया गया। कल अगर कोई विश्व विद्यालय के लिए कहे और वह सिन्डीकेट का सदस्य हो या न हो उसके विरुद्ध कहे और उसने वहां से डिलिट की या ऐसी ही और कोई उपाधि ली हो तो यहां उनके विरुद्ध कहने पर उसे यह कहा जाय कि तुम चूंकि खिलाफ बोले हो इसलिये तुम्हारी डीलिट की उपाधि वापिस ली जाती है। इस तरह से सदन में हमारी भाषण स्वतन्त्रता पर कुठाराघात होता रहेगा तो आप को इसे देखना होगा। और कौन देखेगा आपके सिवाय ?

पार्लियामेन्ट का इतिहास साक्षी है इसका। आप इस पर विचार करें। इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
पर ऑब्जेक्टिवली विचार करने के लिये सारे सदस्य तैयार हैं। अब यह प्रिविलेज का मोशन अन्तिम रूप से बनता है या नहीं, यह तो में नहीं कहना चाहूंगा पर प्राइमा फेसी जरूर है और इसी आधार पर इसे प्रायरिटी देने की बात सोचनी है आपको। प्राइमा फेसी स्ट्रोंग बनी हुई है। इसके बाद हो सकता है प्रिविलेज कमेटी या हाउस निर्णय भले ही इधर दे या उधर दे यह उस पर निर्भर है। पर प्राइमा फेसी अवश्य है और इसे स्वीकृत किया जाना चाहिये : इससे इतिहास बनेगा। भारत के संवैधानिक जगत में इससे एक कीर्तिमान स्थापित होगा कि सदन में सदस्यों की भाषण और वैचारिक अभिव्यक्ति पर जहां कहीं भी आघात हुआ उसको रोकने में हम सक्षम हैं, जागरूक हैं। तो इससे वाणी स्वतन्त्रता पर आघात हुआ है दिल और दिमाग पर आघात हुआ है यह निश्चित है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

इसलिये इन दोनों बिन्दुओं पर आपकी कन्सेन्ट के बिना भी मोशन तो सदन में आ सकता है। पर यह मोशन के रूप में आवेगा और इसमें प्रायरिटी देने के लिये तब प्रश्न पैदा होगा जब आप अनुमति देंगे।

श्री अध्यक्ष : Can you support your statement with any authority ? That it can come without consent. Can you show an authority on that point ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं देखता हूं।

Shri Speaker : I would like to have a ruling on that.

श्री खेतसिंह : क्यों समय व्यर्थ गमाते हो ?

श्री गुमानमल लोढ़ा: बिना आपकी कन्सेन्ट के भी प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आपके सामने देश की विधान सभाओं या लोक सभा का कोई प्रसंग ऐसा है आपकी जानकारी में जो आप यहां क्वोट कर सकते हों, अगर ऐसा हो तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री खेतसिंह : ये तो इतिहास बनाना चाहते हैं। पुरानी परम्पराओं को तोड़ा जा रहा है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रिविलेज मोशन आया है। माननीय सदस्य ने कहा है और कहने के बाद विड्रा किया है। वह इस कारण से आया है। उसके सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर लोहिया ने ऐसा प्रश्न उठाया है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी उठा है चरणसिंह जी के बयान देने पर। यह सब बाहर की कार्यवाही के कारण था।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं उन पर कोई ऑथोरिटी क्वोट करना चाहें तो वह लावें उससे मदद मिलेगी।

श्री रामकिशन : अगर नहीं बनी है ऐसी क्वोटेशन तो अब बन जावेगी। पहले इस तरह का मसला भी नहीं हुआ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस ऑथोरिटी के बारे में विधान सभा की लाइब्रेरी में हाउस ऑफ कामन्स की 54, 55, 56 की रूलिंग्स का मैंने हवाला दिया है। रामचन्द्रन का व्यू वह हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा था कि लोक सभा या किसी और विधान सभा या परिषद की ऑथोरिटी बता सकते हैं क्या।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 426 पर, लिखा है। भारत की स्थिति हाउस ऑफ कामन्स के अनुसार है।

"The above discussion as to the prima facie nature of privilege in England may be compared to the practice and procedure in the legislatures in India, where the Speaker's jurisdiction is limited to the procedural formalilty of admitting or disallowing the motion."

श्री दीपंकर : आप तो कोई ऐसा रूलिंग या उदाहरण दो कि जिससे बिना अध्यक्ष की कन्सेन्ट के यहां रखा जा सकता हो। इसका सवाल यह है कि इसकी कन्सेन्ट जिस पार्टी ने अपने तरीके से अपनी पार्टी चलाने के लिये नियम बनाये है। किसी हाउस के सदस्य के कहने से नहीं किया गया है इसलिए हाउस के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाय जब तक इसका......

श्री अध्यक्ष : इस मुद्दे पर......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक ही रूलिंग देता हूं अध्यक्ष महोदय। प्रश्न आपकी ऑथोरिटी का है और उसके साथ साथ एक रिजर्वेशन से रीड आउट करूंगा जो आपकी ऑथोरिटि पर भी प्रभाव डालेगा "On 15th July, 1947, the House by resolution declared that...." यू. के. का है, 15 जुलाई, 1947। अध्यक्ष महोदय, मोस्टली हमारे सारे के सारे रूल्स लेड-डाउन नहीं है। वे हमारी परम्पराओं पर निर्धारित है। आज भी पॉलियामेंट से गाइड होते हैं। यह कोई एस्टाब्लिश नहीं है। अब आपकी ऑथोरिटि इससे पॉइन्ट आउट होती है।

"It is inconsistent with the dignity of the House, with the duty of a member to his constituents and with the maintenance of the principle of freedom of speech, for any member of this House to enter into any contractual agreement with an outside body controlling or limiting the member's complete independence and freedom of action in Parliament......."

इस पर अध्यक्ष महोदय जरा गौर फरमायें।

"....or stipulating that he shall act in any way as the representative of such outside body in regard to any matters to be transacted in Parlia-

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

ment; the duty of a member being to his constituents and to the country as a whole, rather than to any particular section thereof."

अध्यक्ष महोदय, इसमें सुप्रीम बताया गया है । जो मेम्बर हाउस में अपनी ड्यूटीज का पूरा अंजाम देता है । उसका अटेचमेंट किसी पार्टी से या बॉडी से सुप्रीम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सुप्रीमिटि का सवाल है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर वह चैलेन्ज करता है, अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : आप जो कुछ कह रहे हैं बड़ी बारीकी की बात है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ी बारीकी से ही अर्ज कर रहा हूं । आपको यह देखना है, माननीय भारतीय जी ने एक बात कही, उसका इम्पेक्ट सारे भारत में है......

श्री अध्यक्ष : वह नियमों में है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो नियमों में बड़ा स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी ने उनको सस्पेण्ड कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : इस मुद्दे पर माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य ने कहा है उस पर कुछ कहना है तो कहिये ।

श्री फूलचन्द जैन : भाषण देना है इनको तो....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, चूंकि पहले भी ऐसे प्रश्न आये हैं—जो यह प्रश्न अभी रखा है बड़ा डेलीकेट है, मेरा ख्याल है जो भी निर्णय होगा वह राजस्थान विधान सभा की एक ऑथोरिटि होगी । अगर पक्ष में निर्णय चला गया जिन्होंने प्रिविलेज मोशन रखा है तो बहुत बड़ी ऑथोरिटि होगी जो दूसरी विधान सभा के लिए उदाहरण होगी । अगर विरोध में होगी तो राजस्थान विधान सभा की पहले की रूलिंग है उसको सपोर्ट मिलेगा । अध्यक्ष महोदय कन्सेंट के प्रश्न पर आपने विचार मांगे हैं यह 157, 158 और 162 तक के अन्तर्गत आते हैं । मैं कन्सेन्ट रेस्ट्रेन करने के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस रूल 162 पर आपका, शासन का दो ऑप्शन्स है कि प्रिविलेज का कोई प्रश्न आये और उसमें प्रिविलेज इन्वोल्व हो तो प्रश्न को दो तरीके से यह आसन डिस्पोज ऑफ कर सकता है कन्सेन्ट न दे अथवा 162 जिसमें इस प्रश्न को हल करें ।

"Notwithstanding anyting contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report."

इस 162 को देखने से यह प्रतीत होता है कि 57 का जो कन्सेन्ट का प्रश्न है और जिसमें यह समझा जाता है कि कन्सेन्ट रेस्ट्रेन करने का अधिकार और उस अधिकार के अन्तर्गत किसी आइमा फेसी को देखने का प्रश्न सन्निहित है । लेकिन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
162 को देखने से, इन दोनों के देखने से, यह प्रश्न, कन्सेन्ट नहीं दी जाय, यह प्रश्न हल हो जाता है, इसमें प्राइमा फैसी का प्रश्न सन्निहित नहीं होता। इसको ठीक समझा जाय इसलिये मैं वापिस 162 की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं–159 से कन्डीशन ऑफ एडमिशिबिलिटि का प्रश्न है। यह आसन कन्सेन्ट के प्रश्न को, निर्णय लेने के साथ.......

"(i) not more than one question shall be raised at the same sitting;

(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(iii) the matter requires the investigation of the House."

अगर आर्डर में है और उसके साथ ही कोई प्रिविलेज का मोशन....

according to the version of hon. Member

उसमें है तो दोनों प्रश्न ऑर्डर में आते हैं प्रिविलेज का प्रश्न उसमें है। इन दोनों को देखने से कन्सेन्ट का प्रश्न हल हो जाता है–इस सिक्वेन्स में इसलिये मेरा आग्रह है प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द करने का प्रश्न है। फैक्ट्स पर प्रिविलेज बनता है या नहीं बनता है, यह प्रश्न कमेटी हल करे। मैं तो केवल इस पोजीशन को देखना। चूंकि माननीय सदस्य ने एक प्रिविलेज को इन्वोल्व करने का प्रश्न रखा है अब मैं इस प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता हूं। इसी विधान सभा का रूलिंग हुआ है—कुछ ऐसे ही तथ्यों पर....

श्री अध्यक्ष : आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है....उसमें वह इश्यू है बिना कन्सेन्ट के रेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मेरिट पर तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं समिति दायरा है। उसमें आपके काम की बात है तो बता दें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं उसको इसी लिए रेफर कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : वह तो मेरे फेवर में पड़ता है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इसके निराकरण के लिये ही तो मैं....

श्री अध्यक्ष : इसमें अनुमति नहीं दी गई है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इस अनुमति नहीं देने के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ने इन प्रश्नों को जो मैंने आज उठाये हैं उसका विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने वाकियात का विश्लेषण किया है। माननीय सदस्य ने जो रखा है उसका विश्लेषण और उस प्राइमाफेसी का यहां इश्यू बनता है या नहीं बनता है, यहां का डिसीजन नहीं है। प्रिविलेज कमेटी का है इसलिये यह रूलिंग इस मसले पर लागू नहीं होती है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें अध्यक्ष महोदय मुलाहिजा फरमायेंगे। इसमें

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तीन चीजें रेफर की गयी हैं - पहली तो कन्सेन्ट और दूसरे इन आर्डर है या नहीं और उसके बाद सेक्शन 162 है। अब 162 में: "Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges of examination, investigation or report." इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी इसमें हुआ है इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट अध्यक्ष महोदय इसको रेफर करेंगे 'मे रेफर'। 'मे रेफर' के अन्दर कन्सेन्ट का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो यह अण्डर 162 में रेफर करना इस सेक्शन के अन्दर जरूरी है। तो कन्सेन्ट का सवाल तो खतम हो जाता है और उसके बाद यह डिस्क्रशन एप्लाई करें कि आप रेफर करवाना चाहते हैं या नहीं। यह 'मे' के इन्टरप्रिटेशन के ऊपर डिपेण्ड करता है। यह 157 से 162 का कॉन्ट्रेडिक्शन होता है। अगर कन्सेन्ट की जूरिस्डिक्शन इतनी दी जाती है आप उसको नहीं भी रेफर करें तो यह 162 रिडन्डेन्ट हो जाता है और यह सेक्शन 162 सेक्शन 157 के कॉन्ट्रेडिक्शन में आता है। तो आपको यह भी तय करना होगा कि "Notwithstanding anything contained in these rules...." इसका मतलब हमेशा यह होता है कि जो कुछ भी रूल्स में अध्यक्ष महोदय इसको रेफर करें फिर कन्सेन्ट का क्वेश्चन चला जाता है, आता ही नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि इस कॉन्ट्रेडिक्शन को री-कन्साइल फरमायें और वह ऐसे फरमायेंगे कि यह सब्सीक्वेन्ट से क्लैश है, उसको हिट करता हुआ 162 का सेक्शन है इस समय न तो कन्सेन्ट का क्वेश्चन है और न डिस्क्रशन का सवाल है। 'शैल' लें तो डिस्क्रशन भी खत्म हो जाता हैं और 'मे' होना है तो कन्सेन्ट का क्वेश्चन खतम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : "May" is mentioned. It is discretionary.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अर्ज करूं वह छोड़ दें। What I mean to suggest is that 'may" can mean "shall". मैं जो सजेस्ट करना चाहता हूं वह यह है कि आप 162 में रेफर करें या नहीं करें इसमें कन्सेन्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहले डिस्क्रशन होना चाहिए। हम अपना व्यू पॉइन्ट आपके सामने रखें और फिर आप समझें तो करें और नहीं करना चाहें तो न करें। लेकिन इसमें कन्सेन्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका ध्यान दिलाना जरूरी था कि सेक्शन 157 और 162 की फ्रेजोलॉजी में कान्ट्रडिक्शन है। अगर "Notwithstanding any thing contained in these rules...." नहीं तो डिफिकल्टी कुछ नहीं थी लेकिन अब डिफिकल्टी अराइज होती है। आप 157 को सही मानेंगे या 162 को?....

अध्यक्ष : दोनों को सही मानता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ... दोनों को सही मानते हैं तो हमारा हक हो जाता है कि आप कन्सेन्ट दें या नहीं दें हम आपके सामने अपना व्यू-पॉइन्ट रखें और फिर उसके बाद "मे" के मातहत देते हैं इन्टरप्रिटे-

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

शन फरमायें, आप उनका फैसला दें लेकिन कन्सेन्ट 157 में नहीं देंगे, we have got an overriding right और हम आपके सामने नजरिया रखें, हाउस के सामने रखें और उसके बाद भी डिस्क्रिशन एप्लाई करें तो that is the sweet will of the Chair. तो उसके बाद एब्सोल्यूट पावर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है प्रिविलेज मोशन के लिए कि अध्यक्ष महोदय की कन्सेन्ट हो या नहीं हो। इस प्रश्न पर एडमीसिबिलिटी जो कि 159 प्रेस्क्राइब करता है और तीनों कन्डीशन्स फुलफिल होती हैं तो कन्सेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं है वह ऑर्डीनेरी वे में मिलनी चाहिए और उसके लिए प्रोसीजरल पावर्स हैं स्पीकर को कि प्रॉपर फार्म में है या नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा 159 में:

"(i) not more than one question shall be raised at the same sitting;

(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence."

यह (1) और (2) वह पावर्स हैं कि स्पीकर देखेगा कि मोशन प्रॉपर फार्म में है या नहीं और नम्बर (3) है "(iii) the matter requires the intervention of the House." यह डिस्क्रिशनरी पावर्स स्पीकर के अन्दर वेस्ट करती है और आज जो मसला हाउस के सामने है उसके अन्दर सबसे पहला इश्यू यही है कि इस इश्यू पर डिस्कशन होना चाहिए या नहीं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक रूलिंग पढ़ी उस रूलिंग के तहत बताया कि उसमें नौकरी से निलम्बित कर दिया। तो नौकरी से अलग कर देना तो जरूरी था लेकिन अध्यक्ष महोदय डेमोक्रेसी की कल्पना आप लेकर चलते होंगे लेकिन पार्टीज अपने मेम्बर के कन्डक्ट को हाउस के अन्दर कब कर सकती है और उसके आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि यह वही इश्यू है और आप निश्चित रूप से अपना डिस्क्रिशन एप्लाई कर सकते हैं और आप समझते हैं कि यह पॉलिटीकल पार्टी का इन्टरनल मैटर है और हाउस के अन्दर इन्टरवेन्शन उचित नहीं है तो निश्चित रूप से आपको अधिकार है आप कन्सेन्ट दें या नहीं दें और नहीं देते हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं छेड़ी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि सब लोग जानते हैं विरोधी पक्ष के सदस्य कि न तो इस विषय में चर्चा उठानी चाहिए, न आवश्यक है, न उनका मोशन एडमीसिबल है और न उनको इस बात से कोई दखल है। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा न इससे कन्सर्न है। अगर उससे किसी को कन्सर्न है तो कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन आपको उस बात से मकसद नहीं है और आप पार्टी के इन्टरनल मैटर को जबरदस्ती हाउस में बिना प्रॉसीजर के लाना चाहते है...

श्री अध्यक्ष : यह तो आप केस की मेरिट्स पर आ गए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मेरिट्स पर नहीं आया। इसलिए अध्यक्ष महोदय,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपको वाइड पावर्स हैं कि आप कन्सेन्ट दें या न दें और आपकी कन्सेन्ट के बिना हाउस के अन्दर उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो भी चर्चा हो वह इसी प्रश्न पर हो कि कन्सेन्ट दी जाये या नहीं।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि इसमें स्पीकर के कन्सेन्ट की आवश्यकता है या नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर स्पीकर के कन्सेन्ट की आवश्यकता नहीं होती और सीधे एक क्वेश्चन प्रिविलेज कमेटी को भेज सकते तो 157 की आवश्यकता ही नहीं थी और सीधे एक क्वेश्चन कभी भी प्रिविलेज का मूव करें तो प्रिविलेज मोशन को तुरन्त ही कमेटी को सुपुर्द किया जाना चाहिए और वह देख ले कि प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं लेकिन अपने रूल्स के अन्दर यह साफ है और 157 में यह लिखा हुआ है:—

"A member may, with the consent of the Speaker..."

इसलिए 'विदाउट दी कन्सेन्ट ऑफ दी स्पीकर' का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता और कन्सेन्ट बहुत ही आवश्यक है और आपकी कन्सेन्ट के बिना कोई भी मोशन किसी प्रकार से लाया ही नहीं जा सकता। एडमिसिबिलिटी का क्वेश्चन भी बाद में आता है तो यही आता है कि क्या स्पीकर की कन्सेन्ट मिल गयी या नहीं। अगर आपने शुरू में ही देखा कि कन्सेन्ट की आवश्यकता नहीं है और कोई प्रिविलेज कमेटी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है तो मसला वहीं खत्म हो जाता है।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हाउस ऑफ कामन्स की दलील दी और कहा कि भारत के अन्दर नयी परम्परायें और कायम की जायें और इसमें राजस्थान पहल करे। मैं निवेदन करूंगा कि पहल करने का प्रश्न नहीं है, हम परम्पराओं पर चलते हैं और हमारे अलग से हाउस का बिजनेस रूल्स है और उनके तहत हम कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आपकी कन्सेन्ट के बिना इस पर कार्यवाही हो ही नहीं सकती।

श्री केदारनाथ : जो मैंने ऑथोरिटीज साइट की हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्टूडेन्ट रहा हूं इंग्लिश लिट्रेचर का Consent is devoid of any element of subjectivity. Consent is always based on odjectivity. इसलिए डिक्शनरी इन्टरप्रिटेशन का मतलब यही है Consent does not mean any pre-judgement on the part of the chair. अगर कन्सेन्ट को हम मान लें कि माननीय अध्यक्ष महोदय को सारे केस को प्रि-जज करके हमारे सामने रूलिंग के तौर पर फैसला दे दें तो इस तरह से तो उन्होंने हमें कन्फाइन कर दिया। सारी पावर्स छीन कर आप अपने पास लेते हैं जो कि स्पीकर का काम नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं:—

1. The duty of the chair is to see that the minimum requirements which constitute a breach of prvilege are present. He merely says that they are in order.

(श्री केदारनाथ)

2. That does not imply either a ruling on the part of the chair.

3. It is entirely a mater for the House to decide.

4. The duty of the Speaker is to safeguard the house from frivolous invocation of the law of privilege.

5. It is not the duty of the Speaker whether or not a breach of privilege has been committed. It is entirely the responsibility of the House.

इसलिए आपको कन्सेंट इन आस्पेक्ट पर जो कण्डीशन ब्रेक करें उस पर यही है कि हमारा मोशन रूल्स को फुलफिल करता है या नहीं, रिलेटेड रीजन्स क्या हैं, एक ही मेटर है, हाउस का इंटरवेन्शन है। हाउस ऑफ कामन्स में ही यही है कि प्राइमा फेसी केस है या नहीं, अलियस्ट अपोरचुनिटि में उठाया है या नहीं, यहां इंटरवेन्शन ऑफ दी हाउस के कबिल है या नहीं। उसी पैटर्न पर, हाऊस ऑफ कामन्स के पैटर्न को लेकर ही यहां यह ओब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सामने यह था और है कि किसी विशेषाधिकार के प्रश्न पर क्या वह अध्यक्ष की बिना सम्मत्ति के, स्पीकर की बगैर कन्सेंट के हाउस में रेज किया जा सकता है, इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी 2 राय जाहिर की है। इस सम्बन्ध में वैसे अपने यहां के रूल्स हैं। पालियामेंट के रूल्स भी हैं और अन्य धारा सभाओं के रूल्स भी हैं। अभी तक मेरी जानकारी में कोई ऑथोरिटी या ऐसा कोई इन्सटान्स नजर में नहीं आया हिन्दुस्तान की किसी धारा सभा का या लोक सभा का कि जिसमें यह निर्णय लिया गया हो कि बगैर अध्यक्ष की स्वीकृति के, सम्मत्ति के भी वह हाउस में लाया जा सकता है, उस पर बहस की जा सकती है। इस सम्बन्ध में एक और मुद्दा माननीय सदस्य, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया और वह यह उठाया, कुछ और सदस्यों ने भी कहा कि जहां तक कन्सेंट का, सहमति का सम्बन्ध है वह तो रुटिन की बात है, वह तो इम्प्लाइड है। सब्जेक्टिव नहीं, ओब्जेक्टिव है। यह कन्सेंट तो मिल ही जानी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और यह जो इतने प्रपोजीशन्स हैं, रूल्स हैं वे तो उसको प्रायोरिटि डिटरमिन करने के लिए, प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में हैं, बाकी रुटिन तौर पर आ सकता है, यह कहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि विषय तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीनता भी है, यह भी मैं मानता हूं। नवीनता इस रूप में है कि अभी तक इस मामले में कोई ऑथोरिटि मिली नहीं और आप भी हिन्दुस्तान की कोई ऑथोरिटि बता नहीं पाये। तो आपकी दलील यह है कि अथोरिटि न सही अपने यहां की ही बात हो जाय। इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं। आप यहां जज कर लें और गले उतर जाय तो और कहीं नहीं हो तो अपने यहां ही हो जाय इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसा मैंने

(श्री अध्यक्ष)

आपसे कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है। वैसे जितनी ऑथोरिटिज थीं मैंने उनको पढ़ा और जैसा मैंने आपको बताया ऐसी कोई ऑथोरिटि नहीं मिली कि जिसमें निर्णय लिया गया हो कि स्पीकर को वगैर कम्पेंट के बीच ऑफ प्रिविलेज का मामला उठाया जा सकता हो, ऐसी कोई ऑथोरिटि नहीं मिली। कुछ ऑथोरिटिज का आपने हवाला दिया है और मैंने उनको देखा है। लेकिन चूंकि एक मामला अहम है, काफी कानूनी पेचीदगियां हैं। जैसे मैंने इस सम्बन्ध में कहा, जब माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया तो इसके महत्व को देखते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में आपकी नजर में कोई कानून कायदे हों, ऑथोरिटि हों इस मामले में, कृपया आप मुझे बतायें तो मैं आपका आभारी होऊंगा। वह भी बता नहीं पाये हैं।

तो मैं समझता हूं कि इसमें निर्णय लेने से पहले मैं एक बार फिर अपने चेम्बर में आप साहवान को सुनूं। चूंकी इसमें बिन्दु बहुत सीमित है, ऑथोरिटि की बात सुनना चाहता हूं। इस मामले में जो भी प्रपोजीशन हो वह कृपया मुझे बता दें तो आपको सुनने के बाद ही, चेम्बर में सुनने के बाद ही मैं इस सम्बन्ध में निर्णय दे सकूंगा। और उस वक्त तक के लिये इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

श्री झाबरमल सूंडा का दल से त्याग-पत्र

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि माननीय सदस्य श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा ने संगठन कांग्रेस की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

श्री रामकिशन : फिर किधर गए साहब।

श्री अध्यक्ष : यह कोई सूचना हमको नहीं दी है कि किस दल में गए हैं।

श्री रामकिशन : सदन में दोनों ही बातें साथ साथ आनी चाहिएं।

श्री दीपंकर : वह आपका साथ नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने एक पार्टी को छोड़ा है इसकी सूचना मुझे दी है।

श्री रामकिशन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि डिफेक्शन का लॉ कंसीडरेशन में है पार्लियामेंट के और कुछ धाराओं पर विचार भी हो चुका है....

श्री अध्यक्ष : किसकी बात है ?

श्री रामकिशन : जिसने दल बदला है।

श्री अध्यक्ष : मुझे इस मामले में कोई सूचना नहीं है कि माननीय सदस्य ने कौनसा दल बदला है। मुझे सूचना सिर्फ दल से स्तीफा देने की है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिस दल से....

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक दल छोड़ दिया है जरूरी नहीं कि दूसरा दल जोइन करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिस दल के नाम पर उन्होंने जनता से वोट लिए वह छोड़ दिया देन ही मस्ट रिजाइन फ्रोम दी हाउस।

श्री दीपंकर : उन्होंने तो गांधीजी की नीति का पालन किया है।

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी द्वारा वक्तव्य ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार हैं :

श्री अध्यक्ष : बीच में साढ़े तीन बजे आप मेरे चेम्बर में आ जायं जो इस सम्बन्ध में बात करना चाहें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दिनांक 8-5-74 को श्रीमती लीमड़ी पत्नी पूना गमेती निवासी करनाली को सोमला ने सायंकाल मौका पाकर सील भंग करने की नियत से पकड़ा । इस पर लीमड़ी सहायता के लिए चिल्लाई तो श्री भाना जो पास ही खेत में काम कर रहा था, घटनास्थल पर दौड़ कर पहुंचा तो सोमला को श्रीमती लीमड़ी को पकड़े हुए पाया ।

(समय म. प. 1.29)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जिसे छुड़ाने की कोशिश की । किन्तु सोमला ने खुद की कटार से उस पर वार किया जिससे भाना के बायें हाथ पर चोट आई । भाना द्वारा आवाज लगाने पर उसके भाइयों ने व अन्य ग्रामवासियों ने आकर सोमला को काबू में कर लिया और थाने के लिए लेकर चल दिये । मार्ग में सोमला छुड़ा कर भाग जाने की कोशिश में गिर पड़ा जिसके कारण उसके पैरों व हाथों में चोटें आई सोमला थाने ओगना, गोगुन्दा, झाड़ोल और नाई में ऐसे अपराधों के मुकदमे में चाहा जा रहा था । दिनांक 10-5-74 को न्यायालय में पेश कर सोमला अभियुक्त का रिमाण्ड पुलिस हिरासत का प्राप्त किया गया । सुरागरसी करने पर उसने बलपूर्वक चोरी, नकबजनी व अन्य प्राणघातक हमलों की घटनाएं करना स्वीकार किया तथा बन्दूक बरामद कराने का वायदा किया । दिनांक 11-5-74 को अभियुक्त सोमला को उसके बताये हथियार बरामद कराने के लिए पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा था । सोमला के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थीं जो सिपाही सोहनसिंह के बैल्ट में बंधी थी । ग्राम केली के निकट दिन के 10 बजे के करीब अभियुक्त सोमला ने पुलिस से छुड़ा कर भाग जाने की कोशिश की तथा पत्थर से टकरा कर गिर गया जिसके साथ सिपाही भी मय हथकड़ी खींच कर गिरा । सोमला पहाड़ की ढलान पर 20 फीट लुढ़क गया तथा सिपाही सोहनसिंह जो खिंचकर चला गया ने पेड़ पकड़ लिया तथा सोमला पेड़ से करीब एक गज नीचे लटक गया । हैड कॉन्स्टेबिल उमर दराजखां, मेघा व गमेती तथा सिपाही अमर सिंह व चैनसिंह ने आकर सोमला को पकड़ा तथा पेड़ पर उलझे सिपाही सोहनसिंह के बैल्ट से हथकड़ी की कड़ी निकाली तथा सोमला को नीचे उतारा व सिपाही सोहनसिंह को भी निकाला । सोमला काफी घायल हो गया था इसलिए कैलो गांव से रस्सी लाकर सोमला को रस्सी से बांध कर गड्ढे से खींच कर निकाला । अभियुक्त को लेकर पुलिस ग्राम डोडावाली दिन के 2-30 बजे पहुंची । थोड़ी देर बाद उसने व्याकुलता महसूस की और पानी मांगने पर ग्रामवासियों ने पानी भी पिलाया, तत्पश्चात् आराम करने के लिये लेट जाने पर सायंकाल 5 बजे ग्राम डोडावाली में ग्रामवासियान की उपस्थिति में मर गया ।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

उप खण्ड अधिकारी, उदयपुर द्वारा धारा 176 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर पंचायत नामा व जांच की गयी, जिन्होंने सोमला की मृत्यु, पुलिस से छुड़ा कर भाग जाने की कोशिश में गड्ढे में छलांग लगाने से गिर कर चोट आ जाने के कारण होना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सोमला की मृत्यु उंचाई से गिरने से सिर को चोट से धीमे हेमरेज के कारण होना प्रतीत हुआ है। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी चोट सोमला के शरीर पर मृत्यु के बाद की नहीं हैं। भील जाति में कोई क्षोभ व आंतक व्याप्त नहीं है और न स्थिति विस्फोटक ही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस सम्बन्ध में दो चार प्रश्न हैं। सामोला की पिटायी या मृत्यु जिस पहाड़ी पर बतायी जा रही है, क्या यह सही है कि वह गोदावरी गांव क्यों ले जाया गया था ? क्या यह सही है कि गोदावरी गांव के पास जब वह ले जाया जा रहा था उसके हाथ व पांव कड़ी से बधे थे और उसको सारे गांव के बीच में खड़ा करके पीटा गया और वहीं उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद की यह कहानी मनगढन्त है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिसके पैरों में हथकड़ियां हों, जिसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए हों, ऐसे युवक को ले जाया जा रहा है जो जंजीरों से बंधा हुआ है, चार चार पुलिस वाले उसके साथ चल रहे हैं, तो क्या वह भागने को कोशिश कर सकता है। मैडिकल ज्यूरिस्ट को यह पता लगा है कि वह उंचाई से गिर कर मर गया है। कैसे मैडिकल ज्यूरिस्ट यह बता सकता है। वह मिला हुआ है। वह कैसे बता सकता है ? वह जादूगर है या एस्ट्रोलोजर है। वह दूसरे दिन उदयपुर से आकर कहता है कि उंचाई से गिर गया, 20 फीट की ऊंचाई से गिर गया इसलिये मर गया। यह रिपोर्ट के अन्दर जो आपने उसके मरने की बात लिखी है, उसकी यह मैडिकल रिपोर्ट मेरे पास में है। उसके अन्दर शब्द लिखे हैं, यह लिखा है, यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह पाइन्ट हैं उसमें 5, 6, 7, 8 के बारे में यह लिखा है :

Death:	11-5-1974 at 5 P.M
Examination of body:	12-5-74 at 3.30 P.M.

24 घंटे के बाद, 22 घंटे के बाद मैडिकल ज्यूरिस्ट पहुंचा और यह मैडिकल रिपोर्ट दी ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या मैडिकल रिपोर्ट है। कौनसी पढ़ रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आफ्टर डेथ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कौनसी तारीख की है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप बताइये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप पढ़ रहे है, आप बताइये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 12-5-74 की है। 11 तारीख को वह मर गया। क्या यह ठीक है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप पढ़िये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक मैडिकल ज्यूरिस्ट जिसका काम यह नहीं है कि कितनी ऊंचाई से गिर गया, कितना ऊंचा था, उसने पुलिस के कहने से यह बात कह दी। यह मैडिकल ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट जिसकी कोपी मेरे पास मौजूद है, फ्रेश इन्जूरी विद इन 6 अवर्स जबकि 22 घंटे के बाद उसने पोस्टमार्टम किया है, उसमें 6 घंटे की फ्रेश इन्जूरी रिपोर्ट दी है। इसका क्या मतलब ? उसके मरने के बाद यह बताया जा रहा है जबकि वह मारा गया है। क्योंकि वह पीछे से बंधा हुआ था, पैरों में कड़ियां थी, पुलिस वाले जिसको जंजीर से बांध कर ले जा रहे थे। चाहे वह कितना ही अपराधी हो, पुलिस उसको अपने अहाते के अन्दर कत्ल नहीं कर सकती। आपको इसकी जांच करानी चाहिये। फिर उसकी लाश को उसके अभिभावकों को क्यों नहीं लौटाया गया ? बाला-बाला ही उसको क्यों जला दिया गया। गांव वाले लाश की डिमांड कर रहे थे। वह भील था। वह वनवासी था। उसकी कोई पूछ ताछ करने वाला नहीं था इसलिये आपने क्यों ऐसा कर दिया ? कोई गड़बड़ी नहीं थी तो आपने ए. डी. एम. उदयपुर को आदेश देकर क्यों जांच करवायी? क्या जरूरत थी ? ए. डी. एम. से मैं मिला हूं उसने कहा कि आदेश मिले हैं और जाच करके आया हूं। पुलिस ने जो बात कही है वह सही है. आश्चर्य है.ऐसी ए. डी. एम. की रिपोर्ट है और घर वालों ने एफीडेविट दिया है। भारत की प्रधान मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री को लिखा है कि लाश नहीं दी गई है। इस प्रकार का उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि तथ्यों से दूर जा कर पुलिस को प्रोटेक्शन न दें और जो सही तथ्य हैं वे ही विधान सभा के सामने रखें और गरीब की जो हत्या की गई है उसके अपराधी को, जांच बिठा कर, न्यायिक जांच करा कर दंड दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न जानना चाहूंगा। यह आपको पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है, मैडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट ऑफ राजस्थान, उसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास है, उसमें लिखा है डेथ 11-5-74 एट 5 पी एम, एग्जामिनेशन ऑफ दी बॉडी 12-5-74 ऐट 3.30 पी एम। यह लगभग मरने के 22 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसको समझने की कोशिश करें और उत्तर दे सकें तो उत्तर दें वरना मैडिकल सेक्रेटरी या मैडिकल ज्यूरिस्ट जो भी हों आपके विभाग के, उन से कन्सल्ट कर लें। ये पांच इन्जुअरी लिखी हुई है ...External injuries-1. wound over on the Rt. front. 2. Abrasion on the Rt. front laterally. 3. Swelling on both the hands, 4. Swelling on the Rt. knee, ये चार इन्जुअरी लिखी हुई है 1, 2, 3, 4 बड़े भारी दुःख की बात है। ये चार इन्जुअरी हैं जिस के कारण डेथ हुई बतलाते हैं इसके बारे में डॉक्टर ने लिखा है। यदि मेरी कॉपी गलत है तो क्षमा चाहूंगा। आपके पास आन्थेटिक कोपी होगी। ड्यूरेशन ऑफ इन्जुअरी नं. 1, 2, 3 एण्ड 4 का इज एबाउट 4 आर 5 डेज। उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ हो जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या थी ? यह जो कहानी बना कर लायी गई है और हाउस के सामने रखी गई है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तो 11 तारीख को मृत्यु उसी रोज या उससे पहले जैसा कि यह कहते हैं कि मृत्यु से कुछ पहले उसी रोज या पहले के रोज वह पुलिस की कस्टडी में जा रहा था तो उसने भागने का प्रयास किया। हथकड़ी उसके हाथ में लगी हुई थी तो उसको छुडाकर वह भागने लगा और गिर गया और उसके कारण से मृत्यु हो गई तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 4-5 दिन पहले जो चोट लगी है उससे मौत हुई है। 12 तारीख को रिपोर्ट दी गई है तो यह एक्सीडेन्ट 7-8 तारीख को हुआ है। चोटें लगी हैं वह 7 तारीख को लगी है। अब मै निवेनन करना चाहता हूं कि 7-8 तारीख को यह चोटें कहां से आई आपने यह कन्फेन्स कर लिया हाउस में कबूल कर लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया। यह कपोल कल्पित कहावी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10, 11 की बात बताते हैं तो 7-8 तारीख को यह इन्जुरीज कहां से आई। यह मैडिकल रिपोर्ट स्पष्ट कहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर केस में माननीय मंत्री महोदय के लिए आवश्यक नहीं है कि पुलिस को प्रोटेक्ट करे और खासतौर से सदन में बैठ कर इस प्रकार का पापाचरण करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस का पापाचरण है उसको दबाने का प्रयास न करें राइट ऑर रॉंग। पुलिस डिपार्टमेन्ट इतना बड़ा है उसमें अच्छे आदमी भी हैं और बुरे आदमी भी है। अगर कोई ऐसी बात है तो मंत्री महोदय अपना माइंड एप्लाई करें और उसको पढ़कर समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे पास आइये। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट स्पष्ट है। टू एण्ड टू मेक्स फोर, दो और दो चार ही होंगे। इसलिये यह एक पॉइंट साफ़ है। मैडिकल रिपोर्ट फाल्सीफाईज दी होल थिंग्ज। आपने सारी कहानी मन गढ़न्त बनाई है।

अब इन्जुरी नं. 5, 6 7, 8 का ड्यूरेशन 6 अवर्स का है और यह मल्टिपल फॅक्चर एन्डसिज्म ओन दी होल ऑफ दी लेफ्ट लेग। यह कहानी और अब रहस्यमय बन गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मिस्टीरियस बन गई है। जो प्रीवियन्स इन्जुरी आई है वह 5-6 घन्टे पहले लाइट इन्जुवरीज जो आई हैं वह चोटें हैं। वह आपको नजर से दिखाई देती हैं। उसको देखने से यह कहानी इसके साथ नहीं बैठती है। पोस्ट-मॉर्टम की डेट 12-5-74 को 3 बज कर 20 मिनिट की है और डेथ 11-5-74 को 5 बजे हुई। यह चार चोटें बाद में किस कारण से आई? इस सम्बन्ध में बताने का प्रयास किया गया। यह क्या मिस्ट्री है? यह बाद में एन्कवायरी में मालूम पड़ सकता है इन्डिपेन्डेन्टली। यह रिपोर्ट अपने आप में कन्ट्राडिक्टरी है। इन्हें एक ऐसी कहानी से छिपाने का प्रयास कर रहे हैं जो कहानी रॉंग है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति होता है वह किसी प्रकार से मरे और पोस्ट मॉर्टम से इतने तथ्य साबित हो जाते हैं तो वह प्रोटेक्शन का हकदार है और इसकी जांच कराकर आप जनता का का फीडेंस प्राप्त करें।

मुझे इतना ही निवेदन करना है माननीय मंत्री महोदय कि इन दोनों पहलुओं को ले लें दूसरी बातों को छोड़ दें। व्यक्ति वह बुरा था उसको सजा दी जाय इसमें कोई ऐतराज नहीं था किसी को, लेकिन पुलिस कस्टडी में आज के युग में, डेमोक्रेटिक युग

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में, रूल ऑफ लॉ में जब कि आप रूल ऑफ जंगल को त्याग चुके हैं, थर्ड डिग्री मेथड्स को त्याग चुके हैं, किसी को मार दें तो यह क्रिमिनल ऑफेन्स है। जिस अधिकारी ने यह किया है उसको हथकडियां डाल कर अरेस्ट किया जाय और उसके खिलाफ केस चलाया जाय। यू केन नोट प्ले विद ए ह्यूमन लाइफ लाइक दिस। आखिरकार यह मर्डर पुलिस कस्टडी में हुआ है। मैं अर्ज करूंगा कि Protectors have become murderers and butchers उसकी जांच की कार्यवाही करवायें तो कम से कम मंत्री महोदय में विश्वास पैदा होगा अन्यथा होगा यह कि चाहे स्याह हो या सफेद पुलिस वाले करते जायं उनको समर्थन मिलता रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पोस्ट मॉर्टम से यह बात प्रकट होती है कि वह 5 घन्टे पहले मरा, यह मामला मई महीने का था। आप तो जानते हैं कि बॉडी डिकम्पोज्ड 6 घन्टे बाद में पूरी हो जाती है, और 22 घन्टे बाद जो लाश मिलती है तो इसका मतलब है डिकम्पोज्ड बॉडी मिली, डिकम्पोज्ड बोडी में इन्जुरी का detection by the medical officer यह आश्चर्यजनक है। एन्टी मॉर्टम और पोस्ट मार्टम इस बात के संदर्भ में 6 घन्टे पहले की फ्रेश इन्जरीज हैं फ्रेश इन्जरीज 6 घन्टे पहले की नहीं हो सकती इसके मायने हैं कि एन्टी मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम दो तरह की इन्जरीज हो गई। 22 घन्टे की इस लाश पे जो इन्जरीज मिली हैं वह एन्टीमॉर्टम आप कहते हैं और फिर डिकम्पोज्ड बोडी डॉक्टर देख लेता है और इस प्रकार के बयान देता है कि 6 घन्टे पहले की फ्रेश इन्जरीज थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिफर होती है और जब डिफर होती है तो अन्दाजा होता है कि पोस्टमार्टम पुलिस के प्रेशर से बनी है तो आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर कैसे रिलाई कर सकते हैं? क्या उसमें डिकम्पोजिशन लिखा है यह मैं जानना चाहता हूं। यह लिखा है कि बिल्कुल फ्रेश 6 घण्टे पहले की फ्रेश इन्जरीज थी तो फ्रेश बोडी है। डिकम्पोजिशन लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो डिकम्पोजिशन क्यों नहीं लिखा है? मई का महीना था। गर्मी थी। सर्दी में डिकम्पोजिशन देर से आरम्भ होता है। यह दो बातें हैं।

तीसरी बात यह कही गई है सोहनसिंह सिपाही की कि हथकड़ी उसकी बेल्ट से बंधी हुई थी। सोहनसिंह का मैडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा। वह उसके साथ गिरता तो उसको भी इन्जरीज पहुंची होगी तो सोहनसिंह की इन्जरीज के सम्बन्ध में जानना चाहूंगे कि सोहनसिंह की इन्जरीज कैसी है, किस टाइप की है। सोहनसिंह की इन्जरीज को आप इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिला लें तो पोस्टमार्टम कराया गया तो 22 घन्टे के बाद करवाया गया और सोहनसिंह की इन्जरीज को मेरे खयाल से पुलिस की तरफ से एग्जामिन करवाया गया होगा अलग से। डेडी बोडी के साथ एक्जामिन करवाया हो ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। अगर डेड बोडी के साथ एग्जामिन करवाया तब भी फैब्रिकेशन्स हैं और डेड बाडी के पहले एग्जामिन कराया गया तब भी फेब्रिकेशन्स। पंचनामा जो डेड बोडी का बना है उसका कम्पेरिजन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से करें। अगर पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में लिखा है कि 6 घण्टे पहले की इन्जरीज मालूम होती है, और मन्त्री महोदय, पंचों के पंचनामे में ऐसा ही लिखा होगा कि फ्रेश है। एक शरीर पर दो तरह की इन्जरीज होने का संकेत देती है। शहादत है कि पोस्टमार्टम फेब्रिकेटेड है बाई प्रेशर। इस आधार पर इस आदमी की मौत के सम्बन्ध में आपका फर्ज है कि इस वाकयात की जांच करानी चाहिए और पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो जुर्म बनता है वह बनाना चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि भानुकुमारजी ने बताया कि उसके पैरों में हथकड़ियां पड़ी हुई थीं तो वह कैसे भाग सकता था। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं तो पैरों में हथकड़ियां ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : हथकड़ी हाथ में होती है। पैरों में बेड़ियां होती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पैरों में बेड़ियां होती हैं और हाथों में हथकड़ियां होती हैं वह आपने भुगती नहीं हैं इसलिए मालूम नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं लगती हैं। आपको मालूम नहीं था तो रिपोर्ट को देखते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने बेड़ियां ही कहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने कहा था पैरों में पड़ी हुई थीं। आप रिपोर्ट देख लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने बेड़ियां थीं, कहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसके पैरों में किसी तरह की बेड़ियां या हथकड़ियां किसी तरह की कोई चीज नहीं थी। मैंने यह कहा था कि पुलिस कस्टडी में सोहनसिंह सिपाही के साथ मुल्जिम को ले जाया जा रहा था। हथकड़ी उसके दोनों हाथों में लगी हुई थी और हथकड़ी का सिरा सोहनसिंह की बेल्ट से बन्धा हुआ था। जब वे पहाड़ के तंग रास्ते से जा रहे थे तो सिपाही आगे जा रहा था और मुल्जिम पीछे जा रहा था....

श्री भानुकुमार शास्त्री : हाथ उसके पीछे बन्धे हुए थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसके हाथ बन्धे हुए थे तो उसको धक्का देकर उसने भागने की कोशिश की।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उसके दोनों हाथ पीछे बन्धे हुए थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भागने की कोशिश करने के बाद वह गिर गया और सिपाही भी घिसटता हुआ उसके साथ गिर गया। सिपाही वृक्ष के तने से अटक गया और मुल्जिम उससे एक गज नीचे गिर गया खड्डे की तरफ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पुलिस इन्सपेक्टर का बयान आप पढ़ लें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनने की कोशिश करें।

इसके साथ साथ आपने पोस्ट मार्टम का जिक्र किया और उसकी इन्जरीज को

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
बताया। मुल्जिम को 8-5-74 को पकड़ा था और 9-5-74 को पुलिस थाने में इसको लाया गया था पुलिस थाने में पहुंचा था उस वक्त उसके शरीर पर चोटें थीं। तब 9-5-74 को मैडिकल करवाया। उसकी रिपोर्ट मौजूद है। उसके लिए यह कहना कि यह कहां से आई। उसके 4-5 चोटें लगी हुई थीं। इससे ये बातें अपने आप में निर्मूल साबित हो जाती हैं। इसी तरह से आपने कहा है कि जो पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट है, उसमें डॉक्टर ने यह लिखा कि वह ताजी 5-6 घण्टा पहले लगी थीं। डॉक्टर से पूछा गया कि यह 5-6 घण्टे से क्या मतलब है तो डॉक्टर ने स्पष्ट करने के लिए यह लिखा है—

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जरा सोच लें। थाने से पहले हैड के ऊपर इन्जरी के बारे में आप सोच लें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तारीख को आप देख लें — Healed wound cover and sells, swelling on both the hands, swelling on the Rt. Knee यह 9 तारीख का बता रहा हूं। जो पुलिस ने अरेस्ट करने के वक्त मैडिकल के लिए भेजा। जो बता रहा हूं। Healed wound with swelling 1×1, Abrasion and seals on the Rt. front & swelling over both the hands.

यह सारा लिखा हुआ है in the report of Medical department of 9th.

यह सब इन्जरीज लगी हुई थीं। 9 ता. मैडिकल रिपोर्ट पास में है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हैड इन्जुरी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हैड इन्जुरी नहीं है। यह 11 ता. को पत्थर से टकरा कर गिर गया है। उसके बाद की है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन्जुरी 5, 6, 7, 8 की कब की हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो 9 ता. के पहले की हैं। डॉक्टर ने लिखा है। 9 ता. को मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया था। उससे पहले की थीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप देखें तो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वही मैंने बताया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसमें 1, 2, 3, लिखा हुआ था। यह तो 7, 8 बताया है। वह तो लेग्ज पर हैं। इसका मतलब है, जो लोगों ने मारा था उससे मर गया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने कहा है। ले जा रहे थे। पत्थर से टकराकर गिर गया है। इससे चोट लगी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप पढ़ लीजिये—Fresh brasims No. 5 on the left leg.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसके बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है। कोई इन्जरी नहीं है। 9 तारीख को लाया गया था तो पुलिस ने मैडिकल रिपोर्ट मंगाई थी। उसके बाद डैथ हो गई है।

Page No 61

61

श्री गुमानमल लोढ़ा : 5, 6, 7, 8 फ्रेश इन्जरी हैं। इसमें हैड इन्जरी नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां जी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह आप मानते हैं ? I stand to be corrected.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 5, 6, 7, 8 are ante-mortem and they were of within 6 hours before he came.

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मान लिया। आप 5, 6, 7, 8 में बता दीजिये।

Abrasion down to the heel of the left leg, Multiple abrasions on the lower part of chest by left side.

है क्या—There is not a single head injury in this.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : इनमें हैड इन्जरी नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप नं. 2 में पढ़िये, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : नं. 2 की ही बात होगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं, आपकी 8 इन्जरी लिखी हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 हैं। एक हैड इन्जरी है। 5, 6, 7, 8 का उल्लेख हुआ है, इसमें पैरों के ऊपर है।

श्री परसराम मदेरणा : आप बार बार देख रहे हैं। पार्ट नं. 1, 2 में जो हैड इन्जरी है। आप फियूम यह कर रहे हैं कि हैमरेज हुआ है। यह तो एक पार्ट में है। आप पार्ट 2 पढ़िये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लास्ट में कहा गया है हैड इन्जरी बताई गई है। पहले बताया गया है, वह आप पढ़ लीजिये। 5, 6, 7, 8 में है। लैफ्ट लेग पर है। कोई इन्जरी नहीं है। 6 घन्टे के अन्दर। आप इसे देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, इसे कल के लिए रख लें। आप भी देख लीजिये। मैं भी देख लूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कल रखने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं। यह मैडिकल रिपोर्ट में लिखा है। पार्ट नं. 2 आप पढ़ लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पार्ट नं. 2।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पार्ट नं. 2 में कोई जिक्र नहीं है। आप पढ़ लीजिये। आई मे बी रोंग। पार्ट नम्बर 2 में ड्यूरेशन का जिक्र नहीं है, लास्ट में भी नहीं है। पांच छः घण्टे के पहले की इन्जरी है, उसमें भी कोई जिक्र नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ड्यूरेशन का जिक्र पूछ रहे हैं, कॉज ऑफ डेथ पूछ रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कॉज ऑफ डेथ है इन्जरी, उसमें डाउट नहीं है। हैड इन्जरी दो तरह की हो सकती है, या तो पांच छः घण्टे पहले की में हो, उसमें हो, या पांच छः

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
दिन पहले की में हो। पांच छः दिन पहले में की हो तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वह अरेस्ट हुआ, उसके बाद उसको बुरी तरह से मारा गया, जिसके कारण वह मर गया। पांच छः दिन पहले की मानें, जो आप कहते हैं तो वह गिरने में आता है। आइ एम रेजिंग ए स्पेसिफिक पाइन्ट। Kindly check it आप परसराम जी को दिखा लीजिये, लिस्ट में देख लीजिये, पांच छः में देख लीजिये। आप पांच छः बता रहे हैं, हम मान रहे हैं We may agree with. There is no head injury in 5, 6, 7 & 8 शायद गलत लिख गये हैं.......

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : There is no question of head injury.

श्री गुमानमल लोढ़ा : फिर कैसे मर गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बिकॉज ऑफ इट जो रिपोर्ट में कहा है, हैमरेज, इट इज इन्टरनल हैमरेज जिस वजह से हुआ ? वह गिर कर पड़ा, उसके एक्सटरनल चोट नजर नहीं आयी। इन्टरनल चोट होने से ब्रेन हैमरेज हो गया, जिससे डेथ हो गई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने देखा नहीं है। नम्बर 1 पढें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हैमरेज किसी चोट से हो सकता है। यह एक्सटरनल चोट से होता है क्या ? Hamerroabe, it is internal hameroage. I am telling this.

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन्जरी नम्बर 1 पढ़ लीजिये। वह पढ़ कर सुनायें, जो पहली इन्जरी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दूसरी इन्जरी है। इसमें कौन ना करता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह क्या है। नम्बर वन, राइट फ्रन्ट पर लगी हुई है, वह क्या चोट है। राइट फ्रन्ट पर चोट लगी हुई है, जिसे आप कहते हैं पांच छः दिन पहले आयी, वह पढ़ कर सोचिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 5-6 पढ़ कर सुनना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : नम्बर वन।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 9 तारीख को मैडिकल एक्जामिनेशन हुआ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में 1-2 लिखे हुए हैं, That would make it clear.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक्सटरनल एब्रेशन नम्बर वन।

श्री गुमान मल लोढ़ा : हां पढ़िये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : Wound position has been noted on last page. यही कह रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राइट फ्रन्ट पर लगी हुई है, वून्ड।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : This is given on the last page.

श्री गुमानमल लोढ़ा : अरे श्रीमान्, आप पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के एण्ड में चले जांय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आखिर में आ गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक्सटरनल इन्जुरी। एक्सटरनल इन्जुरी पढ़ दीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : Healed wound cover and seals on the Rt. fort, Abrasions & seals on the Rt. fort laterally, Swelling on both the hands swelling on the Rt. knee, Multiple fresh.

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी पढ़ लीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत :Multiple fresh abrasions on the whole of left leg. multiple abrasions on the lower part of chest by left side, multiple abrasions on the left side of neck upper part

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह पढ़ लीजिये क्लीअर हो जायेगा। 4-5 आयेंगे, यह बाद के हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत :Swelling 1"×1" area on the left temporal region.

श्री गुमानमल लोढ़ा : हेमरेज होता है, वह सिर पर कुछ पड़ता है, उससे होगा। हेमरेज चोट से कैसे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : It is not necessary that हेमरेज नजर भी आये। एक्सटरनल इन्जूरी नजर आयेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय आप पढ़िये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक्सटरनल इन्जुरी आयी है, वह लिख दी गई है। हेमरेज की वजह से डेथ हुई है, इसके लिए एक्सटरनल इन्जुरी होना जरूरी नहीं है। ऐसा मेडिकल साइन्स भी नहीं कहती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप पढ़ लीजिये the cause of death was head injury.

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मैटर सेल्फ एक्स्प्लेनेटरी है। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट है, आपकी बात मान ली जाय कि हैड हेमरेज हुआ है पांच छः दिन पहले तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय····

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की जांच जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा, भारतीय दण्ड प्रक्रिया 176 के तहत एस. डी. ओ. उदयपुर ने की है। वह रिपोर्ट मेरे पास प्रस्तुत है। उसके आधार पर आंका जाय कि इस आदमी की डेथ है, वह गिर गया था, उस गिरने की वजह से हुई है, और उसकी मां का बयान मौजूद है उसने भी स्वीकार किया है, यह छोटा वच्चा था, बचपन से निकल कर चला गया था। इस तरह का धन्धा करता रहता था। मैंने देखा नहीं····

श्री भानुकुमार शास्त्री : करता होगा। Cause of death was head injury.

(शोरगुल : अश्रव्य)

Page No 64

64

श्री विट्ठलभाई : ऐसा मां क्यों लिख कर देगी ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : उस मां ने भारत की प्रधान मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री को लिख कर पत्र दिया है। आप फाल्स रिपोर्ट बनाकर यहां बताना चाहते हैं। एक गरीब बनवासी की हत्या कर दी जाती है....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री विट्ठलभाई : जब यह विधान सभा में मामला रखा है तो आप टालमटोल करते हैं।

श्री मीठालाल : बाद में पुलिस ऐसा लेटर लिखा कर दे सकती है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जोथिंग : उस डॉक्टर को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिये। उसको क्यों नहीं करते है ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक बनवासी पुलिस की हिरासत में मार डाला गया। आप एस. डी. ओ. की रिपोर्ट पढ़ कर एक झूठा लेटर पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास भी उसकी मां का लेटर है, जो उसने भारत की प्रधान मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री को दिया है, उस मां ने जिसका बेटा मर गया है। फिर भी एस. डी. ओ. आपके लिए विश्वस्त है जिसने फाल्स स्टोरी बना कर दी है। मैं कहता हूं, आप हेमरेज की बात करते हैं, 70 फीट की चोटी से कोई नीचे पड़े तो भी कुछ नहीं हो। लेकिन Within six hours उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, मैडिकल रिपोर्ट और पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट और उसके हैड इन्जुरी नहीं है, जो कॉज ऑफ डेथ हैं, उसमें हेमरेज का उल्लेख नहीं है। वह क्योंकि एक बनवासी था, गरीब था, इसलिए आप एस. डी. ओ. की रिपोर्ट के आधार पर लीपापोती नहीं कर सकते।

(शोरगुल : अश्रव्य)

मैं चाहता हूं, आप इसकी जांच करिये। बिना जांच के दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता।

श्री जोथिंग : यह जो रिपोर्ट है, यह झूठी है। आप इसको जांच के लिए दीजिये और उसके बाद इसका जवाब दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आवेश में लाने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मां का लैटर है, जिसकी कोख सूनी हो गई है। उसने लिखा है, जब डोडावली में सावड़ीथल स्थान पर बड़ का पेड़ है उसके नीचे उसके साथ बुरी तरह से थानेदार श्री नारायणसिंह, थाना नाई ने पीटा और उसके पहले डी. वाई. एस. पी. श्री नाग ने पीटा। आगे उन्होंने लिखा है, "सोमला पिटते पिटते मर गया" तो पुलिस ने एक मनगढ़न्त कहानी बनाई कि सोमला पहाड़ से चलते समय खाई में गिर गया जबकि सोमला के दोनों हाथ पीछे बन्धे हुए होकर पांवों में बेड़ियां थी तथा 4 सिपाही साथ थे। एक के हाथ में हथकडी पकडी गई थी। यह उसकी मां ने लिखा है। मैं उस मां की आवाज आपको सुनाना चाहता हूं। उसने यह भी लिखा है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि 'सोमला के मरने के बाद थानेदार दौड़ कर उदयपुर आया और पुलिस विभाग तथा डॉक्टर से सारी योजना बीच बचाव करके डॉक्टर को लेजाकर पोस्ट मॉर्टम कराया लाश को उदयपुर क्यों नहीं लाये'। यह महत्व की बात है, बॉडी वाज नाट आट टू उदयपुर। फिर आगे लिखा है, 'सोमला की मृत्यु की जांच के लिए एस. डी. ओ. को नियुक्त किये गये लेकिन जांच नहीं होकर उन्हीं लागों से जानकारी ली जो पुलिस विभाग के प्रभाव में थे तथा पुलिस ने लोगों को डराया, धमकाया रखा है और आज भी उसके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि पुलिस के खिलाफ बोलने पर जेल में डाल देंगे'। इससे हत्या मालूम होती है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री जीथिंग के खड़े होने पर) : प्रश्न आप कर चुके हैं....

श्री जीथिंग : मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री दीपंकर : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि अभी जो लैटर आप पढ़ रहे थे वह किसके मार्फत प्राप्त हुआ है?

श्री जीथिंग : आप हत्या कराने के पक्ष में हैं....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री दीपंकर : मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। इसमें हत्या का सवाल नहीं है। मैं जानकारी कर रहा हूं। जानकारी करना गुनाह नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी, उसको आप झूठी बताते हैं। आपने जो लैटर पढ़ा है, वह आपको किसके द्वारा प्राप्त हुआ ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

(कई माननीय सदस्य के एक साथ बोलने पर अश्रव्य, सदन में शोरगुल)

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य मैं आपकी बात का बोध नहीं कर रहा हूं।

(श्री जीथिंग, श्री गुमानमल लोढ़ा, श्री भानुकुमार शास्त्री व श्री मनोहरलाल के एक साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मनोहरलाल : श्री दीपंकर आपको कुछ मालूम नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सदन के सामने गृह राज्य मन्त्रीजी ने पेश की है उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि जो इन्जरी 6 दिन पहले लगी उसमें तो चार इन्जरी लगी और 6 घन्टे बाद मरने के बताई गई उसमें चार इन्जरी और बताई गई हैं। कुल आठ इन्जरी लगी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डेथ बताई है कि हैड इन्जरी से हुई है। उपाध्यक्ष महोदय 6 दिन पहले जो लगी थी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट लिखी है उसमें हैड इन्जरी कहां उल्लेख किया हुआ है ? इसमें हैड इन्जरी का साइट ही नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट को फालसीफाई किया गया है। और अगर हम यह मान लें कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का फालसीफाई पुलिस ने नहीं की तो कम से कम यह रिपोर्ट सन्देहास्पद तो हो गई अध्यक्ष महोदय मरने वाला तो मरा लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि एक गरीब व्यक्ति, एक भील, एक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ऐसा व्यक्ति जो कि बगैर वसीले वाला है उसकी मृत्यु हुई है। उपाध्यक्ष महोदय एस. डी. ग्रा. से जो जांच करवाई गई है वह कोई जांच नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और एस. डी. ओ. का सम्बन्ध चोली दामन का सम्बन्ध है। उन्होंने पुलिस से मिलकर सांठ गांठ करके इस सारे केस को गोलमाल किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सारे कांड की हमारे विधान सभा के सदस्यों की तीन चार व्यक्तियों की कमेटी बना कर की जाय। इसमें हमारे विधान सभा के दो तीन सदस्यों को भी शामिल किया जाय। अगर ऐसा नहीं तो कम से कम यह जांच एक मुन्सिफ के द्वारा कराई जानी चाहिये इसका कारण यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस सदन में एक सनसनी फैला दी है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय जिस सोमला की मृत्यु हुई है उसकी मां का एफीडेविट भी है जिसमें उसने कहा कि पुलिस ने उसके बेटे को मार डाला। उसने पुलिस का पर्दाफाश कर दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय हर दो तीन मिनट के बाद ग्राफिशल गैलेरी में बैठे सैक्रेट्रीज से पूछ ताछ करते रहते हैं। आखिर माननीय दृष्टिकोण अपना कर इसकी जांच तो करायी जाय।

श्री जोथिग : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह गलत दिया है क्योंकि उस लड़के की मा ने अपने एफीडेविट में कहा था कि उनके बेटे का कत्ल पुलिस द्वारा कर दिया गया है। चाहे उस औरत का बच्चा चाहे जैसी छोटी उम्र में धन्धा करता हो। लेकिन कोई मां ऐसा बयान नहीं दे सकती जैसा कि मन्त्री महोदय बता रहे हैं। पुलिस ने झूठी रिपोर्ट बना कर यह किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने जो भी जवाब दिया है वह सही जवाब नहीं दिया। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिये। और न्यायिक जांच कराने के बाद में सही रिपोर्ट इस सदन में पेश की जानी चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : (शोरगुल होने पर) ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरलाल : आपके पास ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो सही रिपोर्ट दे।

श्री जोथिग : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस गरीब लोगों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें मार रही है और सरकार मौन है।

श्री दीपंकर : अरे भाई तो सुनो सही कि मन्त्री महोदय ने कहा कि उस लड़के की मां के बयान है कि उसका लड़का बचपन से ही निकल गया है वह चोर है।

(श्री दीपंकर, जोथिग, मनोहरलाल के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

Page No 67

67

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय जो मैडीकल रिपोर्ट आयी है उसमें गड़बड़ी की गयी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अच्छा आप विराजिये मेरी सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में निवेदन किया था उस पर श्री गुमानमलजी ने सदन में जो भाषण दिया है उससे सदन के माननीय सदस्यों के मन में भ्रान्ति पैदा हो गयी है।

श्री गुमाननमल लोढ़ा : I take exception to it.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर माननीय सदस्य श्री गुमानमलजी को इससे तकलीफ होती है तो मैं मेरे शब्द वापिस लेता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने जो कहा कि सदन में भ्रान्ति पैदा हो सकती है। वह गलत है।

श्री जोगिन : हम कोई झूठी बात नहीं सुनना चाहते।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि लोढ़ा साहब भ्रान्ति पैदा कर रहे हैं अगर उनको ऐतराज हो तो मैं मेरे शब्द वापिस लेता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सदन में भ्रान्ति हो सकती है। मेरी मन्शा यह नहीं थी कि गुमानमल जी सदन में भ्रान्ति फैला रहे हैं। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ कर सुना देता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें लिखा है कि फर्स्ट, सैकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट तो है एक्सटरनल अब्रेजन के बारे में। दूसरा है कारनीमम के सम्बन्ध में दूसरा उसी के आगे है तीसरा है थोरेक्स के बारे में है चौथी है एब्डोमन के बारे में और इस तरह आगे दिया है एक्सटरनल इन्जरी के बारे में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप इस रिपोर्ट को सदन की पटल पर रख दें या माननीय सदस्य जो कि अच्छे एडवोकेट है उन्हें दे दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप मेरी सुनने की कोशिश तो करिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

आप मेरी सुनिये तो सही। मैं इन्जरी नम्बर पांच के बारे में कह रहा हूं। और जो डेथ जो हुई है वह इन्जरी नम्बर दो से हुई लिखा है इसमें कोई शक और सुबाह पैदा होने का सवाल ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय जो इन्क्वायरी की गयी है वह एस. डी. ओ. द्वारा की गयी है। उसने जो फाईडिंग दिये हैं गलत नहीं दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय वह व्यक्ति गड्ढे में गिर गया था। उसके कारण चोटें आयीं। वह मर गया। मौतबिरानों के सामने वेरीफाई किया गया है। इसमें फालसीफाई करने का सवाल ही नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

विधायी कार्य

सदन में पुरस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा!

श्री परसराम मदेरणा (उपनिवेशन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरस्थापित किये जाने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की अनुमति है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन में पुर:स्थापित करने दिया जाय। जो पक्ष में हों वह हां कहें जो विपक्ष में हों वह ना कहें।

(सदन ने विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान उप-निवेशन संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की राय है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन में पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को सदन में पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 19 सन 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन में पुर:स्थापित किया जाय इसके लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन में पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 14 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सूचित करना है माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आज की कार्य सूची में विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयकों के क्रम में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित क्रम के अनुसार राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार पहले किया जायगा तथा इसके पारित करने के पश्चात राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयों का निराकरण) विधेयक, 1974 पर विचार किया जायगा।

परिनियत संकल्प

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"यह सदन श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 मई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 7 सन 1974) तथा दिनांक 17 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 15 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (सेकिन्ड अमेन्डमेंट) बिल, 1974 सदन में माननीय मन्त्री जी लाये हैं।

मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार हिन्दी की हिमायती है और यह कहा गया था कि जो भी अमेन्डमैन्ट दिया जाय वह हिन्दी में दिया जाय। अंग्रेजी में नहीं।

नगरपालिका का कानून जो हिन्दी में होना चाहिये वह अंग्रेजी में है और अंग्रेजी में इसलिये है कि सन् 1959 से आज तक नगरपालिका के कानून की जो विधिवत कानूनी जैसी कि ऑथेन्टिकेटेड हिन्दी होनी चाहिये, उसका हिन्दी अनुवाद नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर आज हिन्दी को पनपाने वाले और हिन्दी के नाम पर वाहवाही लूटने वाले प्रदेश और मंत्री जी के लिये कोई और अपमानजनक बात नहीं हो सकती।

मैं निवेदन करूंगा कि आपको परिवर्तन लाना था तो मूल एक्ट जो कि सन् 1959

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के बहुत पूर्व बना हुआ कानून है और जो कानून 1959 से बराबर चल रहा है, आपको सम्पूर्ण सारी बातों का समावेश करके छोटी 2 बातों का नहीं बल्कि पूर्ण बातें नगरपालिका और बोर्ड के बारे में विचार करके उसके नाते यहां पर एक कानून लाना चाहिये था। इस सारे कानून में कहीं पर भी नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक करने के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है।

नगरपालिका या नगरपरिषद् दोनों पर यह ओर्डिनेन्स लागू होगा। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि नगरपालिका और नगरपरिषद् का काम सफाई करना, नालों की सफाई का काम, मरे हुए पशुओं को उठाने का काम है। लेकिन सरकार ने इस सारे आर्डिनेन्स में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया है और नगरपालिका और नगरपरिषद् की स्थिति साउन्ड होनी चाहिये उसका कहीं पर उल्लेख नहीं किया है और ऐसा लगता है कि राज्य सरकार धीरे 2 सब अधिकार अपने हाथों में ले रही है, चाहे वे विश्वविद्यालय हों, चाहे मार्केटिंग सोसाइटीज हों, सारे हथियार सरकार अपने हाथ में लेकर उन पर कब्जा करना चाहती है और कर रही है, मैं निवेदन करूंगा कि लोकतन्त्र की हामी यह सरकार, प्रजातन्त्र को जीवित रखने की हामी यह सरकार, पंचायतों के चुनाव की तिथि अब तक घोषित नहीं हुई जबकि 12 वर्ष हो गये हैं उनके चुनाव हुए, नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की तिथि अभी घोषित हुई हैं, कहीं इनको भी उठा न रख दे। 16 अगस्त को यह कानून लाया जा रहा है 78 नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की बात सरकार ने कही है। रूल्स बाद में बनेंगे। सरकार का यह बहाना हो जायगा कि अभी रूल्स नहीं बने हैं और रूल्स के अभाव में चुनाव नहीं करवा सकते हैं। आज के हालात में ऐसा लगता है कि सरकार का इरादा नगरपालिका और परिषद् के चुनाव कराने का नहीं है। जब नगरपालिका और परिषदों पर सरकार अपना कब्जा जमा रही है, जिस प्रकार पंचायतों के 12 वर्ष तक भी चुनाव नहीं कराये, सरकार को चुनाव जीतने की आशा न होने से सरकार अपने अधिकारियों को इस प्रकार इन पर बिठाये रख सकती है। कई जगह आई. ए. एस. अफसरों को बिठा रखा है। एक एक नगरपालिका में उनको बैठा दीजिये। कूड़ा वे हटवायें, मरे हुए पशुओं को वे उठवायें यह काम आप उनसे ही ले लें तो अच्छा होगा। यदि नगरपालिकायें विरोधी दलों के हाथ में हो गयीं तो आप उनको सुपरसीड कर देंगे। राज्य सरकार को विचार यह करना चाहिये था कि इसको एक कन्सोलिडेटेड रूप में लाया जाय व म्युनिसिपल कमिश्नर को क्या पावर्स हो सकती हैं इस पर विचार करना चाहिये था जनता से विचार लिया जाता। म्युनिसिपेलिटी की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होनी चाहिये, आदि बातें होतीं। इस प्रकार से एक कन्सोलिडेटेड बिल लाया जाता तो मुनासिब होता।

मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव के बारे में घोषणायें हुई हैं और यह सारा जो एक्ट है इसमें 9 सब्सटीचुशन्स हैं

"Provided that if the electoral roll is not revised as aforesaid, the validity or

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

continued operation of the said electoral roll shall not thereby be effected."

इसमें, माननीय उपाध्यक्षजी, कहा गया है राज्य सरकार नये चुनाव कराने के लिये वोटर लिस्ट बनायेगी । इसमें प्रावधान और रखा है:

"Provided that the electoral roll is not revised."

इस क्लॉज को यहां से हटा देना चाहिये ।

इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय चुनाव कराने के लिये राज्य सरकार वोटर लिस्ट बना लेगी । अब तक तीन वर्ष का समय रखा है । 74 में चुनाव करायेगी और 77 तक वोटर लिस्ट चलेगी । अब नयी वोटर लिस्ट नहीं बनायी तो चुनाव अवैध नहीं होंगे । कितना यह भयानक है । जो व्यक्ति 1974 में 18 वर्ष की उम्र का है वह 3 वर्ष में 21 वर्ष का हो जावेगा उस समय नयी मतदाता सूची नहीं बनायेंगे तब भी चुनाव अवैध नहीं होगा । माननीय मंत्रीजी को विचार करना चाहिये कि यह कितने गलत रूप से ड्राफ्ट किया है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें लिखा हुआ है, अध्यादेश पर आप विचार कर रहे हैं, वोटर लिस्ट बनायेंगे कानून बन जाने पर विधेयक के पास हो जाने के बाद आप रूल्स भी बनायेंगे । सितम्बर में तो आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं । कब ऑर्डिनेन्स पास होगा, कानून बनेगा कब वोटर लिस्ट बनायेंगे । इसका मतलब साफ है कि सितम्बर में चुनाव कराने की आपकी मंशा नहीं है केवल घोषणा है ।

Amendment of Section 68, Rajasthan Act 38 of 1959

इसमें राज्य सरकार ने कहा है, "In sub-section (9) for the expression "by the votes of majority of the whole number of members at a special general meeting convened for the purpose", the expression "in accordance with the procedure prescribed" shall be substituted."

इसका अर्थ यह है कि वहां का अध्यक्ष बन गया । उसके खिलाफ किस प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा इसके बारे में राज्य सरकार नये नियम बनाने जा रही है ।

मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस प्रकार से अपने लोगों को बचाने के लिये नये नियम बनाने जा रही है तो पुराने नियमों में जो सही स्थिति थी वह उल्टी जा रही है । एक अध्यक्ष को हटाने के लिये क्या व्यवस्था होगी ? नये नियमों के अनुसार वह व्यवस्था गलत होगी । वोट ऑफ नो कान्फीडेन्स के दिन मीटिंग बुलाई जावे और राजस्थान सरकार का कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर किसी को मना कर दे कि मीटिंग में मत जाओ तो वोट ऑफ नो कॉन्फीडेन्स से बचा जा सकता है । जब इस तरह के लेकूना मौजूद हों तो फिर इसमें संशोधन करना उचित नहीं होगा ।

Page No 72

72

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कस्टडी ऑफ रिकार्ड के बारे में कहा गया । यदि कोई कौंसिल प्रस्ताव पास करती है तो उसके बारे में एग्जीक्यूटिव अफसर यानि कमिश्नर को बड़ी भारी पावर दी गई है । कमिश्नर जब तक उस पर दस्तखत नहीं करेगा तब तक प्रस्ताव लागू नहीं हो सकेगा । मैं पूछता हूं कि फिर नगरपालिका का चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्या है ? मैम्बर बनकर लोग जावेंगे । कोई भी चेयरमैन होगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप जो फर्मा रहे हैं क्लॉज वाई क्लॉज के डिस्कसन का समय हो तब आप बोलें आप तो reasons of non acceptance of resolution तक ही सीमित रहें । दुबारा मौका मिलेगा तब आपको हर क्लॉज पर बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्लॉजवाइज मैंने अमेण्डमेण्ट दिये नहीं हैं । 15 अगस्त होते हुए भी मैंने देना चाहा पर लिये नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : कन्सीडरेशन के अवसर पर मैं आपको अलाऊ करूंगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि इस ऑर्डिनेन्स के तहत इसे प्रभावशाली बना दिया गया तो चुने हुए लोगों की कौंसिल का प्रस्ताव तब तक अमल में नहीं लाया जा सकेगा जब तक वह कमिश्नर उस पर दस्तखत न कर दे इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि सारी कौंसिल उस कमिश्नर की गुलामी करे । वह अगर नहीं मानता है तो प्रावधान है कि वह अपना नोट ऑफ डिस्सेन्ट कलेक्टर के मार्फत राज्य सरकार को भेजेगा । इसमें राजस्थान सरकार को फाइनल ऑथोरिटी माना गया है । कलेक्टर की मार्फत भेजने की क्या आवश्कता । कलेक्टर उसकी वेलिडिटी को देखने वाला नहीं है । अब 24 दिन के भीतर एग्जीक्यूटिव अफसर को सारी रिपोर्ट भेज देने के बारे में कहा गया है पर यह नहीं बताया गया कि राज्य सरकार उस पर अपना निर्णय कब तक दे देगी । इसका अर्थ हुआ कि मैम्बर अब सेक्रेटेरियट के चक्कर लगाते रहो । यह समय की पाबन्दी सरकार पर भी लगनी चाहिये ।

अब एग्जीक्यूटिव अफसर को ही केवल इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं जो 68 में हैं :

(4) "The Executive Officer shall have the power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder to authenticate under his signature all licences, permissions and order which may be granted or given by the Board under this Act and no licence or permission or order shall be legal and valid unless it has been so authenticated by the Executive Officer."

श्री रामकिशन : कांग्रेस के कई माननीय सदस्य सुन और समझ रहे हैं क्या कि सदन में क्या चल रहा है । जनता ने क्या आपको इसीलिए भेजा था ? आप किसी से भी पूछ लीजिये क्या सुन रहे हैं और क्या समझ रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : कोई सुनने लायक बात हो तो सुनें ।

श्री रामकिशन : यह है इनकी हालत।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अच्छे मास्टर साहब लाकर बिठाये हैं यहां।

श्री रामकिशन : गोटेवालेजी तो अपने बहीखातों में लगे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब सुन नहीं रहे हैं तो आपका सुनना व्यर्थ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा सुनना व्यर्थ नहीं है। आप तो यह सारा बिल और बजट तक यों ही पास करा देने के लिये यहां बिठाये गये हैं। हाथ ऊंचा नीचा करना कराना सर्कस के जैसे आपको सिखाया गया है केवल।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके लोगों को रुचि नहीं होगी। हम नगरपालिका से सम्बन्धित लोगों को तो है। बीकानेर वाले गोपालजी आपको सुन रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी : कोई तथ्यवाली बात हो तो वह कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एग्जीक्यूटिव अफसर को लाइसेन्स इस्यू करने के पावर भी आपने दिये हैं। वे सब उसके दस्तखतों से ही वेलिड होंगे। व्यक्ति विशेष को इस तरह से पावर दे देना जनतन्त्र की मखौल है। जब कौंसिल चुनकर आवेगी तो चुने हुए प्रतिनिधियों की विविध कमेटियां भी बनेगी। उनके द्वारा जारी किये गये परमिट भी तब तक नहीं चलेंगे जब तक दस्तखत न कर दे। इस तरह से तो यह सारा ढांचा ही पंगु बनाकर रख दिया गया है जो अप्रजातान्त्रिक है।

श्री माणकचन्द सोगाणी : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां बैठे हुए लोग यहां की कार्यवाही में दिलचस्पी लेते हैं और समझते हैं सब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। ऑर्डर प्लीज। आपको मौका दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से काम नहीं करवाना चाहते, आप अपने आई. ए. एस. अफसरों से काम करवाना चाहते हैं। अगर यही आपकी नीयत रही तो यह रही सही लोकतन्त्र भी समाप्त हो जावेगा। राज्य सरकार की ही सारी नगरपालिकाएं होंगी। वे ही चलावेंगे। फिर लोकतन्त्र कहां होगा। सारा लोकतन्त्र आपकी कुर्सियों में डूबा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी को आप सुनने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सब नोट डाऊन कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 15 दिन के भीतर भीतर उस सारी बात की अपील करने का अधिकार है चाहे प्रेसीडेन्ट के पास करें, चाहे कमेटी के पास करें। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने वोट ऑफ नॉन कॉन्फीडेन्स के बारे में स्पष्ट नहीं कहा। अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा आखिरकार 22 में जो पेश किया गया है उसमें पावर्स····

"Any powers duties or executive functions which may

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

be exercised, discharged or performed by or on behalf of the board may, subject to such restrictions, limitations and conditions as may be prescribed, be delegated to such committees as may be prescribed, without prejudice to the powers, duties and functions prescribed under section 73."

यहां पर मैं समझता हूं कमेटी को जब पावर्स दिये गये है, यह क्लाज और चार का क्लॉज कान्ट्रडिक्टरी है। सब प्रकार की पावर्स होनी चाहिये ऐसा मैं समझता हूं। इसी प्रकार 84 जो प्रोविजो हैं और जो क्लाज नं. 2 है इसमें (ए) है, इसमें प्रपाजल शब्द नहीं होना चाहिये। प्रपोजल की बजाय ग्रार रिजोल्यूशन होना चाहिये। ऑर्डर ग्रॉफ रिजोल्यूशन रिसिंडिंग के बारे में विचार होगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की सारे एक्ट में खामी है और भी खामियां बहुत सारी है। 1959 में एक्ट बना, इसमें और बहुत सारी खामियां हैं इसलिए मैं चाहता हूं जब जनमत जानने का प्रश्न ग्रायेगा उसमें तरमीम कराने के नाते कि म्यूनिसिपैलिटि की ग्राथिक स्थिति किस प्रकार सुदृढ़ हो, यह बताऊंगा। ग्रॉर्डिनेन्स लाकर जब ग्राप सितम्बर में चुनाव कराने जा रहे हैं, रूल्स कब बनेंगे। इस ग्रॉर्डिनेन्स को लेकर ऐसा लगता है चुनाव कराने की नियत सितम्बर में जो घोषणा की है, वह है नहीं। एक साल बाद करायेंगे या कब करायेंगे कुछ पता नहीं ... (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) ... इससे बढ़कर ग्रौर क्या बात होगी। मेरा निवेदन है एक कन्सोलिडेट बिल के रूप में लायें ...

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कन्सोलिडेशन के मोशन पर ग्रलाऊ कर रहा हूं ...

श्री केदारनाथ : मेरा निवेदन है स्टेटमेन्ट ग्रॉफ ग्रॉबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जो तीन बातें दी गई हैं उसमें सेन्ट्रल लेजिसलेशन के ग्राधार पर जो सिफारिशें की हैं हमने उनको कुछ को इनकारपोरेट करने की वजह से ग्रॉर्डिनेन्स लाये नं. 1। जहां तक इलेक्शन की बात कही इलेक्टोरल रूल्स इलेक्शन डिपार्टमैंट में दिये हैं, यह भी ठीक है नं. 2 ग्रौर नं. 3 सिंगल मैन कॉन्स्टीट्यूएन्सी होगी। जहां तक ग्रॉर्डिनेन्स है, वह ठीक है। कनवर्जन के बारे में ग्रगर राजस्थान की सारी हिस्ट्री देखेंगे तो मिडिल मैन ने ही सोसायटी बनाई है। एग्रीकल्चर लैंन्ड ली सस्ते दामों पर ग्रौर उन्हें ग्रच्छे मुनाफे से बेची, इस लिये कर रहें हैं तो भी ठीक है। ग्रगर राजस्थान सरकार सारी जमीन को नेशनालाइज करती है ग्रौर ग्रगर प्लाट काटती है तो ग्रापको करीब 25-30 करोड़ रुपया मिलता है। मान्यवर एक साल में बड़े ग्रादमियों ने एग्रीकल्चर जमीनें हड़प ली हैं, केबिनेट ने दो-तीन फैंसले भी किये हैं ग्रौर ग्रगर उस पूरे ग्राधार पर कोई कम्प्रीहेन्सिव बिल ग्राता, ग्रॉर्डिनेन्स ग्राता तो स्वागत करते। कनवर्जन कम करना है, इस बात को मैं ग्रस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों ने जो आशंकायें जाहिर की हैं, जो उन्हें भ्रान्ति है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। जहां तक इस ऑर्डिनेन्स के जरिये यह अमेन्डमेंट म्यूनिसिपल एक्ट में लाया गया है। उसमें सबके पीछे नेक और दुरुस्त भावना यही रही है कि लोकल बॉडीज को ठीक बनाया जाय और ऑर्डिनेन्स लाने का मतलब ही चुनाव जल्दी करवाना है। डबल वार्ड मेम्बर कॉन्स्टीट्यूएन्सी अब तक चलती आ रही थी। पिछली बार बजट सत्र में इस बात को दोहराया था और बड़े जोर शोर से कहा था सिंगल वार्ड मेम्बर बनने चाहियें तो सरकार ने सिंगल वार्ड मेम्बर बनाकर चुनाव कराने का निर्णय किया और जब यह बात आई तो एक्ट के अन्दर संशोधन होना जरूरी हो गया और उसकी वजह से इलेक्टोरल रूल्स में कॉन्स्टीट्यूएन्सी में चेन्जेज करना जरूरी था और वह बिना ऑर्डिनेन्स के नहीं हो सकता था इसलिये ऑर्डिनेन्स के जरिये यह लाये गये। अन्त में राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि पहले चुनाव 15 सितम्बर तक और दूसरे राउन्ड में दिसम्बर में चुनाव कराये जायं.......

श्री केदारनाथ : चुनाव पोस्टपोन तो नहीं होंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं।

श्री रामकिशन : जोर से कहो।

श्री रामनारायण चौधरी : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य इस अमेन्डेड बिल की कुछ चेन्जेज के बारे में बड़ी आशंकायें व्यक्त की हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से हाउस से निवेदन करना चाहता हूं उनकी आशंकायें पूर्णतः निर्मूल हैं। हमने किसी अधिकारी को इस संशोधन के द्वारा अधिकार नहीं दिये हैं। हमने इस बात की कोशिश की है। सब लोगों को जिम्मेदारी दी जाय और जो डेमोक्रेटिक सेट-अप है, इसमें सब लोग भागीदार हों। अब से पहले श्रीमान् क्या था म्यूनिसिपल एक्ट के द्वारा तमाम पावर्स, फंक्शन्स, ड्यूटीज जो म्यूनिसिपल बोर्ड की हैं वह साधारण रिजोल्यूशन के द्वारा एक व्यक्ति को वह चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, मैम्बर हो या एक्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, इनमें से किसी को भी दी जा सकती है।

मान्यवर यह महसूस किया गया और व्यवहार में यह देखा गया और जगह जगह यह बात आई, कई विवाद खड़े हुये। चेयरमैन का निर्वाचन हो गया। चेयरमैन को पावर देना अच्छा नहीं समझा, वाइस चेयरमैन को पावर दे दी, वह भी अच्छा नहीं समझा। इस कानून के द्वारा अब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को हटाकर मेम्बर को अधिकार दिये जा सकते हैं। हमने सोचा पूरे बोर्ड का मकसद तभी हल हो सकता है, बोर्ड एज ए बॉडी निर्णय करे और अगर बोर्ड को समय नहीं मिलता है तो कमेटीज का मेन्डेटरी प्रोविजन होना चाहिये ताकि पावर्स ऑफ दी बोर्ड ... this should be exercise or done. इन कमेटीज के मार्फत हो तो मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

समझता हूं डेमोक्रेसी का स्वरूप ही पूरा सम्पूर्ण कोर्ट नहीं कर सकता है तो अपनी कमेटीज को दे सकते हैं अब आइन्दा के वास्ते नगरपालिका को जो अधिकार है वे किसी एक व्यक्ति को नहीं दिये जा सकेंगे। जो भूतकाल में दुरुपयोग हुआ है, इस प्रकार की अनेक शिकायतें आई हैं। बोर्ड ने रिजोल्यूशन किया ही नहीं और घर बैठे ही रिजोल्यूशन बना दिया। छोटी छोटी नगरपालिका के सदस्यों को यह पता ही नहीं रहता है कब रिजोल्यूशन हुआ एक व्यक्ति घर बैठे ही रिजोल्यूशन लिख लेता है कि ये निर्णय हुये, ऐसी चीजें वास्तविकता में आई। इस प्रकार के पावर्स तो एक्ट में हैं, वह कमेटीज को डेलीगेट कर दें, कमेटीज निर्णय करेगी और वह निर्णय का समझा जायगा। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर दृष्टिकोण डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति को दे सकते हैं तो इससे बढ़ कर कोई है नहीं। डेलीगेशन बहुत कम होना चाहिए। देखा जाय तो व्यवहार में कोई बोर्ड नहीं है—दो व्यक्ति के सारे फंक्शन नहीं हों उस पर चेक अप रखा है। कमेटीज का गठन करें कमेटीज का गठन मेन्डेटरी है। बोर्ड स्वयं करे उसको कोई रुकावट नहीं है। अब सवाल यह उठा कि माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और कमिश्नर को इतना पावरफुल बना दिया गया है कि सारे काम वह करेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कमिश्नर को कहीं पावरफुल नहीं बनाया और उनको कोई अतिरिक्त अधिकार इसमें नहीं दिये हैं। इसमें या तो माननीय सदस्यों को गलत धारणा है या माननीय सदस्यों को पता नहीं। मैं तो समझता हूं कि वह बहुत विद्वान हैं और समझे हैं इस बात को कि जो डिसीजन बोर्ड या कमेटीज के होंगे उनकी अनुपालना करने का काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होगा। इसी तरह से आज मन्त्रिमण्डल कोई निर्णय करता है उसका एग्जीक्यूशन चीफ सक्रेटरी के पास है। गवर्नमेंट का निर्णय है उनका इम्पलीमेन्टेशन सैक्रेटरी के मार्फत है। जिला परिषद कोई निर्णय करता है तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं क्योंकि वह प्रमुख हैं कि आपके जिलापरिषद् के निर्णयों की अनुपालना आपका सैक्रेटरी करता है। पंचायत समितियों के निर्णयों की अनुपालना विकास अधिकारी करता है। तो फिर नगर पालिकाओं के निर्णयों की अनुपालना भी कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा। यही इसकी मन्शा है और दूसरी इसके अलावा कोई मन्शा नहीं है। अगर बोर्ड कोई निर्णय करता है कि अमुक व्यक्ति को तामीर की इजाजत दी है और कमेटी यह कहती है कि अमुक व्यक्ति को इस प्रकार की इजाजत दी गयी तो उसकी अनुपालना एग्जीक्यूटीव ऑफिसर और कमिश्नर करेगा। इसके सिवाय कहीं कोई इसके अन्दर नहीं रखा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें म्यूनिसिपल बोर्ड के या कमेटी के अधिकार नहीं भी इनफ्रिन्ज नहीं होते हैं।

आज क्या है उपाध्यक्ष महोदय, कि व्यवहार में देखने में आता है कि जहां कहीं गड़बड़ियों कि शिकायत आती है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कमिश्नर कह देते हैं कि हम क्या करें, हमें न तो मीटिंग का

(श्री रामनारायण चौधरी)

पता और न प्रोसीडिंग्स का पता। फाइल हमारे पास नहीं, हमतो यो बैठे हैं। तो इस बात से उनको एसोसिएट करना चाहते हैं। वह म्युनिसिपल बोर्ड के फण्ड्स से अच्छा तनख्वाह लेते हैं, सब सुविधायें हैं लेकिन काम का अवसर आता है तो चेयरमैन को कह देते हैं कि हम तो एक तरफ बैठे हैं आप निर्णय कर लें चेयरमैन उसको इम्प्लीमेंट कर लें उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने जिम्मेदारी डाली है कि नगरपालिकाओं के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कमिश्नर जो भी हों वह अपने सम्बन्धित निकायों के निर्णयों को जो भी हों उनकी अनुपालना करेंगे और अपने हस्ताक्षरों से जो भी निर्णय होंगे उसका ऑथेन्टीकेट करेंगे और लाइसेन्स उनको ऑर्डर के मुताबिक जारी करेंगे।

मान्यवर इसके अलावा, माननीय सदस्य ने और भी जिक्र किया कि इस संशोधन के द्वारा हम चुनावों को टालना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने के दृष्टिकोण से ही और मन्शा से ही यह ऑर्डिनेन्स लाये थे और उसके बाद अब यह बिल लाये हैं वरना सिंगल वार्ड इसमें नहीं बन सकते थे, वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो सकती थीं और चुनाव नहीं हो सकते थे। इसलिए इन सब चुनावों को जल्दी करवाने की दृष्टि से सिंगल मेम्बर्स वार्ड बनाने की दृष्टि से और उस सम्बंध में जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसको हम आगे कर सकेंगे विधि विधान के अनुसार इसलिए यह और आगे संशोधन उनकी वजह से करना पड़ा, वह हमने किया है। इसके अलावा कोई संशोधन नहीं किये हैं।

माननीय सदस्यों ने कहा कि यह पुराना एक्ट है और इसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। यह सही है कि इसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है लेकिन व्यापक संशोधन हो नहीं और जरूरी संशोधन करें नहीं तो काम नहीं चले। इसलिए संशोधन जो सरकार ने जरूरी समझें वह संशोधन इस ऑर्डिनेन्स के जरिये से हम लाये और बिल के रूप में सदन के सामने उपाध्यक्ष महोदय आपके सामने विचारार्थ है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की जो धारणायें हैं वह निर्मूल हैं और उनका कोई आधार नहीं है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो संकल्प माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उनको अस्वीकार कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो अपने संकल्प रखे हैं क्या उन्हें वह वापिस लेना उचित समझते हैं ?

श्री केदारनाथ : माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य ठीक दिया है इसलिए हम सोचते हैं कि हम वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो संकल्प माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की आज्ञा दी गई

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ : मैं भी वापिस लेता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कुछ दलीलें दी हैं पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि बिल को वह वास्तव में गम्भीरता से देखें तो ऐसा महसूस होगा कि जो चुनी हुई नगरपालिकाओं के या नगर परिषदों के सदस्यों को और अध्यक्षों को पावर्स होनी चाहिएं, जो अधिकार होने चाहिएं वह मैं समझता हूँ कि उनके अधिकारों को राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है और दूसरे रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वहाँ पर बैठाकर कि प्रस्ताव तभी एग्जीक्यूट होगा जबकि उसके दस्तखत हो जायें—मैं समझता हूं कि कमेटीज बनेगी छोटी छोटी वह भी स्वच्छंदता से काम नहीं कर सकेंगी और अध्यक्ष भी कहेगा कि कमिश्नर मान जायेगा तो ठीक है और नहीं मानेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि यह सोचनीय हालत बना देना है। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि क्यों कोई नगरपालिका में जायेगा, क्यों कोई नगर परिषद् में जायेगा जबकि वह काम ही नहीं करा सकेगा। अगर सदस्य काम नहीं करा सकेगा तो उसकी इमेज खराब होगी। वह कहेगा कि कमिश्नर साहब मेरा कहना नहीं मानेगा। अध्यक्ष भी यही कहेगा। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को केवल मैंने बात कही और उनका जवाब हो गया लेकिन बाकी वह गम्भीरता से सोचें और विचार करें। म्युनिसिपैलिटीज की जो आज आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज म्युनिसिपैलिटीज के अधिकारों पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। आज हालत यह है कि एक म्युनिसिपैलिटी एक रुपये की जमीन नहीं बेच सकती। और बेचे तो कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। म्युनिसिपल बोर्ड 200 रुपये तक की कोई जमीन ऑक्शन में बेचे तो उसके लिए पूर्व स्वीकृति कलेक्टर की आवश्यक है और नगर परिषद् यदि 500 रुपये की जमीन नीलाम में बेचे तो कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े शहरों की परिषदें है वह 500 रुपये तक की जमीन बेच सकती हैं लेकिन कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। चाहे बोर्ड हो या परिषद् हो एक रुपये की जमीन भी बेचना चाहे तो कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। याने ऑक्शन में 200 और 500 रुपये तक की पूर्व स्वीकृति से बेच सकते हैं और वैसे एक रुपये की भी जमीन नहीं बेच सकते। तो राज्य सरकार ने जब पहले ही नगरपालिकाओं और नगर परिषदों पर कब्जा कर रखा है, उनके काम पर इतना नियंत्रण कर रखा है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और शक्तिशाली बना कर क्या करना चाहते हैं? प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं? मैं समझता हूँ यह बिल तो पास होगा पर मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। आने वाले मेम्बर जिनका चुनाव कराना चाहते हैं वह राज्य सरकार को धिक्कारेंगे।

आपने आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा यह होता कि आप एक्ट में यह बात और लाते कि जिन परिषदों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के या बोर्ड के समय समाप्त हो गए उनके चुनाव समाप्त होते ही करा दिये जायेंगे। यह तो स्वागत योग्य बात होती। जैसे विधान सभाओं के चुनाव मैं समझता हूं कि बढ़ते नहीं हैं। इमरजेन्सी हो गई तो एक वर्ष के लिए बढ़ गये वह बात अलग है लेकिन आम तौर से विधान सभाओं के चुनाव समय पर हो जाते हैं लेकिन राजस्थान में मुझे कोई भी स्थान बता दें, कोई भी बोर्ड या परिषद् बता दें कि वह भग हुई और आगे के नये चुनाव आपने समय पर करा दिये हों। कहीं नहीं है।.... यह क्या है, मखौल नहीं तो क्या है। पंचायत राज जिसका दीपक आपने यहां पर जलाया, बारह बारह वर्ष गए, उसके चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं। आपका चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। भगवान जाने कैसे आपने यह घोषणा कर दी कि 78 पालिकाओं के चुनाव सितम्बर में करा देंगे। मेरी यह निश्चित धारणा है, प्रबल धारणा है कि राज्य सरकार रूल्स के अभाव में, रूल्स का बहाना लेकर इन 78 पालिकाओं के चुनाव भी नहीं कराएगी........

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रूल्स बन गए हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रूल्स नहीं बनाए हैं, मैं जानता हूं। कांग्रेस की नगरपालिकाएं वहां नहीं बनीं तो बाकी बोर्ड के चुनाव भी नहीं करायेंगे, परिषदों के चुनाव भी नहीं करायेंगे। जिसको मर्जी चाहेंगे उसको प्रशासक बना कर बैठायेंगे। यह प्रजातंत्र का गला घोटना है। प्रशासक के आधार पर मनमानी करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चहता हूं कि आपके इस बिल में निश्चित घोषणा होनी चाहिए थी, बिल में ही निश्चित रूप से बता देते कि सरकारें इन बोर्डों के, परिषदों के चुनाव उनकी मियाद खत्म होते ही करा देगी। नहीं करा देती है तो दण्ड भोगने का प्रावधान भी रखा जाता। आप बराबर इसको बढ़ाते जायेंगे। चुनाव कब करा देंगे, समय निर्धारित नहीं है, इसमें प्रावधान नहीं हैं माननीय मंत्री जी।

आर्थिक स्थिति के बारे में भी विश्लेषण नहीं किया गया है। म्युनिसिपैलिटिज अपनी आय को कैसे बढ़ायेंगी। आय कहां से बढ़ायेंगी जब जमीन नहीं बेच सकेगी। चुंगी कर से आय हो जाएगी, हाउस टैक्स से आय हो जाएगी। सालाना लाखों रुपया मनोरंजन कर का आपने अपने कब्जे कर लिया। कमेटी के मेम्बर काम नहीं करा सकेंगे तो वे बदनाम होंगे। गलियां सड़ती रहेंगी, नालियां सड़ती रहेंगी। चुनाव कराओ मत तो सारा ही आप अपने ऊपर ले लो ताकि लोगों को यह तो कह सकें कि सारा पाप पुण्य आपके साथ है। लोगों को कह तो सकें तो हम कुछ नहीं कर सकते, सारा सरकार के हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है, मंत्री महोदय के हाथ में है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ नजूल लैंड के बारे में। नजूल लैंड का मतलब यह है कि इसके भीतर जो जमीन है, उस लैंड को म्युनिसिपैलिटी या बोर्ड किसी कीमत पर बेचेगी। किस कीमत पर बेचेगी वह.... कीमत भी राज्य सरकार सन् 1958 में, 8 अक्टूबर, 59 को यह रिपोर्ट गई कि कीमत कर दे कि म्युनिसिपैलिटि या बोर्ड किस कीमत पर बेचेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1958 से यह चल रहा है 1974,74 तक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
राज्य सरकार यह तय नहीं कर सकी कमेटी किस भाव पर जमीन बेचेगी, इससे बढ़ कर दुर्भाग्य क्या होगा। वह एक रुपये की जमीन को पांच रुपये में आक्शन करेगी या किस भाव में बेचेगी। फिर रिमाइण्डर चला 8 मार्च, 1961 को फिर बाद में चहल-पहल हुई लेकिन सरकार ने नजूल लैंड की कीमत तय नहीं की इससे बढ कर क्या दुर्भाग्य होगा। फिर नगरपालिकाएं, परिषदें किस तरह से चलेंगी। जमीनों के भाव तय नहीं हैं।

फिर निवेदन करना है कि पवित्र रिकार्ड, जो मकानों को बनाने के लिए परमीशन दी जाय, उसके आधार पर 1925 का रिकार्ड सम्वत् का और 1947 का पवित्र रिकार्ड जितना है, जिससे यह मालूम किया जाता था कि यह मकान किसका है, यह उस सर्वे रिपोर्ट से मालूम किया जाता था, उस सर्वे रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। जब हाईकोर्ट ने आपके उस पवित्र रिकार्ड को रद्द कर दिया तो फिर एक बार सर्वे कराने की कोशिश नहीं की राज्य सरकार ने। इसलिए निवेदन है कि राज्य सरकार सर्वे रिकार्ड ऑपरेशन म्युनिसिपल क्षेत्र में, परिषद और बोर्ड क्षेत्र में कराये। इसलिए कराये कि कई जगह नगरपरिषदों को, नगरपालिकाओं को यह मालूम नहीं है कि हमारी यह जमीन है। क्योंकि उनका रिकार्ड ऑपरेशन खत्म हो गया। उनको मालूम ही नहीं है। जयपुर नगरपरिषद का ही उदाहरण ले लें। साढ़े तीन सौ बीघा जमीन जलमहल के पास आमेर रोड पर म्युनिसिपलिटि की है। म्युनिसिपैलिटि कहती है कि वह हमारी नहीं है। वहां पर एन्क्रोचमेंट हो रहे हैं हल चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। मैंने कहा प्रशासक महोदय, आप देखिये हमारी इतनी बड़ी जमीन है साढ़े तीन सौ बीघा जल महल में, जहां ट्रैक्टर चल रहे हैं बुलडोजर चल रहे हैं। तो प्रशासक महोदय कहते हैं कि अच्छा इतनी जमीन हमारी है क्या? आज म्युनिसपल जमीन पर कब्जा हो रहा है, मकानों के लिए कब्जा हो रहा है, म्युसिपैलिटि की जमीन पर क्वार्टर बन रहे हैं लेकिन कमेटी वालों को मालुम ही नहीं है। जयपुर में फ्रूट मार्केट म्युनिपलिटि का है, सब्जी मार्केट कमेटी का है उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है, कमेटी की दुकानों का किराया बकाया है सरकार वसूल नहीं कर सकती। रेल्वेस्टेशन के पास पुलिस चौकी के पिछे पुलिस वालों ने म्युनिसिपैलिटि की खुली जमीन पर अपना कब्जा कर लिया म्युनिसपलिटि कहती है कि वह हमारी जमीन है लेकिन वहां पर पुलिस वालों ने क्वाटर बना लिए, जयपुर नगरपरिषद को मालूम नहीं। वहां अच्छा टूरिस्ट होटल बन सकता था। मेरा अर्ज करना है कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह सर्वे रिपोर्ट ऑपरेशन करें।

फिर इसके बाद निवेदन करूं आय के बारे में। निवेदन करना है कि मनोरंजन कर ठीक है आपने डेढा कर दिया। डेढा कर देने से ही लाभ नहीं हो जाता, सब कुछ नहीं हो जाता। जयपुर शहर में पहले तीन सिनेमा था आज जयपुर शहर में सात या आठ सिनेमा हैं। रेट भी बढ़ गई हैं उस समय

(म. प. 3.16)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

1 रुपया 5 पैसे रेट थी आज साढे तीन रुपया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है। पहले तीन शो हुआ करते थे आज छः छः शो होते हैं। पहले देखने वाले भी कम थे लेकिन आज ब्लैक मार्केट में टिकट लेकर टिकिट लेते हैं। तीन रुपये का टिकिट आठ रुपये में ब्लैक में लेकर लोग सिनेमा देखते हैं। मेरा निवेदन है कि देखने वालों की संख्या बढ गई है। एक वक्त ऐसा था कि जयपुर में मान प्रकाश सिनेमा था वहां के मैनेजर चरणबाबू गली 2 घूम कर लोगों को सिनेमा देखने के लिए लाया करते थे। सिनेमा देखने के लिए आए और जेब में पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, सिनेमा आज देख जाओ पैसे परसों दे देना। जिस समय आपने 1953 में राज्य सरकार ने मनोरंजन कर तय किया, जयपुर नगरपरिषद को दो लाख रुपये की आय दी। आज 70-70 लाख रुपये की आय प्रति वर्ष सिनेमा से होती है। सिनेमा की आय ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, अन्य एण्टरटेनमेंट के काम होते हैं, क्रिकेट का मैच होता है, जेमिनी सर्कस होता है। एक जेमिनि सर्कस से आप एक दिन के 750 रुपये लेंगे। साढे सात सौ रुपये प्रति दिन की आय से साढे तीन महीने तक सर्कस चले तो राज्य सरकार को कितनी आय हुई। क्रिकेट के टूरनामेंट होते हैं उसकी आय होती है। यही नहीं सिनेमा का मनोरंजन कर है, एक सिनेमा शो का दस रुपया और चार शो का चालिस रुपया। एक सिनेमा के चालिस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आठ सिनेमा की कितनी आय हुई वह भी राज्य सरकार ने ले ली। तो जो नगरपालिका की आय के साधन हैं उसके बारे में प्रावधान करते। मनोरंजन कर इसको देते, सिनेमा की आय, जो एण्टरटेनमेंट टैक्स की आय होती है सर्कस चलता है तो मलमूत्र भी फैलता है, मूंगफली के छिलके फैलते हैं, टट्टी पेशाब फैलता है उसको उठाने के लिए राज्य सरकार नहीं आती। उनके उठाने के लिए आती है तो परिषद, बोर्ड। जो जेमिनी सर्कस आता है हाथी की लीद को उठाने का, उनके टट्टी पेशाब को उठाने का काम, मल-मूत्र उठाने का काम राज्य सरकार नहीं करती, परिषद को करना पड़ता है। वह आय किसको मिलनी चाहिए, बोर्ड को मिलनी चाहिए। आपने उस पर कब्जा कर लिया। यही नहीं लाइट और पानी का काम है, रोशनी देने का काम है, पानी लोगों को सप्लाई करने का काम है, यह काम भी वास्तव में बोर्ड और परिषदों को सौंपना चाहिए। पानी की व्यवस्था राज्य सरकार करे और सस्ती दर पर परिषद को दे वह कुछ अपना हिस्सा और लगा कर लोगों को महंगा दे। बिजली सरकार पैदा करे और बिल परिषद बना कर दे तो कुछ काम तो होगा। लेकिन वह भी नहीं होता। होता क्या है दूषित पानी मिलता है, कूड़ा मिला हुआ गंदा पानी, बदबूदार पानी लोगों को मिलता है। आप पीकर देख लें विधान सभा के नल का पानी, वह भी बदबूदार है। अभी चन्दनमलजी कह देंगे कि राज्य सरकार बहुत बढ़िया पानी दे रही है लेकिन वास्तव में वह बहुत बदबूदार पानी है। इसी तरह से बिजली का है। कमेटी वाले कहां से ट्यूब लाईट और बल्ब देंगे। बिजली वाले कहते हैं कि हमारा दोष नहीं। जयपुर शहर की हर सड़क और गली में अंधेरा है। आप विधान सभा से रात को 9 बजे जाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आप अपनी मोटर की लाईट बन्द करके सिरह-ड्योढी बाजार से चले जाय, राम प्रकाश सिनेमा से आगे सड़क पर चले जायं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, कभी आप उधर गये हों झण्डा रोहण करने के लिए गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहां की क्या हालत है। जयपुर की प्रत्येक गली और बाजार में अंधेरा है। आए दिन चोरियां होती रहती हैं। जलेबी चौक में गोविन्ददेवजी के मंदिर में माता बहिनें आती हैं बिल्कुल अन्धेरा है। महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है। यह दो तरह का राज्य है। किसी प्रकार का अधिकार परिषदों को नहीं देते हैं। किस पर दोष डालें। हालत खराब है। परिषद के पास कोई काम धन्धा नहीं। गांव वाले चिमनी जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, वह बोर्ड जलाता है। तो फिर लाइट की व्यवस्था आप इनको क्यों नहीं देते हैं ? पानी की व्यवस्था करने को दे दें। जनता की सेवा करने का काम इनको दे दें इससे म्युनिसिपलिटीज की आय बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि आपका मुह देखने का काम नहीं होगा। रामनारायणजी पैसा देंगे तब ही परिषद का काम चलेगा। यह नहीं होगा। हाउस टैक्स की हालत को देख लीजिए। गरीब लोगों से भी हाउस टैक्स लिया जाता है। विधवाओं, अपाहिजों, सैनिकों से हाउस टैक्स लिया जाता है। जिसके पास खाने को धान नहीं है उससे भी हाउस टैक्स लिया जाता है। सैनिकों, विधवाओं को तो माफ करें जिनके पास आय के साधन नहीं हैं उनको हाउस माफ करें। राज्य सरकार अपनी बिल्डिंग का हाउस टैक्स नहीं देती है। राज्य सरकार अपनी बिल्डिंग का किराया लेती है। बड़े-बड़े ऑफिसर उसमें रहते हैं। सिविल लाइन में मन्त्रीगण रहते है उनसे हाउस टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है। धाभाई जी की हवेली, गवर्नमैंट होस्टल का कोई हाउस टैक्स नहीं है। जबकि आप विधायकों से किराया लेते हैं। जितने भी सरकारी भवन हैं उनके हाउस टैक्स नहीं लिया जाता और इस प्रकार करोड़ों रुपयों की आय पर राज्य सरकार कब्जा करके बैठ गयी है। प्रभावशाली लोग, वड़े बडे मन्त्री गण, एम. एल. ए. और दूसरे लोग हाउस टैक्स नहीं देते है। हाउस टैक्स लिया जायगा गरीबों से। इसका कोई प्रावधान हो वरना सरकार हाउस टैक्स नहीं देगी। सरकार पर हाउस टैक्स नहीं देने पर पेनल्टी लगायी जाये। परन्तु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और जमीन बेचने पर भी रोक लगा रखी है। कोई परिषद, बोर्ड जमीन को नहीं बेच सकती है। आपका मकान है, चार दरवाजे भीतर मकान है, बराबर जमीन का टुकड़ा है तो वह टुकड़ा परिषद या बोर्ड नहीं बेच सकता है। यह स्क्रीप्ट ऑफ लेन्ड है। इसको भी राज्य सरकार तय करेगी। चीफ टाउन प्लानर तय करेगा और कोई बीच झगड़ा हो गया तो राज्य सरकार तय करेगी। राजस्थान में कितनी पालिकाएं हैं, बोर्ड, परिषदें हैं, उनके झगड़ों का कौन फैसला करेगा ? एक्जीक्यूटिव ऑफिसर लिख कर भेज देगा कि प्रस्ताव ठीक नहीं हैं, मन्त्री महोदय को वक्त नहीं मिलता है। चक्कर लगाते रहेंगे। Strip ऑफ लेण्ड के अन्दर मुख्य नगर नियोजक और परिषद के अन्दर झगड़ा हो गया तो आपके नोटिफिकेशन के अनुसार बोर्ड या परिषद नहीं बेच सकता है। यहां तक आपने रोक लगा रखी है। सड़कों के किनारे कोई मकान बनाने की इजाजत चाहे तो नहीं दे सकते हैं। पटरी की दो गज जमीन किराये पर नहीं दे सकते

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं। पट्टा रखने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। यह तो आपके नियम हैं। जो आपके प्रभावशाली लोग हैं वे चाहे तो जल महल की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। आमेर के रास्ते पर प्रभावशाली कांग्रेसियों ने 8 दूकानें बना ली। मन्दिर के पास दूकानें बना ली। काल टैक्स के पास दूकानें बना ली। आमेर के घोरे के नीचे जो जमीन है उसको लेकर लोग बैठ गए हैं। आपके प्रभावशाली लोग यह सब कर लेते हैं और कुछ कार्यवाही आप नहीं करते हैं। कोई रिपोर्ट होगी तो भी कार्यवाही नहीं करेंगे। बी. डी. अग्रवाल ने जांच की। जांच करने के बाद मकान तोड़ दिए जाए, शिकायत सत्य है किन्तु आज तक कार्यवाही नहीं हुई है और न होगी। क्योंकि ये दूकानें आपके चहेतों ने बनायी है। मेरी पार्टी के लोग बना लेते तो तोबा-तोबा बडे-बडे कालम अखबारों में छपते। परन्तु आपके चेहतों ने जमीन का इन्क्रोचमेंट किया है। इसलिए आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। जमीन को किराये पर देने के अधिकार पर भी आपने रोक लगा रखी है। तो म्युनिसिपैलिटीज की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी।....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

दो मिनिट का समय और लूंगा। आपके विभागों में कॉ-आर्डिनेशन नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी, टेलीफोन विभाग, नगर विकास न्यास और वाटर वर्क्स इन विभागों में आपस में कॉ-आर्डिनेशन नहीं है। आज सड़क बनाती है दूसरा कल आकर तोड़ देगा और चला जायेगा। तीसरे दिन टेलीफोन वाले आ जाएंगे। इसमें आपने कॉ-आर्डिनेशन वाली बात नहीं रखी है। बोर्ड की जमीन है तो कोई भी विभाग नहीं तोड़ेगा बिना उसकी परमिशन के। इसका प्रावधान होना चाहिये। बिजली विभाग, वाटर वर्क्स विभाग परिषद से पूछ कर काम करेगा।

इसी प्रकार से चुंगी का मामला है। जयपुर में तोल पर चुंगी लगती है, एक मन घड़ी लाओ और पांच रुपया दे दो। यह कहां का हिसाब है। 8 रेडियो लाओ और 5 रुपया दे दो। चुंगी सम्पूर्ण राजस्थान में कैसे और किस पर लगेगी इसमें एकरूपता होनी चाहिए। 15 घड़ियां हैं तो इतना दे दो। यह आपके पास भेजा है किन्तु आपने स्वीकृति नहीं दी है।

आपने म्युनिसिपैलिटी बोर्ड और परिषद् में प्री ऑ-डिटर बैठा रखे है। सारे मेम्बर और कौन्सिल चाहे तो भी वे पास नहीं करते हैं। परिषद् एक पैसा खर्च नहीं कर सकती है। पहले प्री ऑडिट होगा। सम्पूर्ण कौन्सिल ने कह दिया तब भी नहीं। दामोदर प्रसाद का देहान्त हो गया। उस लाश को उठाने के लिए कॉउन्सिल ने 60/- रुपया स्वीकृत किया परन्तु प्री-ऑडिटर ने कह दिया एक पैसा नहीं देगा। यह प्री-ऑडिट आपने म्युनिसिपैलिटीज पर आपने बिठा दिया है।

इसी प्रकार आप म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन को 75 रुपया और नगर विकास न्यास के चेयरमैन को 500 रुपया देते हैं। यह कहां का न्याय है? टी. ए., डी. ए. और दूसरे प्रकार की सुविधा भी आपने दे रखी है। वह मुफ्त में चाहे जहां घूम सकता है। उसको 500 रुपया और सभी प्रकार की सुविधाएं दे देते हैं। विधान सभा के सदस्य को भी 500 रुपया मिलता है और म्यु-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नि्सिपॅलिटी के मेम्बर को कोई भत्ता नहीं दिया जाता। वे बेईमानी करें जनता से पैसा लें। इनको वेतन/भत्ता दें इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में एक प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सारे अधिकार आपने अपने पास रखे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सारे देश में कहीं भी म्युनिसिपॅलिटी के मेम्बर को भत्ता नहीं दिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप शुरुआत करें। यह मेरा अच्छा सुझाव है। दूसरे लोग आपका अनुसरण करेंगे। मैं अच्छे सुझाव दे रहा हूं तो आप मान जाएं नाम आपका होगा, आपके चौधरी जी का होगा।

श्री रामनारायण : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह मैन्डेटरी प्रॉविज़न था 150 रुपया और 75 रुपया ज्योंहि इसमें अमेन्डमेन्ट किया है इसमें व्यवस्था कर दी है, रूल में प्रॉविज़न कर दिया है। जयपुर, उदयपुर, और जोधपुर के चेयरमैन के लिए 500 रुपया रखा है. बाकी दूसरे कॉन्सिल चेअरमैन के लिए 300 रुपया, सैकेण्ड केटेगरी की नगरपालिकाओं के लिए 200 रुपया और बाकी जो तीसरी और चौथी केटेगरी की नगरपालिकाएं हैं उनके लिए 150 रुपया चेयरमेन के लिए आनरेरियम रखा है। यह अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनेन्स के जरिये रूल्स का निकला है। माननीय सदस्यों को संभवतः नियमों का ज्ञान नहीं है। इसलिए यहां पर वे यह बात कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दूसरे जो माननीय सदस्य है, उनको भी देखें। उनके लिए भी रखें....

श्री उपाध्यक्ष :जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो बहुत कम समय लेता हूं और टाइम का बहुत ही पाबन्द हूं। लेकिन मैं कुछ विचार आपके समक्ष रखना आवश्यक समझता हूं।

एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि पावर्स केवल कमिश्नर को ही हैं, वह डेलीगेट नहीं हो सकते, न किसी कमेटी को हो सकते हैं, न प्रेजीडेण्ट को हो सकते हैं। वह पावर्स ज्यों के त्यों हैं। और जो बचे खुचे पावर्स कमेटीज को थे या चेयरमैन को थे, वह भी कमिश्नर को दे दिये गये। कौन्सिल ने कोई प्रस्ताव पास किया और एग्जीक्युटिव ऑफिसर ने समझा ठीक नहीं है तो उठा कर कापी कलेक्टर को और कापी राज्य सरकार को भेज दी और फैसला रुक गया।

बिना कमिश्नर के दस्तखतों के कोई लाइसेन्स इश्यू नहीं हो सकता, तो प्रेजीडेन्ट और कमेटीज के सारे निर्णय वहीं खत्म हो गये। एक तरफ आपका प्रेजीडेन्ट और आपकी सारी कमेटी और दूसरी तरफ आप का एग्जीक्युटिव ऑफिसर। आप कुछ नहीं कर सकते।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। परिषद् के क्षेत्र में भी गाड़ियां चलती हैं, मोटर साइकिलें चलती हैं, मोटरें चलती हैं लेकिन उस परिषद् को आप रोड टैक्स का कुछ हिस्सा नहीं देते। सारा रोड टैक्स आपने अपने कब्जे में ले रखा है। कुछ अंश परिषद् को मिलना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

25 प्रतिशत नहीं हो तो 10 प्रतिशत दे दीजिये। तब तो जाकर आपके रास्तों की हालत कुछ सुधर सकती है।

बड़े बड़े लोग बाजार में दिन भर गाड़ी खड़ी करते हैं। म्युनिसिपैलिटीज को आप उन पर पार्किंग टैक्स लगाने का अधिकार दीजिये। इसके अलावा अजमेर और पुष्कर में आपने यात्री टैक्स लगाने की इजाजत दे रखी है। जयपुर में भी गलता एक तीर्थ स्थान है, जयपुर वालों को भी यात्री टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिये। जहां-जहां भी ऐसे तीर्थ स्थान हों वहां पर यात्री टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब से पहिले आप ही इसका विरोध करोगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यू. आई. टी. का काम नालियां बनाने, नल लगाने, बिजली लगाने और सड़कें बनाने का है, लेकिन उनमें से एक काम भी यू. आई. टी. नहीं करती और जमीन बेच कर सारा पैसा ले लेती है। अगर बेची गई जमीन की कीमत का भी कुछ अंश म्युनिसिपैलिटिज को मिल जाये तो आज जो सारा खर्चा म्युनिसिपैलिटीज को रखना पड़ता है, उसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। यू. आई. टी. का काम है सड़कें बना कर, नल लगा कर, बिजली लगा कर परिषद को सुपुर्द कर दे, लेकिन जयपुर में एक भी जगह पर ऐसा नहीं किया गया। और म्युनिसिपैलिटी की आय का कोई साधन नहीं। आज चौपड़ की हालत, राम लीला मैदान की हालत खराब पड़ी हुई है, नगरपालिका उसको ठीक नहीं कर सकती।

एक नई चीज आ गई है, हाउसिंग बोर्ड। वह भी पानी का नल लगाता है तो म्युनिसिपैलिटी की मदद से, बिजली लगाता है तो म्युनिसिपैलिटी की मदद से, लेकिन जहां दूसरे लोग तो म्युनिसिपैलिटी से नक्शे पास कराते है, वहां हाउसिंग बोर्ड को म्युनिसिपैलिटी से नक्शे पास करवाने की जरूरत नहीं है। यह क्यों ?

मैं समझता हूं कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निगम नहीं बनाया गई है। दूसरे राज्यों में पांच लाख से अधिक आबादी होने पर नगर निगम बनाई जाता है, लेकिन आज जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में पांच लाख से अधिक आबादी होते हुए भी कहीं निगम नहीं बनाया जाता। कारण क्या है कि नगर निगम बनने के बाद आप उसे भंग नहीं कर सकते। नगर निगम बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी आदि की भी व्यवस्था कर सकती है और वह आप छोड़ना नहीं चाहते। आप उन्हें कुछ काम करने दीजिये। देहली में भारतीय जनसंघ ताकत में आया तो लोगों ने महसूस किया कि वाकई देहली मे जनसंघ ने काम करके दिखाया।

आपने कमिश्नर को पहले ही पावरफुल बना रखा था और अब और पावरफुल बना दिया है। और अगर उनके खिलाफ कोई वोट ऑफ नॉन कॉन्फीडन्स ले आते, तो आप म्युनिसिपैलिटी को ही भंग कर देते। अगर यही हालत रही तो बिल तो आप पास करा रहे हैं, उसके बाद में एग्जीक्युटिव ऑफिसर और कमिश्नर और प्रभावशाली हो जायेंगे। कौन्सिल ने कोई प्रस्ताव पास किया लेकिन एग्जीक्युटिव ऑफिसर ने उठा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर उसको कलेक्टर और गवर्नमेंट को भेज दिया तो वह प्रस्ताव प्रभावहीन रह जायेगा। परिषदों के चेयरमैन आपके पास प्रस्तावों को प्रभावशील बनवाने के लिये ही चक्कर लगाते रहेंगे। उससे आपके सेक्रेटेरियट की शोभा तो बढ़ जावेगी जब परिषदों के चेयरमैन आपके कमरों के बाहर बेन्चेज पर बैठे रहेंगे। अगर यही आपकी भावना है तब तो ठीक है।

इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे, जल्दबाजी में इस बिल को पास नहीं करेंगे और इसको जन मत जानने हेतु प्रसारित करेंगे।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जनमत जानने हेतु बिल को प्रसारित करने का प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करते हुये मैं भी अपने कुछ विचार सदन के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं।

वैसे बहुत से सुझाव माननीय गिरधारीलाल जी ने रखे हैं, लेकिन कुछ चन्द बातें मैं भी कहना चाहूंगा।

राज्य सरकार ने जो भी उनकी निगाह में नगरपालिकाओं के कानून कायदों में, सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले कार्य में अपनाई जाने वाली पद्धति में, जो कमियां नजर आई, उनको ठीक करने के लिये उन्होंने यह संशोधन बिल लाया है।

जहां तक यह सवाल खड़ा किया गया कि नगरपालिकाओं के एक्जीक्युटिव ऑफिसर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना नोट आफ डिसेन्ट भेज देंगे इससे चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पायेंगे, यह सही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसके लिए जहां कहीं पंचायत समितियों आदि में जनप्रतिनिधियों के मध्य कानूनी मुद्दा खड़ा होता है तो सरकारी प्रतिनिधि कानूनी राय देते हैं। उस राय को मद्दे नजर रखते हुये नहीं लें, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि म्युनिसिपल के जो चेयरमैन वह लाईसेंस पर दस्तखत करें इसमें कोई खुश होना चाहते हैं तो जैसा कि गिरधारीलाल जी के शब्दों में सन्तोष होता है तो मैं नहीं समझता हूं। चाहे कोई प्रतिनिधि हो चाहे कोई कमेटी हो निर्णय लें ऐसा कोई व्यवधान खड़ा नहीं किया गया है। लेकिन डिसेण्टनोट आता है। हम किसी मंशा के विपरीत प्रस्ताव पास करते हैं। विधान सभा में ऐसे प्रस्ताव आते हैं। हम हिन्द महासागर को शान्त क्षेत्र घोषित करेंगे तो उसका असर क्या होने वाला है। अगर म्युनिसिपल की सीमा से बाहर जाकर निर्णय कर लेते हैं तो उससे क्या होने वाला है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को ग्रामीण व्यवस्था का काफी अनुभव हैं। मैं देखता हूं कि सरपंच जेब में छाप लिये फिरते हैं। कमेटी का चेयरमैन कुछ जारी कर देता है अधिकारी को पता ही नहीं। क्या सरकारी अधिकारा देखने जायेगा। इसलिए यह पूरा संतोष कर लेना चाहिये। कोई भी जनप्रतिनिधियों का निर्णय सरकारी सहयोग से पूरा होता है तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इससे कानून में कोई खामी नहीं आती है। सरपंच हैं अगर तो उनको अधिकार दे दिये

(श्री दीपंकर)

जायें। 409 का अधिकार नहीं होगा तो इससे मुकदमेबाजी से बचने का तो बड़ा मौका मिलेगा। इसमें जो व्यवस्था की है इसको मैं अच्छा समझता हूं। इससे डरना नहीं चाहिये। इससे जनप्रतिनिधियों के अधिकार भी नहीं छीने गये हैं। बल्कि ऐसी चीजों को राज्य सरकार तथा कलेक्टर से सम्बन्धित होना चाहिए। जो निर्णय वह लेते हैं, उसमें उनको स्वतन्त्र होना चाहिए। भूमि के मामले में किस भूमि की कहां क्या कीमत होनी चाहिए, वह कमेटी जब तय कर देती है। जनहित में नगरपालिका बेचती है, या भूमि विक्रय समिति बेचती है। बोर्ड की मंशा से तो लम्बे समय तक नगरपालिका और जिला अधिकारियों के बीच लटकी नहीं रखना चाहिए। समय पर नगरपालिका का पैसा मिल जाये। जब तक कलेक्टर से नो-आब्जेक्शन सार्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। तो यह अन-नसेसरी तरीका नहीं होना चाहिए। नगरपालिका जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हमें चुनते है। टैक्स लगता है तो जनता के कोप भाजन बनते हैं। वह वहां के विकास को ध्यान में रखते हुये निर्णय लेते हैं। निर्णय डायरेक्टर लोकल बॉडीज के बीच में घूमते रहें तो यह वाजिब नहीं है। डायरेक्टर लोकल बॉडीज में वहीं चीजें आनी चाहिए जो विशेष रूप से सम्बन्धित हों। अगर कोई राज्य सरकार योजना बनाती है तो नगरपालिका भी योजना बनाती है तो उसमें राज्य सरकार के बजट में निश्चिततौर से यह प्रावधान होना चाहिए। इतने लाख रुपया या इतने करोड़ रुपया हम विकास के तौर पर निश्चित करते हैं। तो निश्चित रूप से नगरपालिका में विकास का क्रम जारी रहेगा। हालांकि लोन की व्यवस्था है. लेकिन दिये जाने की आवश्यक व्यवस्था नहीं है। जिसकी चल जाये उसको मिल जाये। जिसकी चले नहीं वह रखा रहे। मैं समझता हूं कि लाखों रुपयों की योजना लोकल बॉडीज में नगरपालिका के विकास की पड़ी हैं। जो बनाने की जरूरत हैं, वह नहीं बना पाते हैं। यह कह दिया जाता है कि वह दे दिया गया है। उसके अन्दर जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं चलता है। ऐसे वक्त में दिया जाता है साल के अन्त में कि जनप्रतिनिधियों को या चेयरमैन को पता ही नहीं चलता है। मेरा निवेदन है कि एक इस प्रकार का महकमा होना चाहिए जो नगरों का विकास करने के लिए, उस विकास को पूरा करने के लिए सरकार और नगरपालिका के बीच में काम करे। यह समझें कि किस प्रकार से उन्नति की योजना व्यवहारिक रूप में ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं। सरकार क्या कर सकती है। आज जनप्रतिनिधि की यह स्थिति है कि वह किसी पब्लिक मीटिंग में किसी वार्ड में यह नहीं कह सकता है, कि यह कहने का समय नहीं है कि हमने जो योजना बनाई है, वह इतने दिनों में पूरी कर देगें।

जहां तक नगरपालिका की आय का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं पर तोल पर टैक्स है, कहीं पर कीमत पर टैक्स है। एक तरह का टैक्स होना चाहिए, जिससे कि वसूलियों में घटोतरी-बढोतरी नहीं हो आज यह स्थिति है कि एक एरिया मे तोल पर टैक्स है, और उसके नजदीकी एरिया में कीमत पर टैक्स है। व्यापारी नजदीक की तोल के ऊपर टैक्स की जगह माल उतार देगा और रात को छिप कर कीमत पर टैक्स की जगह ले जायेगा।

(श्री दीपंकर)

इससे जहां पर तोल के ऊपर टैक्स है, उस नगरपालिका को हानि हो जायगी। इसलिए जरूरी है कि नगरपालिका में एक तरह का टैक्स हो और उसको उगाने की राज्य सरकार जिम्मेदारी ले। जिस तरह आज हाउस टैक्स का सवाल है, हाउस टैक्स के आंकने में जो स्थानीय जन प्रतिनिधि हैं, उन पर बहुत दबाव आता है। इसलिए ही इस हाउस टैक्स का सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार हाउस टैक्स कम अंकवाने के दबाव के कारण हाउस टैक्स की अदायगी ठीक प्रकार से नहीं होती है, आक्ट्राय की अदायगी भी ठीक तरह नहीं होती है। राज्य सरकार ने जो बिल्डिंग पर टैक्स लगाया था, उसके लिए बड़ा अमला रखा, बड़ा खर्चा किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि, जब टैक्स लगाया गया था उस वक्त हर एक भूमि को शामिल रूप से माना गया था। लेकिन कुछ वक्त के बाद एक नया संशोधन आया, उसमें तय कर दिया कि जो बिल्डिंग 50 हजार से ऊपर की है तो उस पर टैक्स है, पचास हजार से ऊपर की नहीं है तो टैक्स नहीं है। एक आदमी के पास पचास तरह के मकानात हैं, उनमें अगर चालीस-चालीस, तीस-तीस हजार के हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इस कारण से वह टैक्स बहुत कम लोगों पर रह गया। मेरा निवेदन है कि टैक्स के आंकने के जो कई अधिकारी होते हैं, वह जिम्मेदार अधिकारी हों, और उनकी शक्ति का, उनके समय का उपयोग मन्त्री महोदय को करना चाहिए। वह विभाग से सलाह करके नगरपालिकाओं का हाउस टैक्स है, उसकी अदायगी का सही तरीका कर दें, इसका सही मूल्यांकन करने की व्यवस्था करें, ताकि दबाव से मूल्यांकन घटे नहीं और जो भी मूल्यांकन होकर आये, उस टैक्स की अदायगी हो जाय····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं थोड़ा और निवेदन कर दूं। इस तरह से नगरपालिकाओं की आय अच्छी होगी और टैक्स की अदायगी भी ठीक हो सकेगी।

जहां तक सवाल यह रह जाता है कि किसी भी तरीके से सफाई वगैरह की व्यवस्था हो। मेरा निवेदन है कि सफाई करने वाले जो भी हरिजन कर्मचारी हैं, उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी, यह माना गया था कि गांधी शताब्दी वर्ष के अवसर से सिर पर मैला नहीं ढोने दिया जायगा। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान का कोई ही ऐसा कस्बा या नगरपालिका होगी जिसने पूर्णतः घोषणा कर दी होगी वहां पर सिर पर मैला न ढोने के संदर्भ में·······

श्री श्रीराम गोटेवाला : ब्यावर में कर दी है।

श्री दीपंकर : घोषणा कर दी होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं नहीं, एग्जीक्यूट कर दिया है।

श्री दीपंकर : इस तरह से हम लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, भारत सरकार का निर्देश है तो जरूरी है कि कम से कम उन लोगों के मैला सिर पर न ढोने के लिए कार्यक्रम बनायें कि अमुक केटेगरी में एक साल में, अमुक केटेगरी में दो साल में, अमुक केटेगरी में तीन साल में- इस तरह यह

(श्री दीपंकर)

पूरा कर देंगे और इस तरह सिर पर मैला नहीं ढोने देंगे। जहां कहीं मैला सिर पर ढोने की प्रथा को बन्द करने के लिए जो साधन दिये गये हैं, मैं समझता हूं कि बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में, जहां मुझे जाने का काम पड़ता है, वह साधन बन्द पड़े हैं और वह साधन नही दिये हैं। इस तरह की यह अजीब स्थिति है।

जहां तक उनकी छुट्टी का सवाल है, उनकी ड्रेस का सवाल है, बीमारी की अवस्था में मैडिकल ऐड का सवाल है। इस ओर भी ध्यान किसी ने नहीं दिया है। कोई गर्भवती स्त्रियां हों, ठीक है, किसी पर म्यूनीसिपल अधिकारी ने दया कर दी, और उसको एक महीने की छुट्टी दे दी तो दे दी, बाकी पूर्ण तरह से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि बीमारी की अवस्था में बराबर दवा-दारू का प्रबन्ध हो, समय पर उनको ड्रेस मिले। मेरा निवेदन है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो अधिकार दे रहे हैं, उसमें इन बातों का ध्यान रखें। यह जरूरी बात है। आज जन प्रतिनिधि भी इस तरह के गलत काम करते हैं। जो भी ड्रेस का पैसा होता है, उससे अपने दफ्तर के लिए पर्दे बनवाते हैं उसे सजाने के लिए। इस ओर देखें तो शर्म आती है। सरकारी अधिकारी इस तरह की गलती करता है तो उसके अधिकार को छीन लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोगों द्वारा उनके मिलने वाली सुख-सुविधाओं का दुरुपयोग हो तो गलत है। यह नहीं होना चाहिए। उनको ड्रेस समय पर मिले, दवा-दारू की माकूल व्यवस्था हो, परमानेन्ट करने के लिए व्यवस्था हो, और निर्धारित समय के अन्दर भर्ती हो। जनसंख्या के आधार पर हरिजन नहीं है और उसके हिसाब से नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो और लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। आज शहरों में बहुत लोग बेकार बैठे हैं, जिनको कोई दूसरा काम नही मिल सकता है और नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए उन्हें रख नहीं सकती है। फिर यह लोग क्या करें आज वह बेकार बैठे हैं और वृत्ति पर आश्रित हैं। और वृत्ति ऐसी है, जो सरकार की घोषित नीति के विपरीत काम करवाती है। वृत्ति में आदमी आदमी की झूठन खाता है, मरे आदमी के और हर तरह के आदमी के कपड़े पहनता है। वृत्ति को समाप्त करके नगरपालिका में जो व्यक्तिगत घर हैं, सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, उनकी सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था जब तक नहीं सम्भालेंगे तब तक हरिजनों की हालत ठीक नहीं हो सकती है। और न इन्हें मनुष्य का दर्जा मिल सकता है। आज वह इन्सान की जिन्दगी भी नहीं जी सकते हैं। उनकी इतनी खराब हालत है।

मनोरंजन कर का सवाल है। मनोरंजन कर के बारे में नगरपालिका क्या करें। राज्य सरकार ने कुछ रेट बढ़ायी जरूर है। लेकिन अच्छा होता जिस एरिया की जो चीज है वह उसे ही दे दी जाय।

जहां तक सवाल भंगियों के निवास का है, भूमि का है इसके लिए एक क्राउन एक्ट बना हुआ है, उसमें एक रुपये में पट्टा मिलता है। यह पट्टे राजस्थान में कितनों को प्राप्त हो चुके हैं, आप इसकी सर्वे करायें। आज भी राजस्थान में काफी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें क्राउन एक्ट के तहत पट्टे नहीं दिये गये हैं। एक रुपये में पट्टा मिल जाना

(श्री दीपकर)

चाहिए था, निवास का, भूमि का, वह क्यों नहीं मिला है ? मेरा निवेदन है कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्राउन एक्ट में व्यवस्था होनी चाहिए। आज भंगी और हरिजनों को कितने मकान बनाने की सुविधा दी है, और कितनों को जमीन मिली है और जिन्होंने एप्लीकेशन दीं, वह कितनी पड़ी हुई हैं-इसका आप सर्वे करावें। क्राउन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि पट्टे की जमीन गिरवी नहीं रख सकता। इसलिए आज भी उनकी एप्लीकेशन्स ऋण के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप इस प्रकार की व्यावस्था करिये कि पट्टे की जमीन पर परिवार के लिए उचित निवास के लिए किसी बैंक से, किसी सोसायटी से, किसी से भी अनुदान अथवा ऋण मिल सके। और इस तरह का संशोधन क्राउन एक्ट में होने से उनके लाभ मिल सकता है। यह बहुत दिनों से समस्या होते हुए भी इस एक्ट में संशोधन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रकार का कदम उठायें।

जहां तक नगरपालिका एरिया का सवाल है बहुत सी पालिकाओं का एरिया बहुत छोटा है, बहुत का बहुत बड़ा है। परन्तु उस एरिया में जो काश्त की जमीन है, उस जमीन को जल्दी से जल्दी आबादी में परिवर्तित करा कर उनके प्लाट बना कर दें तो उससे उनको आमदनी हो सकती है। इसके लिए जो भी जिलाधीश हैं, या एस. डी. एम. हैं, जिनको अधिकार है उनको निर्देश दें कि म्यूनीसिपलिटी की जितनी पेंडिंग एप्लीकेशन हैं, मैं समझता हूं कि पचास-साठ म्युनिसिपैलिटी की एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग है, जिनके पास भूमि की व्यवस्था नहीं है। हमने यह सोचा था कि बहुत बड़े बड़े सेठ की जो जमीन हैं, बड़ी बड़ी जमीनों पर अधिकार करके नोहरा बना कर बैठे हैं, वह हमारे पास आ जायेंगे, इसलिए कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की क्या जरूरत है ? वह जो नोहरे हमें मिलने को थे, वह हमें मिले नहीं। इसलिए कृषि भूमि को आप आबादी भूमि में परिवर्तित कर दें ताकि नगरपालिका की आमदनी बढ़े और लोगों को रहने के लिए जमीन मिल सके। आप इसकी जल्दी व्यवस्था करें।

नगरपालिका का जो कूड़ा है, उसको डालने के लिए एक सौ फीट का खड्डा खोदा जाय और उस खड्डे में वह कूड़ा डाल कर खाद बनाई जाय। एक तरफ हम भीख मांगते हैं, दोस्ती करके लाते है, दूसरी तरफ नगरपालिकाओं का जो कूड़ा है वह बेकार पड़ा रहता है। स्वर्णिम खाद बेकार पड़ी रहती है और उसका उपयोग नहीं होता है। उसका उपयोग करके नगरपालिका को आमदनी करवायें और निश्चित तवज्जह दिलवायें तो नगरपालिका सालाना कितना ही खाद पैदा कर सकती है और जिससे अन्न अधिक उपजाओ आन्दोलन के काम में एक प्रकार से अभिवृद्धि हो सकती है। इस तरह से जो भी यह प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को इस दृष्टिकोण से और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए विभाग और मंत्री महोदय गौर करें और गौर से देखने के बाद जितना इसको उपयोगी बना सकते हैं वह बनाने की कृपा करें और जो भी हमारे सुझाव हैं उनको इसमें सम्मिलत करने की कृपा करें। इस दृष्टि से इसको जनता के सामने प्रचारित किया जा सके तो जनता इसके अन्दर अधिक सहयोग दे सकती है। यह मुझे आशा है।

(श्री दीपंकर)

जहां तक आपने चेयरमैन का भत्ता वगैरह बढाया है, यह अच्छा काम किया है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपने लगा रखे हैं, उनको किस तरह की तनख्वाह दे रखी हैं इस तरफ भी आप ध्यान दीजिये।

इसी तरह से नगरपालिका के जो सदस्य हैं, जिस तरह से पंचायत समिति में आने वाले सदस्यों को भत्ता मिलता है, उसी प्रकार से इन्हें दीजिये। नहीं तो हर जगह, भले ही आप अविश्वास प्रस्ताव की कितनी ही दुरूह परिभाषा कर दीजिये, लेकिन कितनी ही म्युनिसिपैलिटी आठ छः महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं सभापति महोदय 8-10 सदस्य वहां पर बैठे रहते हैं। यही 8-10 सदस्य चेयरमैन को कहते हैं कि हमारा 8-10 रुपया रोज का खर्चा है वह हमें दिलवावो अगर तुम्हें चेयरमैन रहना है तो। अगर तुम हमें यह नहीं दिलवावोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ में अविश्वास का प्रस्ताव ले आयेंगे और तुम्हें चेयरमैन नहीं रहने देंगे। तो सभापति महोदय, मेरा माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन है कि इन नगर पालिका के सदस्यों को भत्ता जरूर मिलना चाहिये। अन्यथा यह चल नहीं सकेंगी। आये दिन चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव आते रहेंगे। मैं एक दो सदस्यों की बात नहीं कहता जैसे मैं और गिरधारीलाल जी भार्गव हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे सदस्य जिनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है उन्हें तो कम से कम भत्ता दिलाने का प्रावधान इस कानून में आप रक्खें। नहीं तो वह लोग वहां पर हो हल्ला करेंगे। इसके अलावा आज आपने नगरपालिकाओं में एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों को बिठा दिया है। वे लोग नगरपालिकाओं के काम में बड़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। उन्हें भी कम करायी जाय। अगर नगरपालिकाओं के अन्दर जो आये दिन रोड़े अटकाये जाते हैं उससे मैं समझता हूं कि कहीं वहां पर फौजदारी नहीं हो जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल में जो खामियां हैं उन्हें दूर करायी जाय और इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित कर दिया जाय जिससे कि और कोई सुझाव जनता से आ सकते हों तो आजायें।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान नगर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव किया है। सभापति महोदय, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने यह बिल सदन में लाकर छोटी नगर पालिकाओं की दिक्कतों को कम करने की कोशिश की है उसका तो मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि छोटी नगर पालिकाओं में और बड़ी नगर पालिकाओं की हालत में काफी फर्क होता है। इस बिल से छोटी नगर पालिकाओं को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें इसमें रह जायेगी। इसलिये मैंने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव किया है ताकि जनता से कुछ सुझाव इस विधेयक के लिये आजावें। सभापति महोदय, इसमें जो मतदाताओं की सूचीयां हैं इसमें संशोधन के लिये नियम बनाये हैं। सभापति महोदय, नगरपालिकाओं का नाम बढाने और घटाने के लिये आपने कुछ नियम बनाये हैं। स्थिति ऐसी है कि लोगों को कई झूठे फार्म भरवा लिया है और कई

(श्री अजीतसिंह)

जगह से लोगों के नाम काट दिये गये हैं। सभापति महोदय, झूठे फार्म भर जाने से काफी लोगों के नाम हजारों की तादाद में बढ़ गये हैं। मतदाताओं की सूची में काफी मात्रा में फर्क आ गया है। हजारों नाम बढ़ गये हैं। कई फर्जी नाम लोगों ने अपने अपने वार्ड में लिखवा लिये हैं। अब इस वोटर लिस्ट में नाम चेन्ज कराने के लिये आपने जो नियम रखा है वह है एस. डी. ओ. के यहां पर जाकर उसके सामने कटाने के लिये व्यवस्था। आज इससे सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि यह कार्य एस. डी. ओ. के ऑफिस में न होकर आप ऐसी व्यवस्था करदें कि जिससे कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप इस काम में लगा दें ताकि यह ठीक तरह से हो जावे। मेरा सुझाव इसमें यह है कि वह अधिकारी इन मतदाताओं की सूचियों को री-चैकिंग करें और उसमें जो फर्जी पाये जायें उन्हें काट दें ताकि जो आज झूठे मस्टररोल बना लिये गये हैं वह ठीक हो सकें और सही ढंग से चुनाव हो सकें। इसलिये इसमें री-चैकिंग करने की व्यवस्था करने का प्रावधान करावें। इसके अलावा आपने यह भी रखा है कि जो व्यक्ति नगरपालिका के चुनाव लड़ेगा उसका प्रस्तावक कोई दूसरी वार्ड का होगा। यह बात आपत्तिजनक है। मेरा सुझाव यह है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़े उसका समर्थन करने वाला उसी वार्ड का हो। इसको मान लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। इससे लोगों की काफी दिक्कतें मिट जायेंगी।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन मन्त्री महोदय से करना चाहूंगा कि आज जो वार्ड बनाये गये हैं उसमें भी काफी फर्क है क्योंकि कोई वार्ड में तो मतदाताओं की संख्या 250 है और किसी वार्ड में मतदाताओं की सूची में 1000 व्यक्तियों के नाम हैं। इतना फर्क होना मुनासिब नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हर वार्ड में बराबर मतदाता होने चाहियें। चाहे इसके लिये आपको दस की जगह 13 वार्ड बनाने पड़ें। जनसंख्या के आधार पर बनाये जाने चाहियें और हर वार्ड में बराबर मतदाता होने चाहियें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के केन्डीडेट्स के लिये जो वार्ड बनाये हैं उसमें भी आपने कोई नियम नहीं बनाये हैं। आपने कोई पर्टीक्यूलर वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये जो सीट रिजर्व की वह इस प्रकार नहीं है कि उस पार्टीक्यूलर वार्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की संख्या उसमें अधिक हो। होना यह चाहिये कि जिस वार्ड को आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य के लिये रिजर्व करें वहां पर कम से कम 50 या 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग रहते हों ऐसा मेरा सुझाव है।

इसके अलावा सभापति महोदय, इस विधेयक में आपने सारी की सारी पावर कमिश्नर को दे दी है। यह उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि लोग हर मामले में रोड़े अटकाते हैं और बाद में वही प्री-ऑडिट का झगड़ा खड़ा होजाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि छोटी छोटी नगरपालिकाओं के

(श्री अजीतसिंह)

लिये तो आपको छूट दे देनी चाहिये। वरना वह लोग दस्तखत करते नहीं और उनके दस्तखत किये बगैर काम नहीं चलता है। तो इसके लिये या तो आप ऐसा नियम रख दें कि उनको दस्तखत करना ही पड़ेगा। अथवा ऐसा नियमों में प्रावधान रखते जिससे कि अगर दूसरी बार हाउस से कोई बात मन्जूर होकर आ जावे तो उस पर इन कमिश्नर्स को दस्तखत करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आप यह भी कर दें कि उसमें प्रि-ऑडिट जैसी कोई दिक्कते नहीं हों। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का आप इस विधेयक में संशोधन कर दें ताकि नगरपालिकाओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

सभापति महोदय, अगर इस प्रकार की कठिनाइयां दूर नहीं हुई तो छोटी छोटी नगरपालिकाओं के, जो चेयरमैन होते हैं और मेम्बर्स होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते है, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और नगरपालिकाओं का काम ठीक ढंग से नहीं चल सकेगा।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो बड़ी जमीने पड़ी है उन्हें आबादी में बदलने का पावर्स आप नगरपालिकाओं को दे दें तो उससे नगरपालिकाओं को काफी लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग आज आबादी में जाकर बसते हैं उन्हें काफी अधिक किराया देना पड़ता है। अगर नगरपालिकाओं को आप उन्हें बेचने की पावर देगें तो काफी जनता को और नगरपालिकाओं को लाभ पहूंचेगा। ऐसा नहीं हो सके तो यह काम आप कलेक्टर्स से करवा दें ताकि इससे लाभ राज्य सरकार को हो। आज ऐसा नहीं होने से कोई योजना तो बन जाती है पर वह राज्य सरकार द्वारा पूरी नहीं हो पाती है।

10 वर्षों से टोंक शहर में आबादी की जमीन की दिक्कतें हैं। आबादी अनाप शनाप बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि जितनी जमीन जरूरी हो उतनी आबादी के लिये दे दें और उसमें प्लान्ड वे में आबादियों को बसावें। नहीं तो बिलकुल ऊट पटांग काम हो रहा है। आवश्यकता की पूर्ति तो आदमी फिर किसी तरह से करेगा ही।

इसके लिये आप वहां का सर्वे करावें। लोग झूंठ मूठ के पट्टे बना लेते हैं नवाब साहब से मिल जुलकर जालसाजी से या किन्हीं दूसरे लोगों से हजारों लाखों भेंट करके और उनके आधार पर जिसने जिधर देखा उधर ही उन जमीनों पर कब्जा कर लिया और मकान बना लिये। ऊपर वाले भी मिले होते हैं, खाते पीते हैं, सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं, मामले रेगुलेराइज करा लिये जाते हैं। आगे उनका कोई चालान नहीं होता। सुनवाई अब कहां हो, जबकि सुनवाई करने वाले ही उनसे मिले हुए हों तो। यह स्थिति है वहां। इसलिये सर्वे कराना बहुत आवश्यक हो गया है ताकि पता लग सके कि किस जगह कितनी कितनी जमीन किसकी है, किसकी नहीं है, कितनी खाली है, कितनी आबादी के लिये मिल सकती है।

चुंगी के बारे में निवेदन करूंगा। इसमें एकरूपता नहीं है। इससे बड़ी अव्यवस्था रहती है। छोटे शहर वाले अनाप शनाप

(श्री अजीतसिंह)
रेट तय कर देते हैं कोई अगर किसी व्यापारी से नाराज है तो वह उस चीज पर अनाप शनाप टैक्स लगा देता है, खुश है तो बहुत नामीनल ही रख देता है। जैसे तेंदू पत्ते को ले लीजिये। पहले इस पर 3) प्रति ट्रक थी। अब नाराज हो गये तो 150) प्रति ट्रक कर दिया। इससे उद्योग व्यापार चौपट होता है। इसका आप इस तरह से एकीकरण करें कि व्यापार को लाभ हो, व्यापार बढ़े, पनपे। उद्योग पनपे। व्यापार और उद्योग में इससे व्यवधान या डिस्टर्बेन्सेज नहीं आने चाहियें।

अब चुंगी चौकियों पर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसको मिटाने की भी आप व्यवस्था करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप सुझाव दें।

श्री अजीतसिंह : हल क्या हो, क्या सुझाव दूं। बैरियर खड़ा कर रखा है। इससे फायदा कुछ है नहीं सिवाय इसके कि लोगों के आने जाने में रुकावट पैदा हो। बाकी ट्रकें जो जयपुर-कोटा की वहां से होकर रोज सैंकड़ों की तादाद में निकलती हैं उनका बन्धा हुआ है। आठ आने पैसे दे जाते हैं और निकल जाते हैं। उनसे जो कमाई वहां की नगरपालिका को होनी चाहिये वह एक पैसे की इन कारणों से होती नहीं। रोज दो तीन सौ रुपया इस तरह से भ्रष्टाचार के इनकी जेबों में चला जाता है। चुंगी चौकियों का यह भ्रष्टाचार मिटना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसा नहीं होगा तो बैलवेरी के नागरिक और गोटावाला साहब कहां जावेंगे?

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या आप यह समझते हैं कि हम चुंगी चौकी पर गये थे?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बहुत ऊंची चुंगी चौकियों पर ले गये थे आप तो उनको।

श्री अजीतसिंह : दूसरा मैला ढोने की प्रथा के बारे में निवेदन है कि इसके लिये ट्रेक्टर आदि और थ्री व्हीलर दिये गये। ट्रेक्टर तीन साल से खड़े हैं। काम में ही नहीं आये क्योंकि उनके ड्राइवरों के लिये राज्य से सैंक्शन ही नहीं आ पाई। यह हाल है इसका। आप ही सोचें। जब आपने मेन्टीनेन्स की और स्पेअर पार्ट्स और ड्राइवरों आदि की व्यवस्था पहले से नहीं सोची तो फिर यह व्यर्थ में पूंजी क्यों इनमें ब्लाक की या जाया की? यह समझ में नहीं आता। यह जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का भयंकर दुरुपयोग है। इससे तो अच्छा था भेजते नहीं। तो इस तरह की कोई योजना अगर आप तैयार करें तो निश्चित तौर पर सारी बातों को सोच समझ कर करें तो अच्छा है। मनमाने ढंग से डिमाण्ड आती हैं। कोई सुनने वाला नहीं हैं। कितने नौकर होने चाहियें ट्रेक्टर के लिये कितने ड्राइवर होने चाहिये, जीपों की क्या व्यवस्था होनी चाहिये? इन सबकी एक पक्की रूपरेखा और स्कीम बना कर फिर काम करना चाहिये। आशा है इन कठिनाइयों के सन्दर्भ में आप सोचेंगे और इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रावधान भी करेंगे। इतना ही कहना है।

श्री सभापति : श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव मैंने रखा है। राजस्थान की नगरपालिका के बारे में कई संशोधन महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में जनता की राय नहीं ली जाना, नगरपालिका के सदस्यों की राय नहीं लिया जाना, एडवोकेट्स हैं जो नोलेज रखते हैं उनकी राय नहीं लिया जाना उचित नहीं होगा।

जल्दी में आप कानून अच्छा बना नहीं पाते। आप प्रवर समिति को दे दें। वहां भी एक्सपर्ट लोग हैं। वे सोच समझकर इसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपके द्वारा सुझाये गये संशोधनों के अलावा भी और संशोधन किये जा सकते हैं जो काफी उपयोगी हो सकते हैं। यह एक्ट आपने बनाया था 59 में। आज 15 साल होने आये। इस अर्से में कितने ही परिवर्तन हुए हैं। प्रोग्रेसिव आउट लुक बढ़ा है। समाजवाद की ओर हमने प्रगति की है तो इसमें भी प्रगतिशील लॉज हमें बनाना चाहिये। आर्डिनेन्स आपने जारी किया इस मंशा से कि चुनाव जल्दी कराये जा सकें। पर यह विश्वास नहीं कि राज्य सरकार चुनाव भी करावे। घोषणा कर दी, सितम्बर में नोमीनेशन पेपर फाइल करने की डेट भी घोषित कर दी पर वह भी नहीं रही तो विश्वास डिग गया है। पंचायतों के चुनावों में भी यही किया गया। इसमें इतना रहा कि नोमिनेशन पेपर की डेट घोषित नहीं की गई पर इलक्टर रोल तैयार घोषित कर दिये पर अभी भी पता नहीं चुनाव कब होंगे कब नहीं। तो इसके चुनावों का तो भरोसा नहीं। अब आर्डिनेन्स आपने जारी करवाया है। और इसका कारण यह बताया है कि हम चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं और फिर चुनाव यदि जल्दी नहीं कराये गये तो सदन के साथ धोखा होगा। चुनाव नगरपालिकाओं के निश्चित करा दिये जायेंगे। अगर चुनाव करा दिये गये तो सदन के द्वारा कानून भी पास किया तो हमको कम से कम यह सब्र होगा कि चुनाव तो हो गये पर अमेन्डमैंट हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का समय जो है वन ईयर से टू ईयर शासन करने का दिया गया है, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। कोई एम. एल. ए. यह नहीं चाहता कि राष्ट्रपति शासन हो, कोई एम. एल. ए. यह नहीं चाहता कि राज्यपाल का शासन हो। एक दिन के लिये भी नहीं चाहते हैं। 1957 में सदस्य बने और जब राष्ट्रपति का शासन बना हमें कतई अच्छा नहीं लगा। हम जल्दी चाहते थे कि राष्ट्रपति का शासन खतम हो, राज्यपाल का शासन खतम हो। एक साल से जो दो साल का बना रहे हैं यह प्रगतिशील कदम नहीं है, यह जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

हमारे जो मन्त्री हैं वह प्रगतिशील विचारों के हैं तो उन्होंने क्यों ऐसा किया, प्रोग्रेसिव विचार के होते हुए क्यों अधिकार बढ़ाना चाहते हैं जिसके कारण यह कदम उठाया। इसके लिये मैं चाहता हूं स्पष्ट करें। मैं तो वन ईयर को भी ठीक समझता हूं। एम. एल. ए. के चुनाव ठीक समय पर हो जाते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव ठीक समय पर हो जाते हैं। वन ईयर के बजाय सिक्स मन्थ का प्रोविजन करते तो खुशी होती परन्तु एक साल से दो साल बढ़ाने की कोशिश की है। अतः मैं उसका घोर विरोध करता हूं। पहला जो नगरपालिका का एक्ट,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

1959 का है उसमें और इसमें मूलभूत परिवर्तन किये गये हैं। मूलभूत परिवर्तन के अन्दर पहले में सैक्सन 68 के अन्दर जाना चाहता हूं। 68 के अन्दर जो रेकार्ड्स कस्टेडी चेयरमैन के जिम्मे थी अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जिम्मे रखी है। मैं तो समझता हूं यह जिम्मेदारी ले ली जाती है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सौंपी जाती है तो चेयरमैन को काफी सुरक्षा मिल जाती है परन्तु स्थिति यह भी है जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने देखे केपेबिल ऑफिसर नहीं हैं। थर्ड ग्रेड म्यूनिसिपैलिटि में आये हैं या सैकिन्ड ग्रेड म्यूनिसिपैलिटि में आये हैं, वे यू. डी. सी. से ज्यादा योग्यता नहीं रखते हैं। अगर इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय ध्यान से देखें कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो अपाइन्ट किये जायं वे भी कुछ केलिबर के हों, कुछ केडर के हों, कुछ योग्यता रखते हों,। वे तहसीलदार की योग्यता नहीं रखते है। वे यू. डी. सी. के बराबर योग्यता रखते हैं। यह मैंने देखा है, जिनको इतने पावर्स देने जा रहे हैं वे इस प्रकार एग्जीक्यूशन करें। आप एक तरफ बोर्ड पर विश्वास करने जा रहे हैं, एक तरफ नगरपालिकाओं के चेयरमेन पर विश्वास करने जा रहे है और दूसरी तरफ जितने लाइसेन्स हैं उनमें इनकी प्रमाणिकता चाहिये ये क्या जानते हैं ? क्या इनकी योग्यता है ? मैं बाड़मेर म्यूनिसिपैलिटी की कह रहा हूं जो सैकिन्ड ग्रेड की म्यूनिसिपैलिटी है, पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वे अच्छे एडवोकेट रहे हैं, अच्छे विद्वान हैं, हमारे यहां चेयरमैन भी रहे है उनका कहना था कि यह बोर्ड तय करेगा। इसकी प्रमाणिकता बतायेंगे यह सही है या गलत है तो इस तरह करना हमारा घोर अपमान है। हम इस चीज को नहीं जानते हैं। छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आये और उनकी नॉलेज यू. डी. सी. के बराबर है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के क्लॉजेज नहीं रखने चाहियें। इस पर मन्त्री महोदय सोचें और गहराई से मनन करें।

दूसरा जो दिया है उसके विचार में डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। बोर्ड ने कोई निर्णय लिया ऐसा निर्णय लिया जो कन्ट्रोवर्सियल हो वह अपना नोट ऑफ डिसेन्ट दे सकता है। बोर्ड प्रगतिशील है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रगतिशील नहीं है तो वह डिसेन्ट नोट कलेक्टर को दे देता है, कोई कदम प्रगतिशील उठाने की कोशिश की तो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उसमें रुकावट डाल दी। इस प्रकार के कदम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप भरोसा ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा करना चाहते हैं। एक तरफ पंचायतों को डिसेन्ट्रेलाइज करके पावर्स बढ़ाना चाहते हैं, पंचायती राज को विकसित करना चाहते हैं। जो 59 का एक्ट है उसमें भी चेयरमैन की पावर्स हैं उनको भी लेकर हमें बिलकुल कमजोर बनाना चाहते हैं। कमेटी को जो पावर्स दिये हैं यह अवश्य अच्छा कदम है पावर्स उनको डेलीगेट किये हैं परन्तु चेयरमैन को भी डेलीगेशन के पावर्स होने चाहिये। भले ही आप वाइस चेयरमैन को मत दीजिये। परन्तु यह सोचना चाहिए चेयरमैन एक ताकत रखता है चेयरमैन एक हस्ती रखता है। उसको कुछ न कुछ डेलीगेशन पावर्स देना चाहिए। उसका कुछ प्रोविजन नहीं रखा है तो इसलिए मैं यह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चाहता हूं कि इसके बारे में जनमत जानने के लिए जाता, प्रवर समिति को जाता और वहां डिस्कशन होता है और डिस्कशन होने पर सही नतीजे पर जा सकता था इसलिए मेरा सुझाव है जिस समय हम म्यूनिसिपल मेम्बर थे कोई 54-55 में प्रोविजन था, उस वक्त यह प्रोविजन था वार्ड वाइज 4-4 की कॉन्स्टीट्यूएन्सी बना दी जाती थी और उसमें चार-चार मेम्बर खड़े हो सकते थे। उसमें स्थिति यह थी कि जातिवादिता को पूरी तरह शह नहीं मिलती थी। मेरा सुझाव है अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं और जातिवादिता को कमजोर करना चाहते हैं, जो हमारे राजस्थान में भरी हुई है, जनता के प्रतिनिधियों में भरी हुई है, पूरे राजस्थान में भरी हुई है उसको कमजोर करना चाहते हैं तो यह चाहिये कि यह कॉन्स्टीटयूएन्सी का जो पुराना सिस्टम था चार-चार वार्ड का और चार चार मेम्बर चुनकर आते थे उसमें से छांटकर लिया जाता है। उसमें योग्य से योग्य का सलेक्शन होता था वह एक वार्ड के बनने से नहीं दिखता है।

कुछ प्रगतिशील कदम उठाना चाहते हैं, ये पुराने प्रोविजन्स थे परन्तु मैं समझता हूं वह उचित था। वापिस इनका मनन करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय कन्सीडरेशन करें और मैं चाहता हूं अगर चुनाव नहीं कराये जायं तो जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय और जो मैंने सुझाव दिये हैं उसमें कोशिश करें और जब क्लॉज बाई क्लॉज आये तो इस कानून को प्रगतिशिल बनायें।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सभापति महोदय नगरपालिकाओं में संशोधन के नाम पर स्वायत्त शासन संस्थाओं के सिद्धान्तों का खून करने के लिए इस काले कानून को....

श्री श्रीराम गोटेवाला : ठीक 4.20 पर आप यह बात फरमा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : जिस प्रकार से जल्दबाजी में विचार करने के लिए रखा गया है वह केवल बहुमत के आधार के ऊपर जनतंत्र की भावनाओं को कुंठित करके और सदन को बिना पूरी तरह से चिन्तन व विचार का अवसर दिये व राजस्थान की जनता को यह आभास भी नहीं हो सके कि वास्तव में नगरपालिकाओं के अन्दर किस प्रकार से नौकरशाही को लेकर वहां के चुने हुए नुमाइन्दों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है-इस कुत्सित प्रयास की मैं निन्दा करता हूं।

सभापति महोदय, जब इस पूरे कानून को अच्छी तरह से पढ़ा तो ऐसा लगा कि अच्छा यह होता कि माननीय मंत्री महोदय एक सेन्टेन्स का एक कानून बना देते Law regarding the Municipality will be that as may be prescribed by the Government. याने राजस्थान सरकार में नगरपालिका कानून वह होगा जोकि राजस्थान सरकार निर्धारित कर देगी। समझ में नहीं आता है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं और नगरपालिकाओं के ऊपर इस भौंडे तरीके से इस कानून को थोपने का कुत्सित

Page No 98

98

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रयास क्यों किया जा रहा है ? या तो मंत्री महोदय ने इसको समझने का प्रयास नहीं किया है, जहां तक मैं समझ सका हूं सारे कानून की भावना यह है कि अध्यक्ष के अधिकार छीनकर, सदस्यों के अधिकार छीनकर, स्वायत्त शासन संस्थान की परीधि के अन्दर जिस प्रकार से पहले कार्य करने की उनके अपने क्षेत्र में कम से कम स्वतंत्रता थी उस सब के ऊपर प्रयास यह किया गया है कि सारी नगरपालिकाओं की चाबी, काम करने की चाबी, काम को रोकने की चाबी, प्रस्तावों को क्रियान्वित करवाने की चाबी और प्रस्तावों को पास होने के पश्चात् भी समाप्त करने का अधिकार यह सारे अधिकार नौकरशाही को दे दिया जाये। मुझे इस बात पर भी हैरानी है सभापति महोदय कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? कम से कम जो ग्राब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हर एक एक्ट के साथ दिये जाते हैं उसमें जो कुछ लिखा गया है जहां डबल मेम्बर कान्सटीटुएन्सी का सवाल है समझ में आ सकता है लेकिन उन्होंने लिखा है डबल मेम्बर कान्सटीटुएन्सी के संदर्भ में :

"This needed immediate legislation. Opportunity was also taken to make more effective provisions to regulate in public interest the working of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 and to provide a legal basis for the State participation in the benefits of appreciation in the value of land by permitting conversion in public interest on payment of conversion charges"

एक वाक्य इसके इन्टेन्शन के लिए लिखा गया है जिसमें इन्होंने यह लिखा कि हम डबल मेम्बर कान्सटीटुएन्सी को एबॉलिश कर रहे थे और क्योंकि उसका अमेन्डमेन्ट करना आवश्यक था इसलिए हमने इस अवसर का इस बात के लिए भी लाभ लिया कि नगरपालिका के कानून में भी और भी प्रभावशाली प्रावधान कर दिये जाये जनहित में। अब मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें कि जनहित में इसकी क्या आवश्यकता थी ? वह कौन से कारण थे जिनके कारण नगरपालिका के सारे प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् यदि वहां का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख दे कि नियम के अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है और जो कानून व नियमों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिक समझेगा चेयरमैन के मुकाबले में, चुने हुए सदस्यों के मुकाबले में तो राज्य प्रशासन और उनके अधिकारी उस प्रस्ताव को कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे। यह एक तरह से वीटो पावर हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और यह वीटो पावर सारे जनतंत्रीय तरीके के ऊपर कातिलाना हमला है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय स्वयं इसका अहमियत को नहीं समझें। हैडिंग दिया है 'कस्टडी ऑफ रेकार्ड'। मैं सभापति महोदय, आप दृष्टिगत करें। या तो इस कानून को जिन्होंने बनाया है उन्होंने मंत्री महोदय से छिपाकर उनको स्वयं को इसकी पता नहीं लग सके इस प्रकार का प्रावधान रखा है। 68 सेक्शन है उसका हैडिंग है "कस्टडी ऑफ रेकार्ड"। कस्टडी ऑफ रेकर्ड

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
का मतलब है कि किस के पास रेकार्ड रहेगा और उसके साथ ही कस्टडी ऑफ रेकार्ड के क्लाज (2) में लिख दिया है: (2) where any proceeding or order of a board or of any of its committees or of the Chairman or Vice-Chairman or of any member is inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder or is detriment to the interest of the board,.... चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कोई भी आज्ञा बोर्ड सर्व सम्मति से निर्णय कर दे कि यहां पार्क बनेगा, सड़क बनेगी, बिजली के बल्ब लगेंगे और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके ऊपर आकर बैठेगा विटो पॉवर के साथ, वह कहेगा 'नो'। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बोर्ड के सदस्य एक तरफ और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखकर देगा, इसमें लिखा है:—

(3) The State Government or any officer authorised by it in this behalf may make such order as it thinks fit which shall be binding on the board.

(4) The Executive Officer shall have the power,....

मैं निवेदन करूंगा कि यह कस्टडी ऑफ रेकर्ड चेयरमैन से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास क्यों लाया गया है? क्या कारण है? मन्त्री महोदय इसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बता सकेंगे। या तो यह कारण है कि आपके सामने यहां कानून बना दिया जाये कि बजट पास होने के बाद विधान सभा के सदस्य जिसको पास करते हैं और स्पीकर भी उसको उचित समझता है लेकिन विधान सभा के सेक्रेटरी को अधिकार होगा कि उसके ऊपर नोट लगा दे कि कानून के अनुसार यह नहीं है और स्पीकर और विधान सभा के सदस्यों द्वारा पारित किया हुआ बजट या एक्ट यहां के सचिव महोदय बैठकर उसको वीटो कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को कितना चुभेगा? उनका हृदय कुण्ठित हो जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर पालिका की भी इस कानून के अनुसार वही स्थिति है। वहां के अध्यक्ष और सदस्य उस नगर में स्वायत्त शासन संस्था के नाम पर अधिकार रखते हैं आपने उनके ऊपर कुठाराघात ही नहीं किया बल्कि उन लोगों का अपमान भी किया है और कोई व्यक्ति जायेगा नगरपालिका के अन्दर तो वह अध्यक्ष के चेम्बर में नहीं जायेगा, वह सदस्यों के पास नहीं जायेगा और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के चेम्बर में बैठकर जिसको काम करवाना है वह उसके पास जाएगा और चेयरमैन की आज्ञा होने के बाद भी काम करवाना है तो भी वहां एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के यहां घूमता रहेगा। जैसे रॉयल कमिशन ने अंग्रेजों के समय में लिखा था कि भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के पहले जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनको बनाया और स्वायत्त संस्था के नाते छोटे स्तर पर अधिकार उनको देने चाहिये। आजादी के बाद रॉयल कमिशन की रिपोर्ट को उस समय स्वीकार किया था। आपने इस काले कानून के द्वारा उसकी हत्या कर दी, उसका

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खून कर दिया और जनतंत्र की हत्या करके आप चाहते हैं कि नौकरशाही को वहां प्रस्थापित कर दिया जाए। इतना ही नहीं, केवल सेक्शन 68 में ही नहीं जहां कहीं भी अधिकार हैं आप इसके एक एक सेक्शन को लेकर देखें तो इसी प्रकार से नौकरशाही को अधिकार दिए गये हैं। यह मैं और निवेदन करूंगा कि यह एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिल के अनुसार और वह यह है कि सारा का सारा जितना लेजिस्लेशन है उसके अन्दर उसमें जो पहले डिटेल्ड प्रोविजन बना हुआ था, अविश्वास का प्रस्ताव पास कैसे पारित होगा, कौन नोटिस देगा, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितनी मैजोरिटी चाहिए, कब गिर जायगा और कब उसको दुबारा पेश किया जा सकता है। छः महीने के पहले दुबारा नहीं आ सकता। हमारे माननीय मन्त्री जी ने एक कलम की नोक से सब के सब, सारे सेक्शन्स डिलीट कर दिए। मैं नहीं समझ सका इसका कारण। अविश्वास की सारी प्रणाली को डिलीट कर दिया। जैसा सरकार चाहेगी प्रेस्क्राइब करेगी। मैं समझ नहीं सका कि इसकी क्या आवश्यकता आ पड़ी। यदि कोई नये सिरे से कानून बनाते हैं जो पहले की चीज बनी हुई उसको बिगाड़ना क्यों चाहते हैं ? मीटिंग के बारे में प्रावधान था, कम से कम एक महीने में एक मीटिंग होगी। रिक्वीजिशन मीटिंग का प्रावधान था और वह इसलिए था कि जब नगरपालिका का अध्यक्ष मीटिंग बुलाने से इन्कार करें तो उसको कम्पेल किया जा सके। ये सारे प्रोविजन्स को हमारे माननीय मन्त्री जी ने एक शब्द से स्ट्रक डाउन कर दिया जैसा राज्य सरकार प्रेस्क्राइब करेगी उसके अनुसार मीटिंग बुलायेंगे। उसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करे उसको फॉलो होगा। वैसी कमेटीज बनेगी। मैं नहीं समझ सका, सभापति महोदय, इसका कारण क्या है? यदि कोई कारण था तो माननीय मन्त्री महोदय बतलाते तो समझ में आ सकता था। यह 1959 से कानून चल रहा है, इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव का कानून था और चैक और बैलेंसेज थे उसके अनुसार इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। यदि मीटिंग अध्यक्ष नहीं बुलाता तो मेम्बर उसको कम्पेल कर सकें, जनता की आवाज सुन सकें। सड़कों की कमी है, पानी की कमी है, शहर में गन्दगी है और कोई पीड़ा है उसको कह सकते थे लेकिन उस सब को खत्म कर दिया। मन्त्री महोदय, पता नहीं किस प्रकार का अधिकार रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपने आप में जहां डिटेल्स के लिए आवश्यक है, विवरण के लिए, विगत के लिए, बहुत बारीकी में जाने के लिए किसी प्रकार का लेजिस्लेशन हो सकता है, लेकिन यदि कोई लेजिस्लेचर अपने अशेंसियल फंक्सन्स को डेलीगेट करता है तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं और हाई कोर्ट के निर्णय हैं:—

The Legislature is not competent to deface itself from legislation.

अपने आप डिफंस कर लेना, समाप्त कर देना, सारी-सारी डेलीगेशन देती है राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार को वीटो दिया गया है दफा 2 के अन्दर, दफा 3, 4, 6,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 और 26। सारे सेक्शन लगभग एक दो को छोड़ कर सारे सेक्शन हैं। विधान सभा के अन्दर इन पर विचार नहीं किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के मामले में यदि अमेंडमेंट चाहते थे, मंत्री महोदय के दिमाग में यदि यह था कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए थ्री फोर्थ मेजोरिटि नहीं चाहिए, बीयर मेजोरिटि चाहिए तो उसके लिए अमेंडमेंट लाते सदन के सामने। सदन में प्रस्ताव लेकर आते, अमेंडमेंट रखते, सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार व्यक्त करते और उसके पश्चात् निर्णय हो सकता था। लेकिन माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों को, विधान सभा के लेजिस्लेटिव अधिकार को मंत्री महोदय ने अपनी जेब में डाल लिया है। He wants to keep in his own pocket. ताकि इस प्रकार से यूज कर सकें। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत डेंजरस है, इस टेंडेंसी का राजस्थान विधान सभा को, किसी भी विधान सभा को या लोक सभा को या देश के अन्दर कहीं भी हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का माननीय सदस्यों को विरोध करना चाहिए और पुरजोर शब्दों में विरोध करना चाहिए। यह उनके अधिकारों का हनन है। कॉंस्टिट्यूशनल गारण्टीज में जो मैंडेट हैं, जो राइट हैं, उनको कर्टेल किया गया है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है।

एक बात और कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इस एक्ट के अन्दर आप देखेंगे कि उन्होंने नगरपालिका चुनावों का समय बढ़ा दिया। आर्डिनेन्स द्वारा समय बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया है और क्या किया जाता है, सभापति महोदय, जहां पर राज्य का मन्त्री मण्डल चुनाव कराना चाहे वहां पर चुनाव करायें, जहां पर चुनाव नहीं करना चाहें वहां पर नहीं करायें। माउण्ट आबू में नगरपालिका चुनाव की तारीख पर तारीख बढ़ाते हैं फिर राज्य सरकार ने घोषणा की कि नगरपालिका के चुनाव होंगे। घोषणा के पश्चात मतदाता सूचियां बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया। लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। मतदाता सूचियां बन गई। नोमीनेशन की डेट आई। जब डेट नोटिफाई करना था राज्य सरकार ने आज्ञा दी कि इसको अबेयेंस में रखा जाता है, कुछ दिन इन्तजार करो। माउण्ट आबू और ऐसी नौ नगरपालिकायें, सभापति महोदय, जिनमें इलेक्टोरोल बनने के बाद, सारी योजना के फाइनल हो जाने के बाद शाही फरमाना जाता है यहां से कि इन जगहों के चुनाव नहीं होंगे। यहां पर चुनाव क्यों नहीं होंगे? क्यों चुनाव नहीं होंगे यह मैं जानना चाहता हूं। क्या माउण्ट आबू की जनता अपने व्यक्तियों को चुनाव में जिता कर नगरपालिका में नहीं भेज सकती? इसके पीछे स्पष्ट रूप से राजनैतिक कारण हैं, राजनैतिक दुर्भावना है, पोलिटिकल मोटिवेशन है। यह उनको मालूम था कि माउण्ट आबू में नगरपालिका कांग्रेस की नहीं बनेगी। कांग्रेस का बहुमत नहीं आएगा, दूसरे दल का बहुमत आएगा, इस कारण कांग्रेस रह नहीं सकेगी इसलिए यहां से काला फरमान जारी कर दिया कि नगरपालिका के चुनाव नहीं कराये जायेंगे। यह इस बात का षडयन्त्र किया जा रहा है कि माउण्ट आबू में नगरपालिका को चुनाव पद्धति के द्वारा इलेक्टेड बॉडी को समाप्त कर दिया और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नॉमीनेटेड बॉडी कायम करदी जावे। माउण्ट आबू में नोमीनेटेड बॉडी कायम करने का षडयन्त्र जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है जिसको कभी सहन नहीं किया जाएगा। माउण्ट आबू की जनता संघर्ष करेगी जिसके लिए राज्य सरकार को तैयार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से बैकडोर से, जब सीधे इलेक्शन से जीत नहीं सकते तो इस प्रकार बैकडोर से घुसने का प्रयास दूषित प्रयास है। जनतन्त्र के युग के अन्दर इस प्रकार के प्रयास को सहन नहीं किया जाना चाहिए। आज मुकन्दगढ़ में चुनाव नहीं कराये जायेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड बन गए, मतदाता सूची बन गई, इसके करेक्शन हो गए, अमेंडमेंट हो गया और उसके बाद में वहाँ पर चुनाव की डेट को पोस्टपोण्ड कर दिया गया। सभापति महोदय, उदयपुर में भी ऐसे ही दो चुनाव क्षेत्र हैं और भी अन्य नौ स्थान हैं जिसके अन्दर सारा काम होने के बाद चुनाव की डेट नोटिफाई कर नॉमीनेशन पेपर पेश करने थे उस समय हमारे राजस्थान के मन्त्री महोदय ने चुनाव पोस्टपोन कर दिए। निश्चित रूप से यह कार्य दुर्भावनापूर्ण तरीके से, पोलिटिकल तरीके से किया गया। इस प्रकार का कार्य राजस्थान सरकार की इमेज को ही खराब नहीं करेगा, मन्त्री महोदय यह आपकी इमेज को भी खराब करेगा। आपके चोले पर काला दाग लगायेगा। आपकी प्रमाणिकता को अशुद्ध करेगा। आपसे जो देश की जनता, राजस्थान की जनता को जो अपेक्षा है, जनता की उस अपेक्षा और भावना के साथ यदि आपने इस प्रकार से विश्वासघात किया और राजनैतिक पहलू से केवल इसलिए कि वहां के कुछ कार्यकर्त्ता कह दें कि माउण्ट आबू में चुनाव नहीं होने चाहिए, यहां पर जनता का विश्वास हम पर खत्म हो गया है, हम हार जायेंगे, हम चुनाव जीत नहीं सकेंगे इसके लिए आप चुनाव पोस्टपोन कर दें यह आपके लिए शोभा नहीं देता है। अत्यन्त खतरनाक रास्ता आप अपना रहे हैं जिसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण बिल है कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : आपको काफी समय हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इस बात को कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि जिस प्रकार से इस बिल को रश करने का प्रयास किया जा रहा है, साढे तीन बजे विचारार्थ इण्ट्रोड्यूज करें, दो चार घण्टे किसी प्रकार निकालने का प्रयास किया जाय और फिर पास तो आप करायेंगे ही, यह अत्यन्त कम से कम मैं समझता हूं कि अशोभनीय जनतांत्रिक तरीका है। न तो माननीय सदस्य अपने विचार रख सकते हैं और आप देखिए, सारी की सारी ट्रेजरी बैंचेज खाली पड़ी हुई हैं, यह कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं ··

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम तो आपसे ज्यादा यहां बैठे हुए हैं।

श्री दीपंकर : फालतू बातों में समय मत लिया करो तो टाईम काफी मिलेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मेरा यह निवेदन करना है कि यह कोई जनसंघ को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नुकसान होने वाला नहीं है और कांग्रेस के सदस्य यह समझते हों कि फायदा होने वाला है तो यह तो समय पर महसूस कर लेंगे। अभी वृद्धिचन्द्रजी बोल गए और भी माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं और उनको भी इस बात का अहसास है। ज्यों 2 एक्ट को समझने का प्रयास करेंगे समय इस बात का अहसास करा देगा आपको।

अब मैं रिविजन ऑफ इलैक्टोरल रोल्स के बारे में निवेदन करूंगा। चुनाव के पहले सारी मतदाता सूचियां तैयार होती हैं और मतदाता सूची के ऊपर ही मतदाता का अधिकार आधारित होता है। पुराने नगर पालिका एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान था। दफा 16 है। सभापति महोदय, रिप्रेजेण्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के नीचे मतदाता सूचियां केन्द्रीय कानून के अनुसार हर साल अमेंड होती हैं उसके साथ उनको बनाने के लिए विशेष रूल्स बने हुए हैं। हमारे मन्त्री महोदय ने क्या किया उन्होंने इस एक्ट को एक सैंटेंस में बना दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिसमें पहले यह प्रावधान था, आपने उस सेक्शन 16 को ···

"16. Electoral Rolls for every ward.— There shall be an electoral roll for every ward, which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision and direction of the Collector subject, however, to the control of the State Government."

इसमें सेक्शन 16 में जो पहले प्रॉविजन था उसको आपने हटा दिया है। अब यह नतीजा निकाला गया कि रिप्रिजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के नीचे जो सूची बनी हुई है, यह आवश्यक नहीं है कि नगरपालिका चुनाव में उसको मत देने का अधिकार हो। अब यह राज्य सरकार की मेहरबानी हो जाएगी। रूल्स प्रेस्क्राइब करते समय इसका प्रावधान रख दें तो उसको अधिकार मिल जाएगा। तो यह राज्य सरकार की दया पर निर्भर होगा कि उस मतदाता को यह अधिकार दे या न दे। विधान सभा, लोक सभा में जो वोट देकर आया है वह नगरपालिका में वोट नहीं दे पाएगा। पहले इसका जो प्रॉविजन था, उसको आपने हटा दिया है। दूसरा प्रॉविजन था इलेक्टोरल रोल्स का। वह भी आपने डीलीट कर दिया। इस प्रकार सरकार ने एक ही रास्ता अपनाया है। सारे अमेन्डमेन्ट के अन्दर सारे प्रॉविजन को डिलीट कर दिया है। 59 से लेकर और उससे पहले से ही याने 1959 से लेकर 1974 जो समय की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं, जिनके द्वारा लाभ हो रहा है, डबल मेम्बर की बात छोड़ दीजिये, सेक्शन 17, 72, 73, 76 इन सब के सब को आपने डिलीट कर दिया है। इन सब जगह आपने "एज प्रेस्काइब्ड शब्द" यह प्रेस्क्राइब्ड करीब 32 जगह आपने रख दिया है, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे। मैं नहीं समझ सकता सभापति महोदय इस एक्ट को बनाने की क्या आवश्यकता थी। प्रशासनिक अधिकारी से राज्य चलाना है और एक्जीक्यूटिव को ही ये सारे कार्य करने हैं तो आप लेजिस्लेटिव विंग को ही समाप्त कर दीजिये। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में प्रावधान

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रखा गया है तीन विंग्स होंगे, एक ज्यूडिशियरी, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा एक्जीक्यूटिव का। यह डेलीगेटेड पावर लेजिस्लेटिव विंग के ऊपर आघात है और एक्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव पावर देने का बैकडोर मैथड है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे सन्दर्भ में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने इस एक्ट को बनाया है, बनाने का प्रयास किया है, वह प्रयास निन्दनीय है, यह प्रयास जिन इरादों से किया गया है, उसमें केवल एक ही विशिष्ट ध्येय रखा गया है, कि राज्य सरकार के पास में सारे अधिकारों की कुंजी आ जाए और नगरपालिकाओं के स्तर पर उसके जो एजेन्ट बैठे हुए हैं एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में उनके पास सारे अधिकार रहें, वैसे स्वायत्त शासन का नाम रहेगा, उसके ऊपर स्वायत्त शासन, जनतन्त्रीय व्यवस्था का आवरण रहेगा, और इस जनतन्त्रीय व्यवस्था के ढोल पर इसके नाम पर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट सेक्रेटरी और मन्त्री महोदय, ये सारे मिलकर स्वायत्त शासन संस्थाओं को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। इस एक्ट को मैं ब्लैक एक्ट कहता हूं। It's a Black Legislation encroaching upon Local Self Government and rights of people of Municipalities. यह काला कानून है जो स्वायत्त शासन के सिद्धान्तों का खून चूसता है, जनतन्त्र का खून करता है, नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों पार्षदों को केवल एक्जीक्यूटिव ऑफिसरों के हाथों का खिलौना मात्र बनाना चाहता है। वे लोग इनकी दया पर आधारित होंगे। इनकी दया पर चलने वाला व्यक्ति ही इस रूप में रह सकेगा। एक प्रकार से यह इनके अधिकारों का खून करने वाला लेजिस्लेशन है। मेरा निवेदन है कि इसके पहले माननीय मन्त्री महोदय इसके ऊपर क्लॉजवाइज विचार करें, मैं उनके विवेक के लिये अपील करूंगा कि, मैंने आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मुख्य मन्त्री महोदय को कहा था, और यहां पर भी माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यह जो स्ट्रीम रोल मेजोरिटी है उसके बेसिस के ऊपर इतने महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन के ऊपर, इसको पास करने का प्रयास किया जाये यह ठीक नहीं है। आप बहुमत के आधार पर इसको हाउस में पारित करवा लेंगे और इस पर छाप लग जाएगी और यह कानून बन जाएगा परन्तु आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी, आपको कोसेंगी कि आपने उन उसूलों का खून किया है, खून करने की कोशिश की है, जिनका ढोल पीट कर आपने दुनिया के अन्दर रेडिकल, जनतन्त्रीय, लोकतन्त्रीय, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के हामी बनने का दम भरते थे, उस चेहरे को दिखा कर लोगों को इस प्रकार से अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनमत जानने का जो मेरा प्रस्ताव है, जो अन्य माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं, उसको स्वीकार कर लिया जाये और राजस्थान के अन्दर स्वायत्त शासन क्षेत्र के अन्दर काम करने वाले अध्यक्ष भूतपूर्व अध्यक्ष परिषदों के पार्षद और सदस्यों को तथा जनता को इस पर विचार करने का अवसर मिले, वह मौका प्रदान करें। गुठली से गुड़ ढालने का आपका यह प्रयास निन्दनीय है और मैं समझता हूं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मन्त्री महोदय इस स्वरूप के अन्दर यदि आप अपने विवेक को जाग्रत करेंगे, अपने सत्ता दल के मोह को छोड़ कर राजस्थान की विशिष्ट जनता के व्यापक स्वरूप के अन्दर, जहां कि व्यक्ति अपने अधिकार के लिये अग्रसर होना चाहता है, जनतन्त्रीय व्यवस्था से आगे चलना चाहता है, नौकरशाही को समाप्त करना चाहता है, उन संदर्भों के अन्दर विचार करके जनमत के लिये इसको प्रसारित करेंगे।

श्री सभापति : श्री उम्मेदीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय मुझे पांच बजे एक मीटिंग में जाना है। पहले मुझे मौका दे दीजिये। पहले मेरा गोटा चलने दीजिये। से आधा घंटा बोलेंगे। मैं केवल 5 मिनिट ही बोलूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ढाई मिनिट बोलूंगा।

श्री गुमामल लोढ़ा : आप गोटा लगा कर घोटाला कर देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, कल एक बिल कॉलेज की सर्विसेज के संबंध में आया था उनकी सर्विसेज की कण्डीशन के संबंध में जिसको मैंने काले कानून की संज्ञा दी थी। आज इस सदन के अन्दर यह जो बिल है राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974, मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री महोदय से कि इस बिल का नाम राजस्थान म्युनिसिपैलिटिज सैकेन्ड अमेन्डमेन्ट बिल 1974 न रख करके इस बिल का नाम राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज 'एज प्रेस्काइब्ड' सकेन्ड अमेन्डमैन्ट बिल, 1974 रखा जाये। एज प्रेस्काइब्ड मेरा ख्याल है ऐसे थोड़े बिल इस सदन में आये हैं जिनमें एज प्रेस्काइब्ड शब्द इतने ज्यादा आये हैं यह तमन्ना मंत्री महोदय के हृदय में कहां से पैदा हो गयी कि सारे रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सारे के सारे अपने हाथ में ले लें। सारे रूल्स और स्टेच्यूट बनाने का जिम्मा जो कि 1950 से बने हैं अपने पास ले रहे हैं। एक ही साथ यह तमन्ना कैसे पैदा हो गयी ? अगर आप गौर फरमावें तो इस बिल में अधिकतर धाराएं ऐसी हैं जिसमें कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जरूरत है। धारा 9, 3, 4, 6,7,8,9,16,18,19,21,22,26,17, 27, 25 ऐसी धाराएं हैं जिन सबके अन्दर इनको रूल्स प्रेसक्राइब करना है और सब में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जरूरत है। यह सब अगर प्रजातन्त्र के दृष्टिकोण से होता, प्रजातन्त्र को ज्यादा मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से होता तो मैं इसकी प्रशंसा करता लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आज राजस्थान के अन्दर कुल 151 से अधिक म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर केवल 5/7 म्युनिसिपैलिटीज ऐसी रह गई हैं जिनमें कि चुनी हुई कमेटीज बनी हुई हैं। आज सब म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। इन 5/7 में भी एक आबू की म्युनिसिपैलिटी अभी हाल

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

में ही शहीद हुई है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आर्डिनेन्स निकाल कर आखिर कौनसा शुभ कार्य माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने कर दिया? सिवाय तनख्वाहों के आइटम के जुलाई और अगस्त की जो कि 15 अगस्त का विचार करके नहीं तो इस बिल में सारी फर्स्ट क्लास, सेकण्ड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास म्युनिसिपेलिटी के एम्प्लाईज के सम्बन्ध में कहीं पर भी रूल्स एंड प्रेस्क्राइब्ड किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर नहीं पहुंचे हैं. और तनख्वाहें मिलने में जो 150 और 75 रुपये के जो दो स्लेब्ज 150 से 500 तक का आपने कर दिया। इस सिलसिले के अन्दर म्युनिसपैलिटीज के चेयरमैन को प्रसन्न करने के लिए या म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों में सरगर्मी लाने के लिए कौन्सल में 500 फर्स्ट क्लास में 300, सैकण्ड क्लास में 200 और दूसरी म्युनिसपैलिटीज में 150 रुपये आपने कर दिये। यह तनख्वाह बढ़ाने का कार्य तो उन्होंने अवश्य किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो अधिकार चेयरमैन को थे उनको किस प्रकार से मिसमार किया गया है वह अभूतपूर्व है इस बिल में अपने तरीके से। इसमें जो पावर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिये गये हैं और जिस तरह का जो 5/6 म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें से एकाध में हुआ वह मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक तरह से तो यह सारे का सारा बिल राजस्थान की इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को ब्यूरोक्रेसी के निर्दयी, और क्रूर और जन विरोधी हाथों के अन्दर सौंप देता है। जिस प्रकार के पॉवर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दिये गये हैं वे पावर्स आश्चर्यजनक हैं। कोई भी ऐसा फंक्शनिंग म्युनिसिपैलिटीज का नहीं रहता है जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इन्टरफियरेन्स माननीय मंत्री महोदय ने क्रियेट न किया हो। आखिर बड़ी तमन्नाएं थीं, बड़ी आशाएं थीं इस सदन को। माननीय गिरधारीलाल जी व्यास जो पंचायत राज कमेटी के अध्यक्ष थे वहां पर उनके सुझाव अभूतपूर्व थे, और आज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए उनके हृदय में यह मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? इससे मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूं। आप देखिये कि म्युनिसिपैलिटी का रेकार्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तहवील में रहेगा। उसको कोई टच नहीं कर सकता, और इस बिल के निर्माण के साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह अधिकार पाते ही क्या करेंगे, उसकी एक मिसाल सूरतगढ़ म्युनिसिपैलिटी है। 15 जुलाई को, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के चेयरमैन साहब ने एक रजिस्टर कुछ चुंगी अधिकारियों को दस्तखत करवाने के लिए भेजा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब बाहर गये हुए थे। वहां पर मौजूद नहीं थे। जब वे तशरीफ लाये तो उनको बताया गया कि रजिस्टर चपरासी चुंगी पोस्ट पर दस्तखत करवाने के लिए ले गया तो पहला काम तो उन्होंने यह किया कि वहां पर जो हैडक्लर्क थे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया, वहां के चपरासी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया और दो एल. डी. सी. के खिलाफ पर्चा दर्ज किया, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा गरूर था कि राजस्थान के स्वायत्त शासन मन्त्री ने अब सारे पावर्स उनके हाथ में दे दिये। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक रोका जाता है कि तनख्वाह का काम आता है तो उस पर भी हस्ताक्षर नहीं करते हैं। राणावत कमीशन दिया जाय यह तय हो

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गया। लेबर ऑफिसर वहां पर मौजूद था और यह तय हुआ कि जुलाई के महीने के आखिर से राणावत कमीशन वहां के कर्मचारियों को दे दिया जायगा। लेकिन वहां के ई. ओ. साहब को यह बर्दाश्त नहीं था। वहां के चेयरमैन ई. ओ. साहब के पीछे-पीछे घूम रहे हैं कि चैक पर दस्तखत कर दो। और उन्होंने चैक पर दस्तखत नहीं किये। इस मंहगाई में होता क्या, मंहगाई में यह हुआ कि म्युनिसिपैलिटीज के एम्प्लाईज ने हड़ताल कर दी। आज 8 अगस्त से लगाकर 16 अगस्त हो गई वहां के 100 के 100 ही कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और सारे शहर में एक नारकीय दृष्य उपस्थित हो गया है। वे अपने अधिकार डेलिगेट करके नहीं गये और चले गये चैक पर दस्तखत करने चैयरमैन ने उनके नेक्स्ट ऑफिसर के दस्तखत अटेस्ट करके तनख्वाह ड्रा कर ली। ई. ओ. साहब पधारे तो उन्होंने कहा कि आपको चैक ड्रा नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने कलेक्टर को टेलीफोन कर दिया कि चैयरमैन ने गबन कर दिया। अब बताइये कि यह रेकार्ड पर है तनख्वाह वहां पर पोस्ट की गई और चेयरमैन के खिलाफ गबन का केस दर्ज कराने के लिए कह दिया तनख्वाह कर्मचारियों में बांट दी है। यह एक गबन है। आपका खुद का एल. पी. सी. 8 महीने से कोई नहीं था और म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए लोगों ने उनके साथ कन्सीड्रेशन किया और एल. पी. सी. के बिना ही पिछले 8 महीने की तनख्वाह दे दी जो कि अपने आपमें एक बहुत बड़ी इरेग्युलेरिटी है। लेकिन उनको अपनी तनख्वाह मिलती जा रही है। जब उनसे कहते हैं कि एल. पी. सी. लाओ तो 8 महीने तक नहीं देते हैं और इस किस्म की शरारत कर रहे हैं। इतना ही नहीं 20 म्युनिसिपल एम्प्लाईज के खिलाफ जो तनख्वाह नहीं मिलने के कारण परेशान थे उनके खिलाफ 107 और 151 के अन्दर केस दर्ज कर लिये। वहां के एस डी. एम. साहब जो कि एक आई. ए. एस. ऑफिसर हैं तो उन्होंने जो आदेश जारी किये हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी, यह प्रजातन्त्र के इतिहास में रेकार्ड में रखने के लायक डाक्युमेंट है। उनका एक्स्प्लेनेशन्स क्या है पावर्स का। पता नहीं क्या मन्शा माननीय मंत्री महोदय की पावर डेलिगेट करने की थी। एस. डी. ओ. साहब ने एक फरमान निकाला और उसकी कापियां बंटवाई। ऐसा पाया गया कि बिना अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के आदेश जारी होते हैं...... फिर अन्त में यह लिखा है, "समस्त कर्मचारियों तथा विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि जब तक अध्यक्ष के, बोर्ड की मीटिंग के, कमेटी की मीटिंग के प्रस्तावों पर जब तक ई. ओ. साहब आदेश नहीं देते हैं तब तक विश्वास नहीं किया जायगा, वह मान कर नहीं चलेंगे।" यह बड़ा भटका है जो आपने ई. ओ. साहब को अधिकार दिया है। वहां के चेयरमैन साहब ने ई. ओ. साहब की एबन्डेन्ट शक्तियों को देखते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया कि मेरा फन्क्शनिंग इसमें कतई पॉसिबल नहीं है इन नये आदेशों के जरिये। यह शक्ति ई. ओ. की है। और, सभापति महोदय, इतना ही नहीं आप जरा गौर फर्मावें अधिकार जो दिया गया है ....

श्री जयनारायण रौत : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि आज का

(श्री जयनारायण रोत)
बिजिनेस समाप्त न हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि बिल पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

(सदन का समय बढ़ा दिया गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : "68 (2) Where any proceeding or order of a board or of any of its committees or of the Chairman or Vice-Chairman or of any member is inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder. यहां तक तो ठीक है मगर वह रूल्स के अन्दर नहीं है तो क्या करेंगे or is detriment to the interest of the board," एक्जीक्यूटिव ऑफिसर इस बात की ताईद करेंगे कि चुना हुआ बोर्ड जो डिसीजन लेता है वह डेट्रिमेन्टल है कि नहीं इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ दी बोर्ड होते हुए बोर्ड और चेयरमैन को अधिकार नहीं है। वह बोर्ड के अन्दर डिसीजन लेंगे उसके ऊपर ई. ओ. साहब डिसीजन लेंगे इस सम्बन्ध के अन्दर—

SUBSTITUTION OF NEW SECTION FOR SECTION 68, Rajasthan Act of 1959 Sub-section (4):

"The Executive officer shall have the power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder to authenticate under his signatures all licences; permissions and orders which may be granted or given by the board under this Act and no licence or permission or order shall be legal and valid unless it has been so authenticated by the Excecutive officer."

आप फिर यह नहीं मानेंगे। बदलने के सम्बन्ध में, बोर्ड को नो कॉन्फीडेंस की जरूरत है। 22 ता. को नो-कॉन्फीडेन्स रख दिया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री रामनारायण चौधरी : इसके लिए रूल्स बना दिये गये हैं। अवलोकन कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अवलोकन तो हुआ नहीं है। 2/3 लेना है या क्या करना है। एक्जीक्युटिव ऑफिसर डिसाइड कर देगा, वह होगा। अब आप की सूची है। इसको आकर 1950 का जो एक्ट है, उसके अनुसार वोट का प्रॉविजन तय किया जाये—

"Providing for preparation and revision of electoral rolls according to the changes in the Representation of the People Act, 1950."

1956 से 59 की है। अब वहां का एक नया रजिस्ट्रशन होगा। वोट का

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

प्रपोर्शन। जनवरी को डबल हो जाता। वोट प्रोपर हो जाता था। वह सारी की सारी डेमोक्रेसी खत्म होगी। मीटिंग बताने की हमें क्या जरूरत है। मीटिंग के बारे में सेट है। लेकिन. अगर मीटिंग भी बोर्ड की बुलाई गई तो—

"as prescribed by the State Government."

इसके अनुसार बुलायेंगे। लेकिन कन्वर्सन के मुकाबले में कई शहरों में कीमत 15 गुनी बढ़ गई है। वह प्लॉट 10-20 साल से पड़े हुये हैं। कोकाकोला फैक्ट्री में दे दिये जायें और 10 बीघा जमीन पड़ी है, उनके पास। उनकी जमीन एक्वायर करने की सोचते तो हम समझते कि कोई प्रगतिशील कदम उठाया गया है। सारी की सारी म्युनिसिपैलिटी की जमीन। म्युनिसिपैलिटी के फाइनेंस की कोई चिन्ता नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अन्त में गंगानगर शहर के बारे में एक शब्द कह कर समाप्त करूंगा। गंगानगर एक श्मशान शहर है। म्युनिसिपैलिटी की जितनी भी जमीन है। मुरारी एण्ड कम्पनी के पास है। 100 करोड़ की कम्पनी है। एक तरफ रॉयल दिल्ली, दूसरी तरफ महाराजा करणीसिंह, जो कि सारी दिशाओं को रोककर बैठे हैं। विष्णु नर्सरी है। एक एक बंगले का 200-200 किराया हो गया म्युनिसिपल बोर्ड ने क्या कदम उठाया? गरीबों के लिए 10-10 बीघा जमीन उनको अलॉट करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान तक पहुंचाने की योजना बनाई। चारों तरफ से एक्वायर करके शहर का विकास करने की कोशिश करेंगे। वह माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के दिमाग में नहीं आई। कोई ऑथेण्टिक लॉ इसमें मौजूद नहीं है। न वह दिशा देना चाहते हैं। एक छोटासा केस है, सभापति महोदय, हरिजनों को 1955 में जमीन अलॉट की गई थी। सवालों के थ्रू यह बात सदन में आ चुकी है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के सामने यह प्रश्न उठाया जा चुका है। उस जमीन को कोलोनाइजेशन के द्वारा विभागीय तोर पर एक्वायर कर लिया गया है। उसके बाद गुमानसिंह जिनके खिलाफ 25 केस पड़े हैं। फिर भी तहसीलदार से अब वह एस. डी. ओ. हो गये हैं। सन् 66 में वह तहसीलदार भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तहसीलदार के नाते उन्होंने 50 रु. में हरिजनों को और 100 रु. में पुरुषार्थियों को जमीनें अलॉट कीं। नॉमिनल कीमतें कर दीं। म्युनिसिपल रिकार्ड में इण्टर कर दिया। वही जमीन सन् 1971 में दुबारा उन्होंने सवर्णों को किस कानून के तहत दे दी? बीरबल साहब वहां के प्रधान हैं। लाखों का उनका बंगला हरिजनों की छाती पर खड़ा है। बड़े बड़े बंगले वहां के गरीबों के बालबच्चों की छाती पर खड़े हुये हैं। जिन्हें गुमानसिंह ने एलॉट किया था।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उन जमीनों को प्राप्त करके, उन गरीबों को जमीन सुलभ कराने के लिए यह एमेण्डमेण्ट लाये। यह डेमोक्रेसी का गला घोंटता है। इसलिए सभापति महोदय मैं यह उचित समझता हूं कि इसे जनमत

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जानने के लिए भेजा जाये और इस प्रकार भेजा जाय कि आगे आगे यह बिल हो और इसके पीछे पीछे स्वायत्त शासन मन्त्री हों। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे बालों के बारे में कहा गया है लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मेरे बालों जैसी ही हालत मन्त्रीजी की भी नहीं हो जाये तो कहना।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल पाली !

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैंने इस बिल के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किया है, उसमें एक हफ्ते में प्रवर समिति से रिपोर्ट लिये जाने के बारे में प्रस्ताव किया है। इस विधेयक के बारे में निवेदन है कि इसमें मन्त्री महोदय ने डबल कॉन्स्टीटुयेन्सी वार्डो का निर्धारण किया है। सितम्बर, 1974 में चुनाव करवाने को कहा है। इसका स्वागत करता हूं। किन्तु साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि यह बहुत जल्दबाजी में लाया गया विधेयक है। जिन्होंने इस बारे में विचार व्यक्त किये हैं। मैं स्वयं इस बात को मानकर चलता हूं कि एक दिन स्वयं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो जो पावर्स देने की बात कही है, वह निश्चित रूप से निवेदन करके चलता हूं कि यह वापिस ऑर्डिनेन्स लाना पड़ेगा। और इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वापिस इलेक्टेड आदमियों की जो पावर्स हैं वह पावर्स उनके पास रहें। मैं यह मान कर चलता हूं, सारी नगरपालिकाओं का यह जनतन्त्र का मूल आधार है, और प्रारम्भिक कार्य वहां से प्रारम्भ होते हैं, उनका इस प्रकार से गला घोंट दिया जाना, सारे इलेक्टेड लोगों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी का थोप दिया जाना मेरी समझ में नहीं आता है, इलेक्टेड व्यक्ति का रूप इस संशोधन में किस प्रकार रख दिया गया है। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करूंगा, जयपुर नगर परिषद के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जयपुर नगर परिषद भंग हुई और प्रशासक की नियुक्ति हुई। उसके बाद प्रशासक जिस बात की तारीफ कर रहा था, मजदूरों की समस्या को लेकर जो हड़ताल हुई, वह उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में डाल कर उसको कम्पलसरी रिटायर करने का गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया जब कि उसकी सर्विस बुक में कोई रिमार्क नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, केवल मात्र जो हुकूमत ब्यूरोक्रेसी चलाना चाहती है, उसको पूरा न होने देने के कारण उसको उठाकर कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया। स्टेट मिनिस्टर ने उसकी सारी फाइल मंगाई और कहा कि इस कार्यवाही को रोका जाय। लेकिन वह भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें सेक्शन 68 है, कस्टडी ऑफ रिकार्ड, इसका नम्बर 2 है :

"(2) Where any proceeding or order of a board or of any of its committees or of the Chairman or Vice-Chairman or of any member is inconsistent with the provisions of this Act and the rules made

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

thereunder or is detriment to the interest of the board, the Executive Officer shall put up a note of dissent and report the matter to the Collector of the district and the State Government."

सारे उनके दिये हुए फैसलों पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोट ऑफ डिसेन्ट लिख सकेगा। और सब चीजों के लिए 4 में कहते हैं :

"(4) The Executive Officer shall have the power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder to authenticate under his signature all licences, permissions and orders which may be granted or given by the Board under this Act and no licence or permission or order shall be legal and valid unless it has been so authenticated by the Executive Officer."

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हर बोर्ड, इलेक्टेड बोर्ड, जो सारे शहर या नगर की, या कस्बे को, जहां पर नगरपालिका है, वहां सारी जिम्मेदारी को अपने आप वहन करते हुए भी सब काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कराने की बात की है। और वह इन्ट्रेस्ट आफ पब्लिक, इन्ट्रेस्ट ऑफ बोर्ड कह कर रख देगा। सारे इलेक्टेड आदमियों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को यहां पर सर्व शक्ति सम्पन्न बनाकर रख दिया है। यह सारे काम उसके जिम्मे रख दिये हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सारे इलेक्टेड लोग हैं वह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ जोड़ते फिरेंगे। जिस प्रकार माननीय सदस्य ने उदाहरण पेश किया, सूरतगढ़ के चेयरमैन की एक भी बात एस. डी. ओ. के सामने नहीं चलती है। तो मैं मानकर चलता हूं यही बात डेढ़ सौ नगरपालिकाओं में पैदा होगी। इसलिए इसे प्रवर समिति को देने की बात कही है। इसमें इस प्रकार के प्राविजन रख दिये गये हैं जिनके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाय, उनको देखा जाय ताकि जिस प्रकार के हमारे घोषित लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ सकें।

इसके साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा, नगरपालिकाएं ए. बी. सी. तीन किस्म की नगरपालिका हैं। 1950 के अन्दर जहां नगरों की आबादी साढ़े बारह लाख के करीब थी, आज राजस्थान के शहरों की आबादी है वह लगभग 45 लाख के करीब है। उस 45 लाख की आबादी के अन्दर एक नगरपालिका 10 हजार की आबादी की नगरपालिका है, उदाहरण के रूप में भीनमाल, देशनोक नगरपालिका हैं। वह 8 महीने तक अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाती हैं। जयपुर नगर परिषद् 7 लाख की नगरपालिका है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि कर्मचारियों को राणावत आयोग के अनुसार तनख्वाह देने की सिफारिश करते हैं, जो कि यहां रहने वालों को प्राप्त होते हैं, जो यहां राज्य कर्मचारी हैं, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें जो राहत मिलती है, वह यह चुनी हुई नगर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पालिकाएं अपने कर्मचारियों को देना चाहती हैं। हमारे सामने सारे कर्मचारी एक हैं। लेकिन आप कह देते हैं कि हमारे सामने और भी नगरपालिकाएं हैं। इस कारण हम चाह कर भी उनको राहत नहीं दे सकते। इससे जो सारे कर्मचारी काम करते हैं, उनके अन्दर असन्तोष पैदा होती है। यह भी कारण है कि यह सारे खर्चे को ठीक ढंग से मेन्टेन नहीं कर पाती हैं। मैं अनुरोध करूंगा, जो नगरपालिकाओं की विभिन्न श्रेणियां हैं, उनको अलग अलग हिसाब से देखें। मैं जयपुर नगरपालिका के लिए निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बहुत समय से यह डिमाण्ड रही है कि इसे म्यूनीसिपल कोर्पोरेशन बनाया जाय। आज यहां पर तिहरी व्यवस्था चलती है। एक नक्शा यू. आई. टी. से पास करवाना पड़ता है। लेकिन म्यूनीसिपेलिटी जब तक उसको सेंक्शन नहीं करे तब तक नक्शा पास कराने वाला काम नहीं कर सकता। कहीं रेवेन्यू से भी काम पड़ता है। कहीं फारेस्ट से काम पड़ता है। चार पांच एजेंसी इन सारे काम को करती हैं। मैं यह अनुरोध करके चलना चाहूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री जयपुर शहर के अन्दर इन सारी चीजों पर गौर करके म्युनीसिपल कोर्पोरेशन बनाने की बात पर विचार करें। उसके अन्दर मैं यह भी अनुरोध करूंगा, यू. आई. टी., पी. डब्ल्यू. डी. वाटर वर्क्स, इलक्ट्रिसिटी—इन सबको अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन हो। आज यह होता है, जयपुर शहर में जितना काम हुआ है वा तो स्पेशल रिक्वायरमेंट के अन्दर हुए हैं, या वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत हुए हैं। जहां तक नगर पालिका और नगर विकास न्यास का ताल्लुक है, मैं निवेदन करता हूं, इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और यहां पर निकम्मी व्यवस्था आपकी नाक के नीचे हो रही है। इस सारी व्यवस्था के अन्तर्गत मैं कहता हूं कि आपने जिस प्रकार ब्यूरोक्रेट्स को अधिकार दे दिये हैं, यही हालत अगर चलती रही तो निश्चित रूप से सारे राजस्थान के सारे शहरों में दुर्व्यवस्था मिलेगी। मैं निवेदन कर रहा था म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के बारे में। स्थिति यह है, एक बार सड़क बनती है, उसके बाद वाटर वर्क्स वाले आते हैं और वह पाइप लाइन डालते हैं। वह सड़क को खोद देते हैं। फिर सड़क की मरम्मत होती है। फिर टेलीफोन वाले

(5.15 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

आ जाते हैं और फिर सड़क तोड़ देते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यह क्रिमिनल वेस्टेज है हमारे धन का। जिस स्थिति के अन्दर यह सारा धन्धा चल रहा है और उसके अन्दर जो स्थिति आपके इन ब्यूरोक्रेट्स की हो रही है उसको देखते हुए निवेदन करूंगा कि जो चुनी हुई पालिका है, जो चुना हुआ चेयरमैन है, जो चुना हुआ वाइस-चेयरमैन है, जो चुनी हुई सब कमेटी हैं, उनके ऊपर इन ब्यूरोक्रेट्स को कर दिया है। लाइसेन्स वगैरह, और सारे काम की सारी पावर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे दी है, उसकी मर्जी पर छोड दिया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो प्रेक्टिकल डिफीकल्टी सामने आती है, मेहरबानी करके उनको ध्यान में रखकर देखें तब तो ठीक होगा। नहीं तो आपको स्वयं इसके अन्तर्गत फिर ऑर्डिनेन्स लाना पड़ेगा और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अधिकार दे रहे हैं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
उसको वापिस लेने की बात आपको करनी पड़ेगी।

अभी गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर हरिजनों के सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की बात थी। इस संदर्भ में घोषणा की गई। मैं कहता हूं कि पहले जयपुर में इलेक्टेड कौंसिल थी और यह बात सही है कि उसमें बड़े झगड़े थे। उसके बाद में आये प्रशासक और प्रशासक भी इस प्रकार के कि उनको किसी को भी जवाबदारी नहीं देनी है। केवल मात्र स्वायत्त शासन विभाग, और डाइरेक्टर लोकल बॉडीज के प्रति वह जिम्मेदार हैं। मैं मान कर चलता था कि 1969 से जो मांग करते आ रहे हैं और 22 लाख रुपये भंगी कष्ट मुक्ति आन्दोलन के अन्दर दिये गये। जिसके बारे में जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी के अन्दर, इस सदन के अन्दर चर्चा हुई कि यह प्रथा मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। आज जो सिर पर मैला ढोकर हरिजन भाई चलते हैं, उसको समाप्त करने की दिशा में कदम उठा कर ही इस प्रथा को मिटा सकेंगे। लेकिन मुझे खेद है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह लाखों रुपया आज बैंक के अन्दर जमा है, या इलेक्टेड नगर पालिका उसको दूसरे काम में लगा रही है और यह सिर पर मैला ढोने की प्रथा चालू है। मैंने समाज कल्याण मंत्री से यहां तक कहा कि यह रुपया समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस बात के लिए दिया गया है कि इस रुपये के माध्यम से उन लोगों को इस कष्ट से मुक्त करने के लिए इस कार्य को समापित करवायें, जिनके लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और समाज के बहुत बड़े अंग हैं। मुझे खेद है यह कहते हुए कि पता नहीं इन ऑफिसरों के जाल के अन्दर यह फाइल कहां अटकी पड़ी है। मैंने स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है, मेहरबानी करके इस काम के अन्दर लाल फीताशाही के कारण जो रुकावटें आती हैं, उनको दूर करवाने की कोशिश कीजिये। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बिलकुल इसको कबाड़खाने में पटक दिया गया है और जनता के धन का दुरुपयोग किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप महरबानी करके इसकी जांच करें और सब बातों को देखते हुए, सारी बातों को समझते हुए कार्यवाही करें। इन बातों की ओर मैं पिछले 12 महीनों से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लेकिन उन सबको आप रद्दी की टोकरी में फेंक कर इन सारी पावर्स को आप ब्यूरोक्रेट्स को देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि आदमी जब मंत्री बनता है, उसके पहले तक ब्यूरोक्रेट्स का आलोचक रहता है। उसके बाद जब वह मंत्री पद से हट जाता है तो फिर आलोचक बन जाता है। बीच में वह इनका प्रशंसक रहता है। अपनी सरकार इन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में यह मानती कि यह गाइडेंस देने वाले हैं और जिन लोगों के बल बूते पर जीत कर आते हैं, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व हैं, उनको पूरा करने की बात भूल जाते हैं। मेरा निवेदन है, जयपुर शहर की स्थितियों के बारे में, मैं अनुरोध करूंगा कि यहां पर जिस प्रकार की हालत पैदा हो रही है, जिस प्रकार लाखों रुपये का सामान रद्दी के रूप में डाला हुआ है,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चुंगी चौकियों पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, मन चहेतों की नियुक्तियां करके प्रशासन ने खुले आम भ्रष्टाचार कर रखा हैं, कर्मचारियों के पास सामान नहीं है कहीं पर फावड़ा नहीं है तो कहीं पर गैंती नहीं है, बिना स्वीकृति के लाखों रुपये की खरीद हो जाए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार से चलता रहा तो हम जिन कामों के लिए जनता से वायदा करके आये हैं वह पूरी नहीं होगी और वह सारा काम उन सारे ऑफिसरों के हाथ के अन्दर ही रह जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नहीं है जिस प्रकार से इस बिल के अन्दर सारी पावर्स ब्यूरोक्रेसी को दी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल शाम को व्यापारियों की मीटिंग थी, खुदरा व्यापारी संघ की, मैं भी वहां गया था, वहां बात की थी। आज मिलावट हुआ सामान मिलता है, उसको रोकने की म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी आती है, जिसको रोकने का दायित्व म्युनिसिपैलिटी का है, लेकिन वहां पर खुले आम लोगों ने कहा कि हमारे यहां टेलीफोन आते हैं, इतना मासिक रूप से लेंगे और आपका कभी नमूना नहीं ले जायेंगे, चेकिंग नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपका जो फूड इन्सपैक्टर, नमूने लेने वाला है, उसकी आमदनी मंत्री महोदय, आपसे ज्यादा है। आपको महीने का गिना हुआ पैसा मिलता है, उतना पैसा तो उनकी दो-दो बीबियों पर खर्च होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप उन पर विश्वास करके जगह जगह यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं

श्री विजयसिंह : दो दो बीबियां रखते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको सारी बातों का पुराना तजुर्बा है, आप स्वयं जागीरदार परिवार से आते हैं, दो-दो बीबी वाले हैं। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए दुबारा और अधिक आपके सामने नहीं कहूंगा। मैं इतनी बात निश्चित रूप से कहूंगा कि

(व्यवधान)

हां पिताजी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने गोद लेने का दस्तूर नहीं किया है, इसलिए सदन में कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं कह रहा था, जिन पर डिपेन्ड करके आप चलना चाहते हैं, वह आपके लक्ष्य के अन्दर सहायक नहीं हो सकते हैं।

गांधी शताब्दी वर्ष का मैंने जिक्र किया, उसमें रुपया मिला और उसके अलावा और भी रुपया है जिसका सदुपयोग नहीं होता। इसके अलावा जयपुर शहर में जिस प्रकार से म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की डिमाण्ड आई हुई है, उससे मनोरंजन कर और दूसरे कर म्युनिसिपल कोर्पोरेशन स्वयं वसूल करना है तो मैं स्वयं दावे के साथ कहता हूं कि इस पिंक सिटी को आज सारी दुनियां भर के लोग देखने के लिए आते हैं, मैं उनकी बात करता हूं मैं खजाने वालों के रास्ते का जिक्र करता हूं, कुछ टूरिस्ट को मैंने मूर्ति कला दिखायी। तो उन्होंने कहा, कृपया आप इस इनसेनिटेशन को दूर करिये। आज स्थिति यह है कि 5 हजार आदमी आज इस काम के लिए हैं, लेकिन दो महीने तक गटर लाइन रुकी रहे, लोग सड़ते रहें लेकिन कुछ नहीं होता है। आज लोकल सेल्फ के डाइरेक्टर बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। आप इन ब्यूरोक्रैट्स को सारी पावर देकर सारे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

म्युनिसिपेलिटी के प्रशासन को उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहते हैं, जो जनतंत्र की बुनियाद है वह उस पर छोड़ना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप स्वयं दुबारा सोचें और इस लेजिस्लेशन के अन्दर कोई कमी नहीं रहने दें जिससे कि बाद में ऑर्डिनेन्स लाकर कोई चेंज न करनी पड़े। यहां पर चुंगी के बारे में काफी प्रश्न सामने आये। चुंगी के बारे में मैं साफ शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग शहरों में अलग अलग समस्याएं हैं। जयपुर जैसे शहर में भी छोटे कस्बों की तरह ही चुंगी लगाई जाये, इसके विरोध में पहले भी जयपुर शहर एक बार बन्द रहा था, और आज भी मैं इसका विरोध करता हूं। जयपुर जैसे शहर में चूंगी के रेट्स अलग से होने चाहिये।

एक बात मैं मानता हूं कि जो लोग इलेक्ट होकर जाते हैं, उन पर कुछ जिम्मेदारी होती है जो वह महसूस करते हैं, लोग उनका गला भी पकड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर आपने जहां पहले एक साल तक ही म्युनिसिपैलिटी को सस्पेन्ड करने का अधिकार था वहां दो साल का कर दिया यह अच्छी बात नहीं है। कम से कम हमारी डेमोक्रेसी के लिए तो यह ठीक नहीं है।

जहां आपने म्युनिसिपैलिटी को भंग करके प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान रखा है वहां पर आपको उस प्रशासक के साथ स्थानीय नागरिकों की एक ऐडवाइजरी कमेटी भी रखनी चाहिये ताकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वह खुदा न बन जाये कि जो बात वह चाहे वह कर दे।

लगातार दो वर्ष के चिन्तन के बाद, चीफ सेक्रेटरी के साथ यह फैसला हुआ था कि जयपुर शहर के लिए एक ड्रेनेज साफ करने की मशीन खरीदी जाए, लेकिन उस फैसले को आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। हजारों लोग गन्दगी से परेशान होते हैं, सफाई नहीं होती लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डेढ करोड़ के टैक्सेज हम लगा दें और बुनियादी आवश्यकतायें पूरी न कर पायें, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह म्युनिसिपल प्रशासन किस बात का है ?

इस सदन में आश्वासन दिया गया, आश्वासन समिति को आश्वासन दिया गया कि जहां जहां सड़कें नहीं हैं, जहां लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पूरी व्यवस्था की जायेगी। लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। आपके प्रशासक के समय में जयपुर शहर एक गांव से भी बदतर हालत में है। आज भी त्रिपोलिया बाजार सारी अन्धेरे में पड़ी है। आखिर यह तरीका क्या है ? हमारी सरकार काम को किस प्रकार सरअंजाम देगी ? हमारी जिम्मेदारी है कि जनतन्त्र को सफल बनाना है तो कम से कम समय के लिए प्रशासक को रखें। दो वर्ष का जो आपने समय रखा है वह बहुत ही ज्यादा है। हमको जनता को फेस करना चाहिए। जनता चाहे जिन व्यक्तियों को चुन कर भेजे वह अपनी जिम्मेदारी निबाहेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दो वर्ष का जो प्रावधान आप रख रहे हैं वह एक वर्ष का ही रहने दें। मैं तो समझता हूं कि एक वर्ष भी ज्यादा है, लेकिन जहां आप दो वर्ष तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसे आप एक वर्ष ही रहने दें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पंजाब और हरियाणा सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि जहां जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर 12 मील के एरिया के अन्दर जो भी भूमि आती है उसको आबादी भूमि माना जाये। और उसका कनवर्शन करते हैं तो उसमें दिक्कत है। आज कहीं पर आप दस रुपये गज कनवर्शन चार्जेज के लेते हैं। तो दूसरी तरफ उसी के पास वाली जमीन जो उसके ठीक सामने है उससे आप 30 रुपया गज के कनवर्शन चार्जेज के लेते हैं। आखिर आपको कोई फिक्स रेट तो रखनी चाहिये इसके लिये। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन जगह का डेवलपमेन्ट का कार्य भी पूरा नहीं होता है। आज शहर में बिजली, पानी और सड़कों की हालत खराब है। सफाई की स्थिति बहुत खराब है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। आज पंजाब और हरियाणा में गुजरात में आबादी की लैण्ड को कनवर्ट करके जो पैसा आता है वह नगरपालिकाओं के पास आता है और उससे नगरपालिका की आय तो बढ़ती ही है साथ साथ वहां की हालत भी सुधरती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं बस एक ही मिनट में समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय आज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह सारा काम कर रहे हैं। यह बहुत ही निन्दनीय कार्य है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय आज जयपुर शहर में हजार हजार रुपये गज में जमीन बिकी है तो कहीं पर तीन-तीन सौ रुपये गज में जमीन बिकी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सारे कार्य की ओर ध्यान से देखा जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हरियाना और पंजाब में ऐसी व्यवस्था है कि जो वहां का विधायक होता है वह अपने नगरपालिका क्षेत्र का मेम्बर होता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय ऐसी व्यवस्था नियमों में करावे कि सम्बन्धित क्षेत्र का विधायक जिस प्रकार जिला परिषद का मेम्बर हो जाता है उसी तरह वह विधायक नगरपालिका का सदस्य बन जाये। क्योंकि जो नगरपालिका क्षेत्र का विधायक होता है उसकी 50 प्रतिशत अपने क्षेत्र की प्रोबलम्स होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मन्त्री महोदय इस में इस प्रकार का प्रावधान करे। इसके अलावा आज आपने नगरपालिका का विकास कार्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर रख दिया है और इलेक्टोरेट से चुन कर आते हैं उनको आप ब्यूरोक्रेट्स के नीचे रखना चाहते हैं। महरबानी करके यह कार्य तो चुने हुए सदस्यों के हाथ में होना चाहिये। आज जो भी काम वह करना चाहते हैं उनको आपने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चाहे वह कमिश्नर हो, चाहे कोई हो वह रोड़े अटकायेगा। इसलिये आप ऐसा कानून में प्रावधान करावें कि जिससे दिक्कतें मिट जावें।

श्री उपाध्यक्ष : मानिकचन्द सोगानी !

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का 19वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक 16 अगस्त, 1974 को मध्यान्होत्तर 3.00 बजे हुयी समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 20 व 21 अगस्त,

(श्री खेतसिंह)

1974 को लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाय :

मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त, 1974—

(क) मुख्य मन्त्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पर विचार।

(ख) गैर सरकारी सदस्य कार्य।

(1) राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) विधेयक, 1973 पर विचार।

(3) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सिन्धी शरणार्थियों को राजस्थान में भूमि आवटन से सम्बन्धित संकल्प पर अग्रेत्तर विचार।

बुधवार दिनांक, 21 अगस्त, 1974—

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय - व्ययक, 1974-75 पर अग्रेत्तर विचार।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कारण यह है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण Ordinance है। उपाध्यक्ष महोदय हालांकि मेरे पूर्व वक्ता ने काफी बातें सदन के सम्मुख रख दी थी और हो सकता है कई बातों का रिपीटेशन होगा। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान सेक्शन 68 के सब-सेक्शन (2) है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा नगरपालिका से काफी सम्बन्ध रहा है। और खासतौर से मैं आपको अजमेर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो भी कार्य वहां के चुने हुए चेयरमैन करना चाहते हैं उसमें एग्जेक्यूटिव ऑफिसर रोड़ा नहीं बनना चाहिये अब आप उन्हें इतनी पावर्स और दे रहे हैं कि आप इन चुने हुए व्यक्तियों को जो कि आज तक इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर होते थे उन्हें आप इनके नीचे कर रहे हैं। यह तो आप बिलकुल पासा ही पलट रहे हैं। आपका यह परिवर्तन कानून में करना कहां तक उचित है। मैं आपके माध्यम से दुबारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसकी तरफ गौर से देखें और इसमें सुधार करने की व्यवस्था करावें। इसके अलावा नगरपालिकाओं में दो पक्ष होते हैं एक तो रूलिंग पार्टी दूसरी उसकी विपक्ष की पार्टी अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने विपक्ष से किसी भी प्रकार से मिलकर नोट ऑफ डिसेन्ट उस पर दे दिया तो आपकी जो रूलिंग पार्टी ने कोई भी परिवर्तन करने की सोची हो वह पास नहीं हो सकेगा। वह अपना नोट ऑफ डिसेन्ट लिखकर गवर्नमेंट को भेज देगा और उसमें मैं समझता हूं कागज पर कार्यवाही होने में काफी समय लग जायेगा। गवर्नमेंट से उसका फैसला होने में देर लगेगी और इस प्रकार म्यूनीसिपल का उनका काम ठीक तरह से नहीं चल पायेगा। इसके लिए तो आपके म्यूनिसपैलिटीज एक्ट में पहले से ही सैक्शन 288 मौजूद है फिर आपको यह नया चेन्ज करने की क्या आवश्यकता है ?

(श्री माणकचन्द सोगानी)

सैक्शन 288 के तहत कलेक्टर को अख्तियार है जो इल्लीगल काम को रिजेक्ट कर सकता है। इससे अननेसेसरी डिले होगी। इस प्रकार तो आप नगरपालिकाओं के काम में ब्रेक लगाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। इस लिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह सब-सैक्शन (2) जो आपने जोड़ा है। उसे डिलीट किया जाय और आपने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पावर्स दी हैं उसे समाप्त करें। यह उचित नहीं है। इसमें यहां तक तो ठीक है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ:

"(2) Where any proceeding or order of a board or of any of its committees or of the Chairman or Vice-Chairman or of any member is inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder or is detriment to the interest of the board...."

यहां तक तो ठीक है। इसके ठीक इमीडियेटली आगे आपने "the Executive officer shall put up a note of dissent and report the matter to the Collector of the district and the State Government."

जो किया है वह उचित नहीं है। इसमें आपको संशोधन करना उचित नहीं है। यह तो आपका पुराना सैक्शन 288 ही काफी है। जिसमें कलेक्टर इल्लीगल काम को रोक सकता है। फिर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से और क्यों गवर्नमेंट को रैफर करा रहे हैं उसे पावर्स क्यों दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज नगरपालिकाओं के चुनिन्दा लोग आते हैं उन्हें अपने शहर में सफाई, बिजली, पानी, सड़कों की व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करना पड़ता है। नगरपालिका का आमदनी का सोर्स क्या है? वह है ऑक्ट्राई, हाउस टैक्स या जमीन बेचकर वगैरह। इसमें अगर रोडा लगाए एग्जीक्युटिव ऑफिसर तो वहां का कार्य कैसे होगा? अगर नहीं होगा तो वहां की हालत बहुत ही खराब रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अजमेर का उदाहरण देना चाहता हूं। अभी अजमेर में उर्स का मेला लगा। उपाध्यक्ष महोदय, उर्स का मेला एक ऐसा मेला है जहां सिर्फ हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग ख्वाजा गरीबनवाज के दर्शनार्थ आते हैं। तो जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उसमें एक व्यक्ति पैरिस से आया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके साथ गया था। लेकिन जब वहां पर गए तो रास्ते में हालत बहुत ही खराब थी। जगह-जगह कीचड़ था पानी की नालियों में गन्दगी भरी हुई थी तो उसने कहा कि यहां भी कोई प्रकार की सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुःख हुआ। अब सफाई के कार्य के लिए या नल की व्यवस्था के लिए या बिजली व्यवस्था के लिए आपकी नगरपालिका का दायित्व है, वह करे। लेकिन वह नगरपालिकायें कर नहीं पाती हैं। उसका कारण है कि वहां पर प्रशासनिक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और प्रशासनिक खर्चों में काफी धन तो लोगों को तनख्वाहें देने में ही खर्च हो जाता है तो विकास का

(श्री माणकचन्द सोगानी)

कार्य नहीं हो सकता है। अब जब कभी हम चुनाव के दिन आते हैं तो लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं तो वह लोग हमें अपनी दिक्कतें पेश करते हैं। माफ कीजियेगा इस तरह की परेशानी मुझे अकेले को नहीं है बल्कि सदन के कई माननीय सदस्य को है तो आखिर हमने ऐसी क्या गलती की है कि आप इस तरह के क्लॉज रख कर ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि हम उनसे जाकर दुबारा नहीं मिलें।

मुझे कहते दुःख होता है कि आपने शायद सुना नहीं होगा कि कहीं नालियों में मैला भी बहाया जाता है। पर हमारे अजमेर में यह एक रोज का नहीं हर रोज का रूटीन हो गया है। क्या यह सब सरकार का फर्ज नहीं है कि अगर गाड़ियां कम हों तो साधन जुटावे, बढ़ावे। मेहतर कम हैं तो बढ़ावें। पर यह तो नहीं कि नालियों में जिनमें से होकर बरसात का पूरा पानी नहीं बह सकता उनमें टट्टी बहावें। सुबह-सुबह लोग घूमने निकलते हैं धर्म ध्यान के लिए मन्दिर वगैरह के लिए निकलते हैं तो घर से निकलते ही कहां तो खुशबू किसी फूल पौधे की मिलनी चाहिए पर उसकी जगह मिलती हैं टट्टी की सड़ान्ध और भयंकर बदबू। लोग रुमाल नाक के आगे रख कर दौड़ते हुए वहां से निकलते हैं। यह रोज का किस्सा है। तो इसे रोकना आपका फर्ज है।

साथ साथ जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा बिजली के बारे में पक्की बात है। पहले प्राईवेट कम्पनी काम करती थी तब बल्ब खराब होते ही नया लट्टू लग जाता था, कहीं खराबी होती थी तो जल्दी ठीक हो जाती थी, आज कल तो अब यह हाल है कि लट्टू नया लगना तो सपना हो गया है। लाइट का यह हाल है कि वहां अमूमन ब्लैक आउट रहता है। बरसात में अन्धेरे में जाने के लोग आदी नहीं हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में जाता हूं तो दिक्कत पाता हूं। रास्ते में कुत्ते पड़े रहते हैं। उन पर पांव पड़ गया और कुत्ते ने काट खाया तो 14 इन्जेक्शन लगाओ। तो सरकार को अपना फर्ज देखना चाहिए। बिजली वालों का फर्ज है कि बराबर बिजली रहे। लट्टू जलते रहें, अगर कोई खराब हो गया है तो समय पर बदल दें। अगर नहीं नया लगाने की स्थिति में हों तो जो हैं उन पर तो बिजली समय पर दे दें।

पानी का जहां तक हाल है, अजमेर विख्यात हो गया है। कुछ पैसा वित्त मन्त्री जी ने दिया है। पर फिर भी यह हालत है पब्लिक टेप पर पानी आने का कोई समय निश्चित नहीं है। कारखाने जाने वाला आदमी दिन भर काम पर जाने के बाद रात आता है तो सोचता है कि समय पर पानी मिले तो चलो भर लूं। पर रात रात भर इन्तजार करने के बाद भी लाटरी का खेल है। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो यह नगरपालिका का कर्त्तव्य है कि इसे देखे और ठीक करे।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां शिड्यूल्ड कास्ट का बहुमत है। वह स्लम एरिया है। वहां यह हालत है कि कहीं छः फीट की गली है तो कहीं आगे 9 फीट हो गई और फिर आगे जाकर पांच फीट ही रह गई। अब नाली निकालते हैं तो सभी कहते हैं कि हमारे घर के पास से मत निकालो फल यह हुआ कि सड़क के बीच से नाली बहती है। इतना कुप्रबन्ध है कि जिस की सीमा नहीं तो इधर भी देखना चाहिए।

(श्री माणकचन्द सोगानी)

हाउस टैक्स और ऑक्ट्राय का सवाल आया। ऑक्ट्राय कहीं रुपये पर है तो कहीं वजन पर है। इससे हिसाब नहीं बैठता। व्यापारी जयपुर जाकर माल खरीदेगा क्योंकि वहां अजमेर में रेट ऑक्ट्राय की ज्यादा है। मसलन मैडिसिन है। चोरी भी होती है इसमें। टैक्सी के पीछे बंडल रख करके अजमेर लाये जाते हैं। तो जो चुंगी मिलनी थी वह भी नहीं मिली। रेट ठीक रक्खी जाय तो आमदनी भी अधिक होगी। और चोरी भी नहीं होगी। हमारी नीति ठीक नहीं है। चोरी को बढ़ावा देने की है इस पर ध्यान देना जरूरी है।

जहां जरूरत हो पब्लिक लेट्रीन्स बनाई जावें। इससे गन्दगी कम होगी। इसके लिए निश्चित प्रबन्ध करना ही चाहिए।

साथ ही अर्ज करूंगा कि अजमेर में हाउसिंग बोर्ड ने जो मकान बनाये हैं वे बरसात में पहली ही मरतबा में चूने लग गए हैं और बहुत से तो ढह भी गए हैं। अभी तो लोगों ने रहवास नहीं किया। करते तो कइयों की केजुअल्टी हो जाती। ऐसे मकानों में लोग अब जाने में शंकित हो गए हैं। न अपनी आगे की किस्तें ही देना चाह रहे हैं। वे भयभीत हो गए हैं। अब तक जो हो चुका है उसको तो जैसे तैसे ठीक किया जाय। आगे से साख जमे ऐसा किया जाय और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जायं।

ये जो चीजें कही हैं मैंने उन पर ध्यान दें। यहीं समाप्त कर देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, सोरी, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल लाया गया है इसमें ये अमेण्डमेंट जो हैं वे छोटे मोटे नहीं हैं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा बहुत बड़ी तब्दीलियां चाही गई हैं। पर मेरी मान्यता है यह जल्दबाजी में तय किया जा रहा है और इसलिए उचित नहीं है।

पहली बात लोकल सेल्फ के बारे में डिबेट हुई थी तो सुझाव रखा था रचनात्मक पहलू से। मसलन हमने यह सुझाव रखा था कि ऑक्ट्राय के सिस्टम में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। एक सुझाव यह भी रखा गया था कि चुंगी के सिस्टम को राशनेलाइज किया जावे और ऐसे तरीके से रखा जावे जिससे कीमतों पर यह लिया जा सके। वजन पर वसूल करना अटपटा लगता है।

हाउस टैक्स के बारे में भी सुझाव रखे गये थे कि यह स्लेब सिस्टम से रखा जाय। ये सुझाव नगरपालिका के लाभ के हो सकते थे पर उनको नजर अन्दाज कर दिया गया और इसके बदले में जल्दबाजी में यह अमेण्डमेंट सरकार लेकर यहां आई है नतीजा यह होगा कि सभी सदस्य डिसइन्टरेस्टेड हो जावेंगे और इसका असर चुनावों में पड़ेगा। सरकार अगर चुने हुये लोगों को काम देना चाहती है और अपने पावर्स को सेन्ट्रेलाइज नहीं करके डिसेन्ट्रेलाइज करना चाहती है तो उसे इसका सुबूत देना चाहिये और इस अमेण्डमैन्ट को ऐसी सूरत में लाना नहीं चाहिये था।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह सही है कि नगरपालिका के प्रशासन में भयंकर भ्रष्टाचार है। हम चुने हुए नुमाइन्दों को भी मजबूरन यह कहना पड़ रहा है कि हम में से भी बहुत से गड़बड़ियां करते हैं। इसकी रोक-थाम का एक ही रास्ता है कि सरकार ऐसे कारनामों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। अगर जनतन्त्र को सही माने में फंक्शन करने देना चाहते हैं आप तो फिर जनता के चुने हुए नुमाइन्दों को पूरे अधिकार देने चाहियें ताकि अगर उनके लिये सम्भव हो सके तो इस तरह के भ्रष्ट लोगों को अथवा अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकें स्वतन्त्र रूप से।

जयपुर की मैं बात बताऊं। एडमिनिस्ट्रेटर जो नये आये हैं उन्होंने आर्थिक हालत नगरपालिका की कुछ ठीक की है। करेप्शन भी कुछ कम हुआ है। अब जो साथी विधायकों ने कहा कि किसी अफसर को बर्खास्त किया जावे तो यह व्यक्तिगत चीज है, इसे इतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। उसमें कुछ हो सकता है, दूसरे हाईकोर्ट के अन्दर रिट है और ऐसे मामले जो सबजूडिस हैं, उनके बारे में कुछ ऐतिहात बरतना चाहिये, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है जो करप्शन म्युनिसिपैलिटि के स्टाफ में था वही करप्शन मेम्बर में गया और उसकी उदासिनता राज्य सरकार की और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यह रही कि न इनके खिलाफ आपने कोई कदम उठाना चाहा और न उनके खिलाफ उठाया। जिसके फलस्वरूप ऐसे हालात पैदा हो गये कि मजबूरन यह कहना पड़ा चुने हुए नुमाइन्दे गड़बड़ कर रहे हैं। आप जो कुछ भी अजाम दें उनके बारे में लेकिन मैं अर्ज किया चाहता हूं जो बुनियादी तब्दीलें होनी चाहियें उसको नजरन्दाज रख कर कुछ ऐसे प्रोविजन्स रखे गये हैं जिससे म्युनिसिपैलिटि की आॅटोनोमी को खतम किया गया है।

दफा 69 में ऐसा सुझाव रखा है जिससे यह साफ हो जाता है चुने हुए नुमाइन्दे या वोट का कोई फंक्शन नहीं रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूं बोर्ड के फैसलों का आॅथेन्टिक एग्जीक्यूटिव आॅफिसर है या कमिश्नर है, वह करे और वह डिसेन्ट नोट भेजकर कलेक्टर को करे और वे उस कागज को अपने दफ्तर में रख कर भूल जायं और महीनों तक बोर्ड का फैसला इम्प्लीमेंट न हो। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या जो चुनी हुई म्युनिसिपैलिटि है, उसके हकूक, उनकी आॅटोनोमी में मेरी गुजारिश यह है कि मैं इसको बड़ी गंभीर चीज मानता हूं। आज जितनी आवाज चाहे कांग्रेस बैन्चों से उठी हों, चाहे अपोजीशन से उठी है इसके खिलाफ सबने मुत्तफिक राय दी है। मंत्री महोदय खुद डेमोक्रेटिक स्प्रिट के आदमी हैं और उनके खिलाफ भी यह तपशरा हुआ है, उसको इस नजरिये से देखकर विथड्रा करें-आॅथेन्टिक होने की जरूरत नहीं है। जब आपने यह तय कर दिया चेयरमैन को पूरे अख्तियारात नहीं दिये जायं, मेरा मानना है यह जब पूरे अख्तियारात दे देते है तो वह करप्शन का आदमी बन जाता है। यह सही है लेकिन उस हद को करटेल किया है, यह भी मैं मानता हूं जो कलेक्टिव फंक्शनिंग है, जो काम चलाने का तरीका है कमेटी में 5-6 आदमी होंगे, वे सबके सब करप्ट नहीं होंगे और हो भी नहीं सकते हैं और अगर एक-दो ईमानदार हैं तो वे सही इम्प्लीमेन्टेशन करा देते हैं। लेकिन चेयरमैन के पावर्स

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

खतम करने के बाद म्युनिसिपैलिटी के इस प्रोविजन को भी खतम कर दिया जिसमें ···

"The Executive Officer shall put up a note of dissent and report the matter to the Collector of the district and the State Government."

वे दोनों जगह भेज दें। कलेक्टर फैसले का इन्तजार करता रहे, गवर्नमेंट सोचे कलेक्टर की रिपोर्ट आयेगी। मेरी गुजारिश है आप रिपोर्ट करें तो फैसला किससे लेना चाहते हैं। उस नोट ऑफ डिसेन्ट का फैसला किससे लेना चाहते हैं········

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पांच मिनिट में मैं कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दे दूंगा। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

तो जो यह प्रोविजन्स हैं मैं इनको डेमोक्रेटिक नहीं मानता। यह मिनिस्टर का ऑटोनॉमी में सीधा हस्ताक्षेप है। इसके बाद एक क्लॉज इस प्रकार है जिसमें लेजिस्लेशन की तारीफ यह होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जाय ताकि इन्टरप्रिटेशन की दिक्कत न हो। जितने अमेण्डमेंट रखे है उसमें हर जगह प्रेस्क्राइब्ड होगा। असल में रूल्स बनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाना चाहते हैं। जहां प्रेस्क्राइब्ड है वहां पर उसको आप एक्सप्लेन कर दें ताकि एक्सप्लेनेशन आने के बाद दिक्कत न हो। इसके अलावा एक चीज जो मुझे और गुजारिश करनी है। आपने यह तय किया किस परपज के लिए जमीन दी गई है और उस परपज के काम नहीं आती है तो आपको पावर्स हैं उसको दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दें। मैं इस मसले को गलत मानता हूं। मैं यहां के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं बिड़ला को हजारों एकड़ जमीन हवाई जहाज के स्ट्रिप के लिए दी थी। उसने बजाय हवाई जहाज का स्ट्रिप लगाने के उस जमीन में खेती लगा दी गेहूं और दूसरी दूसरी चीजें बो दी गई और इस प्रकार करके उसने अपने ब्लैक मनी को छिपाने को दृष्टि से ऐसा किया। उसके खिलाफ हमने आवाज बुलन्द की। हमारी अवाज बुलन्द होने के बाद जमीन जब्त हुई और फिर इन्डस्ट्रीज के लिये जमीन दी। मेरी गुजारिश है जिस परपज के लिये जमीन दी उस परपज के लिये अगर इस्तेमाल नहीं हो रही है तो वह जमीन रिज्यूम हो जानी चाहिए। जैसा अभी भी आपके सामने कोका कोला फैक्टरी के लिये जमीन दी हुई है और वह फैक्टरी थोड़ी सी जमीन पर बनी हुई है। बाकी सारी जमीन 1000-1500 गज खाली पड़ी है उसको वापिस रिज्यूम कर लेना चाहिये बजाय उसको ही किसी दूसरे परपज के लिए दी जाय लेकिन आप क्या करते हैं उस जमीन का ढाई रुपया, पांच रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कायम फरमा देंगे और उसको लीगेलाइज कर देंगे और कह देंगे यहां होटल बना सकते हैं, काश्त करना चाहें काश्त कर सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहें, कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो आपने लिबर्टी दी है इसमे राज्य सरकार को नीयत में कुछ फितूर नजर आता है। और इस तरह आप हर जमीन को लीगेलाइज करने की कोशिश करेंगे जिसको वे इस्तेमाल करते हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

शहर में एम. आई. रोड पर ए. एम. अलाबख्श के पीछे एग्रीकल्चर लैण्ड मौजूद है, पुरानी बस्ती में मौजूद है। इतनी कीमती जगहों पर आपकी नजर नहीं पड़ती है जहां आपको काफी पैसा मिल सकता है। एग्रीकल्चर प्राइस देकर 10 हजार, 20 हजार में बिड़ला ने उसको खरीद रखी है, कई जगहों पर कुछ निजी लोगों ने इसी प्रकार की एग्रीकल्चर जमीन खरीद रखी है। आपको यह करना चाहिये जो आबादी में होते हुये एग्रीकल्चर है, उसको फौरन टेक ओवर करें। जो जमीन जिस काम के लिये दी गई और उस काम के लिये वह इस्तेमाल नहीं हुई है तो उसको टेक-ओवर करें। उसके बजाय करप्शन बढ़ाने के लिए कानून बनाते हैं। और छूट देते हैं कि उसको दूसरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैन्ड आपने दी और इसी परपज के लिये दी और अब आबादी जमीन में उसकी नेचर बदलते हैं तो वह कन्वर्सन नहीं कहलायेगा। तो आप क्लेरीफाई कीजिए कि कन्वर्सन की फ़िजोलॉजी क्या होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैन्ड को अगर आबादी में कन्वर्ट करें तब तो यह कन्वर्सन में आता है और अगर आप उसके इस्तेमाल के नेचर को बदलें तो कन्वर्सन नहीं कहलायेगा।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें आपने अपने राइट्स रखे हैं। म्युनिसिपैलिटीज की हालत तो खराब है और म्युनिसिपैलिटीज फंक्शन ठीक नहीं करती हैं पैसे के अभाव में और जो पैसा कन्वर्सन के बाद मिला वह भी आप खुद ही लेना चाहते हैं। इस पर भी मुझे आपत्ति है। आपको क्लियर होना चाहिए था कि म्युनिसिपल लैण्ड है तो फिर आपको पैसा नहीं मिल कर म्युनिसिपैलिटीज में जाना चाहिए।

इसके अलावा इसमें जो और थोड़ी बहुत खामियां हैं और मैं समझता हूं कि इसके अलावा कुछ सराहनीय बात भी है। आपने सिंगल मैम्बर कॉन्स्टीटयूऐन्सी शिड्यूल्ड कास्ट के लिए कायम की है। यह बहुत अच्छा कदम है। इसलिए कि बहुत बड़ी बड़ी कान्सटीटुएन्सी में गरीब शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं लड़ता था। इसलिए उसके बारे में मैं अर्ज किया चाहता हूं कि आपने एक सही कदम उठाया है। आपने किसी एक इन्डीविजुअल के अलावा कमेटीज को कुछ पावर्स देने का कदम सही उठाया है लेकिन जितने सही कदम उठाये हैं आपने ओमिट कर दिया कि म्युनिसिपल कौंसिल अपनी आमदनी किस तरह से बढ़ा सकती है। रेशनेलाइजेशन ऑफ ऑक्ट्राय ड्यूटी के बारे में कोई सुझाव नहीं है। आपका सुझाव नहीं है कि कीमत पर होना चाहिए या किस पर होना चाहिए। जो बड़े बड़े मकानात हैं उनका भी वही रेट और जो एक बेवा का छोटा सा मकान है उसका भी वही रेट। यह बातें बहुत होशियारी के साथ आपने ओमिट कर दीं।

इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पावर्स दी हैं यह तो इस एक्ट का काला बदनुमा दाग है जिसको मैं चाहूंगा कि आप वाश-आउट कीजिए। ऑथेन्टीकेशन की बात खतम कीजिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पावर्स दे दी इसका मतलब यह है कि आप बोर्ड को सुपरसीड करते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ अर्ज करूंगा कि मंत्री

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

महोदय इस बात पर गौर करें कि यह चीजें जो इन्ट्रोड्यूज की हैं वह सही हैं। आपका यह कहना हो सकता है कि इसका यह इन्टरप्रिटेशन नहीं है लेकिन इसकी लैंग्वेज से यह साफ हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव आॅफिसर्स हर परमीशन के ऊपर अपनी फाइनल सैंक्शन देगा और वह यह समझेगा कि रूल्स के खिलाफ है तो रूल्स का इन्टरप्रिटेशन का हक सिर्फ एग्जीक्यूटिव आॅफिसर को होगा। बोर्ड में जो लोग 40 या 50 बैठते हैं उनको आपने समझ लिया कि वह कानूनदा नहीं हैं, वह कानून को समझते नहीं हैं। इससे तो अच्छा यह होता कि आप लीगल कमेटी के फार्मेशन का सुझाव दे देते कि कोई भी इस तरह का मामला उसके पास जायेगा। और उसका फैसला फाइनल होगा। यह तो समझ में आने वाली बात थी। आपने उन 40-50 आदमियों के जो अधिकार थे वह तो खतम कर दिये और आपने एग्जीक्यूटिव आॅफिसर को एक तो आॅथेन्टीकेशन का अधिकार दे दिया और वोट आॅफ डिसेन्ट का अधिकार दे दिया। ऐसा मालुम पड़ता है कि जैसे इनको वीटो पावर्स दे दी गयीं और वह आॅथेन्टीकेट नहीं करता है और वोट आॅफ डिसेन्ट देता है तो वह कलेक्टर को भी रेफर करे और गवर्नमैंट को भी रेफर करे। यह ऐसी चीज है कि आपने जो कुछ भी रिफार्म्स करने की कोशिश की है उन सबको नलीफाई कर देता है।

इन्हीं शब्दों के साथ अर्ज करूंगा कि आप गौर फरमायें और इसके ऊपर जो सुझाव मिले हैं हम लोगों की तरफ से और कांग्रेस बैंचेज की तरफ से भी उनके ऊपर गौर करके इन क्लॉज को नहीं लें और डिलीट करें ताकि जो इससे क्लाजेज हैं वह इफेक्टिव हों।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिए प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : You have lost your chance. You were not present when your name was called.

श्री शंकरलाल : नाम तो श्री श्रीराम गोटेवाला के पश्चात् था।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका ...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोई समय निश्चित किया जाना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : इसके बाद उपाध्यक्ष जी एक लम्बा बिल है और समय निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद मंत्री महोदय का जवाब हो जायेगा।

श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका संशोधन विधेयक हमारे सदन के सामने आया। यह महसूस हुआ कि यह हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बिल है। आज जैसे नगरपालिकाओं के अन्दर अनेक प्रकार की बुराइयां घर कर गयी हैं उदाहरण के तौर पर आज गन्दगी शहरों

(श्री लूणाराम)

के अन्दर इस प्रकार से घर कर गयी है कि नगरपालिकाओं की सीमाओं में रहने वाले अपने शरीर के सिवाय अपने मकानों तक की सफाई नहीं करना चाहते हैं और अगर करते हैं तो मकानों के आगे ही कचरा डाल देते हैं। वह कभी एहसास नहीं करते कि गंदगी तो कम से कम नहीं करें। हम चाहते थे कि इस प्रकार की जो बुराइयां बढ़ रही हैं आधा समाज तो उसकी सफाई में रहे और आधा समाज गन्दगी करता रहे। इसके लिए हम चाहते थे कि कोई पाबन्दी हो।

दूसरी तरफ आज इस बढ़ती हुई आबादी के अन्दर, शहरों के अन्दर लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। नगरों की सुन्दरता बिगाड़ दी है—न कोई गली छोड़ी है, न चौराहा छोड़ा है और न खेल के मैदान ही छोड़े हैं मर्जी आये जिस प्रकार से कब्जा कर लिया और नियंत्रण जैसी कोई चीज नहीं है। आज यह देखा जाना चाहिए था कि इस प्रकार की व्यवस्था होती कि समय समय के ऊपर नीलामी की कार्यवाही के लिए नगरपालिकाओं को हिदायतें होती लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण आज सबसे बड़ी बात इस बिल के अन्दर सामने आई है। दूसरी बात यह देखनी है कि आज नगरपालिकाओं के विकास के लिए कम से कम जिस प्रकार से पंचायत समितियों पर जिला परिषदें हैं उसी प्रकार से ऐसा कोई संगठन नगरपालिकाओं के लिए होता जिससे, कि वह समय समय पर विकास के कामों के लिए प्रेरणा करते लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं होने के कारण बिल के अन्दर सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर सदन में चर्चा हो चुकी है वह यह है सारे के सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दे दिये हैं। यह अधिकार जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ इस सदन में कहा जा चुका है। एक प्रकार से यह बात उपाध्यक्ष महोदय ठीक भी समझी जा सकती है और वह इस तर्क में कि आज जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्य करता है, गड़बड़ी करता है तो सरकार के पास शिकायत पहुँचती है। लेकिन यह समय बतायेगा कि एग्जीक्यूटीव ऑफिसर जो अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करेगा उसके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और जब ऐसा होगा तो एक प्रकार से रामराज्य हो जावेगा। भले ही नगरपालिकाओं का काम अच्छे ढंग से हो या नहीं हो। तो यह व्यवस्था बिल में रखी गयी है उसको देखते हुये यही होगा कि आज का जन प्रतिनिधि बेकार सा हो गया है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका कोई दायित्व नहीं है। हम यह नहीं कहते कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कतई जिम्मेदार नहीं है। अपने स्थान पर और अपनी सीमा में वह भी जिम्मेदार है लेकिन यह अधिकार जो उनको दिए जा रहे हैं यह देने के लिए नहीं हैं। यह किसी कमेटी के पास होने चाहिए पर इस प्रकार की कोई चीज न हो करके आज सिर्फ यहां इस बिल से जन प्रतिनिधियों को एक तरह से खुश करने की कोशिश की गई है। जैसे एक बच्चे के मुंह में मिश्री देकर थप्पड मारने जैसी बात इस एक्ट में दर्शाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने ना मालुम किस प्रकार से यह व्यवस्था अपने आप स्वीकार करके इस बिल के अन्दर रखी है। यह तो वह जान सकते हैं। शायद उनके विचारों के विपरीत बिल आ गया है। ऐसी जो भावना व्यक्त

(श्री लूणाराम)

करके जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है इस बिल में वह जनतंत्र व्यवस्था में ठाकुराघात है।

जहां तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जन प्रतिनिधियों द्वारा गड़बड़ी करने का सम्बन्ध है वह तो कुदरती सेक्शन 68 के (2) में रखी गई है। वह नोट भेज सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भेज सकता है। इसमें किसी प्रकार के दिक्कत की बात नहीं थी पर ऐसा नहीं करके जन प्रतिनिधियों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है यह सराहनीय नहीं है।

इसी प्रकार से अभी जैसा निवेदन किया गया था नगरपालिकाओं को सुधारने की आवश्यकता है। वह एक प्रकार से जबरदस्त आवश्यकता है। आज नगरपालिकाओं को भूमि विक्रय का कोई अधिकार नहीं है। हम नगरपालिकाओं के विकास की तो बात करते हैं लेकिन जैसा अभी निवेदन किया कि उनको भूमि विक्रय का अधिकार नहीं के बराबर है। वे भूमि का कोई विक्रय नहीं कर रहे हैं जिससे अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं। नगरपालिका अगर किसी को नीलाम भी करना चाहे तो किसको नीलाम करे। बहुत सारी नगरपालिकाएं ऐसी होंगी जिनके पास कोई जमीन खाली नहीं होगी और जमीन खाली नहीं मिलने के कारण उनकी बोली कौन देगा और इस प्रकार कई लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं जिससे आगे लेने वाला तैयार नहीं होगा।

इसी प्रकार से आज जो लाखों मण खाद हर साल बेकार जाता है। नगरपालिका क्षेत्र की एक तरफ तो जो हरिजन लोग हैं वे कहीं से भी कूड़ा उठा कर कहीं पर यों ही डाल देते हैं। एक जगह से गन्दगी उठाई और दूसरी जगह डाल दी और गन्दगी पैदा करते हैं। उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आज एक तरफ खेती की व्यवस्था के लिए, खेतों से सोना उगाने के लिए खाद की अत्यन्त आवश्यकता है और दूसरी तरफ खाद का उपयोग नहीं हो रहा है और सारी नगरपालिकाओं का खाद इकट्ठा न हो कर बेकार डाली जाती है। उसके लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं रखी गई है और एक जन प्रतिनिधियों पर काम करने की पाबन्दी लगा कर सारा का सारा जो रूप है वह दूसरा ही हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो रचनात्मक सुझाव दिये गए हैं आप उन पर विचार करेंगे और इस तरह से इसको जनमत जानने को प्रसारित करेंगे। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी!

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के जो प्रस्ताव इस बिल को जनमत जानने अथवा प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जावे, सदन के समक्ष विचाराधीन है। जहां तक जनमत जानने अथवा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रश्न है इसका मतलब यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि जनमत के लिए भेजें अथवा प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो फिर महत्वपूर्ण संशोधन ऑर्डीनेंस के द्वारा ला करके नगरपालिकाओं के चुनाव सितम्बर में हम करवाना चाहते हैं और दूसरा फेज दिसम्बर में लाना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता। तो मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)
इस प्रस्ताव से किसी भी सूरत में सहमति व्यक्त नहीं कर सकता और मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उन विचारों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक चीज जो अमेंडमेंट के द्वारा लाई जा रही है, संशोधन द्वारा लाई जा रही है वह बहुत स्पष्ट है और जहां राज्य सरकार ने प्रेस्क्राइब करने की बात कही है उसके सम्बन्ध में अधिकांश धाराओं के तहत नियम बन कर तैयार हो गए हैं। कुछ हमने पब्लिश कर दिए हैं और कुछ गवर्नमेंट प्रेस के पास पब्लिकेशन के लिए दे दिए हैं।

माननीय सदस्य सूरतगढ़ से आने वाले श्री हाण्डा साहब फरमा रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव के क्लॉज को उड़ा दिए जाने के बाद अब ऐसी स्थिति आ गई कि सूरतगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, उस पर किस प्रकार से विचार हो, इसकी व्यवस्था नहीं है। 5 अगस्त को राज्य सरकार ने वोट ऑफ नो कोन्फिडेंस अगेंस्ट दी चेयरमैन एण्ड वाइस चेयरमैन वह राज-पत्र में प्रकाशित कर दिए हैं, नियम बना दिए हैं। इसकी तत्काल आवश्यकता यह थी कि आज की....

श्री शंकरलाल (पाली) : एक्ट पास होने से पहले ही नियम बन सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डीनेंस के तहत बन सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इसकी तत्काल आवश्यकता, उपाध्यक्ष महोदय, यह थी कि अविश्वास के प्रस्ताव जो अध्यक्षों के खिलाफ आमतौर पर आते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक तरह से अध्यक्षों को काउ-डाऊन कर दिया गया। माननीय सदस्यों और नगरपालिकाओं के सदस्यों और सरकार ने यह अनुभव किया कि इसमें जब तक स्टेटुअरी गारण्टी अध्यक्ष को अपनी परमानेन्सी के बारे में नहीं होगी तब तक वह अपना ठीक प्रकार से और ठीक ढंग से जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है उनको वह पूरा नहीं कर सकता। सरकार ने यह उचित समझा कि अध्यक्ष बनने के बाद छः महीने तक उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और यही नियमों के अन्दर व्यवस्था की गई है। और छः महीने के बाद यदि अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ आता है तब भी आज की व्यवस्था में बेयर मेजोरिटि है साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। मान्यवर, उसकी जगह दो तिहाई की व्यवस्था की गई है ताकि अध्यक्ष जो बनता है उसके कार्यकाल में उनके टेन्योर के अन्दर उनको स्थायित्व मिले, परमानेन्सी हो ताकि वह दिल लगा कर और अपना ठीक प्रकार से काम कर सकें। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की आशंका निराधार है और जनकारी नहीं थी इसलिए यह बात कही है।

इसके अलावा मान्यवर, इस बात की चेष्टा की गई, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 5 अगस्त को गजट साया हो गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : हमने गजट नोटिफिकेशन के लिए दे दिया था।

Page No 128

128

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 5 अगस्त को आपने दे दिया तो ऐसी कौनसी कम्पीटेंट मशीनरी आपके पास थी कि उसी दिन गजट में निकल जाता। अगर यह छः सात अगस्त को भी निकल जाता तो यह कैसे सम्भव था ! आखिर यह आपके पास 10 मई को आ गया इसके बाद जून में कर देते, जुलाई में गजट कर देते तब भी कोई बात थी। आपने 5 अगस्त को गजट के लिए भेजा और यह सम्भव नहीं था कि गजट हो जाता। मेरा ख्याल है कि अभी भी गजट में नहीं आया है।

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरी बात माननीय सदस्यों ने यह कही और अध्यक्षों के होनरेरियम के बारे में जिक्र किया। यह तो माननीय सदस्य मानते हैं कि म्यूनिसिपल एक्ट में मैन्डेटरी प्रोविजन था डेढ़ सौ रुपये और 75 रुपये का होनोरेरियम दिया जा सकता था। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी तगड़ी वकालत अध्यक्षों की की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम में जो प्रावधान किया है उसके अन्दर म्यूनिसिपल कौंसिल जो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर जो बड़ी म्युनिसिपल कौंसिल हैं जो पुरानी कमिश्नरी जहां थी उन नगर परिषदों के अध्यक्षों को पांच सौ रुपये प्रति माह होनरेरिया देने की व्यवस्था नियमों की है। दूसरे प्रकार की जो छोटी 2 म्यूनि-सिपल कौंसिलें हैं उनमें तीन सौ रुपये प्रति माह होनरेरियम देये की व्यवस्था की है। द्वितीय श्रेणी के नगरपालिकाओं में दो सौ रुपया और उसके नीचे की नगरपालिकाओं में 150) रुपया होनरेरिया देने की व्यवस्था की गई है। कानून के अन्दर प्रतिबन्ध था कि सरकार अपने आपसे नियमों के अन्दर कुछ नहीं कर सकती थी. इसलिए इसको बदला गया है और सरकार को यह शक्ति दी गई है। यहां मैं यह भी कह सकता हूं कि पांच सौ, तीन सौ और 150 की जो व्यवस्था की है कुछ समय के बाद जा कर यह सोचा जा सकता है कि और भी वढ़ाना पड़े। तो जब तक मैन्डेटरी प्रोविजन एक्ट में है सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। वाजिब होते हुए भी कुछ नहीं करने की स्थिति में होने के कारण यह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

मान्यवर, दूसरा माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि इस संशोधन के द्वारा जहां नगरपालिकाओं का काम जो पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मैम्बर आदि को जो पावर्स डेलीगेटेड होती थी वह अब कमेटी को डेलीगेटेड होगी। तो यह जहां तक व्यवस्था है उसका माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है। कुछ कुछ बातें और हैं जिनके बारे में माननीय सदस्यों की धारणा है कि सैक्शन 68 के प्रोविजन की वजह से ऑटोनोमी लोकल बोडीज की है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट है, इसी प्रकार की माननीय सदस्यों की धारणा है। यह धारणा जो माननीय सदस्यों की बनी है उसको मैं साफ करने की कोशिश करूंगा। उनकी धारणा के लिए कोई आधार नहीं है। 68 के अन्दर कस्टडी ऑफ रिकार्ड का प्रोविजन है जो पहले चेयरमैन पर था अब उसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर कर दिया है। इसमें यह किया है:—

"(1) The Executive Officer shall b: responsible for the custody of all the records

(श्री रामनारायण चौधरी)

of the board including all papers and documents connected with the proceedings of the board and all the committees and shall arrange for performance of such duties relating to the proceedings of such bodies as they may respectively impose."

मान्यवर जहां पहले चेयरमैन को ही सारे रिकार्डस् की व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी थी, वहां पर हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर को रेस्पान्सिबिल बनाया है। मान्यवर, आप भी इस बात का अनुभव करेंगे, आपको भी पुराना अनुभव है कि निर्वाचित प्रतिनिधि रिकार्ड के बस्ते अपने पास रखे तो रिकार्ड ऑथेन्टिक नहीं रह सकेगा। इसके लिये चेयरमैन को हम पाबन्द नहीं कर सकते और न ही यह उनका कर्त्तव्य है। वे रोज कार्यालय जायें और रिकार्ड को देखें यह भी उनके लिये सम्भव नहीं है। इसलिये यह काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर जो भी होगा वह करेगा। वह रिकार्ड की देखभाल करेगा और जो रिजूल्यूशन म्युनिसिपल बोर्ड का है वह उसको कैरीआउट करने की कार्यवाही करेगा। इसलिये हम कस्टडी ऑफ रिकार्ड निर्वाचित प्रतिनिधि को न देकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर को इनके लिये जिम्मेदार बनाना चाहते हैं ताकि जनहित के अन्दर सुख सुविधा और आसानी से काम हो सके। यह बात व्यवहार के अन्दर सही तौर पर देखने में आई है और माननीय सदस्यों ने इसके पीछे जो धारणा यहां पर व्यक्त की है उसका कोई आधार मुझे प्रतीत नहीं होता। मान्यवर, दूसरी धारा 68 के क्लॉज 2 के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर यह कहा है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चेयरमैन को रिकार्ड चाहे जब उपलब्ध हो जाए, यह व्यवस्था आप कर दें इसमें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो होगा ही।

"2) Where any proceeding or order of a board or of any of its committees or of the Cairman or Vice Chairman or of any member is inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder or is detriment to the interest of the board, the Executive Officer shall put up a note of dissent and report the matter to the Collector of the district and the State Government."

यह क्लाज पूर्णतया इनोसेन्ट है। कहीं न्यूसेन्स नजर नहीं आती है। सदस्यों की यह धारणा है कि एक्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर को जैसी भी स्थिति है उसको हम ने बहुत अधिक पावर्स दे दिये हैं, उसको शक्तिशाली बनाने की कोशिश की है। यह महज एक कल्पना है मान्यवर। आपको भी इसका अनुभव है। पंचायत समितियों के अन्दर भी विकास अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार दिये हुए हैं यदि कोई भी रिजूलूशन....inconsistent with the provisions of the Act or rules, है।

वह भी नोट ऑफ डिसेन्ट इस प्रकार का दे सकता है। मेरा ख्याल है कि आपके कार्यकाल में एसा प्रश्न सामने आया होगा।

श्री शंकरलाल : नोट ऑफ डिसेन्ट दे सकता है परन्तु ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसी लाइन पर है। जन प्रतिनिधियों को एक्ट के त त पावर है, अधिकार हैं और उसका उपयोग एक तरह से है। महज तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का कोई आदेश हो गया तो महज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का यह कर्तव्य है कि वह मैम्बर या बोर्ड के सामने बात रख दें और उसकी सूचना जिलाधीश और गवर्नमैंट को दे दें। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है कि वह रिजोलूशन कंरीग्राउट नहीं होगा। इसका तात्पर्य केवल सूचना देना है ताकि कलेक्टर 285 के तहत और गवर्नमैन्ट 300 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर सके। इसके पीछे यही भावना है। जो डिसीजन म्युनिसिपल बोर्ड ने किया, या जो निर्णय कमेटी का होगा, वह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को करना होगा।... The Commissioner or the Executive Officer will have to carry out the orders of the Municipal Board कमेटी के निर्णय का पालन होगा। उनको रोकने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चेयरमैन के पावर्स को कर्ब करने का कोई तात्पर्य नहीं है। चेयरमैन की जो पावर्स हैं वह साफ दी गई हैं। इन पावर्स के अन्दर चेयरमैन को सब अधिकार है और इन अधिकारों के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल उनके ऊपर हैं। चेयरमैन को यह अधिकार है .. to exercise supervision and control over the acts and proceedings of all the officers and servants of the Board in the matters of administration and matters connected with accounts ये सारे अधिकार चेयरमैन को हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल, फाइनेन्शियल कन्ट्रोल, रिकार्ड का कन्ट्रोल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर चेयरमैन का है। चेयरमैन को जो पावर्स 67 के अन्दर हैं, फंक्शन ऑफ चेयरमैन, जिसके अन्दर साफ है....

"To watch over the financial and executive administration of the Board and bring to the notice of the Board any defect therein." याने एडमिनिस्ट्रेशन का फुल इन्चार्ज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो पोजीशन चेयरमैन को दी है, उसका कम्पलीट ज्युरिसडिक्शन एग्यूजीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर के ऊपर है और वह एक्सरसाइज कर सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है एक्ट में कि आज ही जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने, यह ठीक है कि उन्होंने डेमोक्रेसी की बात कही परन्तु उनको भी पता है कि किस प्रकार से जयपुर शहर के अन्दर आमेर रोड के पास सौ रुपया गज की जमीन को दो रुपया गज के हिसाब से देने के आदेश दिये गये। इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे सामने आये हैं। यह आदेश दिये गये कि यह गरीब आदमी है, जरूरतमन्द है इसलिए इसको दो रुपया गज में दे दिया जाये। इस प्रकार के गलत एक्शन को रोकने के लिए एक व्यवस्था डाल दी गई है कि ताकि बन्दिश रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि मैंने जो यह स्पष्टीकरण दिया है उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा।

सैक्शन दो के अन्दर कहीं पर भी चेयरमैन के जो भी आदेश होंगे, लीगल आदेश होंगे, बोर्ड के निर्णय होंगे उनको रोकने का नहीं अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसको साफ कर दें।

श्री रामनारायण चौधरी : साफ ही है। रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री शंकरलाल : पंचायत एक्ट में साफ है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह भी ऐसा ही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद सैक्शन 4 के बारे में जयपुर से आने वाले मानीनय सदस्य को यह शंका है कि....

"The Executive Officer shall have the power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder to authenticate under his signatures a licences permissions and orders which may be granted or given by the Board under this Act."

म्युनिसिपल बोर्ड या कमेटी के इस एक्ट के तहत जो भी आर्डर्स होंगे, निर्णय होंगे वह उसको इम्प्लीमेंट करेगा। मैं नहीं समझता कि यह व्यापक अधिकार है। आप भी जानते हैं पंचायत समितियों के अन्दर विकास अधिकारी, जिला परिषदों के अन्दर सचिव, मिनिस्टर ऑफ कौन्सिल के डिसीजन को चीफ सैक्रेटरी ही एग्जीक्यूट करता है। इसी प्रकार से म्युनिसिपल बोर्ड, कौन्सिल जो भी ऑर्डर होंगे, डिसीजन होंगे, उसके मुताबिक आगे की कार्यवाही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर करेगा। जो शंकाएं माननीय सदस्यों को हैं उसका कोई उचित आधार मुझे प्रतीत नहीं होता है। यह जो व्यवस्थाएं हमने की हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर मेरी यह धारणा है और यह दृढ़ विश्वास है कि इससे हमारे लोकल बोडिज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और जनता के अन्दर अच्छी इमेज, प्रतिष्ठा हमारी लोकल बोडिज की बढ़ेगी।

चुनावों के सिलसिले में, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कहा गया, एक माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि सिंगल वार्ड बनाये हैं तो सिंगल वार्ड का आधार सेन्ट्रल एक्ट के तहत है। असेम्बली और पार्लियामेंट में बहुसदस्यीय कॉन्स्टीटुएन्सीज थीं तो वहां पर सिंगल मेम्बर कान्स्टीटुएन्सीज होने के बाद यह सोचा गया कि नगरपालिकाओं में भी एक सदस्यीय वार्ड हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस आधार पर यह किया गया है।

इसके बारे में माननीय सदस्यों ने यह कहा कि अब एक साल के बजाय दो साल तक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा और सरकार ने चुनाव नहीं कराने का अधिकार अपने हाथ में लिया है, तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर्स चल रहे हैं तो यह पिछले वर्ष के अन्दर 12 दिसम्बर, 1973 को डिजोल्व हुई थी तो 12 दिसम्बर, 1974 से पूर्व एक साल के अन्दर समस्त नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जाए यह सम्भव नहीं है इसलिए यह जरूर हुआ है कि एक साल के बजाय दो साल इसके अन्दर किया जाय। इससे सरकार का यह तात्पर्य नहीं है कि इसके द्वारा आज हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। और चुनाव कराने से कतराते हैं और

(श्री रामनारायण चौधरी)

चुनावों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि हम 72 नगरपालिकाओं के 15 सितम्बर को करवा रहे हैं, और दूसरी किश्त दिसम्बर के मध्य में करने का प्रोग्राम बना रहे है। सितम्बर का तो प्रोग्राम तैयार हो गया हैं। वह 24 अगस्त को पब्लिश हो जायगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ाने के बारे में जिक्र किया और गांधी शताब्दि की रकम जो हरिजनों के उद्धार के लिए आई थी उसको अभी तक काम में नहीं लिये जाने के बारे में जिक्र किया। मान्यवर क्योंकि यह प्रश्न अभी उठाया गया है इसलिए इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस बात की चेष्ठा करूंगा कि गांधी शताब्दि वर्ष की रकम जो इसके लिए आई है वह काम में क्यों नही आई, और इस बात की भी चेष्टा करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको काम में लिया जाय।

जोधपुर से आने वाले वाले सदस्य ने यह बताया कि पहले इलेक्टोरोल नगरपालिकाओं के विधान सभा की मतदाता सूची के आधार पर बनाते थे और प्रारम्भ के अन्दर जो असेम्बली की वोटर लिस्ट थी वह प्रकाशित होती थी। अब मान्यवर, हमको इसके अन्दर इसलिए परिवर्तन करना पड़ा कि पहले असेम्बली की वोटर्स लिस्ट प्रति वर्ष रिवाइज्ड होती थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार आम चुनावों के पहले या बाई इलेक्शन के पहले जो कुछ भी संशोधित या रिवाइज्ड वोटर्स लिस्ट हो गई वह हो गई। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि नगरपालिकायें अपनी स्वयं की मतदाता सूचियां बनायें और उसके आधार पर चुनाव हों।

इन्ही शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह अनुरोध करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए अथवा प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वह कृपापूर्वक वापिस ले लें। यदि वापिस नहीं लें तो मैं आपकी मार्फत सदन से अनुरोध करता हूं कि उनको अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थाज नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ? जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(सरकारी पक्ष से हां की आवाजें)

जो इसके पक्ष में हों वे 'ना' कहें।

(विपक्ष की ओर से 'ना' की आवाजें)

Page No 133

133

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। ना पक्ष जीता। आई क्लेम डिवीजन।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आई वान्ट डिवीजन।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दे दिया। आपने एलान कर दिया, आपने घोषणा कर दी कि जो दो प्रस्ताव थे वह गिर गये और इसको विचारार्थ ले लिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : विचारार्थ नहीं लिया गया। जब तक वोट नहीं होंगे तब तक विचारार्थ कैसे लिया जायगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपने दो बार घोषणा करके....

श्री उपाध्यक्ष : Again I put the motion to vote.

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(सरकारी पक्ष की ओर से हां की आवाजें)

जो इसके पक्ष में नहीं हों वे 'ना' कहें।

(विपक्ष की ओर से 'ना' की आवाजें)

हां पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नो, 'ना' पक्ष is cleary winning.

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष (तत्पश्चात्) : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) अध्यादेश पर जो संकल्प दिये गये हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"

श्री भानुकुमार शास्त्री : उस पर खण्डशः विचार नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा निवेदन करना यह है कि·······

श्री उपाध्यक्ष : पहले नियम देखिये फिर बाद में निवेदन करें।

श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, यह दूसरा बिल है राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 जिसको माननीय कृषि मंत्रीजी अध्यादेश के रूप में यहां पर लाये हैं उसका एक कारण उन्होंने यह दिया है—

"An Expert Group constituted by the Reserve Bank of India to study the enactments have a bearing on commercial banks lending to agriculture suggested the modification of certain provisions in the State laws to facilitate the smooth and efficient operation of commercial banks in the sphere of agricultural credit. The Expert Group also suggested that instead of amending the various state laws, it would be preferable if a single consolidated legislation incorporating the various amendments suggested by it is enacted."

मेरा निवेदन करना यह है कि यह रिजर्व बैंक के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। जिसके आधार पर आर्डिनेंस के रूप में यह सदन में लाया जा रहा है। मैं माननीय कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कहां है ? कौनसी है ? वह हम सदस्यों को उपलब्ध कराई जाये। उसकी कॉपी अगर ज्यादा नहीं हो तो लाइब्रेरी में ही रखा दी जाये। आपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर इसको ड्राफ्ट किया है। यह तभी पता चलेगा जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट को देखा जाये। मेरा निवेदन है कि रिजर्व बैंक के एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन के मार्फत चाहते हैं या मन्त्री महोदय से चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो कुछ चाहूंगा, मैं आपके थ्रू ही चाहूंगा। सीधा चाहने से होता क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक ऐसा निर्णय हुआ है कि राज्य सरकार के मन्त्री को या आसन को कम्पेल नहीं किया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बार बार कहूंगा। आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चलने दीजिये; आप।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो यह निवेदन करूंगा, यह फार्मेलिटी है। आपको

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
पे करनी है। मैं तो रिजर्व बैंक के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट मांग रहा हूँ। यह वाजिब बात है। आपको उसे सदन की टेबुल पर रखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इस स्टेज पर इतना ही कहना काफी है, भार्गव साहब !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें कई लॉं हैं, उन पर एन्क्रोचमेंन्ट किया है। हिन्दू लॉं में कब्जा किया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट पर कब्जा किया है। टेनेंसी एक्ट पर कब्जा किया है। आर्बीट्रेशन एक्ट पर कब्जा किया है। को-ऑपरेटिव एक्ट और बैंकिंग लॉं हैं, उन पर भी अध्यादेश लाकर कब्जा किया है। अधिकांश केन्द्रीय कानून हैं।

श्री दीपंकर : सभी का सहयोग लिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : केन्द्रीय कानून में संशोधन करने का अधिकार आप को कहां से प्राप्त हो गया है। यह आप बतायें। आपने कहा है कि किसानों को ऋण मिल जायेगा, आसानी से मिल जायेगा। उसकी जमीन हो या नहीं तो भी प्राप्त कर लें मोबाइल प्रोपर्टी रख कर, जमीन गिरवी रख कर। इन्हीं बातों का जिक्र किया है। टेनेन्सी एक्ट की धारा 46 के तहत किसानों को ऋण मिल रहा था। कोई नई बात आपने कर दी हो, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह 'रण' क्या होता है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने किया। जो जनता की आकांक्षाएं पूरी होने को थीं। गरीब किसानों को लोन मिल जायेगा। उसके लिए आपने शानदार प्रचार किया है। रिक्शे वाला आ रहा है। धोबी आ रहा है। ट्रकों में बैठ बैठ कर आ रहे हैं। वह सारा प्रचार आपने किया है। मेरा निवेदन है, बैंकों ने जो ऋण दिया था, आज वह वापिस मिल नहीं रहा है। अब आप बैंक मैनेजर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपने यह कहा है कि जो बैंक अधिक ऋण देगीं तो उनको ईनाम मिलेगा। अब वापिस ऋण नहीं मिल रहा है। अब आप मैनेजर को रिस्पोंसिबल बना रहे हैं कर्जे के लिए। मेरा कहना यह है कि बैंकों का नेशनालाइजेशन कर देने से अधिक लाभ की आशा आपने की थी, वह गरीबों को नहीं मिला है। राष्ट्रीयकरण के बाद जिनको मिला होगा तो वह बड़े बड़े लोगों को और आपके लोगों को मिला होगा। कल ही लोकसभा में केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री चह्वाण साहब ने कहा है। जितना लाभ बैंकों के राष्ट्रीयकरण से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। अगर मिला भी तो किसानों को कितनी कठिनाइयों के बाद लोन मिला। कितनी कागजी कार्यवाही करने के बाद लोन मिला है। बल्कि यह हो रहा है कि जिस बैंक ने किसानों को लोन दिया है, उन्हीं बैंक अधिकारियों की दूकानें खुली हुई हैं, पम्पिग सेट देने की। अगर किसी ने पम्पिग सेट के लिए कर्जा लिया है तो उसको उसी दुकान से लेने के लिए बाध्य किया गया है। उनको कहा गया कि पेमेण्ट तुम्हारे को नहीं होगा। दुकानदार को होगा। खाद ले जाना है तो उसी दुकान से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ले जाना होगा। मैं नाम खोलना नहीं चाहता हूं। इस प्रकार से पक्षपात के ढंग से कहीं लोगों को पम्पिंग सेट, कहीं खाद की व्यवस्था की गई हैं। इससे बड़े-बड़े लोगों को लाभ मिला है। गरीबों को लाभ नहीं मिला है। जैसी पहले गरीबों को परेशानी थी वह आज भी है। मैं निवेदन कर रहा हूं कागज पर पैक्ट होता है एक बिल आपने हां पक्ष, ना पक्ष करके कर लिया है। जब उसको हम बिल मानते हैं। किसानों के लाभ देने के मानते हैं तो इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। किसानों को को-ऑपरेटिव बैंक लॉ की बात होती, इसको पूरी स्टेडी के बाद लाया जाता तो अच्छा होता। जल्दी में पास करवाना चाहें तो आपकी मर्जी। मेरा सुझाव यह है। को-ऑपरेटिव बैंक का जिक्र किया है। सहकारी बैंकों ने अपनी बैंकों के तहत किसानों को पैसा दिया है। परिणाम यह हो रहा है कि लोगों से पैसा नहीं मिल रहा है। चव्हाण साहब ने यह बात कही है। इसी प्रकार से को-ऑपरेटिव बैंक की जो आडिट रिपोर्ट है, वह आप मंगाकर देख लें। आपको मालूम हो जायेगा। यह सारा को-ऑपरेटिव बैंक की ऑडिट रिपोर्ट से स्पष्ट है। पैसा वापिस नही आया है। मैं निवेदन करूंगा कि 1969 के एक्ट की दफा 9 है। आपने कहा था कि हम सब-टिनेन्टों को खातेदारी के राइट दे देंगे। सब-टिनेण्टों को खातेदारी नहीं दी गई है। जिलाधीश, जयपुर के द्वारा अध्ययन चल रहा है। कहा गया था कि पास बुक होनी चाहिए। उससे किसानों को लोन मिल जायेगा। आज तक उनको पास-बुक नहीं मिली है। लोगों को काफी कठिनाइ आई है। लोगों को कुवे बनाने के लिए सीमेन्ट नहीं मिला है। खड्डों में पानी भर गया है। बिजली के लिए उन्हें पैसे नहीं मिले हैं।

दो बातों की ओर ध्यान दिला कर बैठना मैं पसन्द करूंगा। जो जोइन्ट टिनेन्ट हैं उनका क्या होगा ? उनमें से कोई टेन्ट बैंक से पैसा लेना चाहता है और दूसरा नहीं लेना चाहता है। इस कारण से आपस में झगड़ा होगा। क्या इस विधेयक में दोनों में झगड़ा न होने देने का प्रावधान है ? इसी प्रकार से जोइन्ट फेमिली है, उनकी प्रोपर्टी है, उनमें से भी कोई लोन लेना चाहेगा और कोई नहीं लेना चाहेगा। उसके बारे में क्या व्यवस्था करनी है ? पहला जोइन्ट टिनेन्ट के बारे में है, दूसरा जोइन्ट फेमिली के बारे में है, तीसरा अगर किसान जमीन का मालिक नहीं है और दूसरा आदमी मालिक है और वह मालिक को बिना पूछे, क्योंकि वह खेती करता है, इसलिए खेती करने के आधार पर बैंक से लोन ले लें, तो इस कानून के आधार पर जमीन का वह मालिक है जो जमीन को जोते नहीं - इस कारण से दोनों में झगड़ा होगा और इस कारण से मालिक अगली बार उसे कह देगा, तुमने मेरी बिना इजाजत के, बिना पूछे इस जमीन पर बैंक से पैसा ले लिया है, इस जमीन पर भार चढ़ा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखता हूं। इस तरह के बहुत सारे भूमिहीन लोग आपको मिलेंगे। बड़े-बड़े लोग, सम्पत्तिशाली लोग हैं क्योंकि आपने परिभाषा में कहा है, कृषि से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि के काम में लगा हुआ है। यह हो गया इसलिए जो व्यापारी है उसे भी कह दिया, कृषक हैं। वैसे परिभाषा के आधार पर कृषक वही हो सकता है जो खेती कर रहा है, और कोई धन्धा नहीं कर रहा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है। लेकिन अभी कोई डॉक्टर है, वकील है, आप जैसा मिनिस्टर है, उसके भी फार्म हैं। तो वह कृषक कैसे हो गया ? वह खेती के लिए किसी को भी नौकर रख लेगा और कोई धन्धा अलग से करता रहेगा। किसी की टैक्सी चल रही है किसी का बुल डोजर चल रहा है, कोई जमीन का लेन-देन का काम कर रहा है। वह भूमिहीन नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे भूमिहीन हैं। इसलिए आप इसको प्रेक्टिकल रूप में देखें। आज आप कह दीजिए कि जमीन जोतने वाला आदमी चाहिए, तो लोगों की क्यू लग जायगी और जो भी महनताना आप देना चाहें, जिस शर्त पर भी चाहें वह लेने के लिए लोग तैयार हो जायेंगे, बीज पर, हल पर, मेहनत पर। मेरा निवेदन है कि और रिजर्व बैंक के एक्सपर्टस की रिपोर्ट रखी है कि इन कानूनों का एन्क्रोचमेंट हो रहा है। दूसरे जो लोन रहा है उसमें मैंने जोइन्ट टिनेन्ट और जोइन्ट फैमिली की बात कही है लोन लेने में जो दिक्कत आ रही है, वह भी मैंने बतायी है। इसलिए आप थोड़े दिन रुक जायं, आपने माननीय सदस्यों की राय जान ली, यह सैशन 22 को समाप्त हो जायगा, अगले सैशन में इसे ले आयें, और वह भी पीस मील में नहीं, एक कन्सोलिडेटेड रूप में लायें तो यह बिल स्वागत योग्य होगा। इस स्टेज पर तो इसे निरस्त करना ही उपयुक्त है !

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्री !

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस संकल्प के बाद टाइम मिलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अच्छा साहब !

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, उसका दरअसल में स्वागत किया जाना चाहिए था क्योंकि इसमें जो भी कठिनाइयां आज साकारण किसानों के लिए नशनेलाइज्ड बैंक और कॉमर्शियल बैंकों से ऋण की उपलब्धि के बीच में आती है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए काफी सोच विचार के बाद में, एक्सपर्ट्स की राय के बाद में, मै समझता हूं, पिछले छः-सात साल के चिन्तन के बाद बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। जो न केवल राजस्थान के प्रदेश में ही बल्कि सारे देश के प्रत्येक प्रदेश में इस प्रकार का बिल पास करके नेशनेलाइज्ड बैंक और कॉमर्शियल बैंकों के फिसकल रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काम में लाने का रास्ता निकाला है। मैं आपसे निवेदन करूं, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर जिक्र किया कि यह रिपोर्ट माननीय सदस्यों को प्रसारित की जानी चाहिए थी। दरअसल यह तलवार कमेटी की रिपोर्ट एक रेफरेन्स बुक हो सकती है, जिसको लाईब्रेरी में आप बैठ कर, चाहें आप चिन्तित हैं और सारी बातों को समझने की आपकी भावना है, देख लेते तो दिक्कत नहीं होती। फिर भी माननीय सदस्य चाहें तो इतनी अधिक संख्या में

(श्री शिवचरण माथुर)

तो किताबें नहीं हैं, एक दो किताबें यहां पर हैं, यदि माननीय सदस्य चाहें तो समरी ऑफ रिकमन्डेशन्स जो कमेटी ने दी हैं, उनको पढ़ कर सुना सकता हूं, पढ़ा कर नहीं सुनना चाहें तो मोटे रूप में सारांश प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैं समझता हूं, उससे आप संतुष्ट होंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह 1969 के सितम्बर के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठायी थी, जिसको यह बात करने की बात कही गई कि आज कमर्शियल बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक की मारफत आम किसान को ऋण लेने में कठिनाइयां आती हैं, जिनको दूर करने के लिए उपाय सोचे जायं। और एक कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट, जो प्रिविलेन्ट एक्ट है अलग अलग प्रदेशों में, उनमें क्या क्या बाधायें उपस्थित होती हैं, उन कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई। उसने भारत सरकार को सलाह दी कि कैसा कन्सोलिडेटेड एक्ट लाया जाय और क्योंकि हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके अनुरूप उसने कुछ सुझाव दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह लेजिस्लेशन है, यह काफी डिलेड है। इस लेजिस्लेशन को काफी अर्से पहले आजाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से नहीं आ सका, जबकि सभी प्रयत्न किये गये, कहीं तो ट्रान्सलेशन में दिक्कत आ गई, कहीं केबिनेट के सामने प्रस्तुत करने में दिक्कत आ गई। और धीरे धीरे विलम्ब होता गया। यह प्रयत्न भी किया गया कि असेम्बली के सामने सीधा यह बिल लाया जाय। लेकिन भारत सरकार को भेजना जरूरी हो गया, प्रेसीडेंट की असेंट लेना आवश्यक हुआ, इसलिये इस लेजिस्लेशन में देरी होती गई। पिछले सेशन के बाद यह सोचा गया कि यह बहुत इम्पार्टेन्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, इसको शीघ्रता से निकाला जाय, प्रस्तुत किया जाय इसलिए इसे ऑर्डिनेन्स के रूप में निकाला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वर्ल्ड बैंक के दो लोन मन्जूर हुए हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में पहले ढंग का पहला लोन है, पहला प्रोजेक्ट है, चम्बल और राजस्थान कैनाल में जिसको हाथ में ले रहे हैं। राजस्थान कैनाल कमाण्ड एरिया में 2 लाख हेक्टर जमीन में लैंड लेवलिंग, वाटर चैनल्स को पक्का करने का, किसानों का उत्पादन बढ़ाने का बहुत बड़ा संगठित प्रयास करने की बात है। इसी प्रकार से 50 हजार हेक्टर चम्बल कमाण्ड एरिया में रेवीन्स को ठीक करने, वाटर लोगिंग की प्रॉबलम को ठीक करने, वाटर चैनल्स को ठीक करने, लैंड मैनेजमेंट को ठीक करने का, जो पानी दुरुपयोग होता है, उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से, बार-बन्दी को कायम करने की दृष्टि से प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। पहले वर्ल्ड बैंक की टीम आयी, फिर सैकेण्ड आयी, फिर फाइनल एप्रेजल टीम आयी। उन्होंने कहा, लोन देने से पहले प्री कण्डीशन्स हैं कि हम कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक को यह सुविधायें प्रदान करें जिससे उनका क्रेडिट फ्लो किसान के लिए आसान हो जाय। जिस प्रकार को-ऑपरेटिव बैंक के जरिये बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को क्रेडिट दिया जाता है, और सब मायनों में सुविधा दी गई है, बहुत से कानूनों में सुधार करके यह सुविधा भी दी गई है कि और तरीकों से, अलग

(श्री शिवचरण माथुर)

तरीके से पैसे की वसूली कर सकें, उसी प्रकार से सुविधा इन बैंकों को दी जाय, ताकि उनके जरिये पैसा अधिक बांट सकें। मैं कहना चाहता हूं, इन दिक्कतों की वजह से बावजूद बहुत प्रयत्नों के यह सत्य है कि पिछले दिनों में जितना अधिक पैसा नेशनलाइज्ड बैंक और कॉमर्शियल बैंक के जरिये किसानों को पैसा पहुंचाना चाहते थे, वह नहीं पहुंचा पाये। साढ़े नौ करोड़ का लोन स्वीकृत हुआ था, लेकिन 31 लाख ही नेशनलाइज्ड बैंकों के जरिये किसानों के पास पहुंचा। इतनी ऊंची सुविधा मिल रही थी, उसमें जो बाधा थी, उसको मिटाना जरूरी था। माननीय सदस्य ने कहा कि अलग-अलग कानूनों में बाधा डाली है। आपको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए थी की अलग-अलग कानूनों के जरिए रुकावट बैंकों से रुपया उपलब्ध करने में मौजूद थी, उसको दूर किया गया है। आपने देखा होगा, अलग-अलग प्रावधानों को टच किया है, वह वहां तक टच किया है, जहां तक इन बैंकों के जरिये अधिक से अधिक पैसा किसानों को मिल सके। इसके विकास के लिए इसे मोर्टगेज करने का अधिकार हो और फर्स्ट चार्ज, सैकन्ड चार्ज, जिस प्रकार के चार्ज हों वह एस्टेब्लिश करने का सारा प्रावधान हो, जैसा को-ऑपरेटिव बैंक में है, उसी प्रकार से नेशनलाइज्ड और कॉमर्शियल बैंकों में कर सकें इस दृष्टि से यह कानून यहां लाया गया है। मेरा विश्वास है कि यदि इस बिल की एक-एक धारा का बहुत गम्भीरता से अध्ययन करें तो आपको महसूस होगा कि यह बिल बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, काफी चिन्तन और अध्ययन के बाद, अलग-अलग कानूनों का अध्ययन करके यह छोटा सा सारगर्भित बिल जिसे मैं समझता हूं, कह सकते हैं गागर में सागर भरना, वह मिसाल कायम की गई है। बहुत से कानून एक जगह इकट्ठे करके सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि इस कानून के पास होने के बाद जो दिक्कतें बैंकों के सामने हैं वह दूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने इस बिल को पढ़ा होगा, तो इससे एक बात सामने रखी है, वह यह है कि जिस एरिया में कहीं को-ऑपरेटिव सेक्टर शिथिल है, को-ऑपरेटिव सोसायटी अच्छी तरह काम नहीं कर रहीं है वहां को-ऑपरेटिव सोसायटी के काम नहीं करने के कारण किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। वहां राज्य सरकार यह कह सकती है कि इस जिले की जिम्मेदारी पहले ली जाय। हम धीरे धीरे जिले और पूरी तहसील के लिए कह सकते हैं कि उस तहसील के लिए, या उस जिले के लिए एक निश्चित बैंक किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कायम करें और बड़े पैमाने पर वहां पर एग्रीकल्चर क्रेडिट का फ्लो एक प्रकार से हो सके। मैं मानता हूं, ऐसे अच्छे कानून को पेश करने के लिए यहां पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि अलग-अलग कानूनों पर आक्षेप किया है। आक्षेप नहीं, उन सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया गया है, जहां जहां पर कानूनी विरोधाभास है, जहां जहां कानूनी दिक्कत हैं। आपने कहा कि जो जमीन का मालिक नहीं है उसको कर्ज कैसे दे देंगे। देंगे, सही बात है। हम उसको यह दर्जा दिलाना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, जो जयपुर में रहता है, जिसने हल पर हाथ नहीं लगाया है, वह

(श्री शिवचरण माथुर)

अपनी सुविधा के लिए खेत रखता है और खेत पर काम करने वाला गरीब मजदूर वहां महनत करता हैं, जिसे इन-पुट्स की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए उसे पैसा नहीं मिल सकता है। इसमें इसलिए हमने प्रावधान रखा है कि जो जमीन का मालिक नहीं है, जिसने एक-दो साल में महनत करके फसल खड़ी की है तो उसे कानूनी हद तक कर्जा मिल सके। यह अच्छी बात है, जो व्यक्ति महनत करता है, कोई कानून के प्रावधान के अन्तर्गत जमीन की मिल्कियत नहीं हो रही है तो उसकी महनत का परिणाम हासिल करने के लिए अगर बैंक से उसे ऋण उपलब्ध हो जाय तो उसको सहूलियत मिलेगी, और उसे आभास होगा कि वह और अधिक महनत करता है तो उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ वह अपनी हैसियत भी बढ़ा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय यह एक अच्छा प्रोविजन है जो हमने रखा है जिससे गरीब काश्तकारों को काफी मात्रा में लाभ होगा। यह स्वागत योग्य बात है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यहां सदन में यह भी कहा कि जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से कई लोगों को बैंकों से ऋण मिला जिसमें ऐसे लोगों को लोन मिला जिनकी हैसियत नहीं थी। इस कारण वह रुपया बैंक में वापिस जमा नहीं हो सका। उपाध्यक्ष महोदय यह बात गलत है। यह बात तो सही है कि सन् 1969 के बाद जब से हमारी भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तब से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपये का लोन लोगों को दिया गया। इसमें ऐसे भी थे जो कि बिना हैसियत के लोग थे उन्हें मिला उसके लिए काफी लोगों को मिला और खास तौर से उन लोगों को अधिक फायदा हुआ जो कि श्रम करते थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो उन लोगों को मिला जो कि प्रभावशाली थे। बेचारे गरीबों को लोन नहीं मिला और उन्होंने वापिस भी नहीं किया।

श्री केसरीमल : श्री गिरधारीलालजी का कहना आप इस प्रकार समझे कि आपने बैंक राष्ट्रीयकरण करके अच्छा किया। लेकिन आपने जो लोन दिया था वह कम दिलाया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो यह कह रहा हूं कि गरीब वर्ग को लोन नहीं मिला वह तो बेचारे बैंक से लोन लेने से वंचित रह गये।

श्री शिवचरण माथुर : आप विराजिये। मेरी सुनिये। मैं यह नहीं कहता कि लोन सिर्फ गरीबों को ही मिला। लोन तो प्रभावशाली लोगों को भी मिला होगा। लेकिन इसमें आपसे अच्छी तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों को और खास तौर से गरीब काश्तकारों को करोड़ों रुपये का लोन दिया गया। अब आप यह कहते हैं कि तीन तीन साल हो गये बैंक जिन लोगों को लोन दे चुकी है वह लोग बैंक को वापिस नहीं कर रहे हैं। यह बात गलत है। क्योंकि लोग पैसा वापिस कर रहे हैं। हमने यानि सरकार ने गारन्टी दी है। और वह वसूली हो रही है। मैं ऐसे लोगों को नहीं कहता जो लोग हेबीचुअल ओफेन्डर हैं। वह तो हो सकता है पैसे वापिस नहीं कर रहे हों लेकिन ऐसा करने वालों की संख्या बहुत ही कम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कहा ना कि इसमें भी प्रभावशाली लोग ही हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आप विरोध करने के नाते ही अगर विरोध करते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन मुझे इस बिल को लाने के लिए कई लोगों ने दबाव डाला कि ऐसी व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय इस कानून के आ जाने से अपने जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं और कॉमशियल बैंक हैं उनके पैसे सुरक्षित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पास हो जाने के बाद गरीब किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। मेरा विश्वास है कि काश्तकारों को इससे काफी राहत मिलेगी। इसलिये मेरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य से है कि वह अपना संकल्प वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव . जैसी सदन की इच्छा, सदन की आज्ञा शिरोधार्य।

श्री उपाध्यक्ष . माननीय मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

एक माननीय सदस्य : अब क्या नयी बात बोलेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब की बार नई बात बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय इस बिल में यह दिया है कि जो जमीन का मालिक नहीं होगा उसको भी लोन दिलाया जायेगा। यह बात मेरे समझ में नहीं आती। जो व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं होगा उसको आप लोन कैसे दिलवायेंगे ? जो खेती नहीं करता उसे कैसे लोन दिलायेंगे ?

(सायं 7.10)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

श्री शिवचरण माथुर : इसमें जो ऊपर डेफीनेशन दी हुई है उसे आप कृपया पढ़ें। उसमें दिया है कृषि के लिये कृषकों को लोन दिलाया जायेगा। कृषि कार्यों के लिये लोन दिलाया जायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज कल कई लोग कृषि फार्म लिये हुए हैं वह लोग हालांकि खेती नहीं करते लेकिन खेती करवाते हैं। अब इसमें यह कानून है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम तीन गिरदावरी में आजाता है तो वह उस जमीन का मालिक हो जाता है इसलिये लोग उनको नोकर की हैसियत से दिखाते हैं और उनकी हाजिरी होती है। इसके अलावा हर महीने में उस व्यक्ति की दो तीन जगह एबसेन्ट दिखाते हैं ताकि वह उसका मालिक नहीं बन सके। तो जो व्यक्ति खेती करता है उसको तो लोन मिला

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं। तो यह मूलतः ही गलत बात हो गयी। क्योंकि इसमें वह व्यक्ति जो खेती करता है वह तो मालिक ही नहीं है फिर उसको लोन कैसे दिलाया जायेगा ? अगर आप यह कहते हैं कि जो खेती करता है उसको ही लोन मिलेगा तब तो ठीक है। इसके बाद में आगे आपने जोइन्ट टीनेन्ट और जोइन्ट फैमिली के बारे में क्लीयर नहीं किया। अगर एक लेना चाहे लोन और अगर दूसरा लोन नहीं लेना चाहे तो आप क्या व्यवस्था करेंगे ? जैसे मेरी जोइन्ट फैमिली है। इसके अन्दर गिरधारीलाल, कन्हैयालाल दो भाई हैं दामोदरलाल के पुत्र अब इसमें मानलो कि मैं लोन लेना चाहूं और मेरा छोटा भाई लोन लेना नहीं चाहता तो उसके बारे में आपने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसमें आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ? इसका मतलब यह हुआ कि आप काश्तकारों के अन्दर यह गलत धारणा फैलाना चाहते हैं जिसमें आप उनको झूठे सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यह आप एक नया सगूफा छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी आपने किसानों पर लेवी की वसूली की थी इससे वह आपसे नाराज हो गये थे। अब आप उनको यह सगूफा छोड़कर कि आपको बैंकों से लोन मिलेगा जितना चाहो उतना। इससे आप उनको राजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप उन्हें अपना फैथफुल सर्वेन्ट बनाने के लिये कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपने इस बिल में विलेज सर्वेन्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके साथ ही आपसे मैं यह भी निवेदन करदूं कि आपने आड़तिया के बारे में भी कोई बात स्पष्ट नहीं की उसे लोन मिलेगा या नहीं। इसके अलावा आपने यह नहीं कहा कि रिजर्व बैंक इनको किस हद तक लोन देगा। आखिर कोई बैंक हो वह चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो वह किस हद तक लोन दे सकेगा। और जो लोन देगा उसकी रेट आॅफ इन्टरेस्ट क्या है इसमें लोन भी किसको कितना मिलेगा इसमें भी पक्षपात चलेगा। इसमें 500 बीघा के खेत वाले को कितना लोन देंगे और दो सौ बीघा वाले खेत के कृषक को कितना लोन देंगे। तो यह सभी गड़बड़ी इसमें है। तो मेरा निवेदन यह है सभापति महोदय आपके माध्यम से कृषि मन्त्री से कि वह सभी बातें ठीक ढंग से देखकर पूरा कोम्प्रीहेन्सिव बिल लायें। इसके अलावा यह जो आपने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये जो लोन चार हजार देने की व्यवस्था है उसके बारे में कितनी किश्तों में कटेगा या क्या किश्त कितने रुपये की होगी यह भी आपने नहीं दिया है। इस तरह से यह बात की वसूली उनसे किस प्रकार होगी यह भी दिया नहीं कौन वसूली करेगा।

श्री शंकरलाल : वह तो अलग अलग होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वसूली किस तारीख से होगी। उसका क्या होगा। आप पुराने तरीके अख्तियार करेंगे। पेड़ से बांधेंगे या और कुछ करेंगे। इस सम्बन्ध में भी आपने यहां कोई नहीं किया। इस सारे के द्वारा आप किसान को अपना गुलाम बनायेंगे। बिजली का कनेक्शन राजस्थान में बन्द है। कुओं पर कनेक्शन मिल नहीं रहे हैं और मिल गये तो वॉल्टेज नहीं आता है। मोटर जल जाती है। सात-सात सौ रुपये मोटर को ठीक कराने में लगते हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बिजली विभाग ने रेट बढ़ा दी। उसके पास उसका चुकारा करने के लिये पैसा नहीं है। खाद के वितरण में भी आप उसको लालच दे रहे हैं। लेवी देंगे उसको आप पुराने भाव पर खाद देंगे और जो लेवी नहीं देगा उसको नये भाव पर। इसी प्रकार से सीमेन्ट का भी है। जो लेवी देगा उसको सीमेंट मिलेगी और नहीं देगा उसको नहीं मिलेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह क्या तरीका बनाया है।

श्री शिवचरण माथुर : आप कल बोल लेना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल तो मेरा नम्बर नहीं आवेगा मुझे मालूम है। मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि उसके कारण पूरा नहीं होगा। रजिस्ट्री करने वाली बात कही। वह अफसर रजिस्ट्री के कागजों को भेज देगा। तहसीलदार के पास बुक देगा। वह एन्ट्री कर देगा। कागज भी पूरे नहीं। खाते खतूनी के कागज नहीं। सरकार ने घोषणा की है, उसके नाते भी किसान को राहत देने के लिये एन्ट्री होती है और उसको आराम से लोन मिल जाय।

मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि यह बिलकुल सत्य है। राष्ट्रीयकरण के नाम पर गरीब लोगों को ठीक प्रकार से बैंक से पैसा नहीं मिलता। जब कि बड़े-बड़े प्रभावशाली लोगों को मिल जाता है। आप किसी भी बैंक में चले जाइये। खाद भी किसान उनसे लेता है तो उससे कमीशन लेते हैं। आधा पैसा ऋण के नाम पर मिलता है और बिचौलिये खा जाते हैं। ये जो डिफिकल्टीज हैं वे मैंने बताई हैं।

जोइन्ट फैमिली के नाम पर कौन बैंक कितना कर्जा देगा। इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करके इसको करना चाहिये लेकिन आप तो इसको जल्दी में पास कर देना चाहते हैं। आपका ध्येय यही है कि मेरा बिल पास हो जाना चाहिये। हर एक मंत्री का ध्येय यही रहता है, उनकी भावना यही रहती है कि मेरा बिल पास हो जाना चाहिये कोई दूसरा अच्छा सुझाव देगा तो मेरा अपमान हो जावेगा। इसको इसी दृष्टिकोण से पास करवाना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या बिल किसी मंत्री की सम्पति है ? यह सदन की सम्पति है।

श्री रामनारायण चौधरी : यही बात तो मैं कह रहा हूं। ये सारी कठिनाइयां हैं, इन सब पर खुले दिल से विचार करें।

मैंने जो बात कही वह यह नहीं कही है कि कब्जा कर लिया है। लेकिन अधिकार कहां से आ गया। को-ऑपरेटिव एक्ट में संशोधन कर लिया। सैन्ट्रल लॉ में अमेन्ड-मेंट कर सकते हैं क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक कानूनी मुद्दा आपके सामने रखा है। आपने लोगों को राहत देने के लिये अमेडमेंट किया है। जिस वक्त क्लॉजवाइज विवेचन होगा उस समय उत्तर के रूप में सारे तथ्य सामने आ जावेंगे और भी इस पर चर्चा करूंगा।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, इस अमेण्डमेंट को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के बारे में मेरा अमेण्डमेंट है उस पर कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इस समाज-

(श्री दीपंकर)

वादी विचारधारा के प्रगतिशील मन्त्री द्वारा जो यह अध्यादेश रखा गया है उसके लिये उनको बधाई देना चाहूंगा। जो भी कानून और नियम आज तक प्रचलित हैं बैंकों से सम्बन्धित या काश्त और अन्य किसी विभाग से सम्बन्धित उनके अधिकारों में कोई इसके द्वारा कमी की गई हो ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिये। बल्कि उन सबका जिस स्तर तक सहयोग लिया जा सकता है काश्तकारों के हित में वह सब इसमें किया गया है। इतना ही नहीं खाद्यान्न के और दूसरी जीवनोपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में किस तरह से बैंक सहयोग करें उसका भी इसमें बड़ी जद्दो जहद के बाद प्रावधान किया गया है। यह जो रिर्जव बैंक के एक्सपर्टों की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता बनाया गया है बड़ा ही सराहनीय है। इसमें किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं की जानी चाहिये। न यह समझना चाहिये कि लेवी के बहाने जो भावना बनी थी उसके बदले में इन चीजों को उछाला जा रहा है। यह नया प्रयत्न है और इससे छोटे किसानों को भी पूरा सहारा मिलेगा प्रेरणा मिलेगी।

इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रारम्भ में काफी लोगों को लाभ मिला परन्तु जो चारित्रिक पतन हमारे मुल्क में है और जिसका असर क्षुद्र स्वार्थों के खातिर दुरुपयोग किया है। उनके खिलाफ पेम्फलेट भी निकलते हैं। एजेन्ट भी हैं उनके जिनका यह धन्धा है कि वे बैंक के स्टाफ से मिल जुलकर लोगों को सहूलियतें और ऋण दिलाने की चेष्टा के नाम पर ऋण प्राप्तकर्त्ता को लूटते हैं और इस तरह से इन बैंकों की कार्यप्रणाली दूषित होकर रह गई है। भूमि बन्धक बैंक भ्रष्ट बन कर रह गये हैं, को-ऑपरेटिव सेक्टर के बैंक चुप पड़ गये हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने अपनी तैयारी बताई है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के मार्फत तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर काम करेगी तो मैं समझता हूं कि अब तक जो कमी रह गई थी वह भी अब पूरी हो जावेगी।

परन्तु सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान निश्चिततौर पर इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा बैंकों की आजकल सीमायें बन्धी हुई हैं कि अमुक बैंक दस मील के रेडियस में ही काम करेगा अथवा अमुक बैंक के मातहत इतने गांव रहेंगे। इस तरह से बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं ही बैंक है। उसका दायरा बढाये जाने का भी प्रश्न आवेगा। इसको ध्यान में रखते हुए सबको लाभ मिल सके एक बैंक या अधिक बैंक और खुलवा कर तो ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

अब प्रश्न पैदा होता है कि किसी इजारेदार को, सब-टीनेन्ट को उससे पैसा मिलेगा या नहीं। अगर फसल खड़ी है तो पट्टेदार हो, या सब-टीनेन्ट हो उस फसल के आधार पर बैंकों के कानून कायदों के अनुसार सहूलियत मिलेगी और दूसरे साल वह सब टीनेन्ट अगर नहीं काश्त करता है तो उस पर आगे पैसा मिलने का प्रश्न नहीं। जो पहले साल लिया था ऋण उस की किश्तें अवश्य अदा करनी होंगी लिखापढ़ी के अनुसार। इसमें शक करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। यह अलग बात है कि इतना होने पर भी कुछ लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। पर जहां तक व्यापक स्तर पर समाजहित का सम्बन्ध है इन छोटी मोटी बातों की तरफ इन छोटे मोटे लैप्सेज की

(श्री दीपंकर)

तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये लेप्सेज नगण्य हैं।

भूमि को ठीक करने के लिए पैसा मिलेगा। इससे राजस्थान की खेती की उपज बढेगी। आज भी बहुतसा एरिया बंजर है, बहुत धोरे और टीले हैं यहां भी काश्त करवाई जावे तो इन जमीनों में भूमिहीनों को बसाया जाकर यह सब कराया जा सकता है।

बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर काश्त करने के लिए आप इजाजत देंगे तो वे छीनी झपटी जावेंगी। पर आपके इस अध्यादेश से वे भी प्रभावित होंगे और जमीन काश्त के रूप में काम में आवेगी। इस दृष्टि से यह अच्छा प्रत्यन है।

बैंकों के को-ऑपरेटिव सेक्टर का जहां तक प्रश्न है उनके चुनाव वापिस हो जाने चाहिए। विभाग के मंत्रियों से अधिकारियों से इसके लिए सम्पर्क कायम करना पड़ेगा।

इन बैंकों की अजीब परिपाटी है। इन पर 15/20 बरसों से जिनका कब्जा है वे एकाधिकारी बन कर बैठ गये हैं। पर आज जो नई पीढी, नये दल और नये जवान उठ रहे हैं उनके द्वारा वह एकाधिकार टूटेगा। इस तरह जो पहले सीमित दायरे में बन्धे हुए थे जो उस पैसे का दुरुपयोग करते रहे हैं, जिस पैसे से वे चुनाव लड़ा करते थे अपनी फर्में और फार्म चलाते रहे हैं जो वेस्टेड इन्टरेस्ट के चंगुल में चले गये हैं उनके कब्जे से इनको छुड़ाना होगा ताकि साधन हीन गरीब किसान तबके को करजा उनसे मिल सके। आज इन वेस्टेड इन्टरेस्ट ने को-ऑपरेटिव के नाम पर लाखों हजारों रुपयों के ऋण ले रक्खे हैं जिनसे ट्रैक्टर खरीद लिए हैं उन्होंने पम्पिग सैट खरीद लिए हैं जीपें खरीद ली हैं हवेलियां बना ली हैं बहुत बड़े बड़े काश्त के भू-खण्ड खरीद लिए हैं ऐसे लोग जो इन बैंकों पर कब्जा किये बैठे हैं उनके द्वारा वापिस ऋण चुकारे के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, इनके लिए तो विभाग भी कमजोर साबित हुआ। अधिकारी अगर कोई इनसे वसूली की चेष्टा भी करे तो उसकी बदली हो जावे या उलाहना मिले कि अमुक को मत छेड़ो। ऐसे लोगों से झगड़ा होगा जब भी आप इन बैंकों को सही विकेन्द्रित रूप में लाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं उनसे झगड़ा करके उनको हटा देने में यह सरकार समर्थ है। अगर इन वेस्टेड इन्टरेस्ट को हटाने में यह सरकार समर्थ हुई तो समाज में सरकार के प्रति आस्था बढ़ेगी, एक व्यापक उत्साह का वातावरण बनेगा और आम ग्रामीण गरीब लोगों की जो धारणा रही है अब तक कि इन बैंकों से तो इन बड़े बड़े लोगों को ही ऋण मिल सकता है वह धारणा बदलेगी। इससे विकास की गति तीव्रतर होगी। उत्पादन बढेगा। इसमें शक नहीं। जन-शक्ति जो अब तक कुंठित पड़ी थी उसको आगे बढने में गति मिलेगी। ट्यूब वैल की भी स्कीमें हैं, इनको भी ये देखें। एक्सपर्टों की रिपोर्ट के अनुसार जहां जहां पानी है उस पानी के निकालने और उसका उपयोग करने के लिए वहां बिजली पहुंचनी है। इसलिये आपको बिजली विभाग से सम्पर्क कायम करके जितने खुदे हुये ट्यूब वैल्स हैं, उनको बिजली दिला सकें तो ठीक होगा। अगर वे बिजली देने में आनाकानी करें तो बैंकों के आधार पर दिला सकें तो उसका अच्छा उपयोग हो सकेगा। इस दिशा में

(श्री दीपंकर)
भी आपका चिन्तन रहे यह मैं आपके ध्यान में लाना जरूरी समझता हूं।

पीने के पानी के लिए मास्टर प्लान बना उसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्वे कराके लघु सिंचाई योजनाओं को चालू करें। बहुत से जिलों में इस प्रकार की योजनायें हैं जहां सर्वे हो चुका है, इतना पानी है, इतना गहरा है, इसका किस तरह उपयोग हो सकता है, कितनी जमीन में पानी दिया जा सकता है। ये सब तैयार है परन्तु प्रारम्भ इसलिए नहीं किया जा रहा है कि पैसे का अभाव है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, को-ऑपरेटिव बैंकों और भूमि बन्धक बैंकों का व्यापक स्तर पर प्रयत्न किया जा रहा है तो इस प्रकार की जो लघु सिंचाई योजनायें हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सर्वे हो चुका है उनको शुरू करें तो अच्छे कार्यक्रम होंगे और सरकार का यश भी बढ़ेगा साथ ही काश्तकारों को लाभ मिलेगा। योजनायें बनी हुई जो बन्द पड़ी हैं, उनको दीमक खा रही हैं उनकी तरफ ध्यान दें तो अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, ऐसी मुझे आशा है।

कुछ मछली पालन के लिये भी आप कर रहे हैं, सूअर पालने का भी कुछ आप करेंगे। अगर कुछ गांवों में मीठे पानी की स्कीम बन चुकी है तो वहां पुरानी जमीन में धार्मिक दृष्टि से जहां तालाब बने हुये हैं अगर उनमें पानी भरा जाय, पंचायतों की देखभाल हो, अथवा को-ऑपरेटिव की देखभाल हो सके अथवा ऐसी ऐजेन्सी जिनको आप उपयुक्त समझें तो उनको करवा सकें तो बहुत उपयुक्त होगा। आज राजस्थान में कई लोग ऐसे हैं, वनस्पति का ही प्रयोग करने वाले हों, ऐसी बात नहीं है इससे खाद्य समस्या का हल हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बस एक पॉइन्ट कह कर बन्द करता हूं। हमारे यहां एक प्रोग्राम चलता है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौनसा प्रोग्राम?

श्री दीपंकर : पंचायतों में चलता है, जिसमें भारत सरकार से पैसा मिलता है और राजस्थान सरकार हिस्सा देती है उसमें हम किसी तरह लोगों को खाद्य पदार्थों का उपयोग सिखा सकें और जो अनाज खाते हैं उसमें हरी सब्जियां पैदा करके उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस प्रोग्राम में हिम्मत करके राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से डर के मारे जब कभी कहा तो जवाब मिला हमारे पास पैसा नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब्जियों के लिये भी लोन देना चाहिये, यह इसमे है क्या ?

श्री दीपंकर : यह सारा का सारा शामिल है। पेड़ पौधे उगाने, ये सब चीज आती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आपके महाराष्ट्र में बहुत परिवर्तन लाया गया है। इसको भी अगर आप शामिल कर सकें, इस योजना को ले सकें तो काफी लाभ हो सकता है। कुछ फन्ड्स बैंकों के मार्फत लोन के रूप में दिला सकें तो काश्तकारों को काफी आमदनी होगी। खाने-पीने का दर्जा भी बढ़ेगा और पौष्टिक आहार भी मिलेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है !

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 में मेरा प्रस्ताव है इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। सभापति महोदय, पढ़ने में तो नाम ऐसा लगा बहुत सुन्दर लेकिन अन्दर देखा तो माननीय मंत्री जी ने किसानों की वास्तविक कठिनाई को दूर नहीं की। आपने इसमें बैंकों की कठिनाई तो दूर कर दी लेकिन जो किसानों को लोन लेने में दिक्कत होती है उसको दूर नहीं की। वे कितने सख्त नियम हैं और कितने उलझे हुये नियम हैं और उन्होंने केवल उन्हीं मुद्दों को लिया है जिसमें रुपया बसूल कैसे होगा, किस प्रकार उनसे वसूली की जानी चाहिये इस अपनी कठिनाई को दूर कर दिया लेकिन किसानों की जो कठिनाई होती है—बैंक से लोन लेने की, उन बातों को इसमें शामिल करना चाहिये था और इस बात को विचार में लाकर बिल लाते तो मेरी समझ में ज्यादा उपयुक्त होता।

माननीय मंत्री जी जब किसान को लोन दिया जाता है तो उसको 34 कागज पेश करने पड़ते हैं—बैंक की टेबिल पर तब जाकर लोन मिलता है। आप जरा हिसाब लगा कर देखें....

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री अजीतसिंह : एक हजार का लोन लेने वाले काश्तकार का 200) रु. खर्च हो जाता है। सबसे पहले बैंक को रिश्वत देनी पड़ती हैं उसके बाद पटवारी को रिश्वत देनी पड़ती है फिर उसका वास्ता तहसीलदार से पड़ता है। इस तरह 200रु. एक हजार के लोन पर खर्च आ जाता है इतनी भारी दिक्त है कि आम आदमी लोन लेकर पछताता है। बहुत अधिक परेशान होकर बड़ी मुश्किल से इन कार्यवाहियों को पूरा कर पाता है। अगर इस बिल में इधर ध्यान दिया जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता।

इसके साथ ही आपने कई तरह के बैंक्स रख रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में भूमि बन्धक बैंक, नेशनलाइज्ड, बैंक्स, कापरेटिव बैंक्स। तो कहने का मतब यह है कि बैंको की इस प्रकार की उलझी हुई व्यवस्था है कि ग्रामीण जनता तो इसको समझ ही नहीं पाती हैं। ऋण देने के लिये या तो किसी एक बैंक को आॅथोराइज कर दें उस तहसील में तो कुछ हिसाब बैठे बाकी दुनियां भर के पंचायतों के सर्टीफिट लावो और वह लावो इसी में किसान उलझा रहता है। कई डिपार्टमेंन्ट्स में चक्कर लगाने से किसान को बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है और आज के जमाने में आप जानते हैं किसी भी जगह बिना पैसे दिये कुछ काम होता नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है एक ही बैंक की व्यवस्था कर दें और कुछ कागजों का हिसाब भी कम कर दें तो बहुत अच्छा हो। किसानों को बहुत अधिक राहत मिल सकती है। इस पर आप और विचार कर लीजिए इसके साथ ही जब जब बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि पूरा पैसा नहीं दिया जाता है और पूरा पैसा नहीं देने के अभाव में काश्तकार पूरा काम नहीं कर पाता है और जब उसके कुए का पूरा काम नहीं होता है या डवलपमैन्ट का पूरा काम नहीं होता है तो उससे रिटर्न प्राप्त नहीं होतें हैं और वह उल्टे कर्जदार हो जाता है और इसके कारण से पैसा वापिस पे करने की उसकी हैसियत नहीं बनती है। इसलिए आप योजना के

(श्री अजीतसिंह)

अनुसार या तो यह करें कि पंचायत समिति या बी. डी. ओ. के पास काश्तकार कोई योजना बनाकर भेजें और फिर उसको वह देख कर लोन दिलाये। जैसे इण्डस्ट्रीज के अन्दर योजनायें स्वीकृत की जाती है और उसके अनुसार उनको कर्जा मिलता है और कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है इसी तरह से काश्तकार की कोई भी योजना हो पूरी की पूरी बी. डी. ओ. के सामने काश्तकार प्रस्तुत करे और वह उसको फारवर्ड करे और उसके आधार पर बैंक ऋण दे तो ज्यादा उपयोगी होगा बाकी आधा ऋण या चौथाई ऋण या तीसरे हिस्से का ऋण देकर और कर्जदार बनेगा।

इसके साथ ही निवेदन करूं कि बैंकों के अन्दर जो तीन महीने का नोटिस देकर कुर्की करने की व्यवस्था की है यह उचित नहीं है। इसकी कहें तो अपील होनी चाहिए। नहीं तो यह होता है कि किसी का ऋण होगा और कोई वसूली करने जायेगा और उस ऋण की बकाया वसूली उससे होती रहेगी। मैंने ऐसे कई केसेज देखे है और माननीय मंत्री महोदय के सामने भी उपस्थित किये हैं। यह सैकड़ों केसेज हैं। तो आप इसके लिए भी कहीं तो अपील की व्यवस्था करो। कुछ तो अधिकार अपील करने के आपको देने चाहिएं। यह इतना भयंकर अधिकार दिया है तीन महीने का नोटिस देकर कुर्की करने का तो इससे बहुत भारी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पाइन्ट पर आप ध्यान दें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का मैंने प्रस्ताव रखा है। मैंने इस विधेयक का अच्छी तरह से अध्ययन किया और यह पाया कि वाकई में यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है मैंने उसकी शब्दावली भी पढी और अच्छे तरीके से मैंने इसका अध्ययन भी किया। मुझे इसमें कोई खामियां प्रतीत नहीं हुई। मंत्री महोदय ने जिस प्रयास से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है और जिस प्रकार से तैयारियां की हैं मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इस विधेयक को लाना बहुत ही जल्दी से जल्दी आवश्यक था। मेरे जिले की समस्यायें और खासतौर से किसानों को जब ऋण नहीं मिलता था और उनकी कठिनाइयों की ओर जब मैं सोचता था कि इस प्रकार का कानून लाना बहुत ही आवश्यक है और जब यह कानून देखा तो बहुत सी कठिनाइयां किसानों की इससे हल हो जाती हैं परन्तु यह जो कानून बना है इस कानून से जो भूदान के अन्दर काश्तकार हैं उनको अधिकार नहीं है उसी प्रकार से खुदकाश्त के सब-टीनेन्ट को एलीगेशन का अधिकार नहीं है तो यह टेनेन्सी एक्ट में परिवर्तन नहीं करेगा, भूदान एक्ट में परिवर्तन नहीं करेगा और इस कानून के कन्सोलीडेटेड फार्म में एक ही साथ में परिवर्तन करने से यह परिवर्तन नहीं हो जायेगा और उसका लीगल इफेक्ट सही तरीके से हो जायेगा यह सोचने की बात है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन करने के बाद उन कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। यह देखने की आवश्यकता है। इसलिए इसको एग्जामिन करना बहुत ही आवश्यक है। लॉ डिपार्टमैन्ट एग्जा-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
मिन करे और ऐसा नहीं हो कि इस प्रकार की खामियां रह जाये....

एक माननीय सदस्य : दोनों कॉन्ट्रे-डिक्टरी बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : इसीलिए जनमत जानने के लिए भेजना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : जनमत जानने हेतु भेजा जायेगा तो जनमत अपने आप खामियां बतायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मिनिस्टर साहब ने भी लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन करवा लिया होगा और लोन के अन्दर सुधार करने की आवश्यकता नहीं है और उससे उसको अधिकार मिल जाये तो यह एक देखने की चीज है और अगर मिल जाते हैं कानून के अन्तर्गत तो मैं इसको एप्रीशियेट करूंगा।

दूसरी चीज जो देखने में आई वह यह है कि अगर काश्तकार को-ऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है तो को-ऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेकर मोर्टगेज कर सकता है....

श्री शंकरलाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सभापति महोदय। सभापति महोदय, प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी हमारे नियम हैं और उसका नियम 12 है। इसमें सदन की बैठकों का समय यह दिया गया है कि इतने समय तक होगी और वह क्या होगा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें यह है कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अधीन रहते हुए सदन की बैठकें साधारणतया मध्याह्न पूर्व 11 बजे आरम्भ होंगी और मध्याह्न पश्चात् 5 बजे समाप्त होंगी। अगर साधारणतया 5 बजे समाप्त नहीं हो तो अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अधीन रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय का कोई निर्देश नहीं है कि यह जो बैठकें होंगी यह 5 बजे के आगे कब तक चलाई जायें इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह एक दिन की ही बात नहीं है जबसे सदन चालू हुआ है तब से 11 बजे से लेकर बैल मार खेती हो रही है और इतने महत्वपूर्ण बिल आते हैं जैसे अभी पहले नगरपालिका का बिल आया और यह बिल है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है तो माननीय सदस्यों की उपस्थिति भी हम यहां देखते हैं बहुत कम होती है। तो माननीय सदस्य न तो सुझाव दे पाते हैं और यह हमेशा नहीं होना चाहिए और इसके अनुसार मैं समझता हूं कि हमेशा ऐसा होना उपयुक्त नहीं है और माननीय सदस्य भी मेरे से सहमत होंगे कि हमेशा इतनी देर तक बैठे रहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है।

श्री सभापति : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है फिर भी आपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहा था वह कर दिया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैं इस बात पर विचार प्रकट कर रहा था कि को-ऑपरेटिव सोसाईटीज से लोन लेने के बाद में और को-ऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन मोर्टगेज करके लेने के बाद में भी बैंक के द्वारा लोन दिया जा सकता है? और उसी लोन को मोर्टगेज किया जा सकता है तो यह व्यवस्था बढ़िया है। परन्तु वह अपने फील्ड को मोर्टगेज किसी इन्डीविजुअल को कर देता है तो बैंक से लोन ले सकेगा या मोर्टगेज कर सकेगा या नहीं यह भी सोचने का है। क्योंकि जनरली यह टेन्डेन्सी है....

श्री मोहरसिंह (चूरू) : को-ऑपरेटिव सोसाइटीज कौनसा मोर्टगेज का लोन देती है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा मतलब को-ऑपरेटिव बैंक से है। तो इस सम्बन्ध में भी यह गौर करने की बात है कि अगर इन्डीविजुअल को मोर्टगेज कर दिया आपने फील्ड को फिर बैंक से लोन प्राप्त हो सकता है या नहीं ? प्रश्न यह है। और इसको एग्जामिन करने की बहुत ही आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इस संबंध में जो कठिनाइयां हैं, जो सब-टेनेन्ट और जो खेत का मालिक नहीं होते हुए भी उसको भी लोन मिलने के बारे में जो व्यवस्था की गयी है वह सराहनीय है क्योंकि जो काश्त करता है उसको सुविधायें मिलनी चाहिएं लोन की और उसके लिए इसका प्रोवीजन करना सराहनीय कदम है। इस कानून के अन्तर्गत जो पेमेंट का तरीका है, जो वसूली का तरीका है वह बहुत सख्त है। वह अटैचमेंट, उस लैंड को अटैच कर दिया जावे, उस लैंड को सेल कर दिया जाय तो वहां स्थिति इस प्रकार की पैदा हो जाती है कि जिससे कि लोन लेने वाला किसान उसको सोच समझ करके लोन लेना होगा। उसके पेमेंट के लिए जनरल पॉलिसी प्रकार की होती है कि जब लोन लेता है तो बड़ा खुश होता है और लोन लेते वक्त में इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन देने को भी तैयार हो जाता है, पर जब पेमेंट देने का समय आता है, वसूली का समय आता है उस समय बड़ी कठिनाई होती है। और वह स्थिति इस प्रकार की होती है कि वह महाजन से भी कर्ज लेकर फिर उसको चुकाना पड़ेगा, बराबर टाइमली चुकाना पड़ेगा। आफ्टर थ्री मन्थ जब दूसरा इस्टालमेंट चुकायेगा, अगर कुछ भी देरी हो जाती है, थोड़ी भी डिले हो जाती है तो उसकी लैंड अटैच हो जाती है और फिर उसकी लैंड बाद में बेच दी जाती है और जब लैंड चली जाती है तो फिर कोई साधन नहीं रहता है। तो इसलिए यह सोचने की बात है। इस सम्बन्ध में अगर कोई सुविधा दे सके तो यह किसानों में जो कमजोरियां हैं और इन कमजोरियों के प्रति अगर कुछ लाभ दे सकें और इतना सख्त प्रोविजन अटैचमेंट करने का न हो और कुछ सुविधा दे सकें तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : सभापति महोदय, आज जो यह बिल रखा गया है यह बड़ा सराहनीय है और मैं समझता हूं कि इस बिल की बड़ी आवश्यकता थी। लेकिन इस बिल के बारे में जहां और डिस्कशन हैं जहां इसमें अच्छे क्लॉजेज हैं वहां मेरी यह गुजारिश है कि एक तो इसमें जो पैसा वसूल करने की बात है उसके प्रोविजन्स मेरी समझ में नहीं आते। इसमें पहला क्लॉज जो रिक्वरी एण्ड ड्यूज बाई बैंक, सैक्शन 12 में यह लिखा है कि जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

की गई है उसका अटैचमेंट ग्र् सिविल कोर्ट होगा और उसके बाद संक्शन 13 में यह लिखा गया है कि वह किसी प्रेस्काइब्ड आॅथोरिटी के समक्ष अगर कोई बैंक दरखास्त देता है तो वह प्रेस्काइब्ड आॅथोरिटी उसको या उसके लीगल रिप्रजेन्टेटिव को नोटिस देकर पैसा हासिल कर सकेगी। तो अब वह दोनों संक्शन में प्रेस्काइब्ड आॅथोरिटी कौन है, मेरे ख्याल में कोई डिफाइन नहीं किया गया है। वह प्रेस्काइब्ड आॅथोरिटी रेवेन्यू आॅथोरिटी होगी या सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज, किस रैंक का आदमी होगा। तो सिविल प्रोसिजर कोड के मातहत जो प्रोविजन हैं वह कवर होता है। और सी. पी. सी. के मातहत इन डिक्रीज को कराया जाता है जो डिक्रियां सिविल कोर्ट के मातहत ही हैं। आप उसमें सिविल कोर्ट का इण्टरवीन चाहते हैं। रिकवरी चाहते हैं प्रेस्काइब्ड आॅथोरिटी से और प्रेस्काइब्ड आॅथोरिटी की डेफिनेशन आप इसमें नहीं दे रहे हैं। यह जो एनोमोली पैदा हुई है वह एनोमोली मेरी समझ में नहीं आई।

(रात्रि 7.54 बजे)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए और जहां यह चीज आवे तो वहां इस बात को भी सोचना चाहिए था कि यह जो रिकवरी का प्रोविजन है वह कल्टीवेटर के लिए मैं समझता हूं कि बहुत सख्त है। यह सही है कि बैंक जो रुपया देगी उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इन प्रोविजन्स के साथ-साथ ऐसी फैसेलिटि उस किसान को दी जाती कि वह अगर कर्जे की अदायगी वक्त पर न कर पाये तो उस स्थिति में उसके साथ सिर्फ यह सलूक नहीं हो कि आउट राइट उसकी जमीन कुर्क करके बेच दी जाय बल्कि उस पर चार्ज रखा जावे और उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा या कुछ और हिस्सा उसमें से ले लिया जाता रहे और उसको डिपोजिट किया जाय कर्ज के अगेंस्ट ताकि वह जमीन उसके पास रहे और वह उसमें दिलचस्पी लेकर उपज पैदा करके कर्ज अदा कर सके। तो बैंक और प्राइवेट मनीलेंडर में कोई फर्क रहता नहीं है। उसको जो सहूलियत मिलती है वह सहूलियत खत्म हो जाएगी जब उसकी लैंड अटैच करके बेच दी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि रिकवरी का प्रोविजन जो है इसके बारे में आप सोचें। वैसे यह बिल बहुत अच्छा है और इसमें बहुत राहत मिलेगी किसानों को और लोगों के जिनके राइट्स अभी तक नहीं थे वे पैदा होंगे। इसके साथ-साथ रिकवरी का जो प्रोविजन है उसमें उसकी जमीन समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस लॉ को फिर इस नजरिये से देखने की जरूरत है। क्या यह सम्भव है कि जब पैसा ड्यू हो जाय तो अटैचमेंट करके उसका कुछ पर्सेंट से फिफ्टी पर्सेंट उसको दिया जाता रहे और फिफ्टी पर्सेंट उसके लोन के अगेंस्ट जमा होता रहे ताकि उसकी जमीन भी महफूज रहे और आपका कर्जा भी अदा हो जाय। इस किस्म का प्रोविजन होता और हो तो मेरा सुझाव है कि बहुत इफेक्टिव होगा। जहां तक इस कर्जे की अदायगी का सवाल है इसमें तो मेरा इतना ही सुझाव है कि जहां तक कर्जा देने की मशीनरी का सवाल है, मेरा अर्ज

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

करना यह है कि मैंने कुछ फिगर्स इकट्ठे किए हैं, जब से बैंक नेशनलाईजेशन हुआ तो 3 अगस्त 73 को फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट आॉफ इण्डिया ने फिगर्स दिए हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। रूरल एरिया में 1909 करोड़ यानि 3.6 पर्सेंट लोन तो रूरल एरिया में दिया गया है जब से बैंक नेशनलाईजेशन हुआ। सेमी रूरल एरिया में 682 करोड़ यानि 12.7 पर्सेंट। अर्बन में 1136 करोड़ जिसका मतलब है 21 पर्सेंट। मैट्रो-पोलिटन में 3506 करोड़ यानि 62.5 पर्सेंट। तो आप देखेंगे कि यह नेशनलाईज्ड बैंक से जितनी रकम अदा की गई वह रकम अधिकतर अर्बन एरिया में दी गई और उसमें से अधिकतर यानि 62 पर्सेंट तक इन कैटपलिस्ट्स हैं जिनकी इण्डस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं उनको दी गई है। तो यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम ऐसा डिफेक्टिव है कि जो कवर होना चाहिए एरिया वह कवर नहीं होता। कोपरेटिव सोसाइटीज या फिर ऐसी इन्स्टीट्यूशर्स जो लोन देती हैं उन पर जितना भी प्रभुत्व होता है वह तमाम बड़े-बड़े फाइनेंशियर्स और कैपिटलिस्ट्स का होता है। जैसा कि आपने मुलाहिजा फरमाया कि आज सन् 73 में जो फिगर दिए गए हैं 62 पर्सेंट रकम मैट्रो-पोलिटन सिटीज जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास इनके कैपिटलिस्टों के पास गई है। तो आप इसको चैनलाइज रूरल एरिया में किस तरह से करेंगे। जहां दो हजार करोड़ रुपया हर साल होना चाहिए वहां तीन सौ और पांच सौ करोड़ रुपया ही दिया गया है किसानों को। अब किसानों के सामने यह प्रोब्लम है, अव्वल तो पैसा मिलता नहीं और अगर मिलता है तो जो मशीनरी देने वाली है वह कुल आप हिसाब लगाइये इन फिगर्स से तो आपको यह पता चलेगा कि गांव वालों को 15.13 पर्सेंट जो लोन था वह किसानों की जेब में पहुंचा और बाकी का जो लोन था वह सबका सब अर्बन एरिया में और ऐसे लोगों के पास पहुँचा जो उसके मुस्तहक नहीं हैं। तो यह जो सिस्टम इन्ट्रड्यूज किया गया है इससे राहत मिलेगी और इसके मातहत आप कुछ ऐसे रूल्स बनायें या ऐसे कवायद बनायें कि जिससे किसानों तक यह पैसा मुन्तकिल हो सके और उसको आसानी से उपलब्ध हो पाये। इसकी एक बहुत बड़ी रकम किसानों को हासिल करा सकेंगे। उसको इसका इन्टरेस्ट भी देना पड़ेगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जहां तक इसको इम्प्लीमेंट करने का सवाल हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी और उसको सहूलियत से पैसा उपलब्ध हो सके इसका कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। रिकवरी का तो सख्त प्रोविजन है उसकी जमीन के समाप्त होने का प्रोविजन है लेकिन उसको सहूलियत से पैसा मिल सके इसका कोई प्रोविजन नहीं है। जैसा मैंने आपसे गुजारिश की, आज जो सिस्टम चल रहा है, जो तरीका प्रचलित है उसमें ऐसी पोजीशन है कि किसान के पास पैसा कम पहुँचता है क्योंकि वह जो रूल्स कर्जा देने के कवायद बना रखे हैं फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स या बैंकों ने वह इस किस्म के हैं कि छोटा किसान सिक्योरिटी दे नहीं सकता लेकिन जिनके पास पैसा है, जो धनी किसान हैं, जो सिक्योरिटी दे सकते हैं उनको कर्जा मिल जाता है जिसकी उनको जरूरत नहीं है। तो आपको इसका हल निकालना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

चाहिए लेकिन इस बिल में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। आपकी कम से कम वह रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। वह रिपोर्ट होती तो आप स्पष्टीकरण कर सकते थे। अगर आप इस सिस्टम में यह तब्दीली कर दें कि वह जो सिक्यूरिटी का तरीका है या उसकी जमीन है उनता कर्जा उसको मिल सकता है या आपके द्वारा कुए बना दिए जाएं। आपके द्वारा इर्रीगेशन की फैसिलिटीज हो जाये। आप इस पर विचार करें। इस किस्म से केवल लोन से यह मसला हल नहीं होगा। जो लोन किसान ले जाता है, उसके ऊपर संकट आते रहते हैं और वह लोन उसमें खर्च कर देता है। तो वह रुपया यूटिलाइज कर सकें ऐसे सिस्टम को आपने इन्ट्रोड्यूज नहीं किया है। यह प्रॉविजन नहीं रखा है कि उस रुपये को बिना सिक्यूरिटी के उपयोग में लाया जाये। 4/5 बीघा जमीन है तो एक हजार रुपया मिल सकता है परन्तु उसमें उसका कुआ नहीं बनेगा। ये चीजें आप तय करें और काम करने की कोशिश करें। इस किस्म का प्रॉविजन रखें। उसकी जमीन महफूज हो चाहे आप अटेच करके 50 फी सदी ही कर लें उसको फायदा हो और उसको रकम इतनी मिलनी चाहिये कि उसकी जमीन की यूटिलिटी हो सके और वह उसकी पैदावार को बढ़ा सकें।

मैं बिल को सराहनीय मानते हुए यह निवेदन करूंगा कि इसको प्रसारित करावें ताकि किसान अपनी राय आपको पहुंचा सकें। इससे किसानों को राहत मिलेगी। शिड्यूल ट्राइब्स और शिड्यूल कास्ट्स के जो किसान हैं और जो लेन्डलेस हैं उनकी जो हालत है वह दयनीय है। इस किस्म का कोई प्रॉविजन नहीं है कि इनके साथ किस किस्म का ट्रीटमेन्ट होना चाहिये। बैंक की अदायगी की कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट अपने सिर पर ले ताकि उनको हेल्प मिल सके। यह चीज भी नहीं है जिसको सोचना चाहिये। आज बहुत बड़ा तबका शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स का है जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनकी जिन्दगी बसर नहीं हो सकती है। यह बिल अच्छा होते हुए भी कई अच्छी चीजें इसमें ओमिट हो गई हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि इसका विचार करते हुए इसको सिलेक्ट कमेटी में दें ताकि इस पर और सुझाव दिए जा सकें और इस बिल को सही किया जा सके।

रात्रि 8.02

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह !

रात्रि 8.04

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित जो छोटे-छोटे धन्धे हैं जैसे पशु-पालन आदि उनको आगे तरक्की पहुंचाने की नियत से मन्त्री महोदय ने जो बिल आज सदन के सामने प्रस्तुत किया है, इस बिल की मंशा का जहां तक सवाल है किसी प्रकार की दो राय नहीं हो सकती है। वास्तव में यह प्रोग्रेसिव बिल है लेकिन जहां तक

(श्री मोहर सिंह)

इसको कार्य रूप में परिणित करने का प्रश्न है, आज तक का जो अनुभव है, भूमि सुधार के जितने भी कानून आए और खास कर के थोड़े इधर के वर्षों के दौरान उनको कार्यान्वित करने में जहां तक अनुभव है उससे हम इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि वर्तमान लालफीताशाही व इजारेदारों की पोषक सरकार इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कार्यों को सही ढंग से पूरा उतार दें यह असम्भव है। जहां तक किसान के महत्त्व का सवाल है, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि राजस्थान प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता, जो किसान है, उससे यह ताल्लुक रहता है। साथ साथ में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वर्तमान में जो सरकार है वह पूंजीवाद से जुड़ी हुई है। पूंजीवाद की समर्थक सरकार भूमि को आज तक कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा होने से नहीं रोक पायी। इसलिये अभी भी हमें इस प्रकार का डर बिल के अन्दर है कि बहुत थोड़े किसान जो कि राजस्थान में थोडे-थाड़े होल्डिंग्स के मालिक हैं कहीं इस प्रकार से ऋण वसूल करने का मौका आवे तो वह जमीन भी उनके हाथ से न निकल जावे। 5 प्रतिशत किसान राजस्थान में ऐसे है जिनके पास करीब 35 प्रतिशत भूमि इकट्ठी है। 35 प्रतिशत किसान इस प्रकार के हैं जिनके पास ढाई से तीन एकड़ तक महज जमीन है और बाकी के पास उससे कुछ ज्यादा है। शेष भूमिहीन किसान जो हैं दूसरे की जमीन को काश्त करता है। साथ ही गरीब किसान है जिसके पास ढाई, तीन, चार एकड़ जमीन है। मझौला किसान जिसके पास 10–12 एकड़ जमीन है। मेरा मतलब उसकी जमीन से है। वह किसान इस कानून के बन जाने के बाद, उसका वसूली का टाइम आवे तो वह जमीन भी उससे हट सकती है। यह इसके अन्दर डर है क्योंकि आज तक यह बात सिद्ध है कि वेस्टेड इन्टरेस्टेड वालों की तरफ ही मूलतः ध्यान है। राष्ट्रीयकृत जो 14 बैंक हैं और उनसे जो कर्जे दिये गये हैं उससे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आम अवाम, आम किसान को कर्जा बहुत ही थोड़ा दिया गया। अभी माननीय सदस्य गफ्फार साहब ने भी कहा। काफी वेस्टेड इन्टरेस्टेड, बड़े मोनोपोलिस्ट या बड़े किसानों के पास यह बैंक का रुपया गया। बड़े व धनवान किसानों ने ट्रैक्टर की नियत से कर्जा लिया। 70–75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं कि उन्हें किसी प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों का लाभ नहीं मिला है। इसलिये हमें इस बात का डर है। दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है। कानून सुन्दर है इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कह सकते हैं शेरनी के दूध की माफिक लेकिन उसको पीतल की थाली में डालना है। सरकार का जो ढांचा है, जो मशीनरी है वह इस ढंग की बनी है कि उसमें थोड़ा बहुत हो जाये वही काफी मान लिया जाना चाहिये क्योंकि इसके अन्दर इस प्रकार की कमेटी का प्रावधान नहीं है जो महीने के अन्दर या दो महीनों के अन्दर इकट्ठे होकर यह देख सकें कि इस कानून का परिपालन ठीक ढंग से हो रहा है, कर्जा जो लिया गया है वह ठीक ढंग से इस्तेमाल में लाया जा रहा है? कर्जा जो वसूल किया जा रहा है उससे गरीब किसानों की जमीनें तो नहीं जा रही हैं? इस प्रकार का ध्यान रखने के लिए विशेषतौर से कमेटी तहसीलवाइज या जिलावाइज कायम की जाय। इस प्रकार का प्रावधान इसके अन्दर आना चाहिए था, नहीं

(श्री मोहरसिंह)

तो नतीजा क्या होगा कि जमीनें निकलते निकलते जिनके पास थोड़ी बहुत जमीनें हैं वह भी निकल कर गवर्नमेंट के पास चली जायगीं। इस तरह का खतरा जो है इस खतरे का माननीय मंत्री जी इसके अन्दर समाधान जरूर करेंगे।

इसके साथ-साथ अभी तक हमने यह देखा है कि जो कर्जा लिया गया उसका जहां तक हमारे खुश्क इलाके का सवाल है, कुछ मीठा पानी निकलता है तो वह ज्यादातर ट्यूबवैल के अन्दर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अगर किसान तक कानून के लाभ को पहुंचाना चाहते हैं तो उसको इस तरह का बनाना चाहिए। अभी चार दिन पहले कुछ शेखावाटी के किसान जिन्होंने ट्यूबवैल लगाये हैं, आये थे और कहने लगे कि मोहरसिंह अब हम ट्यूबवैलों को उखाड़ कर फैंक देंगे। मैंने पूछा कारण क्या है ? तो कहने लगे कि बड़ी-बड़ी दिक्कतें हैं। मशीनरी बड़ी परेशानी पैदा कर रही हैं, कुए खुदने के बाद कनेक्शन लेने जाते हैं तो कोई 700 रुपये मांगता है, कोई 800 रुपये मांगता है और कोई 500 मांगता है। कनेक्शन लिया तो दूसरी मुसीबत आती है। फसल पकने के करीब आती है और पानी की जरूरत होती है तो कभी बिजली के तार खराब कर दिए जाते हैं और हमारी 7-7, 8-8 हजार की मोटरों को वह बेकार कर देते हैं। उसके बाद दूसरों से कर्जा लेकर मोटरें भी फिट करते हैं तो जिस टाइम पर बिल्कुल अनाज पकने पर आता है उस वक्त फिर झटका देकर कनेक्शन को तोड़ देते हैं और बिजली बन्द कर देते हैं और सारी फसल खराब हो जाती है। 100 कुओं में से करीब 25 कुओं पर मुश्किल से थोड़ा बहुत खाने के लायक अनाज पैदा करते हैं वह भी जिसके घर के सारे लोग लगातार खेती पर काम करते हैं। 75 कुए डेफिसिट में जा रहे हैं। इस तरह की जो बात है उसकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे ऑफिसर हैं वे पूंजीवाद के पोषक हैं। हमारे आफिसर्स आज तक वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के पोषक रहे हैं। सरकारी वर्ग के अन्दर ऐसे लोग हैं उसको मैं साबित कर सकूंगा। अभी एग्रेरियन परपज के लिए जो बिजली दी जाती है वह 13 पैसे से 23 पैसे कर दी गई है किसी ने बताया कि 38 कर दी है। अब आप सोचेंगे कि कितना फायदा रहेगा जो आदमी ट्यूबवैल पर काम करते हैं उनका अनुभव मैंने आपके सामने बताया है। वे कह रहे हैं कि यदि यही हालत रही तो ट्यूबवैल को उखाड़ कर तोड़ देंगे। आगे इस प्रकार से खेती नहीं कर सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसको ध्यान में रखकर यह जो आपने बिल रखा है मन्शा के तौर पर वास्तव में सुन्दर बतलाता है अपने आपको लेकिन इसके अन्दर जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं, इसके परिपालन के अन्दर जो दिक्कतें हैं, उनको ध्यान में रखकर इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में लाने की कोशिश की जायेगी। इसके अन्दर यह प्रावधान रहना चाहिए कि हर महीने या दो महीने में किसी तरह से इसका इवेल्यूएशन कर सकें कि वास्तव में इस कानून की मंशा की परिपालना हुई है ? कहीं विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा है ? कहीं किसानों की जमीनें तो कुर्क नहीं हो

(श्री मोहरसिंह)

रही है, कहीं किसान घाटे में तो नहीं जा रहा है, किसान को कोई दिक्कत, परेशानी तो नहीं हो रही है, गरीबों को पैसा देने की इस बिल की मन्शा है उसके बजाय कहीं उनका पैसा पहले की तरह बड़े लोगों के पास तो नहीं जा रहा है ? इस तरह का प्रावधान इसमें रखें कि जिससे महीने दो महीने में इसका मूल्यांकन कर सकें जिलावाइज या तहसीलवाइज कि वास्तव में किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है उनको किसान कृषि में ही उपयोग कर रहे हैं क्या ? इस चीज का सही तौर पर उपयोग कर सकें इसके अन्दर इस तरह के प्रावधान जरूर होने चाहिएं। वैसे मैं इस बिल की सराहना करता हूं लेकिन इसको हम थोड़े टाइम के लिए और भी सोच सकें और जो भी कमियां इसके अन्दर हैं उन पर अच्छी तरह से विचार कर सकें, इसलिए इसे एक महीने के लिए जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है कृषि मंत्री महोदय इस बात को महसूस करेंगे। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है इसलिए किसानों के लिए इस कानून को अच्छी तरह से सोच समझकर उनको आगे बढ़ाने वाला बनाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं कृषि मंत्री महोदय के कानों में यह बात डालना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे प्रदेश के अन्दर सबसे पहले कृषि का विस्तार हो। इतना बडा देश होते हुए भी हम अनाज के लिए दूसरे मुल्कों के सामने हाथ पसारें यह हमारे लिए शर्म की बात है। कृषि का विस्तार हो इसमें हाउस के सदस्यों की दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जो इसमें कमियां हैं वह सुझाव के रूप में मंत्री महोदय के सामने आ सकें इसके लिए एक महीने का टाइम और देकर इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करें ज्यादा से ज्यादा अच्छे सुझाव इस कानून में ला सकें तो यह और भी सुन्दर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह !

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 का यह जो अध्यादेश प्रस्तुत किया जा रहा है इस सम्बन्ध में मैंने इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस अध्यादेश के दो पहलुओं पर निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस अध्यादेश में जो काश्तकारों के लिए प्रावधान रखे हैं, उनको जो सुविधाएं दी गई हैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में काश्तकारों के लिए कहा जा रहा है कि काफी सुविधाएं दे दी गई हैं। मैं समझता हूं कि विशेष सुविधा वाली बात नहीं है। आज आप जो ऋण देने की व्यवस्था करना चाहते हैं यह पहले भी थी।। कोआपरेटिव बैंक से ऋण का प्रावधान पहले से है दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन ऋण को-ऑपरेटिव बैंक से पहले भी दिया जाता रहा है। अब विशेष बात इसमें यह है कि कार्माशियल बैंक्स द्वारा उनको ऋण दिलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि को-आपरेटिव पैटर्न पर भी जो कामशियल बैंक्स हैं उनको ले आते तो यह सुविधा तो पार्टी को उपलब्ध थी उसी प्रकार से आप यह कर देते, और जो गैरखातेदार हैं उनको भी ऋण की सुविधा प्रस्तुत करा देते। यह वस्तुत

(श्री प्रतापसिंह)

नई बात आई है कि गैरखातेदार भी ऋण प्राप्त करने की स्थिति में आ सकेंगे। इसके साथ में अगर हम यह देखते हैं दूसरे पहलुओं से कि काश्तकारों की सुरक्षा, उनकी जमीन की सुरक्षा का प्रश्न जहां आता है तो आज तक नियम आपका यह नहीं था कि बगैर गवर्नमेन्ट को ध्यान दिलाये उसकी जमीन कुर्क की जा सकती थी। अब इस बिल में आपने ऐसा खतरनाक प्रावधान कर दिया है कि जिससे काश्तकार भयभीत होकर ऋण प्राप्त करने की भी हिम्मत कर सकें इसमें सन्देह होने की बात पैदा हो जाती है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से काश्तकार को भयभीत करके उसको ऋण की सुविधा, जो आज तक उपलब्ध होती रही है, उससे वंचित कर दिया गया है, और मैं समझता हूं कि इसका मूल कारण यह है कि इस बिल का कम्पोजिशन करते समय आपने किसी काश्तकार अथवा काश्तकारों के प्रतिनिधि से नहीं पूछा कि उनकी समस्याएं क्या थीं और उनका किस तरह से हल किया जा सकता है। उनसे इस बारे में विचार-विमर्श नहीं किया, और केवल जो दूसरा पक्ष था बैंकर्स का उनकी जो रिकमण्डेशन्स थीं, उनकी सिफारिशें थीं उनको दृष्टिकोण में रखकर एक पक्ष से इस बिल का कम्पोजिशन कर लिया गया है। और यदि इसका बैलेन्स मिलाया जाय तो रिकवरीज का आपने क्लाज इसमें इन्ट्रोड्यूस किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बजाय कृषकों को सुरक्षित रखने के बैंकर्स की मनी की सुरक्षा की है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह जो काश्तकारों की कठिनाइयों के निराकरण का सवाल रखा गया है, यह काफी हद तक अव्यवस्थित है और इसी दृष्टि से इसको देखा जा रहा है। यह देखा गया है कि बैंकर्स को अधिक लाभ कैसे मिल जाये। इसके साथ साथ कोआपरेटिव सोसाइटीज से ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि को-आपरेटिव सोसाइटी से ऋण उपलब्ध करने को बैंक द्वारा चाहेंगे तो कैसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी होगी वहां अपनी मोनोपोली जमाने के लिए वह सारी व्यवस्था को बिगाड़ेगा। उस कोआपरेटिव सोसाइटी को डिफंक्ट बनाने की कोशिश करेगा। जो कोआपरेटिव सोसाइटी सेवा करती रही है, उससे उसको वंचित करेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोआपरेटिव सोसाइटी की स्वायत्तता को वहां सुरक्षित रखने की दृष्टि से कार्य किया जाये तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

बैंक्स के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है। इससे काश्तकार को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, माननीय मन्त्री महोदय स्वयं अनुभव करेंगे। आपकी जो जो लीड बैंक्स हैं जैसे बड़ौदा बैंक है, वहां ऋण प्राप्त करने के लिए फार्म उपलब्ध नहीं हैं। फार्म उपलब्ध हो जाते हैं तो कहते हैं कि टैक्नीशियन्स नहीं है जो स्पॉट पर जाकर वैल्युऐशन कर सकें। यह पता ही नहीं चलता है कि किस अधिकारी के पास जाकर सम्पर्क करें। लोन पास हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। कैसे उनसे निपटा जाये। तो यह जो बैंकों से लोन की सुविधा के लिए कहा जा रहा है, यह भावना में तो बहुत सुन्दर है लेकिन जो कार्य प्रणाली है, उसमें जब तक सुधार नहीं किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि जिसको आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसको लाभ

(श्री प्रतापसिंह)
नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि जिनको लाभ पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है उनको समस्या की जानकारी प्राप्त कराना आवश्यक होगा। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह राठौर (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह जो एग्रीकल्चरल बैंक, केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक से काश्तकारों को जितना ऋण दिया जाना चाहिए वह नहीं मिल सका है। उन पर नियन्त्रण करने के लिए जो विचारधारा चली तो उसी के आधार वर 1969 से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा ऋण सुविधा प्रदान कराई जाये। पिछले सालों यह अनुभव रहा है कि केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक से जितना ऋण मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। इसके साथ-साथ रिजर्व बैंक की कुछ वर्ष पूर्व एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उससे यह स्पष्टतया मालूम हुआ कि हमारे देश के लगभग 70% काश्तकार लोग प्राइवेट बैंकर्स के कर्जदार हैं। यह हमारे देश में भयंकर समस्या है। इस ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया है। वैसे यह कहा गया है और मंशा भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऋण कृषकों को मिले। उसके लिए यह कदम उठाये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसी वक्त यह कानून लाना चाहिए था। तो जो आज कठिनाई उपस्थित होती है, वह संशोधन करने की जरूरत पेश नहीं होती। आज नये रूप में विचार किया जा रहा है। यह कम्प्लीकेटेड है। बैंकों की जो रिपोर्ट आई तो मन्त्री महोदय ने ला डिपार्टमेंट से सलाह करके यह बिल बनाया है। लेकिन इसके साथ-साथ तीन प्रश्न खड़े होते हैं। क्या यह और किसी स्टेट में लागू किया गया है ? हमारा राजस्थान कितने नम्बर की स्टेट है। जहां हम बिल लाने जा रहे हैं। यह हमें जानने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून को ऑर्डिनेंस के जरिये से लागू किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय को कई वर्ष पूर्व ही इस कानून को लाना चाहिए था ; लेकिन यह ऑर्डिनेंस ला कर कानून बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस बनाने के बाद आपने क्या स्टेप्स लिये हैं ? उसको प्रॉमलगेशन में लाने के लिए रूल्स बनाया जाना और दूसरी स्टेट्स में कोई कठिनाई उपस्थित हुई उसकी जानकारी की है या नहीं ? मेरी जानकारी में नहीं की है। तो यह हमारा भी अनुभव रहा है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा भूमि विकास के जरिये से जो ऋण मिलता है उसमें कठिनता आती है। गिरदावरी में पटवारी गिरदावरी नहीं देते हैं। साल भर पार्टी वगैरह को पीछे-पीछे घूमना पड़ता है जबकि हमारे यहां कलेक्टर मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद लोगों को कठिनाई उपस्थित हुई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हैं। तो हमारे प्रदेश में जब हम कानून लाने जा रहे हैं। कॉन्स्टींट्यूशनली बैंक, शिड्यूल बैंक, इनमें क्या मौजूदा स्थिति है जिसके अन्दर बैंकों की पर्याप्त मात्रा में में ब्रांचेज हैं। लीड बैंक क्या खोली गई है। सारे 26 जिलों में बैंकों की क्या स्थिति है ? अपने जो मंशा बताई है, वह मंशा तो शानदार है। काश्तकारों को सुविधा देने की मंशा है। इसमें बिल्कुल नया नया कानून है। एक्सपर्ट रिपोर्ट आयी है। एक कन्सोलिडेटेड बिल के जरिये से काश्तकारों को सुविधा उपलब्ध करा दें। आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स तो ठीक हैं। लेकिन वर्गीकरण किए जाने से उसमें क्या-क्या कठिनाई पैदा होगी ? नये रूप में दूसरी स्टेट्स में क्या जानकारी की है, उसका हमें पता नहीं है। माननीय श्री गोटेवाला ने बताया है, सन 1969 के बाद कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोन गया है ? अब इसकी गति को तेज करना चाहते हैं, इसलिए यह कानून लाये हैं और यह कानून लाना चाहिए था इसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान है डिफीकल्टी को रिमूव करने के लिए जो मोर्टगेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, जिससे लोन नहीं ले सकते थे उसको रिमूव करने के लिए धारा रखी है। इन धाराओं के तहत कितना रिलीफ दे पायेंगे। पिछले वर्षों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एलॉटमेंट किया है, उनको दस साल की सनदें जारी की हैं, उसके ऊपर लोन लेने का इस कानून के तहत किसी रूप में अधिकार देना जरूरी है। लेकिन इस कानून में कोई प्रावधान नहीं दिखता है। पहले राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि ऐसे लोगों की सरकार गारन्टी देगी, हम उनको लोन दिलवायेंगे। लेकिन हमारे जिले में एक ऐसा किसान मेरी नजर में नहीं है कि जिसको लोन दिलवाया हो। मै चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन देना जरूरी है और उनको लोन भी किसी तरह आप उपलब्ध करवायें। वह इससे बिल्कुल अछूते रह गये हैं, उनको लोन नहीं मिला है। इसके अलावा इतनी जमीन जो सीलिंग में ले रहे हैं उसको आप डवलप कैसे करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सा क्षेत्र लोन लेने में असमर्थ रह जायेगा।

इसके अन्दर दूसरा रिकवरीज का प्रावधान रखा है ऑक्शन का। प्राइवेट बैंकों से इतनी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए कि बैंकों का जो लोन है वह न चुकाये तो ऑक्शन के जरिये करने का इसमें प्रावधान है। मेरा निवेदन है कि इसके एग्जीक्यूशन के लिए पहले खेत का ऑक्शन न होकर पहले क्रॉप का ऑक्शन किया जाय। दो तीन बार में वह लोन चुका दें तो वापिस जमीन उसके पास आ सकती है। अगर इस तरह हुआ कि लोन चुकाने की म्याद खत्म होने पर दो तीन महीने के बाद में उसको नोटिस दिया और उसके बाद कुर्की करने का आदेश दे दिया तो जमीन दूसरे के हाथ में चली जायगी और जो समय पर लोगों का ऋण नहीं चुकायेगा वह भूमिहीन हो जायेगा। इसलिए इसके बारे में आपको कुछ चिन्ता होनी चाहिए।

इस तरह मेरा निवेदन है कि इस कानून में एम्बीग्यूटी है, डिफीकल्टी हैं उनको क्लीयर करने की आवश्यकता है। इस बारे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
में मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि वह स्पष्टीकरण दें।

इसके अलावा बैंकों का प्रॉसीजर है वह बहुत डिफीकल्ट है। अनपढ़ जो लोग हैं उनको इससे कहां तक सुविधा प्राप्त होगी ? इसके बारे में सोचता हूं कि कुछ पढ़े लिखे काश्तकार हैं, वह तो ठीक से सुविधा प्राप्त कर पाये हैं। इसके प्रावधान का भी उन्हीं काश्तकारों को फायदा होगा बनिस्पत मार्जिनल किसानों के। जितनी एग्रीकल्चरल एक्टीविटीज हैं, जितनी नई प्रैक्टिस है, फार्म्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, वह उनके बारे में लोन प्राप्त कर सकेंगे-यह क्लीअर कर दिया है, परन्तु इसके साथ साथ एक वेलफेअर स्टेट का इस बात से कन्सर्न नहीं है कि इन लोगों को यह सुविधा मिल पायेगी या नहीं, उनको लोन समय पर मिल पायेगा या नहीं ? अगर लोन नहीं मिला और फसल का टाइम चला गया तो फिर प्राइवेट इंडिविजुअल का सहारा लेना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि राज्य की ओर से तो ऋण समय पर मिल जाता है लेकिन बैंकों से नहीं। एडवान्स्ड कन्ट्री में तो सेंट पर्सेन्ट पढ़े-लिखे होते हैं और उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन यह सुविधा यहां प्राप्त नहीं है। इस बात पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा फ्रेगमैंटेशन, जोइन्ट टेनेन्ट की क्या पोजिशन होगी, क्रॉप शेअर की क्या पोजीशन होगी ? यह कानून बहुत लम्बा चौड़ा है, समय भी काफी हो गया है, मैं भी जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। वैसे यह बिल ऐसा है जिस पर दो दिन डिस्कशन होता ताकि हम हमारा अनुभव मंत्री जी के सामने रख सकते। म्युनिसिपैलिटी बिल के बारे में कहा गया कि यह जल्दी पास हो रहा है, हम इसमें कुछ बताना चाहते हैं। यह बिल बहुत इम्पॉर्टेन्ट है, यह बहुत लम्बा बिल है। एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर बिल ड्राफ्ट हुआ है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन हो यह जरूरी है लेकिन आपकी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सलेक्ट कमेटी में रेफर करके, 21 तारीख तक यह असेम्बली है, दो तीन दिन के लिए एक्सपर्ट सदस्यों की कमेटी बना कर इसको थ्रेस आउट करके, और जो डिफीकल्टी मौके पर नजर आती है, उनको रिमूव कर दिया जाय तो उचित होगा वरना एक साल के बाद फिर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। यह नया बिल है, इसमें डिफीकल्टी आयेगी। आप एक कन्सोलिडेटेड बिल के जरिये सारे कानूनों की डिफीकल्टी दूर करना चाहते हैं। लेकिन इसके क्या कम्प्लीकेशन्स होंगे—इसको एग्जामिन कर लिया जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा। इन बातों के साथ मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझता हूं। एक मेरा निवेदन है कि इसमें रूल्स का प्रॉविजन है, यह एक्ट के प्रॉविजन तभी लागू होंगे, जब कि रूल्स तैयार हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेन्स जारी किया है तो रूल्स भी तैयार हो गये होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा नहीं। इसकी क्या स्थिति है, मैं यह भी जानना चाहूँगा।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसके अन्दर जो भी शंकायें हैं, जो भी विचार व्यक्त किये हैं—वह पर्याप्त नहीं है। हम पूरी तरह से कह नहीं पाये हैं, यह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इनजस्टिस है इस बिल के साथ । मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रेस आउट करने के लिए, गम्भीरता से इस पर विचार करने के लिए थोड़े समय के लिए प्रवर समिति को पेश करना चाहिए । यह जो आँर्डिनेन्स जारी किया है, यह छः महीने में पास होना चाहिए । इसलिए वह दो तीन दिन बैठ सकती है । इस पर विचार कर सकती है । आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी है स्केअरसिटी की परिस्थितियां आ रही हैं, हमारी स्टेट जो बैकवर्ड स्टेट है; उसका इस एक्ट से भला होने वाला है. इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इससे लाभान्वित हो—इसको मद्दे नजर रखते हुए मैं प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निवारण) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि यह विधेयक महत्त्वपूर्ण हैं । इसमें काश्तकारों को न्याय प्राप्त करने में जो कठिनाइयां आती थीं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है । यह अच्छा कन्सोलिडेटेड एक्ट आया है, जिसमें सारी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है लेकिन प्रयास सुन्दर सराहनीय होते हुए भी मैं महसूस करता हूं कि बिल जिस प्रकार हमारे सामने आया है, इस पर सलेक्ट कमेटी में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम जो बात निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि राज्य सरकार इस बिल को मूलतः हिन्दी में लायी है । यह एक प्रकार से टैस्ट केस की तरह है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की हिन्दी इतनी क्लिष्ठ है कि मेरा जैसा व्यक्ति को जिसके बी. ए. में भी हिन्दी थी, इस बिल की हिन्दी को समझने में बड़ी कठिनाई हो रही है । जब मुझे इस बिल की हिन्दी समझने में कठिनाई हो रही है तो बेचारे कम पढ़े लिखे काश्तकार इसको क्या समझेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि संक्रान्त के निर्बन्धनों को दूर किया जाना । उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो क्या स्वयं मन्त्री महोदय को भी इसको समझने में काफी कठिनाई होगी । इस बिल में इतनी कठिनाई आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह बिल पहले अंग्रेजी में बनाया गया था और उसके बाद में उसकी ट्रान्सलेशन कराकर इस बिल को हिन्दी में सदन में पास कराने के लिये लाया गया है ।

श्री रामकिशन : पहले अंग्रेजी में किया होगा बाद में उसकी हिन्दी कर दी गई है । चूंकि राजस्थान सरकार हिन्दी को प्रोत्साहन जो दे रही है ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आप काश्तकारों के भले केलिये बनाने जा रहे हैं वह अगर इस प्रकार कठिन होगा तो किस प्रकार बेचारे काश्तकार इस बिल को समझ सकेंगे । आपको उनके लिये ऐसा बिल लाना चाहिये था जिसकी भाषा सरल हो । जिसे हमारे काश्तकार आसानी से समझ सकें । उपाध्यक्ष महोदय, यह काश्तकार इस अन्य संक्रान्त के निर्बन्धनों को दूर किये जाने के बारे में क्या समझेंगे । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल काफी जल्दी में लाया गया है और उसके साथ साथ इसमें कई प्रकार की खामियां हैं उन्हें दूर करने के लिये जरूरी

(श्री शंकरलाल)

है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और है कि इस बिल के पीछे जो उद्देश्य और कारण लिखे हुये हैं इसमें लिखा है कि वाणिज्यक बैंक साख का पर्याप्त अनुपात कृषि सेक्टर तथा अन्य प्राथमिक सैक्टरों को जाये। तो इसमें सैक्टर शब्द जो आ गया है यह हिन्दी शब्द नहीं है यह अंग्रेजी शब्द है तो इसका मतलब यह है कि सैक्टर शब्द की या तो हिन्दी नहीं मिली या यह समझें कि इसमें अंग्रे ी का मिक्शचर भी कर दिया गया है। इस प्रकार सैक्टर शब्द को जोड़ने से इस बिल को जो मूल में हिन्दी में लाने की भावना थी वह समाप्त हो गयी। यह सैक्टर शब्द लगने से मैं समझता हूं कि यह तो रोमन इंगलिश में हो गया। इसलिये अच्छा तो यह होता कि इस बिल को थोडी सरल भाषा में बनाया जाता। प्रवर समिति को सौंपने से उसमें जो त्रुटियां रह गयी थीं उन्हें दूर कर दी जाती और कुछ माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव देना चाहते वह भी इसमें इनकोरपोरेट हो जाते। इसके बाद में मैं उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपने यह लिखा है कि कोई काश्तकार जो जमीन का मालिक हो या काश्त करता हो उसको लोन दिलाने की व्यवस्था इस बिल के द्वारा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही कठिनाई की बात हो जायेगी। इससे तो काफी झगड़े बढ जायेंगे। क्योंकि आजकल कई जगह गावों में लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके उस पर काश्त कर लेते हैं। अगर उनमें से किसी ने बैंकों से इस एक्ट के तहत लोन ले लिया तो इसमें दो झगड़े पैदा हो जायेंगे। पहला तो टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण कर लेते हैं उसको तहसीलदार धारा 91 के तहत उस काश्तकार को बेदखल करेगा उस वक्त बैंक वाले कहेंगे कि यह फसल हमारे पास गिरवी है तो इसमें बड़ी दुविधा राज्य सरकार को भी हो जायेगी और बैंक को हो जायेगी। इसके लिये आपने कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा। इधर तो काश्तकार को तहसीलदार बेदखल करे उधर बैंक आकर कहे हमारा हक है। तो इससे तो परेशानी बढ सकती है। इसमें आप उन्हें परेशानी में उलझा रहे हैं। इसके अलावा बड़े काश्तकार इस बिल से काफी फायदा हासिल करेंगे। क्योंकि छोटे काश्तकार को इससे किस प्रकार से फायदा उठाना है समझ नहीं सकेंगे लेकिन बड़े काश्तकार उसका फायदा काफी मात्रा में उठा लेंगे क्योंकि वह ही सक्षम हैं। इसमें आपने कहा तो यह कि छोटे काश्तकारों के फायदे के लिये यह बनाया गया है लेकिन वास्तव में यह जो गड़बड़ियां वगैरह करते हैं वह बड़े काश्तकार ही करते हैं। आप उन्हें तो बेदखल करायेंगे बेचारे छोटे काश्तकार इसमें काफी परेशान हो जायेंगे। इसमें आपको सिर्फ बिल तो छोटे काश्तकारों के लिये ही लाना चाहिये था जिससे उन्हें राहत मिलती। दूसरे एक बात और इस बिल के आने के बाद बड़े काश्तकार अपने आपको सीलिंग से भी बचा लेंगे क्योंकि इसमें आपने ऐसा किया है कि सीलिंग कानून इस पर लागू नहीं होगा। इसमें जो धारा दी है वह है धारा 15 इसमें लिखा है :

"Exemption to banks from restrictions on acquisi-

(श्री शंकरलाल)

tion of land in excess of ceiling—Nothing in any law for the time being in force placing a ceiling or limit on the holding of land shall apply to a bank acquiring land in terms of section 14 and holding such land till such time the bank is in position to sell the land in the manner provided in section 14 or otherwise, at a price which is adequate to cover its dues."

उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो जो सीलिंग से बचना चाहेंगे वह अपनी जमीन को गिरवी रख देंगे और कुछ उसमें जमीन अपने पास रख लेंगे। तो इस प्रकार जो अपने यहाँ पर सीलिंग का कानून बना हुआ है उसके विपरीत यह हो जायेगा तो इस प्रकार यह बड़े काश्तकारों के लिए तो फायदा हो गया। उनकी जमीन सीलिंग में आने से बच भी जायगी और उनको लाभ भी हो जायेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय इस बिल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी यह रखी है कि बैंक के पास उस काश्तकार की जमीन पर बैंक ने लोन तो दे दिया लेकिन इसमें बैंक उस लोन की अदायगी नहीं करने पर उसकी सारी चीजों कर कब्जा कर लेगी। तो उपाध्यक्ष महोदय यह एक्ट तो सिविल लॉ की जो धारायें हैं उनको भी पार कर गया। सिविल लॉ में यह है कि काश्तकार की जो जरूरी चीजें हैं उसके खेती के समान व उसके खाने पीने की चीजों को एक्वायर नहीं किया जायेगा। लेकिन इसमें तो उनको भी बैंक एक्वायर कर सकती है। बैंक के जो राइट्स दिये हैं। इसमें जो धारा 16 है उसमें दिया है कि:—

"Financing of Co-operative Societies and non-members of Co-operative Societies by Bank, (1) After consulting the Reserve Bank of India the Registrar, Co-operative Societies and the Rajasthan State Co-operative Bank Ltd. the State Government shall—

(a) Select and notify in the official Gazette..."

तो यह है। तो इसमें आपको ऐसा प्रोविजन रखना चाहिए था कि बैंक किस हद तक उसके माल को एक्वायर कर सकेगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया सिविल लॉ की धारा 69 के अनुसार काश्तकार की जरूरी चीजों को एक्वायर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट की जो धाराएं हैं वह ऐसी होनी चाहिएं जिससे कि काश्तकार को ऋण आसानी से मिल सके। यह तो सही है कि हमारे यहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और उससे लोगों को लोन मिलने की सुविधायें भी प्रदान करने की व्यवस्था है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा बैंक से पैसा लेने में इतनी फोरमल्टीज हैं कि जिसको हमारा काश्तकार पूरा करने में उसे काफी समय लगा सकता है और कभी कभी तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि लोगों

(श्री शंकरलाल)

के पास पैसा समय पर नहीं आता। इससे काश्तकारों को लाभ नहीं होता। बैंकों का जो प्रोसीजर है वह बहुत ही कठिन है वह हमारे काश्तकारों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। मेरा सुझाव है कि आप बैंकों से काश्तकारों को लोन आसानी से मिल जाय ऐसा आप इन कॉमर्शियल बैंकों में, को-आपरेटिव बैंक्स में और दूसरे बैंक्स में व्यवस्था करावें। जब समय पर काश्तकार को पैसा नहीं मिलता तो काश्तकार वापिस उसी बनिये के पास जाता है। तो मेरा निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय ताकि इसमें कुछ जरूरी चेन्ज करके काश्तकारों के हित में बना कर फिर विधान सभा में लाया जाय ताकि इससे काश्तकारों को समुचित लाभ हो। वैसे आपने इसमें यह रख तो दिया कि काश्तकार को-ऑपरेटिव बैंक से कर्जा ले सकता है, कॉमर्शियल बैंक से कर्जा ले सकता है इसके अलावा इन बैंकों से काश्तकार को लोन नहीं मिले तो वह काश्तकार रिजर्व बैंक से सलाह ले लेगा। को-ऑपरेटिव बैंक और सोसायटी से सलाह ले, यह सब उसके लिये संभव नहीं है। इसलिए इन सब बातों पर विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिए।

समय को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल को ऐसे काश्तकारों के लिए जो कि खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं उन सबको यदि फायदा दिलाना चाहते हैं उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, काश्तकारों के जो रिप्रजेन्टेटिव्ज हैं, सदन के सदस्य मिल कर इन पर विचार कर लें उसके बाद इसको उचित रूप दें तो ज्यादा उपयोगी होगा बनिस्पत इसके कि इसको जल्दी में स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं। आज तक राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में बहाने बनाते रहे कि ऋण की वसूली नहीं होती है। उस ओट में ऋण नहीं देते थे। वह ओट समाप्त हो गई। अब उनके पास कोई बहाना नहीं रह जावेगा किसानों को ऋण उपलब्ध होने में जो बहुत बड़ी बाधा थी वह हट गयी।

इसके साथ ही माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये और शंकायें व्यक्त कीं वे काल्पनिक हैं। न ही वे यह जानते हैं कि किस प्रकार से आज किसान बैंकों से ऋण प्राप्त करता है। जो सुविधायें आज सहकारी बैंकों में उपलब्ध हैं वे ही सुविधायें यदि दूसरे बैंकों को मिल जायं और उससे किसानों को ऋण प्राप्त हो सके तो क्या दिक्कत है ?

कुछ मित्रों ने यह भी बताया कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। दस वर्ष पहले जो चीज हो जानी चाहिये थी वह तो हुई नहीं। जनमत जानने के बहाने ही इसको और अधिक डिले किया जाय। कौनसा कानून है जिसमें संशोधन नहीं होते हैं जरूरत हुई तो आगे इसमें भी संशोधनत हो सकता है। आज हमारे सामने एक राष्ट्रीय संकट है। अन्न का संकट है। अन्न के संकट के समय में कोई भी कानून

(श्री मोहरसिंह)
बनाना हो तो उसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये। इसलिए मैं उनकी बात से सहमत नहीं होता हूं।

एक बात और रह गई है। शिड्यूल है उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जब क्लॉज बाई क्लॉज लेंगे तब उसको देखेंगे।

माननीय मंत्रीजी !

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने जहां बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है, मैं उनकी चिन्ता के साथ सहनुभूति रखता हूं और इस बात से अपनी सहमति प्रकट करता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंक है खासतौर से छोटे किसानों में सीमान्तक कृषकों को जो भी कर्जा दिया जाय उसमें प्रोसिजर को सरल किया जाना चाहिये और अधिक से अधिक उस प्रकार के लोगों को कर्जा मिल सके वह मिलना चाहिये। इसमें कहीं दो राय नहीं है।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का मकसद यह नहीं है। इस बिल के जरिये प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अन्य जो दिक्कतें हैं उनको इस छोटे से बिल में समाविष्ट नहीं किया जा सकता है। और दूसरे कानून हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं जिन तरीकों से सुधार लाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इस बिल का आशय खासतौर से यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्जा देने में अलग अलग कानून के प्रावधान के अन्तर्गत कठिनाइयां आती थीं उनको मिटाने के लिये एक कन्सोलिडेटेड बिल पेश किया जाय और इस के पीछे एक पुरानी भूमिका भी थी। पिछले छः साल से इस सम्बन्ध में चिन्तन हो रहा था। अलग-अलग जगहों पर इस सम्बन्ध में विचार किया गया और राजस्थान ही नहीं किन्तु देश के अनेक प्रदेशों में इस प्रकार के बिल को पारित भी किया गया और एक्ट बनाये गये और उसके अनुसार सुधार आया। मैं अभी तो आपको कह नहीं सकता कि कौनसी स्टेट ने इसको सबसे पहले लागू किया परन्तु मेरा अन्दाज है कि आठ-दस स्टेट्स इस प्रकार का बिल पास कर चुकी हैं, इस आधार पर कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने सारे भारतवर्ष के कृषि मंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें राष्ट्रीकृत बैंकों के चेयरमैन भी थे। वह सम्मेलन इसलिये बुलाया गया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिये कृषि सैक्टर में अधिक से अधिक पैसा दिया जाय और जो बाधायें उपस्थित हो रही हैं उनको हटाया जाय। भारत के वित्त मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता प्रकट की और राज्यों को और बैंकों को इस राष्ट्रीय संकट में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये आह्वान किया। जितने भी चेयरमैन मिले उन्होंने दिक्कतें बताई जो वे की वे ही थीं जो आपके सामने प्रस्तुत कीं। एक प्रिफरेन्शियल ट्रीटमेन्ट को-ओपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत दिया गया और उनके बीच में बाधायें वे ही बाधायें हैं। यदि सुरक्षा नहीं रखी गई तो कठिनाइयों का और सामना करना पड़ेगा। जिन प्रदेशों में इस प्रकार के कानून

(श्री शिवचरण माथुर)

बना दिये गये हैं वहां पर बैंकों से रुपया देने में जो असुविधायें थीं उनको हटा दिया गया है। जिन स्टेट्स में यह होना रह गया है वहां पर फौरन इस प्रकार का बिल लाया जाय, इस प्रकार विचार विनिमय हुआ और डाइरेक्शन मिले। मैंने और माननीय वित्त मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया केन्द्रीय वित्त मन्त्रीजी को हम जल्दी से जल्दी अपने प्रदेश में इस प्रकार का बिल लाना चाहते हैं। यदि असेम्बली देर से मीट होगी तो हम इसको ऑर्डिनेन्स के जरिये से लावेंगे। इसको पहले लाने की कोशिश की इसलिये यह सीधा असेम्बली में नहीं आ सका और ऑर्डिनेन्स के रूप में इसको लाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सी शंकायें व्यक्त की गई हैं। वे एक प्रकार से काल्पनिक हैं जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा। आप स्वयं जानते हैं हमारे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन एक प्रकार से जड़ प्राप्त कर चुका है और सारे इस बिल में वे ही प्रोविजन्स हैं जो एक कोआपरेटिव बैंक की सुरक्षा के लिये अपने कर्जे को वसूल करने के लिये और किसानों को समय पर ऋण देने के लिये अपनाये जाते हैं। वे ही प्रोविजन्स इसमें इन्ट्रोड्यूस किये गये हैं जो कोआपरेटिव एक्ट में अलग अलग दिये हुए हैं।

खास तौर से सैक्शन 14 और 15 के बारे में शंका व्यक्त की गई कि जो रिकवरी का तरीका है उससे किसान को कठिनाई होगी। यदि आप इसको देखें और सेक्शन 14 के भाग 4 को देखेंगे तो उसमें लिखा है:—

(4) A sale by a bank of lard or interest therein in terms of sub-eection (2) shall be in favour of persons as may be prescribed by the State Government under section 30 of this Act.

यह नहीं है कि गरीब किसान की जमीन को लेकर किसी पूंजीपति को बेच दी। इसमें साफ है:—

"and shall be subject to any provisions of any law in force which may place restrictions on purchase of land by non-agriculturists or ceiling for acquisition of land or by a person not belonging to a scheduled caste or scheduled tribe or fragmentation of land."

अलग-अलग कानूनों में जो प्रोविजन्स रखे हुए हैं जमीन को बेचने के लिये वे सबके सब इसमें लागू होंगे। सैक्शन 30 जो है उसमें रूल मेकिंग पावर दिया गया है। उसके अन्तर्गत रूल बनाना चाहते हैं। 17 जुलाई को यह ऑर्डिनेन्स लागू हुए। आज के दिन एक महीना पूरा हुआ है इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी रूल्स बनाने के लिये हमने डिपार्टमेंट में ही एक लॉ ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है।जो कि निरंतर इसमें रूल बनाने का काम कर रहे हैं। इस बिल को महत्वपूर्ण समझते

(श्री शिवचरण माथुर)
हैं। एक्ट के बाद फौरन रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही सहूलियतें देना प्रारम्भ करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : साथ साथ ही बनने चाहिये रूल्स ये।

श्री शिवचरण माथुर : साथ साथ तो कैसे होंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर तो यह एक्ट लागू नहीं हो सकेगा।

श्री शिवचरण माथुर : वह देख लेंगे। तो ऐसी स्थिति में शंकाओं का आधार नहीं होना चाहिये। इस एक्ट के बाद में जो कठिनाइयां बैंकों के सामने थीं वे दूर हो जावेंगी उनका जो कहना था कि को-आपरेटिव बैंकों और उनमें एक तरह का पार्सल ट्रीटमेन्ट था वह पार्सेलिटी दूर कर दी गई है। अब रिकवरी का तरीका सब का एकसा हो गया है। आज जो पहले कर्जा देगा उसका चार्ज पहले एस्टेब्लिश होगा चाहे वह शिड्यूल बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो या सरकार ही क्यों न हो। यह इसमें व्यवस्था है। अब अगर किसी ने कर्ज दिया है और इसके बाद भी किसान की हैसियत और अधिक कर्जा लेने की बचती है तो वह दूसरे बैंक से ले सकता है सैकण्ड चार्ज से। तो इन सारी बातों का बहुत गहराई से ध्यान रखा गया है। जल्दी में कुछ नहीं किया जा रहा है। बहुत बड़ा चिन्तन है इसके पीछे। काफी एक्सपर्टों की राय इसमें ली गई है। कई गोष्ठियों और सेमिनारों में इसकी चर्चा हुई है। ऐसे ही चार पांच दिनों में ड्राफ्ट करके रख दिया गया है यह ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक लम्बी भूमिका और इतिहास है। बल्कि बैंकों ने और दूसरे अधिकारी लोगों ने स्वयं माना है कि अगर यह पांच साल पहले आ गया होता तो अधिक लाभ किसानों को मिल सकता था, गरीबों का अधिक भला हो सकता था। इस दृष्टि से तो इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पर देर आयद दुरुस्त आयद। अब भी इससे लाभ उठाना चाहिये। तो इस आधार पर यह बिल यहां लाने का प्रयत्न किया गया है।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कई शंकाएं व्यक्त की। कहा कि सिविल कोर्ट के मार्फत इस प्रकार से वसूली का प्रावधान होता है वह यहां भी लागू करना चाहिये। इसमें हमने कुछ नहीं किया है। को-आपरेटिव बैंकों में वसूली का जैसा प्रावधान था उसे ज्यों का त्यों इसमें रखा गया है। यदि आप का यह विश्वास है कि को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट का यह प्रावधान ठीक नहीं है और इससे छोटे किसानों को लाभ नहीं मिला है तो आप भले ही कह सकते हैं पर फिगर्स से ऐसा नहीं लगता। मैं फिगर्स देकर बताऊं कि सन् 71 से लेकर 74 तक केवल पांच जिलों में जहां लघु कृषक योजनाएं चल रही हैं वहां पर अलग अलग बैंकों ने कुल मिलाकर 902.1 लाख रुपयों का ऋण छोटे छोटे किसानों को दिया है। सीमान्त कृषकों को इन को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा यह 9 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

यदि इस कमेटी कि रिपोर्ट का अध्ययन करें तो इसकी भूमिका में ही यह सुझाव दिया गया है कि कुछ एरियाज को सिलेक्ट करके बैंक फाइनेन्स को वहां इन्वाल्व्ड किया जावेगा तो रिजल्ट बड़े उत्साहजनक हो सकेंगे

(श्री शिवचरण माथुर)
उत्पादन काफी बढ़ेगा और काफी बड़ी तादाद में किसानों को लाभ मिल सकेगा। चेप्टर पांच में इसका प्रावधान है। हम इसके अन्तर्गत उन एरियाज को नोटिफाई कर सकते हैं।

अब यह कहा गया कि इसके प्रोसीजर को लम्बा किया गया है। स्टेट गवर्नमैन्ट रिजर्व बैंक से पूछेगी और फिर उसे नोटिफाई करेगी और तब कुछ होगा तो यह तो जरूरी है। को-आपरेटिव सोसायटियां जहां काम करती हों वहां डुप्लीकेसी में बचने के लिए यह जरूरी हो जावेगा कि रजिस्ट्रार से भी पूछा जाय, और रिजर्व बैंक से भी पूछा जाय। अब जहां सहकारी आन्दोलन कमजोर है तो वहां पर सरकार अपनी ओर से भी कार्य कर सकती है। वह दूसरे बैंकों से कह सकती है कि वहां वे क्रेडिट फेसिलिटी देने का काम करें।

प्रोसीजर का सरल बनाने की बात कही गई। इसके लिए वित्त मन्त्रीजी लीड बैंकों की मीटिंग बराबर करते रहते हैं और पीरियोडिकल सारी स्टडी करते हैं। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जितना चाहिये था उतना पैसा इस सैक्टर में नहीं लगाया है। पर इसका जो कारण वे बता रहे थे वह सही था, जिसे हमने इस एक्ट के द्वारा दूर कर कर दिया है अब। भारत सरकार के वित्त मन्त्री भी चाहते हैं कि कृषकों को अधिक से अधिक सहूलियतें मिल और उनकी उपज बढ़े।

इसलिये मैं मानता हूं कि यहां जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं उनका कोई आधार अब नहीं रह गया है। किसानों का खास तौर से ध्यान रखकर इसे लाया गया है, अगर यह नहीं होती बात, तो इतनी तीव्रता और उत्सुकता से इसे नहीं लाते। राष्ट्रीयकरण से पीछे जो उद्देश्य था कि बैंकों के पैसे का लाभ कुछ वेस्टटेड इन्टरेस्ट वाले लोग ही न उठावें साधारण गरीब किसान भी उसका लाभ ले सकें उस दृष्टि से हम यह बिल यहां लाये हैं।

इसलिये प्रवर समिति में भेजने अथवा जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का अर्थ यह होगा कि अच्छे काम को फिर देर से करने और पीछे डालने की कोशिश करना चाहते हैं।

अब अगर प्रवर समिति के सामने भी ले जावेंगे तो वे भी कन्स्टीट्यूशन मेकर ही हैं। वे भी उसी विधि शब्दावली का प्रयोग करेंगे जिसका हमने किया है। विधि शब्दावलि बनी हुई है। अब इसमें विलष्टता है या नहीं है यह एक विवाद का विषय है। इस शब्दावलि के निर्माण के लिए भारत सरकार ने एक बहुत लम्बी प्रक्रिया बना रखी है शब्दों की कहां से उत्पत्ति है, उसके कहां क्या क्या अर्थ हैं यह सब देख कर बहुत बड़ा कमीशन इस काम को लगातार कई वर्षों से करता आ रहा है।

श्री एक माननीय सदस्य : अर्थ की जगह अनर्थ निकल जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : तो इस शब्दावलि को तो आप प्रवर समिति में भी नहीं बदल सकेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है प्रवर समिति में जा यतो शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह वैसा का वैसा ही किया जायगा इसलिये मैं

(श्री शिवचरण माथुर)
समझता हूं प्रवर समिति को भेजने में कोई लाभ नहीं हैं और इस अच्छे कानून को लागू करने में देरी करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बैंकों की सुविधा के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां) निराकरण विधेयक, 1974 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां) निराकरण विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से लगाकर 31 तक कोई सशोधन नहीं है उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक का खण्ड 2 से लगाय 31 तक स्वीकार किया गया।

अनुसूची। श्री मोहरसिंह !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी कुछ समय पूर्व यहां विधान सभा प्रांगण में छात्र आ गये थे और ऐसी जानकारी मिली है कि वर्दीधारी पुलिस रिसेप्शन रूम में आ गई और उनको पकड़ कर ले गई तो मैं पूछना चाहता हूं क्या वर्दीधारी पुलिस बिना अध्यक्ष की आज्ञा के आसन के प्रांगण में आ सकती है और अगर आ गई है तो किसकी इजाजत से आई है।

श्री उपाध्यक्ष : भरतपुर जाने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। वास्तव में क्या स्थिति हुई है और क्या तथ्य हैं इसकी अभी जानकारी नहीं है इसलिय मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं और इस पर कल ही माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी जायगी। आज चूंकि कोई जानकारी नहीं है इसलिए इस व्यवस्था के प्रश्न पर कल सूचना संग्रहीत करके बता दिया जायेगा। आज कुछ व्यवस्था देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचि की तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण" के पश्चात् एवं अंक में शब्द "1974 की धारा" के पूर्व प्रयुक्त शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन सूची में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि अनुसूची मय संशोधन के स्वीकृत की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुसूची मय संशोधन के स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम आदि स्वीकार किए जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम आदि स्वीकार किए गए।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) विधेयक, 1974 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही 17 अगस्त, 1974 के दिन के 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 9-15 रात्रि को दिनांक 17 अगस्त, 1974 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

Page No 171

171

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची

सूची (अ)

1.	श्रीमती मालती खन्ना धर्म पत्नि स्वर्गीय मेजर विजय खन्ना	वीर चक्र
2.	ब्रिगेडियर रघुबीरसिंह	महावीर चक्र
3.	कैप्टन महेन्द्रसिंह	अशोक चक्र III
4.	कैप्टन राजमोहन	वीर चक्र
5.	कैप्टन मेघसिंह	वीर चक्र
6.	नायक रिसालदार अयूब खां	वीर चक्र
7.	कैप्टन नरपतसिंह	परमवीर चक्र
8.	कैप्टन शिवकरण	वीर चक्र
9.	नायब सूबेदार प्रभातसिंह	वीर चक्र

सूची (ब)

1.	ले. कर्नल भवानीसिंह	महावीर चक्र
2.	मेजर विजयकुमार वैद	वीर चक्र
3.	ले. सुदेशकुमार गुप्ता	मेनसन इन डिसपेचेज
4.	कमाण्डर वी. एस. शेखावत	वीर चक्र
5.	ले. कमाण्डर आर. एन. शर्मा	मेनसन इन डिसपेचेज
6.	मेजर नवलसिंह राजावत	वीर चक्र
7.	सी. एफ. एस. गिरधरप्रसाद शर्मा	मेनसन इन डिपेचेज
8.	कैप्टन सुरेन्द्र कौशिक	वीर चक्र
9.	फ्ला. ऑफिसर के. बी. सिंह	मेनसन इन डिपेचेज
10.	सिपाही शिवदानसिंह	मेनसन इन डिपेचेज
11.	स्क्वेडन लीडर बी. के. भाटिया	वीर चक्र
12.	मेजर रमेश बदलानी	मेनसन इन डिसपेचेज
13.	ला. नायक सावंतसिंह	मेनसन इन डिसपेचेज
14.	मेजर महेन्द्रसिंह	मेनसन इन डिसपेचेज
15.	ले. जनरल हिम्मतसिंह	मेनसन इन डिसपेचेज
16.	असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट मनोहरसिंह शेखावत	पुलिस पदक
17.	मेजर हमीरसिंह	वीर चक्र
18.	कैप्टन बी. एस. जोधा	सेना मेडल
19.	मेजर जगमालसिंह राठौर	वीर चक्र
20.	मेजर रनजीत खन्ना	मेनसन इन डिसपेचेज
21.	राईफल मैन रावतसिंह राठौड़	वीर चक्र
22.	श्री चांद बिहारीलाल माथुर	किंग्स पुलिस मैन

परिशिष्ट 2

समयभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा फतहनगर में स्कूल के लिये दी गई भूमि

75. श्री रामलाल (बाड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा फतहनगर में पौने नौ बीघा जमीन स्कूल निर्माण के नाम पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दी गई थी ? यदि हां, तो किस पट्टे के आधार पर ? कृपया पट्टे की नकल सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर स्कूल न बनने के कारण किसी व्यक्ति द्वारा उस पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा और किस आधार पर ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन फतहनगर के खेवट में स्कूल के नाम पर दर्ज होने से तहसीलदार, मावली ने कब्जा हटाने का आदेश सन् 71 में दिया किन्तु उसकी पालना सन् 74 में की गई ? यदि हां, तो इतने विलम्ब से क्यों और अब कब्जा हटाने के मामले में क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा फतहनगर में स्कूल निर्माण के लिए 22बीघा 6 बिस्वा जमीन दी गई थी । पट्टे की तलाश मेवाड़ राज्य के पुराने अभिलेख से कराई जा रही है ।

(2) जी हां, इस भूमि के 7 बीघा 6 बिस्वा भाग पर श्री प्रकाशमल चतुर द्वारा सं. 2026 में अनाधिकृत आधिपत्य कर लिया गया ।

(3) जी हां । अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर दिनांक 20-2-1973 को तहसीलदार, मावली ने बेदखली के आदेश पारित किये एवं अतिक्रमी को बेदखल करने एवं पैनल्टी वसूल करने के लिए आदेश तहसील से दिनांक 18-2-1973 को जारी किये गये । विलम्ब की जांच कराई जा रही है । अतिक्रमी द्वारा तहसील के आदेश के विरुद्ध अपील में स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण बेदखली की कार्यवाही रुकी हुई ।

राज्य में सीमेन्ट की बिक्री

76. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीमेन्ट के थैलों पर जितना वजन अंकित रहता है, उपभोक्ता को दूकानदारों द्वारा उससे कम वजन में उपलब्ध कराया जाता है ? अगर हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय खोजे जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गांवों में साधारण उपभोक्ता को एक थैला सीमेन्ट भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता जबकि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकायें बनाने में

(श्री दीपकर)
हजारों थैले सीमेन्ट प्राप्त होते रहते है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सीमेन्ट रिटेलरों को प्राप्त सीमेन्ट के कोटे में से बीस प्रतिशत सीमेन्ट बिना परमिट के मनमानी रेट पर खुले बाजार में बेचने की छूट दी गई है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने किस किस निश्चयों के आधार पर ऐसा किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सामान्यतया सीमेन्ट के थैलों में अंकित वजन से कम सीमेन्ट मिलने की शिकायत नहीं है। कुछ स्थानों से इस प्रकार की शिकायते अवश्य मिली हैं। जांच के बाद मामलों में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

(2) यह सत्य है कि कुछ समय पूर्व तक सीमेन्ट शहरों में ही अधिक खपत होता था लेकिन अब राज्य सरकार ने प्राप्त कोटे में से 65 प्रतिशत कोटा गांवों के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है जिससे देहाती क्षेत्रों में उपलब्धि के अनुपात में सीमेन्ट मिलने में सहूलियत होगी।

(3) जी हां, जिलाधीशों ने उपलब्धि एवं आवश्यकता के आधार पर विभिन्न जिलों में सिविल कोटे की 10 से 30 प्रतिशत तक फ्रीसेल की छूट दी है। उपलब्ध सूचना की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्र. सं. 1	नाम जिला 2	रिटेलरों को छूट दिये जाने का विवरण 3
(1)	अजमेर	30% की छुट दी गई है।
(2)	अलवर	छूट नहीं
(3)	बाड़मेर	30% की छूट थी जो 1-7-74 से बन्द कर दी गई।
(4)	बूंदी	20% की छूट दी गई है।
(5)	बांसवाड़ा	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
(6)	भरतपुर	10% की छूट दी गई है।
(7)	भीलवाड़ा	25% की छूट है।
(8)	बीकानेर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
(9)	चूरू	छूट नहीं।
(10)	चित्तौड़गढ़	10% की छूट दी गई है।
(11)	डूंगरपुर	सूचना प्राप्त नहीं।
(12)	गंगानगर	सूचना प्राप्त नहीं।

1	2	3
(13)	जयपुर	छूट नहीं।
(14)	जोधपुर	छूट नहीं।
(15)	जैसलमेर	छूट नहीं।
(16)	जालोर	15% रिटेलर को छूट है।
(17)	झुंझुनूं	20% रिटेलर को छूट है।
(18)	झालावाड़	सूचना प्राप्त नहीं।
(19)	कोटा	छूट नहीं।
(20)	नागौर	20% रिटेलर को छूट है।
(21)	पाली	छुट नहीं।
(22)	सीकर	सूचना प्राप्त नहीं।
(23)	सिरोही	20% रिटेलर को छूट दी गई है।
(24)	सवाई माधोपुर	25% की छूट दी गई।
(25)	टोंक	छूट नहीं।
(26)	उदयपुर	छूट नहीं।

ग्राम पंचायत गोहाना के सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

77. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर के सरपंच विजयसिंह, ग्राम पंचायत गोहाना के विरुद्ध जो गम्भीर 7 आरोप राज्य सरकार द्वारा गत विधान सभा सत्र में बताये गये थे उनकी फाइनल जांच एस.डी.एम. ब्यावर द्वारा पूरी कर ली गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जाय। यदि नहीं, तो जांच अब तक क्यों नहीं की गई?

(2) एस. डी. एम. ब्यावर को सरपंच श्री विजयसिंह गोहाना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा किस दिनांक व सन् में नियुक्त किया और कब कब रिमाइन्डर दिये गये?

(3) क्या यह सही है कि जो बजट सत्र में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि जांच एक माह में पूरी की जाकर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो अब तक जांच क्यों नहीं हुई?

उत्तर

(1) अभी तक जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु उन्हें स्मरण पत्र भेजे गए हैं।

(2) उप जिलाधीश ब्यावर को दिनांक 19-9-73 को जांच अधिकारी

(पंचायत मंत्री)
नियुक्त किया गया है। स्मरण पत्र दिनांक 25-2-74, 12-4-74, 4-5-74, 17-6-74 व 25-7-74 को प्रेषित किए गए हैं।

(3) जी नहीं, ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था। उप जिलाधीश, ब्यावर से जांच पूर्ण न करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जिलाधीश, अजमेर को लिख दिया गया है।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

78. श्री चेतराम (टोडाभीम), श्री रामगोपाल (खण्डार) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं कहां-कहां पर स्वीकार की हैं ? जिलेवार एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त योजनाओं पर कितनी-कितनी (योजनावार) राशि व्यय की जायेगी तथा पंचम पंचवर्षीय योजना की प्रथम दो वर्षों में किन-किन ग्रामों में योजना पूर्ण कर दी जावेगी ?

(3) जल प्रदाय योजनाओं में सबसे अधिक तथा सबसे कम योजनाएं किस-किस जिले की हैं तथा उन पर व्यय की जाने वाली राशि की मात्रा क्या है ? इस असमानिता का क्या कारण है ?

(4) क्या राज्य सरकार जन जाति क्षेत्रों में प्राथमिकता देने पर सोच रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो आदिवासियों के पीने के पानी के प्रबन्ध के लिये राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) उपरोक्त योजनाओं में से निर्माणाधीन योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 74-75 में खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि व उन योजनाओं को पूर्ण होने का संभावित खर्च सूची (दो) में संलग्न है।

(3) सबसे अधिक लागत की ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें नागौर जिले में 3.05 करोड़ रु. की है व सबसे कम लागत की ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें 7.63 लाख रु. की बून्दी जिले में है। यह असमानता इन जिलों की समस्या की भिन्नता के कारण हैं।

(4) जी हां। स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्रों में प्राथमिकता से सार्वजनिक नल व पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र मुख्यतः नारु की बिमारी से ग्रस्त हैं। इस क्षेत्र में कम आबादी वाले गांव व बस्तियां पाई जाती हैं। इसलिये पीने के पानी की समस्या का समाधान हैण्ड पम्प लगाकर किया जा रहा है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुये पांचवी पंचवर्षीय योजना में हैण्ड पम्प बनाने का विस्तृत कार्यक्रम भी हाथ में लिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लेवी देने वालों को सीमेन्ट और खाद का वितरण

79. श्री जनेन्द्रपाल (करौली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गेहूं की लेवी देने वालों को सीमेन्ट और खाद किस आधार पर और कितनी मात्रा में दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जो खाद दिया गया वह कुछ पुरानी दर पर तथा कुछ नई दर से ?

(3) क्या यह सही है कि खाद पुरानी दर पर खरीदा गया और नई दर से दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

(4) क्या यह सही है कि सीमेन्ट ऐसे व्यक्तियों को भी दिया गया जिन्होंने लेवी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया ?

उत्तर

(1) गेहूं की लेवी देने वालों को आठ क्विन्टल लेवी पर एक क्विन्टल खाद मोटे आधार पर देने के तथा सीमेन्ट उपलब्धि के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर देने को जिलाधीशो को कहा गया था।

(2) 31-5-74 तक के खाद का पुराना स्टॉक पुरानी दर पर ही लेवी देने वाले कृषकों को विक्रय किया गया है।

(3) राज्य सरकार के कृषि विभाग के पास खाद का जो स्टॉक 31-5-74 तक उपलब्ध था वह लेवी देने वालों को पुरानी दर पर ही बेचा गया है।

(4) लेवी देने वाले कृषकों को सीमेन्ट उपलब्धि के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर देने को जिलाधीशों को कहा गया था। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार जनता के अन्य कार्यों को भी सीमेन्ट दिया गया ?

जयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स को दी गई भूमि

80. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर में स्थित चेम्बर ऑफ कॉमर्स को सरकार ने किन किन शर्तों पर जमीन दी है ? शर्त की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने जयपुर में स्थित भवन को किराये पर उठा दिया है ? यदि हां, तो कितने रुपये पर किसको और किस शर्त के अनुसार दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स से हुई शर्त के अनुसार चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने शर्तों का पालन नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चेम्बर ऑफ कॉमर्स को भूमि आवंटन की शर्तों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। विवरण तालिका संलग्न है।

(नगर आयोजना मंत्री)

(3) जी हां। चेम्बर ने शर्तों में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में अफीम का प्रयोग

81. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में कोई ऐसा गांव है जिसमें अवैध अफीम व अवैध शराब नहीं मिलती ?

(2) क्या यह सही है कि इस समय राजस्थान में हजारों व्यक्ति अफीम का प्रयोग कर रहे हैं तथा उनके पास कोई लाईसेन्स या प्रमाण-पत्र नहीं जिसके द्वारा कि वे सरकार से अफीम प्राप्त कर सकें ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस व आबकारी विभाग की देख रेख में हर शहर व गांव में अवैध अफीम व अवैध शराब की बिक्री होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करायेगी कि जिन अधिकारियों द्वारा या उनकी देख रेख या उनके द्वारा ऐसा धन्धा चल रहा है उसे समाप्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

अवैध अफीम व अवैध शराब बेचना जुर्म है।

इस प्रकार के मामले सामने आने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है।

जी नहीं। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत आयेगी तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मिलावट एवं जमाखोरी रोकने के लिये मारे गये छापे

82. श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनूं) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1974 के बाद अब तक सम्पूर्ण राजस्थान में मिलावट व जमाखोरी रोकने के लिये कितने बड़े बड़े व्यापारियों के यहां कहां कहां पर छापे डाले गये हैं ? नामवार व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर के व्यापारी श्री हनुमान सहाय के जो खाते पकड़े गये हैं उन खातों में कई प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं के भी जमा एवं नाम खाते हैं ? यदि हां, तो किन किन के ?

उत्तर

16 जिलों में जमाखोरी रोकने के लिये 162 व्यापारियों पर छापे मारे गये। 17 जिलों में मिलावट के सम्बन्ध में 181 छापे मारे गये। जमाखोरों के बारे में 10 जिलों से तथा मिलावट के बारे में 19 जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई। मिलावट के बारे में जन स्वास्थ्य विभाग से भी सूचना मंगवाई गई थी वह भी प्राप्त नहीं हुई।

श्री हनुमान सहाय को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियमन के अन्तर्गत पकड़ा गया था

(खाद्य मंत्री)
अतः पकड़ने के पश्चात् सारा रिकार्ड पुलिस को सौंप दिया गया। गृह विभाग के मतानुसार चूंकि मामला सब ज्यूडिस है अतः कोई भी विवरण दिया जाना संभव नहीं है।

राजगढ़ कस्बे में वर्षा के पानी से जनता को परेशानी

83. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा राजगढ़, जिला चूरू में हर साल वर्षा ऋतु में पानी शहर से बाहर न निकल कर शहर के बीच में भर जाता है जिससे मच्छरों व कीचड़ से जनता परेशान रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार को हर साल इससे अवगत कराया जाता रहा है ?

(3) क्या सरकार ने इस हेतु कोई योजना बनाई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस साल तो पानी राजगढ़ में और भी ज्यादा भर गया है जिससे जन जीवन में बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है ? अगर हां, तो सरकार ने पानी शहर से बाहर निकालने का क्या इन्तजाम किया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजगढ़ में वर्षा का पानी दो स्थानों का वार्ड नं. 5 स्थित डिग्गी में तथा वार्ड नं. 13 में स्थित कच्चे जोहड़ में भर जाता है जिससे आवागमन में परेशानी होती है।

(2) नगरपालिका ने मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री को दिनांक 21-4-73 को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है।

(3) अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

(4) इस सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा अतिशीघ्र कार्यवाही करने के लिए प्रयत्न किये जावेंगे।

राजस्थान को सहायता के रूप में प्राप्त राशि

84. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वित्तीय संस्थान जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक, एल. आई. सी. आदि शामिल हैं उनसे अखिल भारतीय आधार पर राजस्थान को किस किस कार्य के लिये कितनी-कितनी किस-किस रूप में सहायता दी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में इन संस्थानों से बहुत ही कम सहायता मिली है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उधार दी गई

(वित्त मंत्री)

धनराशि के सम्बन्ध में इस थोड़े समय में विस्तृत सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं हो पाया है। परन्तु जो कुछ सूचना एकत्रित की जा सकी है उसका ब्योरा इस प्रकार है:—

1. एल. आई. सी. द्वारा अजमेर वाटर सप्लाई के लिए 9 करोड़।

2. एल. आई. सी. द्वारा हाउसिंग कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 56 लाख।

3. रिजर्व बैंक द्वारा 4 करोड़ 89 लाख।

4. नेशन कॉओपरेटिव डेव. कोर. द्वारा 3 करोड़ 98 लाख राष्ट्रीय बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दी गई धनराशि में से 31 मार्च, 1973 तक 12 करोड़ 6 लाख बकाया है।

अनुसूचित बैंकों द्वारा राजस्थान की लघु-उद्योग संस्थाओं को 24 करोड़ 85 लाख रुपया तारीख 30 जून सन् 1973 तक दिया गया है।

(2) इसमें कोई शंका नहीं है कि कई अन्य राज्यों की अपेक्षा संथाएं आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न हैं। राजस्थान को वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि कम उपलब्ध कराई है। सरकार बराबर यह प्रयत्न कर रही है कि उक्त संस्थाओं से राज्य को दी जाने वाली धनराशि में अधिकाधिक वृद्धि करें। यह प्रश्न समय-समय पर क्षेत्रीय सलाहकार समिति आदि संस्थाओं में भी उठाया है।

लेवी की वसूली में कृषकों के साथ बरती गई सख्ती

85 श्री ओंकारलाल चौहान : (झालावाड़) क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में लेवी की वसूली में सख्ती बरती गई है ?

(2) क्या यह सही है कि लेवी वसूली के सिलसिले में काश्तकारों को परेशान किया गया और अनुचित तरीकों का उपयोग किया गया ?

(3) यदि हां तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) व (2) जी नहीं। लेवी नियमानुसार ही वसूल की गई है।

(2) लेवी वसूली में अधिकारियों को विवेक से काम करने के स्पष्ट आदेश राज्य सरकार के थे। यदि कहीं किसी अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता बरतने की शिकायतें हैं तो उनकी नियमित रूप से जांच की कार्यवाही की जा रही है।

अचलपुर (जयपुर) की कोली बस्ती में प्लाटों का अलॉटमेन्ट

86. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर की चौकड़ी रामचन्द्रजी घेर अचलपुरा की कोली बस्ती में

(श्री विट्ठलभाई)

प्लाटों का अलॉटमेन्ट किस तिथि को किया गया था ?

(2) इस बस्ती में कुल कितने कोली परिवारों को आदर्श बस्ती के रूप में बसाने के लिये प्लाट आवंटित किये गये थे ? और क्या उन्हें प्लाटों पर भवन निर्माण के नक्शे स्वीकृत कर दिये गये ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(3) क्या ले-आउट प्लान के अनुसार घेर अचलपुरा में प्लाटों का सीमांकन कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या घेर अचलपुरा के कोली नागरिकों ने अपनी बस्ती को आदर्श बस्ती में परिवर्तित करने के लिये अपने स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार भवन निर्माण करा लिये है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 5-4-63 को।

(2) 13 परिवारों को स्वीकृति तामीरात दिनांक 23-2-72 को दी गई थी।

(3) जी नहीं। अन्य ऐसे व्यक्ति जिनके वहां पर कब्जे थे उनके द्वारा झगड़ा फसाद के कारण सीमांकन का कार्य नहीं हो सका।

(4) जी नहीं। सम्भवत: अन्य व्यक्ति जिनके कब्जे मौके पर हैं वे स्वीकृति के अनुसार आवंटित भू-खन्डों में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने देते हैं।

सिरोही एवं जालौर जिले में मकान की मरम्मत के लिये दी गई राशि

87. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने सिरोही व जालौर जिले में मकान मरम्मत के लिए 150) रु. प्रति परिवार दिये थे ?

(2) क्या सिरोही जिले के शिवगंज तहसील के खन्दरा गांव में प्रति परिवार 150) रु. नहीं दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि माहेश्वरी प्रगति मण्डल, अहमदाबाद से एक लाख रुपये खन्दरा ग्राम निर्माण के लिये मिले ? यदि हां, तो उनका कब कब क्या उपयोग हुआ ?

(स्थगित किया गया)

पाली जिले में गेहूं के उत्पादकों एवं व्यापारियों के यहां मारे गये छापे

88. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में इस वर्ष गेहूं के किन-किन उत्पादकों व किन-किन व्यापारियों के विरुद्ध किस-किस कानून के तहत छापे मारकर कितना माल कब-कब सरकारी तहवील में किन-किन अधिकारियों द्वारा लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस प्रकार सरकारी तहवील में लिये गये गेहूं के सम्बन्ध में अग्रिम कब-कब

(श्री शंकरलाल)
क्या-क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) प्रश्न के भाग 1 की सूची में कार्यवाही एवं नतीजे का विवरण अंकित कर दिया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी।)

एस. डी. ओ. जयपुर के कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतें

89. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले की किस-किस तहसील में कितने पटवारी कनिष्ठ लिपिक कब-कब से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश में उपरोक्त पटवारी, लिपिक, भ्रष्टाचार, गबन एवं रिश्वतखोरी आदि में लिप्त हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि एस. डी. ओ. कोर्ट, जयपुर में श्री राधेश्याम चतुर्वेदी नामक पटवारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ये कब से इस कोर्ट में कार्य कर रहे हैं और इससे पहले यह कहां-कहां कितने-कितने समय तक कार्य करते रहे ? एवं इनकी नियुक्ति राज्य सेवा में कब हुई ?

(4) उपरोक्त पटवारी के सम्बन्ध में नियुक्ति से लेकर आज दिन तक किस-किस तहसील के कौन-कौन से ग्राम के काश्तकार की कब-कब शिकायतें राजस्व विभाग के किस-किस अधिकारी के पास आई एवं उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पटवारी अपने आपको एस. डी. ओ. जयपुर का खास आदमी बताता है तथा जनता में झूंठा रोब जमाता रहता है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एस. डी. ओ. से काश्तकारों ने शिकायत की ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या राज्य सरकार उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ब्यौरा परिशिष्ट 'ख' में अंकित है।

(4) ब्यौरा परिशिष्ट 'ग' में अंकित है।

(5) इस प्रकार की शिकायत कि श्री राधेश्याम अपने को एस. डी. ओ. का आदमी बतलाता है—प्राप्त होने पर एस. डी. ओ. ने जांच के पश्चात् इसे निराधार पाया।

(6) ऐसा कोई प्रश्न राज्य के विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

परिशिष्ट–3

(अता. प्र. सं. 25 की सूची)

अतारांकित प्रश्न सं. 42 से संबधित सूचना

क्र. सं. 1	नाम सरपंच 2	शिकायत दिनांक 3	शिकायत का विवरण 4	प्रगति 5
			1. राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन मामलले	
1.	श्री राजेन्द्र कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत, लालसोट	12-5-73	पंचायत की सम्मति का दुरुपयोग	जिलाधीश जयपुर को जांच हेतु दि. 30-5-73 को भेजा गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
		21-4-74	भूमि विक्रय में अनियमितताये	आरोप पत्र बनाने के लिए पूर्ण रिकार्ड मांगा जा रहा है।
2.	श्री छोटेलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, दौलतपुरा	14-10-70	पंचायत कोष की राशि निर्धारित राशि से अधिक रखना	आरोप पत्र देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जिलाधीश ने पूरा रिकार्ड नहीं भेजा है।
3.	श्री नाथूलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, शिवसिंहपुरा	21-10-66	पंचायत कोष की राशि निर्धारित राशि से अधिक रखना	जिलाधीश जयपुर दि. 10-11-66 को जांच हेतु भेजा गया परन्तु जांच अधूरी प्राप्त होने से कुछ अन्य बिन्दुओं पर (जैसे ब्याज की राशि इत्यादि जमा कराने के सम्बन्ध में) जांच करने हेतु पुनः दि. 11-7-69 को भेजी गई। सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5
4.	श्री राजूलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत लालपुरा	17-5-73	भूमि विक्रय की अनियमितताये	आरोप पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है जिलाधीश से दिनांक 13-5-74 को विवरण प्राप्त हुआ है।
5.	श्री मूलचन्द, सरपंच, ग्राम पंचायत, कल्लाबास	12-12-66	राशि का दुरुपयोग	3-5-69 को अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, जयपुर को जाँच हेतु भेजा गया। जांच प्रतिवेदन दि. 6-7-71 को प्राप्त हुआ परन्तु श्री मूलचन्द के इस ऐतराज पर कि उन्हें सफाई का मौका नहीं दिया गया अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी को पुनः जांच हेतु दिनांक 20-3-72 को लिखा गया। रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
6.	श्री नन्दलाल, उप-सरपंच, ग्राम पंचायत पालुन्दा	27-2-74	पंचायत भवन का किराया लेने के संबंध में	सरपंच से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।
7.	श्री रामस्वरूप सरपच, ग्राम पंचायत डीडवाना	18-10-73	राशन कार्ड वितरण करने के संबंध में	सरपंच से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।
8.	श्री रामस्वरूप सरपंच, ग्राम पंचायत डीडवाना	18-10-73	गलत नामान्तरण तस्दीक करने के संबंध में	सरपंच से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।
9.	श्री हरिनारायण, सरपंच, ग्राम पंचायत, मिर्जापुर	20-4-72	अनियमिततायें करने के संबंध में	रैकार्ड मांगा गया है।

1	2	3	4	5
10.	श्री रामेश्वर प्रसाद, सरपंच ग्राम पंचायत, रामगढ़ पचवारा	1-11-71	सरपंच से राशि वसूल करने के संबंध में	चेतावनी दी गई
		2. जिलाधीश जयपुर के समक्ष विचाराधीन मामले		
1.	श्री श्रवणकुमार सरपंच ग्राम पंचायत दोलतपुरा	24-6-66	ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों का हिसाब प्रस्तुत न करने के क्रम में	जांच की जा रही है

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न सं. 26 की सूची)

प्रश्न नं. 1 की सूचि

जिला नागौर, डीडवाना उपखण्ड

उपलब्ध योजनाओं की सूचनी

क्र. सं.	योजना का नाम	गांवों के नाम	जन संख्या (1971)	लागत (रु. लाखोंमें)
1	2	3	4	5
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना दयालपुरा-बरदवा	बरदवा	1203	
		बेमोय	680	
		खरिया	763	
		मावा	1305	
		गणेशपुरा	610	
		दयालपुरा	1528	8.80
		पुरोहितान का बास	200	
		पनछोरई	513	
			6802	
2.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना; सानबादा	डूनर	1275	13.22
		बादेला	106	
		बुदर	671	
		गुनपालिया	267	
		सिमला	418	
		दातन	751	
		सोनबाड़	813	
		मिनदासरी	588	
		बीसूरा	653	
			5842	

1	2	3	4	5
3.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, बेरीखुर्द-जाटनपुरा	असालपुर	453	
		बेरीकलां	1334	
		बेरीखुर्द	1524	
		जाटनपुरा	464	3.95
			3775	
4.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना छोटी खाटू, बड़ी खाटू का ऐक्सटेन्शन	खीया का बास	350	3.40
		रायकोन की ढानी	250	
		हीरासनी	450	
		बचरास	500	
		रेल्वेस्टेशनबास	500	
		धीयापुरा का बास	400	
		पानी वालों की ढाणी	400	
			2850	
5.	पी एण्ड टी डूबर	डूबर	1009	0.49
6.	;; मांगलपुरा	मांगलपुरा	426	1.129
7.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बानकलीया, बालसमन्द	बानकलीया	905	4.04
		रामपुरा	328	
		बालसमन्द	567	
		झाकरोया	216	
		खापरा	659	
			2675	35.039

नोट:—उपरोक्त योजनाएं स्रोत पर पानी की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न सं. 31 की सूची

सूची 'क'

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में बीकी नामों के बकाया इन्तकालात को उपनिवेशन तहसीलवार संख्या की सूची

क्र. सं.	नाम उपनिवेशन तहसील	विक्रीनामों के बकाया इन्तकालात के मामलों की संख्या
1.	रायसिंहनगर	13
2.	सूरतगढ़ नं. 1	51
3.	सूरतगढ़ नं. 2	85
4.	सूरतगढ़ नं. 3	24
5.	हनुमानगढ़	31
6.	बीकानेर	91
7.	छतरगढ़ नं.2	—
8.	अनूपगढ़	55
9.	विजयनगर	18
10.	पूगल	1
11.	लूनकरणसर	15
12.	छतरगढ़ नं. 1	—
13.	घड़साना	34
14.	नोरंगदेसर	27
15.	रावतसर	24

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, 16 अगस्त, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	ऊपर से 12	छनिजे	—
3	,, 12	मिटिंग	मीटिंग
5	,, 12	Time	Times
6	,, 16	चाहिया	चाहिये
6	नीचे से 16	परिवर्तत	परिवर्तन
7	ऊपर से 9	मैग्नीषयूड़	मैग्नीट्यूड
8	,, 17	श्री शिवचरण माथुर	श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री)
8	,, 19	इन्जनियीर	इन्जीनियर
10	नीचे से 19	श्री रामनारायण चौधरी	श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री)
17	ऊपर से 17	आरहा	आ रहा है
18	,, 8	सिड्यूल्ड	शिड्यूल्ड
19	,, 7	महिने	महीने
21	,, 18	क्रिया	क्रियेट
25	,, 8	नोट	नॉट
38	,, 1	लाख चवहद्दर की	एक लाख चोहत्तर हजार की
51	,, 8	श्री प्रचेन्द्रपाल	श्री वृजेन्द्रपाल
55	,, 9	वष्ट	कष्ट
55	नीचे से 9	जानहीं	जी नहीं
59	ऊपर से 1	प्रस्ताग्रों	प्रस्तावों
69	,, 2	दिवेदन	निवेदन
69	,, 19	जित	जिन
70	,, 9	गवनमेंट	गवर्नमेंट
77	,, 7	अकर्षण	आकर्षण
78	,, 19	बद	बाद
79	,, 10	ही	हो

1	2		3	4
80	नीचे से	2	Thy	They
82	ऊपर से	10	मोशीन	मोशन
82	नीचे से	1	विशेषाधिका	विशेषाधिकार
83	ऊपर से	4	होनी	होती
83	,,	5	रोककर सकतेहैं	रोक सकते हैं।
83	नीचे से	16	प्रोरिटी	प्रायोरिटी
83	,,	16	कैसेन	केसेज
84	,,	9	Commilted	Committed
86	ऊपर से	2	व्यक्ति ो	व्यक्तियों
86	नीचे से	9	Prority	Priority
87	,,	14	Nccesary of	Necessary for
129	नीचे से	7	जा री	जानकारी
131	ऊपर से	5	जच	जांच
137	,,	11	श्री रामनारायण चौधरी उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।	——
137	,,	15.	श्री सोगानी–	श्री मानकचन्द सोगानी
145	,,	3	बिढ़ाये	बिठाये
152	,,	4	समझ हैं	समझते हैं
155	,,	4	विचादार्थ	विचारार्थ
233	,,	15	राज्या	राज्य
241	नीचे से	8	उदासिनता	उदासीनता
243	,,	13	आटोनापी	आटोनामी
251	ऊपर से	3	ठाकुराघात	कुठाराघात
257	नीचे से	12	कस्जेडी	कस्टडी
262	ऊपर से	12	पार्लि।	पार्लियामैन्ट
262	नीचे से	15	तफ	तक
264	,,	2	पक्ष	विपक्ष
273	,,	15	लोनरहा	लोन दे रहा
274	ऊपर से	7	खाद्यमंत्री	कृषि मंत्री

1	2	3	4
274	ऊपर से 11	साकारण	साधारण
275	„ 7	फर	कर
281	ऊपर से 16	वापिसलेगे	वापिस ले लेंगे
281	„ 21	——	श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय। (स्वीकृत) अनुमति प्रदान की गई श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संकल्प वापिस लेता हूं।
281	„ 28	श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राज-स्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाईयां निराकरण) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।	——
282	„ 1	उपाध्यम	उपाध्यक्ष
284	„ 18	क्या	वह
284	„ 21	किस प्रकार होगी यह भी दिया नहीं	किस प्रकार होगी दी नहीं है और
286	„ 15	श्री रामनारायण चौधरी	श्री गिरधारीलाल भार्गव
286	„ 22	सकेते	सकते
288	„ 14	ही बैंक है	जहां एक ही बैंक है
293	„ 8	वास्तथिक	वास्तविक
294	नीचे से 2	कने	करने
296	„ 12	एलीगेशन	एलीनेशन
298	ऊपर से 15	सुभादेपाते है	सुझाव नहीं दे पाते हैं
298	नीचे से 6	लोन	लैंड
301	ऊपर से 7	दखास्त	दरख्वास्त
301	„ 19	इण्टरवीन	इण्टरवेन्शन

1	2	3	4
303	ऊपर से 18	कैटपलिस्ट्	कैपेटेलिस्ट्स
805	,, 8	उनता	उतनी
321	,, 13	इसलिए	इसलिए
352	,, 4	मामलले	मामले
355	,, 5	सूचनी	सूचना